SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

छत्तीसगढ़ शासन

वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या– 06

(निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा–सिविल)

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
का
निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा पर प्रतिवेदन
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

छत्तीसगढ़ शासन

वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या– 06

विषय सूची

विषय	संदर्भ	
	कंडिका क्र.	पृष्ठ क्र.
प्राक्कथन		v
विहंगावलोकन		vii
अध्याय 1: परिचय		
इस प्रतिवेदन के विषय में	1.1	1
विभागों के व्यय की रूपरेखा	1.2	1
महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय	1.3	1
लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकार	1.4	1
लेखापरीक्षा की योजना और संचालन	1.5	2
लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विभागों की प्रतिक्रिया	1.6	4
आभार	1.7	5
अध्याय 2: निष्पादन लेखापरीक्षा		
नगरीय प्रशासन और विकास विभाग		
छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा	2.1	7
अध्याय 3: अनुपालन लेखापरीक्षा		
श्रम विभाग		
श्रम विभाग द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर अनुपालन लेखापरीक्षा	3.1	63
ऊर्जा विभाग		
छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के द्वारा सौर पंपों की स्थापना पर वृहद कंडिका	3.2	78
लोक निर्माण विभाग		
ठेकेदार को अनुचित लाभ	3.3	86

परिशिष्ट

परिशिष्ट क्र.	विषय	संदर्भ	
		कंडिका क्र.	पृष्ठ क्र.
1.1	राज्य में विभिन्न विभागों द्वारा किया गया व्यय	1.2	91
1.2	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं का विभागवार ब्यौरा (सामान्य, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र)	1.6.1	93
1.3	अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जाने के प्रकरण वाले इकाईयों का विवरण	1.6.5	94
2.1.1	संभागवार जिले और स्तर–वार चयनित यूएलबी का प्रदर्शित विवरण	2.1.5	96
2.1.2	प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के तहत तीन लाख रुपये से अधिक आय वाले लाभान्वित हितग्राहियों का विवरण	2.1.6.3	97
2.1.3	प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों का प्रदर्शित विवरण	2.1.6.6	99
2.1.4	एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम और प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के तहत लाभान्वित लाभार्थियों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण	2.1.6.7	106
2.1.5	भागीदारी में किफायती आवास के अंतर्गत अगस्त 2024 तक आवासीय इकाईयों के पूर्ण न होने के कारण अवरुद्ध निधि की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण	2.1.8.2	107
2.1.6	कार्य प्रारम्भ न करने वाले हितग्राहियों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण	2.1.8.9	109
2.1.7	प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के तहत प्रदान किए गए लाभों में दोहराव की स्थिति दर्शाने वाला विवरण	2.1.8.14	115
2.1.8	हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण आवासों का स्थिति दर्शाने वाला विवरण, जिन्हें पूर्ण के रूप में जियो टैग किया गया है, लेकिन संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान अपूर्ण पाया गया	2.1.9.1	117
3.1.1	श्रम विभाग की संगठनात्मक संरचना	3.1.2	119
3.1.2	असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल और छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल द्वारा क्रियान्वित योजनाएं और अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए चयनित योजनाएं	3.1.3	120

3.1.3	असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल और छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अंतर्गत 2018–19 से 2022–23 के दौरान योजना वार हितग्राहियों की संख्या एवं व्यय	3.1.7	122
3.1.4	असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल और छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल में 2018–19 से 2022–23 के दौरान प्रति हितग्राही योजना वार व्यय	3.1.7	127

प्राक्कथन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखे जाने हेतु छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ शासन से संबंधित यह प्रतिवेदन तैयार किया गया है। इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय हैं।

यह प्रतिवेदन सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले छत्तीसगढ़ शासन के विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा के परिणामों से संबंधित है। इसमें छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निष्पादन लेखापरीक्षा तथा श्रम विभाग, ऊर्जा विभाग, लोक निर्माण विभाग के अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को शामिल किया गया है।

इस प्रतिवेदन में उन प्रकरणों का उल्लेख किया गया है जो वर्ष 2023–24 की अवधि के दौरान नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये, साथ ही साथ गत वर्षों के ऐसे प्रकरण जो ध्यान में तो आये थे परंतु पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किये जा सके थे। आवश्यकतानुसार, वर्ष 2022–23 के बाद की अवधि से संबंधित प्रकरणों को भी सम्मिलित किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा संचालित की गई है।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय हैं जिनमें सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से संबंधित एक निष्पादन लेखापरीक्षा, श्रम विभाग से संबंधित एक अनुपालन लेखापरीक्षा तथा ऊर्जा विभाग से संबंधित एक वृहद कंडिका के परिणाम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, प्रतिवेदन में लोक निर्माण विभाग से संबंधित एक लेखापरीक्षा कंडिका शामिल है।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लिए निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा का संचालन किया गया है। लेखापरीक्षा के नमूने बहुस्तरीय स्तरीकृत नमूनाकरण, सरल यादृच्छिक नमूनाकरण बिना प्रतिस्थापन विधि के आधार पर लिये गये हैं। अपनाई गई विशिष्ट लेखापरीक्षा पद्धति का उल्लेख निष्पादन/अनुपालन लेखापरीक्षाओं में किया गया है। राज्य सरकार के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए लेखापरीक्षा निष्कर्ष निकाले गये हैं तथा अनुशंसाएं की गयी हैं।

अध्याय I

यह अध्याय सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र से संबंधित लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन/लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर सरकार की प्रतिक्रियाओं के साथ–साथ लेखापरीक्षा की योजना और सीमा तथा विभागों के खर्च पर एक संक्षिप्त विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

अध्याय II

यह अध्याय छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से संबंधित है। इस अध्याय में सम्मिलित लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों का सार नीचे दिया गया है:

छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित भारत सरकार का एक प्रमुख मिशन है। मिशन को जून 2015 में शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, निम्न आय समूह और मध्यम आय समूह श्रेणियों से संबंधित स्लमों में रहने वालों और अन्य लोगों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से चार घटकों के माध्यम से शुरू किया गया था:

- **भागीदारी में किफायती आवास–** आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आवासों का निर्माण ₹ 1.50 लाख की केंद्रीय सहायता, ₹ 2.50 लाख की राज्य सहायता और ₹ 0.75 लाख हितग्राही अंशदान से किया जाता है, जिसमें सार्वजनिक या निजी क्षेत्र शामिल होते हैं।
- **हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण–** हितग्राहियों को नए आवास या नवीनीकरण के लिए केंद्र से ₹ 1.50 लाख, राज्य से ₹ 0.85 लाख मिलता है और हितग्राही ₹ 0.86 लाख का योगदान करता है।
- **स्व–स्थाने स्लम पुनर्विकास–** स्लम हाउसिंग को एक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करके पुनर्विकसित किया जाता है, जिसमें प्रति आवास ₹ 1.00 लाख की केंद्रीय सहायता, ₹ 0.75 लाख के हितग्राही अंशदान और ₹ 3.75 लाख की सार्वजनिक निजी भागीदारी हिस्सेदारी होती है।

- **ऋण आधारित सब्सिडी स्कीम–** आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय समूह और मध्यम आय समूह–I और II हितग्राहियो के लिए ₹ 6, 9 एवं 12 लाख की ऋण राशि पर क्रमशः 6.5, 4 एवं 3 प्रतिशत की होम लोन ब्याज सब्सिडी। ऋण आधारित सब्सिडी स्कीम को केंद्रीय क्षेत्रीय योजना के रूप में लागू किया गया।

छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा परियोजनाओं की योजना और निष्पादन की पर्याप्तता का आंकलन करने के लिए आयोजित की गई थी, और योजना के लिए निधि प्रबंधन, प्रत्येक घटक में विवेक के तहत हितग्राही पहचान प्रणाली की मजबूती के साथ–साथ योजना में अंतर्निहित निगरानी और मूल्यांकन तंत्र को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए आयोजित किया गया था।

राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति और केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति द्वारा 36 और 132 शहरी स्थानीय निकायों के लिए सभी के लिए आवास कार्य योजना क्रमशः अप्रैल 2018 और फरवरी 2022 में तैयार और अनुमोदित (अगस्त 2020 और फरवरी 2022) किए गए थे। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सभी के लिए आवास कार्य योजना में योजना के चार घटक (भागीदारी में किफायती आवास– 1.70 लाख, व्यक्तिगत आवास का निर्माण– 2.57 लाख, स्व–स्थाने स्लम पुनर्विकास– 0.27 लाख और ऋण आधारित सब्सिडी स्कीम– 0.46 लाख) के तहत पांच लाख आवासीय इकाइयों की कुल मांग का अनुमान लगाया गया था हालांकि, 2.49 लाख आवासीय इकाइयों (मांग का 50 प्रतिशत) भागीदारी में किफायती आवास (0.38 लाख) और बीएलसी (2.11 लाख) के तहत निर्माण के लिए लिया गया था, जिसमें से 2.07 लाख आवासीय इकाइयों (भागीदारी में किफायती आवास–0.23 लाख और हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण–1.84 लाख) अप्रैल 2025 तक पूर्ण कर लिया गया था। ऋण आधारित सब्सिडी स्कीम के तहत 0.37 लाख के सब्सिडी दावों को भी मंजूरी दी गई।

हितग्राहियों की पहचान और चयन

राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति द्वारा आवास कार्य योजना की तैयारी और अनुमोदन में देरी हुई थी, जिसके कारण प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के तहत 1.48 लाख आवासीय इकाइयों की परियोजनाओं को कार्य योजना तैयार किए बिना और लाभार्थियों की सूची को अंतिम रूप दिए बिना मंजूरी दी गई थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि परियोजनाओं के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति के अनुमोदन के लिए हितग्राहियों की सूची संलग्न किए बिना या हितग्राही डेटा के सत्यापन/मान्यकरण के बिना हितग्राहियों की संभावित सूची संलग्न किए बिना प्रस्तुत की गई थी।

सभी के लिए आवास कार्य योजना के साथ जुड़े और प्रबंधन सूचना प्रणाली में दर्ज चिन्हित हितग्राहियो का प्रारंभिक मांग सर्वेक्षण डेटाबेस मूल डेटाबेस में निरंतर अद्यतन (जोड़/विलोपन) के कारण उपलब्ध नहीं था। जिसके कारण मूल रूप से चिन्हांकित हितग्राहियो को प्राप्त योजना लाभ को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

पिछली योजनाओं के तहत शहरी स्थानीय निकायों के पास उपलब्ध खाली आवास स्टॉक का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि सभी के लिए आवास कार्य योजना की तैयारी के दौरान इन पर विचार नहीं किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण प्रबंधन सूचना प्रणाली को न जोड़ने के कारण 99 हितग्राहियो ने दोनों योजनाओं का लाभ उठाया है। एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम के तहत पहले ही लाभान्वित हो चुके 35 हितग्राहियो ने योजना के हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण घटक के तहत पुनः लाभ उठाया।

चार शहरी स्थानीय निकायों (नगर पालिक निगम बिलासपुर, रायपुर, कोरबा और नगर पंचायत, प्रेमनगर) में लेखापरीक्षा में पाया गया कि 71 हितग्राहियों का चयन किया गया जिनकी आय ₹ 3.00 लाख से अधिक थी और उन्हें हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण/भागीदारी में किफायती आवास के तहत आवास/आवासीय इकाइयाँ आवंटित किए गए थे। शहरी स्थानीय निकायों ने हितग्राहियों के नाम पर भूमि का स्वामित्व सुनिश्चित किए बिना हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण के तहत 250 हितग्राहियों को ₹ 4.05 करोड़ की सहायता का भुगतान किया।

जारी राशि

राज्य सरकार द्वारा ₹ 3,291.60 करोड़ के भारत शासन के अंशदान के विरुद्ध बजट के माध्यम से ₹ 594.85 करोड़ का अंशदान दिया गया और ₹ 1,554.57 करोड़ के बराबर राज्य के अंशदान को राज्य शहरी विकास एजेंसी द्वारा राज्य सरकार की गारंटी के विरुद्ध लिए गए ऋण से प्राप्त किया गया है। वर्ष 2016–17 से 2023–24 के दौरान इस योजना के तहत ₹ 5,175.09 करोड़ का व्यय किया गया था।

केंद्रीय सहायता, एकल नोडल एजेंसी को विलंब (14 से 251 दिन) के साथ हस्तांतरित की गई, जिससे शहरी स्थानीय निकायों को राशि के वितरण में विलंब हुआ।

योजना के विभिन्न घटक के तहत परियोजनाओं का कार्यान्वयन

भागीदारी में किफायती आवास

वर्ष 2015–16 से 2023–24 की अवधि के दौरान भागीदारी में किफायती आवास घटक के तहत कुल स्वीकृत 75,164 आवासीय इकाइयों में से 37,067 आवासीय इकाइयों में कटौती/समर्पण किया गया है। शेष 38,097 आवासीय इकाइयों में से केवल 23,242 आवासीय इकाईयाँ अप्रैल 2025 तक पूर्ण किए गए थे।

भागीदारी में किफायती आवास घटक के तहत पूर्ण किए गए आवासीय इकाइयों में से 6,888 आवासीय इकाइयों स्लम निवासियों को आवंटित किए गए थे, जबकि 10,903 आवासीय इकाइयों स्लम निवासियों के लिए केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की स्वीकृति के बिना पात्रता मानदंड को संशोधित करके गैर–स्लम निवासियों को 'मोर मकान मोर आस' के तहत आवंटित किए गए थे। इसके अलावा, मोर मकान मोर आस योजना के तहत ₹ 0.75 लाख प्रति आवासीय इकाइयों के अंशदान के अलावा हितग्राहियों से राज्य के अंशदान (₹ 2.50 लाख) का हिस्सा भी वसूल किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि स्लम निवासियों को आवंटित आवासीय इकाइयों के मुकाबले शहरी स्थानीय निकाय केवल ₹ 22.13 करोड़ की वसूली कर सका और ₹ 17.23 करोड़ की बकाया राशि की वसूली नहीं की जा सकी (मार्च 2025)। वसूली न होने का मुख्य कारण हितग्राहियों के अंशदान की लिखित सहमति का अभाव और डीपीआर तैयार करने के चरण में पात्र हितग्राहियों की संलग्नक न होना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि भागीदारी में किफायती आवास परियोजनाओं के तहत शहरी स्थानीय निकायों द्वारा आवासीय इकाइयों को पूर्ण करने में विलंब हुआ और इसके परिणामस्वरूप ₹ 230.05 करोड़ की योजना निधि अवरुद्ध हो गई। आवासीय इकाइयों के पूर्ण होने में विलंब मुख्य रूप से निधि की कमी, कोविड महामारी और काम की धीमी प्रगति के कारण हुई। अनुबंध की शर्तों के अनुसार अनियमित संवितरण और मोबिलाईजेशन अग्रिम राशि की वसूली न होने के कारण ठेकेदारों को अनुचित लाभ दिया गया।

हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण

हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण में कुल स्वीकृत 2.77 लाख आवासों में से 66,383 आवासों की कटौती/समर्पण किया गया था, और बकाया 2.11 लाख आवासों में से 1.84 लाख आवासों को अप्रैल 2025 तक पूर्ण किया गया था।

हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण घटक के तहत, अयोग्य हितग्राहियो के चयन, निर्धारित लेआउट से परे आवासो का निर्माण, आवास के साथ दुकानों का निर्माण, भूमि के स्वामित्व के बिना आवास की मंजूरी और हितग्राहियो द्वारा निर्माण के बाद किसी तीसरे व्यक्ति को आवास/आवासीय इकाइयों की बिक्री के कुछ उदाहरण थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कुछ मामलों में निर्माण के विभिन्न चरणों के लिए किश्तों को संबंधित चरण के निर्माण और जियो–टैगिंग को पूर्ण किए बिना जारी किया गया था, जबकि अन्य मामलों में आवासो के पूर्ण होने के बाद अंतिम किस्त जारी करने में देरी हुई थी।

स्व–स्थाने स्लम पुनर्विकास

स्व–स्थाने स्लम पुनर्विकास के तहत 5,946 आवासीय इकाइयों के लिए सभी परियोजनाओं को लागू नहीं किया जा सका और निजी भागीदारी की कमी के कारण कटौती/समर्पण किया गया। इस प्रकार, स्लम क्षेत्रों के हितग्राही परियोजनाओं में कटौती के कारण योजना के लाभ से वंचित हुये।

ऋण आधारित सब्सिडी स्कीम

ऋण आधारित सब्सिडी स्कीम के तहत हितग्राहियों द्वारा जमा किए गए कुल 2.49 लाख सब्सिडी दावों में से केवल 37,374 दावों को मंजूरी दी गई, जिसके लिए वर्ष 2016–17 से 2022–23 के दौरान सब्सिडी के रूप में ₹ 820.93 करोड़ की राशि जारी की गई। 29 हितग्राहियों ने योजना के तहत ऋण आधारित सब्सिडी स्कीम के साथ–साथ हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण/भागीदारी में किफायती आवास वर्टिकल्स के तहत दोहरे लाभ का लाभ उठाया।

निगरानी और मूल्यांकन

लेखापरीक्षा ने हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण आवासो के निर्माण के संबंध में विभाग के निगरानी तंत्र में खामिया पायी जैसे कि बेमेल और अन्य हितग्राहियो के आवासो की तस्वीरें विभिन्न निर्माण चरणों की जियो–टैगिंग के लिए उपयोग, स्थल निरीक्षण के दौरान अपूर्ण पाए गए आवासो के पूर्ण होने के चरण के लिए अनियमित जियो–टैगिंग आदि, स्वतंत्र सुविधा एजेंसी की नियुक्ति में देरी के परिणामस्वरूप सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करने में देरी हुई।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि संपत्ति के स्वामित्व के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर योजना के मजबूत जोर के बावजूद, बड़ी संख्या में महिला सदस्यों को वांछित लाभ नहीं मिला क्योंकि वर्ष 2016–17 से 2023–24 की अवधि के दौरान महिला हितग्राहियों के नाम पर केवल 50 प्रतिशत आवास स्वीकृत किए गए थे, जो योजना के लक्ष्यों से कम है।

राज्य सरकार कर सकती है

- ***शेष आवासो के निर्माण में तेजी लाएं और उन्हें पूर्ण करने के लिए एक ठोस समय सीमा निर्धारित करें ताकि सभी हितग्राहियों को बिना किसी देरी के उनके आवास मिल सकें।***

- *आवासो के निर्माण के लिए केंद्र और राज्य के हिस्से को जारी करने और कार्यान्वयन एजेंसियों/शहरी स्थानीय निकायों और हितग्राहियों को निधि के हस्तांतरण में समयबद्धता सुनिश्चित करना।*
- *सुनिश्चित करें कि मूल रूप से चिन्हांकित पात्र स्लम निवासियों को प्रगतिशील परियोजनाओं में प्राथमिकता के आधार पर आवास के आवंटन की सुविधा प्रदान करके योजना के तहत लाभान्वित किया जाए।*
- *दो आवासीय योजनाओं के तहत या एक योजना के दो घटको में एक हितग्राही को दोहरे लाभ को रोकने के लिए निगरानी/नियंत्रण तंत्र को मजबूत करना।*
- *निर्दिष्ट पात्र हितग्राहियों को निधि जारी करने से पहले आवास इकाइयों की उचित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए जियो–टैगिंग अनुपालन को लागू करना।*
- *हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण आवासो की जियो–टैगिंग से पहले सहायता को गलत तरीके से जारी करने और जियो–टैगिंग में अन्य अनियमितताओं के लिए गलती करने वाले अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करें जैसा कि पैराग्राफ क्रमांक 2.1.6.4, 2.1.7.4, 2.1.8.9, 2.1.8.12 और 2.1.9.1 में सम्मिलित किया गया है।*
- *अनियमित भुगतान और ठेकेदार से मोबिलाईजेशन अग्रिम राशि की वसूली न किये जाने के लिए गलती करने वाले अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करें।*
- *महिला सशक्तिकरण के योजना के उद्देश्य को पूरा करने के लिए महिला सदस्य के नाम पर आवास आवंटित/स्वीकृत करके महिला हितग्राहियों की संख्या में वृद्धि करना।*

(अध्याय II)

अध्याय III

यह अध्याय श्रम विभाग द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर अनुपालन लेखापरीक्षा, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा सौर पंपों की स्थापना पर एक वृहद कंडिका और लोक निर्माण विभाग से संबंधित एक अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिका के परिणामों से संबंधित है। इस अध्याय में दर्शाए गए लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों का सारांश नीचे दिया गया है:

(i) श्रम विभाग द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर अनुपालन लेखापरीक्षा

श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए श्रम अधिनियमों/कानूनों के प्रवर्तन और श्रमिक कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से संगठित तथा साथ ही असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों की सुरक्षा एवं उनके आर्थिक, भौतिक और सामाजिक हितों को सुनिश्चित करने के लिए नोडल विभाग है। भारत सरकार के असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के तहत, छत्तीसगढ़ शासन ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए श्रम विभाग के अंतर्गत ''असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल'' का गठन (जनवरी 2011) किया। ''असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल'' असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है।

वहीं दूसरी ओर, 10 या अधिक श्रमिकों वाले विभिन्न प्रतिष्ठानों में संलग्न श्रमिकों को संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 के प्रावधान के अधीन छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल का गठन (फरवरी 2001) श्रमिकों के हितों की रक्षा करने तथा इस क्षेत्र के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए किया गया था।

श्रम विभाग द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर अनुपालन लेखापरीक्षा वर्ष 2018–19 से 2022–23 की अवधि के लिए 10 चयनित जिलों में 10 कल्याणकारी योजनाओं (असंगठित क्षेत्र से सात एवं संगठित क्षेत्र से तीन) की जांच करके किया गया। चयनित योजनाओं के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए 506 श्रमिकों का हितग्राही सर्वेक्षण भी किया गया था।

असंगठित और संगठित क्षेत्रों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयनः लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल को आवंटित ₹ 329.41 करोड़ में से ₹ 210.75 करोड़ (64 प्रतिशत) का व्यय किया गया, जबकि छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल द्वारा ₹ 44.86 करोड़ की उपलब्ध निधि में से केवल ₹ 21.27 करोड़ व्यय किया गया। असंगठित क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ राज्य के 76.33 लाख श्रमिकों को भारत सरकार के ई–श्रम पोर्टल के तहत पंजीकृत किया गया था, जिसमें से केवल 16.62 लाख (22 प्रतिशत) श्रमिकों को छत्तीसगढ़ श्रम पोर्टल के तहत पंजीकृत किया गया था, जबकि संगठित क्षेत्र में 8 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध केवल 2.05 लाख (26 प्रतिशत) श्रमिकों को लेखापरीक्षा अवधि के दौरान पंजीकृत किया गया था।

यह इंगित करता है कि सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियाँ, जो योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, प्रभावी ढंग से लागू नहीं की गई।

यह देखा गया कि विवाह सहायता, सायकल वितरण, सिलाई मशीन, औजार, उपकरण, आदि जैसी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लगातार व्यय नहीं किया गया था, जबकि असंगठित और संगठित क्षेत्र के कुल 50 योजनाओं में से 10 (स्मार्ट वेंडिंग कार्ट के लिए सहायता, ई–ठेला सहायता योजना, सफाई कर्मकार हेतु ओपीडी उपचार, ठेका मजदूर और हमाल कामगार हेतु ओपीडी उपचार, मुख्यमंत्री सायकल रिक्शा, निःशुल्क बैसाखी/कैलिपर्स/श्रवण यन्त्र वितरण, निःशुल्क सायकल वितरण, स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण शिविर तथा निःशुल्क चश्मा वितरण, कर्मकारों हेतु आकस्मिक मृत्यु सहायता और कर्मकारों हेतु खेल प्रतियोगिताएं) में वर्ष 2018–19 से 2022–23 की अवधि के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया था। आगे, 17 योजनाओं में, वर्ष 2018–19 से 2022–23 के दौरान केवल 12.42 लाख श्रमिकों को लाभान्वित किया गया, जो विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के कवरेज में कमी को इंगित करता है। सायकल वितरण योजना के लिए सायकलों के क्रय में अनियमितताएं पाई गईं क्योंकि रायपुर जिले में 695 सायकलें श्रमिकों को छः वर्षों तक अवितरित रही। कमियां जैसे ई–रिक्शा के क्रय के लिए वित्तीय सहायता जारी करने में विलंब, सायकल वितरण योजनाओं के लिए खरीदी गई सायकल का वितरण न करना, सफाई कर्मकार को प्रत्येक वर्ष आवश्यक उपकरण और सुरक्षात्मक गियर उपलब्ध न कराना एवं शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना में विभिन्न केंद्रों पर नियमित रूप से भोजन का वितरण नही किया जाना पाई गईं।

शासन यह सुनिश्चित कर सकती हैः

- ***श्रमिकों के लाभ के लिए आबंटित धन का बेहतर उपयोग।***
- ***क्रय की गई सायकल और अन्य उपकरण/सुरक्षात्मक गियर/सामग्री आदि के वितरण में विफल रहने वाले दोषी अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करना।***

- *आईटी श्रम पोर्टल पर शेष एवं योग्य श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए विशिष्ट उपाय और विभिन्न शासकीय कल्याणकारी योजनाओं तथा इन योजनाओं का लाभ उठाने की प्रक्रिया के बारे में श्रमिकों को शिक्षित करने एवं जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित करना।*
- *बेहतर क्रियान्वयन, पारदर्शिता एवं निगरानी के लिए उपयोगकर्ता अनुकूल पंजीकरण एवं हितलाभ वितरण हेतु मौजूदा पोर्टल में एक सुदृढ़ आईटी उप–मॉड्यूल बनाया जा सकता है।*

(कंडिका 3.1)

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के माध्यम से सौर पंपों की स्थापना पर वृहद कंडिका

छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के माध्यम से सौर पंपों की स्थापना की लेखापरीक्षा यह आंकलन करने के उद्देश्य से किया गया था कि क्या योजना के दिशानिर्देशो के अनुसार राज्य के दूरस्थ, बिखरी हुई तथा विद्युतविहीन क्षेत्रों में लघु सिंचाई एवं पेय जल आपूर्ति हेतु सौर पंपों की स्थापना मितव्ययिता, कुशलता और समयबद्ध तरीके से की गई थी। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण ने सौर सुजला योजना के अंतर्गत योजना के दिशानिर्देशों के विपरीत एसी पंपो के स्थान पर महंगे डीसी सौर पंपों की स्थापना की अनुमति दी, परिणामस्वरूप सौर पंपों की स्थापना से संबंधित कार्यों पर अतिरिक्त लागत आई। योजना के दिशानिर्देश और दर अनुबंध के दायरे के अनुसार, नलकूपों में सौर पंपों की स्थापना से पहले सौर पंप की क्षमता निर्धारण हेतु उसकी नलकूप से पानी निकालने की मात्रा (यिल्ड) का परीक्षण किया जाना था। वर्ष 2016–23 के दौरान, सिस्टम इंटीग्रेटर्स ने 90,130 सौर सबमर्सिबल पंपों को नलकूपों में बिना यिल्ड परीक्षण किए स्थापित किया। इसके अलावा, कुओं में जल की गहराई पर विचार किए बिना सतही पंपों के स्थान पर कुओं में महंगे सौर सबमर्सिबल पंपों की स्थापना की गई, परिणामस्वरूप ₹ 9.70 करोड़ की अपरिहार्य अतिरिक्त लागत आई। वर्ष 2016–21 की अवधि के दौरान, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण ने सिस्टम इंटीग्रेटर्स के देयकों से भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण हेतु श्रमिक उपकर की कटौती नहीं की थी।

- *यह अनुशंसा की जाती है कि संबंधित जल स्रोतों में स्थापित किए जाने वाले सौर पंपों का उपयुक्त प्रकार एवं श्रेणी निर्दिष्ट करते हुए तथा योजना के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण को स्पष्ट दिशानिर्देश बनाना चाहिए।*

(कंडिका 3.2)

(iii) ठेकेदार को अनुचित लाभ पर लेखापरीक्षा कंडिका

कठोर चट्टान को सामान्य चट्टान के रूप में गलत वर्गीकरण के कारण शासन को ₹ 2.02 करोड़ का नुकसान और तटबंध कार्य के लिए ठेकेदार को ₹ 1.19 करोड का अतिरिक्त भुगतान।

(कंडिका 3.3)

अध्याय 1

परिचय

अध्याय 1

परिचय

1.1 इस प्रतिवेदन के विषय में

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सीएजी) की इस प्रतिवेदन में छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न प्रकरण शामिल हैं, जिसका उद्देश्य यह आकलन करना है कि क्या कोई दी गई विषय–वस्तु (कोई गतिविधि, वित्तीय या गैर–वित्तीय लेनदेन, किसी इकाई या इकाइयों के समूह के संबंध में जानकारी) सभी रूप में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, स्थापित संहिताओं इत्यादि तथा सुदृढ़ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को नियंत्रित करने वाले सामान्य सिद्धांतों का अनुपालन करती है।

इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को राज्य विधानमंडल के ध्यान में लाना और संगठनों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन और बेहतर प्रशासन के लिए कार्यपालिका को उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई करने में सक्षम बनाना है।

यह अध्याय लेखापरीक्षा की योजना और क्षेत्र, लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विभागों एवं शासन की प्रतिक्रिया, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करने की प्रक्रिया और पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई की व्याख्या करता है।

1.2 विभागों के व्यय की रूपरेखा

वर्ष 2022–23 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन के प्रमुख विभागों द्वारा बजट अनुमान के विरूद्ध किए गए व्यय का सारांश **परिशिष्ट 1.1** में दिया गया है। विभागों का कुल बजट अनुमान ₹ 1,13,262.75 करोड़ थे और वास्तविक व्यय ₹ 1,10,683.20 करोड़ था। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना वर्ष 2023–24 में, 40 विभागों जिसमें 4987 इकाईयों का लेखापरीक्षा क्षेत्र शामिल थी (जैसा कि **परिशिष्ट 1.1** में उल्लेख किया गया है), में से, 39 विभागों से संबंधित 392 इकाईयों को वर्ष 2023–24 के दौरान लेखापरीक्षा के लिए योजनाबद्ध किया गया था। इस प्रतिवेदन में 12 शीर्ष संस्थाओं की 230 इकाईयों (100 कार्यान्वयन इकाईयों जिनके लिए निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किए गए थे) की जांच के परिणाम शामिल हैं, जहां ₹ 6435.81 करोड़ (राज्य द्वारा किए गए कुल व्यय का 5.81 प्रतिशत) का व्यय किया गया था।

1.3 महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के निर्देशों के अधीन, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य में 40 शीर्ष विभागों[1] और स्थानीय निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा करने के लिए जिम्मेदार है। इनमें से 35 विभाग सामान्य, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र लेखापरीक्षा के अंतर्गत आते है।

1.4 लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकार

लेखापरीक्षा के लिए नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डीपीसी अधिनियम) से लिया गया है। नियंत्रक–महालेखापरीक्षक,

[1] विधि एवं विधायी कार्य विभाग सहित

डीपीसी अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार शासन के सामान्य, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में आनेवाले विभागों का लेखापरीक्षा करता है:

- विभिन्न विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा डीपीसी अधिनियम की धारा 13 के तहत की जाती है;
- स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा डीपीसी अधिनियम की धारा 19(2)[2], 19(3)[3] और 20(1)[4] के तहत की जाती है;
- इसके अलावा, नियंत्रक–महालेखापरीक्षक अन्य स्वायत्त निकायों, जिन्हें सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाता है, की लेखापरीक्षा डीपीसी अधिनियम की धारा 14[5] के तहत करता है।

विभिन्न लेखापरीक्षाओं के लिए सिद्धांत एवं कार्यप्रणाली, लेखापरीक्षा मानकों तथा लेखापरीक्षा एवं लेखाओं पर विनियम के साथ–साथ नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा अथवा उनकी ओर से जारी किये गये अन्य दिशा–निर्देशों, नियमावली और निर्देशों में निर्धारित है।

1.5 लेखापरीक्षा की योजना और संचालन

निम्नलिखित प्रवाह चित्र लेखापरीक्षा की योजना बनाने, संचालन और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करने की प्रक्रिया को दर्शाता है:

---

2 संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों (जो कंपनियां न हो) के लेखाओं की लेखापरीक्षा, संबंधित विधानों के उपबंधों के अनुसार की जायेगी।

3 राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों (जो कंपनियां न हो) के लेखाओं की लेखापरीक्षा।

4 राज्यपाल के अनुरोध पर, किसी निकाय अथवा प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा ऐसे नियम और शर्तें पर जैसा कि नियंत्रक–महालेखापरीक्षक और सरकार के मध्य तय हुआ हो।

5 (i) राज्य की संचित निधि से अनुदान अथवा ऋण द्वारा पर्याप्त वित्त पोशित निकाय/प्राधिकरण के सभी प्राप्तियों एवं व्यय और (ii) जहाँ किसी निकाय अथवा प्राधिकरण को राज्य के संचित निधि से किसी वित्तीय वर्ष में दिया गया अनुदान अथवा ऋण ₹ एक करोड़ से कम न हो, ऐसे निकाय अथवा प्राधिकरण के सभी प्राप्तियों एवं व्यय की लेखापरीक्षा।

चार्ट 1.1: लेखापरीक्षा की योजना, संचालन और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को तैयार करना

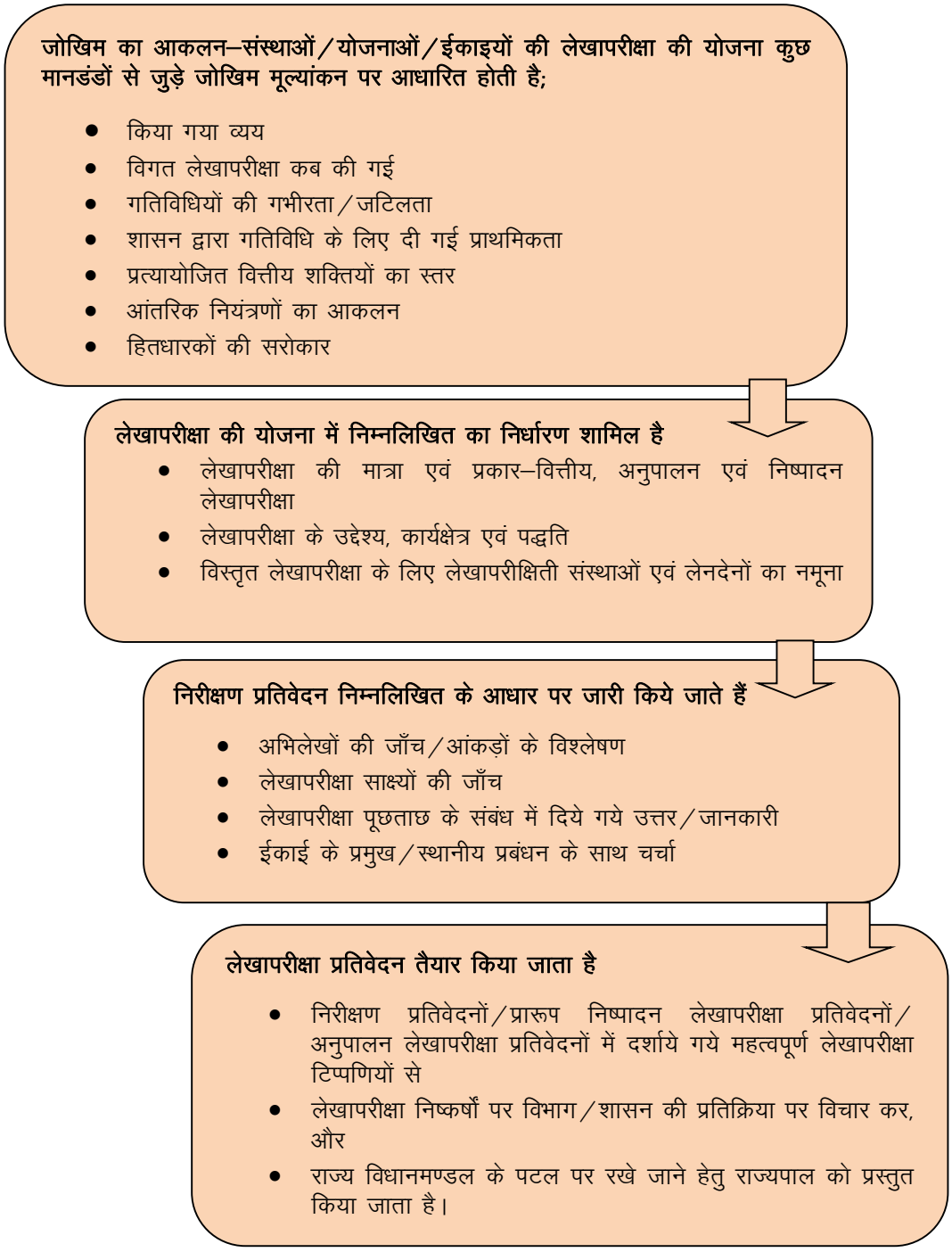

प्रत्येक ईकाई की लेखापरीक्षा पूर्ण होने के बाद, एक निरीक्षण प्रतिवेदन जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्ष होते हैं, निरीक्षण प्रतिवेदन के प्राप्त होने के चार सप्ताह के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ उस ईकाई के प्रमुख को जारी किया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित की गयी महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ जिन्हें शासन में उच्चतम स्तर के ध्यान में लाना अपेक्षित हो, को शासन की प्रतिक्रिया पर यथोचित विचार के बाद लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में संभावित समावेशन के पहले शासन को उनकी प्रतिक्रिया के लिए प्रारूप कंडिकाओं के रूप में जारी किया जाता है। इसके अतिरिक्त, विशिष्ट प्रसंगों अथवा विषयों पर अनुपालन लेखापरीक्षाओं को भी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में संभावित समावेशन के पहले शासन को उनकी प्रतिक्रिया के लिए जारी किया जाता है। ये

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन राज्य विधानमण्डल के पटल पर रखे जाने हेतु छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाते हैं।

1.5.1 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष और लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया:

वर्ष 2023–24 के दौरान, 230 इकाइयों का लेखापरीक्षा किया गया और 29 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कार्षों को निरीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से भाग–2(अ) कंडिका के रूप में रिपोर्ट किया गया, हालांकि, किसी भी प्रकरण में सरकार से प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई। इन 29 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों में से 11 महत्वपूर्ण कमियों को तथ्यात्मक विवरण के रूप में विभागों को सूचित किया गया, जिनमें से छः मामलों में प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई। इस प्रतिवेदन में एक लेखापरीक्षा कंडिका और एक दीर्घ कंडिका शामिल है।

एक निष्पादन लेखापरीक्षा 'छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के कार्यान्वयन' और 'श्रम विभाग द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन' पर एक अनुपालन लेखापरीक्षा किया गया और इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया। वर्ष 2023–24 के दौरान 18 प्रमाणीकरण लेखापरीक्षा भी किए गए।

1.6 लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विभागों की प्रतिक्रिया

1.6.1 पिछली निरीक्षण प्रतिवेदनों पर प्रतिक्रिया

कार्यालय प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मलित आपत्तियों का उत्तर देने एवं उचित सुधारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है। निरीक्षण प्रतिवेदन में बताये गये लेखापरीक्षा आपत्तियों की चर्चा महालेखाकार कार्यालय के अधिकारियों द्वारा संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ जिला/राज्य स्तर की बैठकों में भी नियत अंतराल पर की जाती है। 30 जून 2024 तक सामान्य, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित 6,575 निरीक्षण प्रतिवेदन जिनमें पिछले वर्षों से संबंधित 34,434 कंडिकायें शामिल हैं, निराकरण के लिए लंबित थे, जैसा कि **तालिका 1.1** में बताया गया है। इनमें से 3,424 निरीक्षण प्रतिवेदन (21,071 कंडिकायें) के संबंध में प्रथम उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। विभागवार विवरण **परिशिष्ट 1.2** में दिया गया है।

तालिका 1.1: लंबित कंडिकाओं की स्थिति (सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र)

वर्ष	निराकरण हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं की संख्या (30 जून 2024 तक)		निरीक्षण प्रतिवेदन/कंडिका जिनमें प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुए (30 जून 2024 तक)	
	निरीक्षण प्रतिवेदन	कंडिका	निरीक्षण प्रतिवेदन	कंडिका
2018–19 तक	4690	20528	1868	9654
2019–20	512	3361	413	2786
2020–21	238	1790	196	1520
2021–22	381	2655	322	2260
2022–23	754	6100	625	4851
कुल	**6575**	**34434**	**3424**	**21071**

निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर कार्रवाई की कमी इन प्रतिवेदनों में इंगित की गयी गंभीर वित्तीय अनियमितताओं को चिरस्थायी बने रहने का जोखिम है। इसका परिणाम शासन प्रक्रिया में आंतरिक नियंत्रणों में कमी, सार्वजनिक वस्तुओं/सेवाओं का अकुशल और अप्रभावी वितरण, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार एवं सरकारी खजाने को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए, राज्य शासन को इन निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा कंडिकाओं में चिन्हित मुद्दों की समीक्षा एवं उन्हें दूर करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने हेतु एक उपयुक्त तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।

1.6.2 लेखापरीक्षा आपत्तियों पर शासन की प्रतिक्रिया

सभी विभागों को नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर अपनी प्रतिक्रिया, उनकी प्राप्ति के छः सप्ताह के भीतर भेजना आवश्यक है। इस प्रतिवेदन में एक अनुपालन लेखापरीक्षा और एक प्रारूप कंडिकाएं संबंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए तथा छः सप्ताह के भीतर अपनी प्रतिक्रिया भेजने के अनुरोध के साथ भेजे गये थे। व्यक्तिगत रूप से यह बात उनके ध्यान में लायी गयी थी कि इन प्रारूप अनुपालन लेखापरीक्षा/निष्पादन लेखापरीक्ष कंडिकाओं को भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जिसे राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखा जाएगा, में शामिल किये जाने की संभावना है तथा लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनकी टिप्पणियों/प्रतिक्रियाओं को शामिल करना वांछनीय होगा। शासन की प्रतिक्रियाएं जहाँ भी प्राप्त हुई हैं, समुचित रूप से प्रतिवेदन में शामिल कर ली गई हैं।

1.6.3 पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाये गये लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर शासन की प्रतिक्रिया

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के राज्य विधानमण्डल में प्रस्तुतीकरण के बाद उनमें शामिल लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर तीन महीने के अंदर प्रशाासनिक विभागों को व्याख्यात्मक टीप प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है जिसमें की गई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई को विधिवत दर्शाया गया हो। वर्ष 2022 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाये गये 324 कंडिकाओं/अनुपालन लेखापरीक्षाओं के संबंध में 40 विभागों से व्याख्यात्मक टीप (31 जुलाई 2024 तक) प्राप्त होने बाकी थे।

1.6.4 लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर शासन की प्रतिक्रिया

प्रशासनिक विभागों को लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई नोट (एटीएन) सिफारिशें प्राप्त होने की तारीख से छः महीने के भीतर प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। 30 जून 2024 तक, 40 विभागों से संबंधित 122 कार्रवाई नोट (एटीएन) प्राप्त होने बाकी थे।

1.6.5 लेखापरीक्षा को जांच के लिए प्रस्तुत नहीं किये गये दस्तावेज

विभिन्न कार्यालयों की स्थानीय लेखापरीक्षा का कार्यक्रम अग्रिम रूप से तैयार किया गया था और विभागों को सूचना जारी की गई थी ताकि वे लेखापरीक्षा जांच के लिए संबंधित दस्तावेज तैयार रख सकें।

वर्ष 2022–23 की अवधि के दौरान आठ विभागों से संबंधित 30 लेखापरीक्षिती इकाईयों में लेखापरीक्षिती ने विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित नस्थियाँ, विवरणियों, दस्तावेज, पंजियाँ एवं अन्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए, जैसा कि **परिशिष्ट 1.3** में बताया गया है। इन प्रकरण को निरीक्षण प्रतिवेदनों में उल्लिखित किया गया था और संबंधित विभागों के सचिवों/विभागाध्यक्षों को सूचित किया गया था। लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत न करना जोखिम का संकेत है क्योंकि इन लेन–देन की वास्तविकता की लेखापरीक्षा में पुष्टि नहीं की जा सकी और सार्वजनिक धन की धोखाघड़ी और दुरूपयोग की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है।

1.7 आभार

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़ लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान राज्य सरकार तथा विभागों के अधिकारियों के द्वारा प्रदान की गयी सहायता एवं सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है।

अध्याय 2

निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय 2

निष्पादन लेखापरीक्षा

नगरीय प्रशासन और विकास विभाग

2.1 छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

यह लेखापरीक्षा क्यों किया गया?

भारत सरकार ने जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना–सभी के लिए शहरी आवास योजना शुरू की। यह योजना वर्ष 2022 तक सभी पात्र शहरी परिवारों के लिए एक पक्का आवास सुनिश्चित करके स्लम निवासियों सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न आय समूह और मध्यम आय समूह श्रेणियों के बीच शहरी आवास की कमी को दूर करती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऋण आधारित सब्सिडी योजना घटक को छोड़कर सभी घटक के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी को 31 दिसंबर 2025 तक जारी रखने की मंजूरी दी।

राज्य सरकार द्वारा 168 शहरी स्थानीय निकायों के लिए तैयार की गई स्वीकृत सभी के लिए आवास कार्य योजना में पांच लाख आवासीय इकाईयों की कुल मांग का अनुमान लगाया गया था, जिसमें से 2.49 लाख आवासीय इकाईयों (मांग का 50 प्रतिशत) निर्माण के लिए लिया गया था एवं 2.07 लाख आवासीय इकाईयों को अप्रैल 2025 तक पूर्ण कर लिया गया था। वर्ष 2016–17 से 2023–24 के दौरान इस योजना के तहत ₹ 5,175.09 करोड़ का व्यय किया गया था।

हमने परियोजनाओं की योजना और निष्पादन की पर्याप्तता का आंकलन, और योजना के लिए निधि प्रबंधन, प्रत्येक घटक में विवेक के तहत हितग्राही पहचान प्रणाली की मजबूती के साथ–साथ योजना में अंतर्निहित निगरानी और मूल्यांकन तंत्र को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के उद्देश्य से यह लेखा परीक्षा आयोजित की।

हमें क्या मिला?

हमने देखा कि योजना के कार्यान्वयन के तीन से छह साल की देरी के साथ राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति द्वारा सभी के लिए आवास कार्य योजना तैयार और अनुमोदित (36 शहरी स्थानीय निकाय के लिए अप्रैल 2018 एवं 132 शहरी स्थानीय निकाय के लिए फरवरी 2022) किया गया था। इस बीच, भागीदारी में किफायती आवास/हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण/स्व–स्थाने स्लम पुनर्विकास घटक के तहत परियोजनाओं को राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति तथा केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति द्वारा सभी के लिए आवास कार्य योजना, वार्षिक कार्यान्वयन योजना तैयार किए बिना 1.48 लाख आवासीय इकाईयों के निर्माण और हितग्राहियों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए मंजूरी दी गई थी। हितग्राहियों की पहचान और सत्यापन के बिना परियोजनाओं की मंजूरी के कारण बाद में परियोजनाओं में कटौती की गई। वर्ष 2015–16 से 2023–24 की अवधि के दौरान, भागीदारी में किफायती आवास घटक में कुल स्वीकृत 75,164 आवासीय इकाईयों में से, 37,067 आवासीय इकाईयों (49 प्रतिशत) में कटौती/समर्पण किया गया है। शेष 38,097 आवासीय इकाईयों में से

केवल 23,242 आवासीय इकाईया (61 प्रतिशत) अप्रैल 2025 तक पूर्ण किए गए थे। इसी तरह, हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण घटक में कुल स्वीकृत 2.77 लाख आवासों में से, 66,383 आवासों (24 प्रतिशत) को समर्पण/कटौती की गई, और शेष 2.11 लाख आवासों में से 1.84 लाख आवास (87 प्रतिशत) पूर्ण किए गए। स्व–स्थाने स्लम पुनर्विकास घटक के तहत 5,946 आवासीय इकाईयों के साथ सभी परियोजनाओं को लागू नहीं किया जा सका और निजी भागीदारी की कमी के कारण समर्पण/कटौती की गई। पिछली योजनाओं के तहत शहरी स्थानीय निकाय के पास उपलब्ध खाली आवास स्टॉक का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि सभी के लिए आवास कार्य योजना की तैयारी के दौरान इन पर विचार नहीं किया गया था।

सभी के लिए आवास कार्य योजना के साथ जुड़े और प्रबंधन सूचना प्रणाली में दर्ज किए गए चिन्हित हितग्राहियों का प्रारंभिक मांग सर्वेक्षण डेटाबेस, मूल डेटाबेस में निरंतर अद्यतन (जोड़/विलोपन) के कारण उपलब्ध नहीं था। जिसके कारण मूल रूप से चिन्हांकित किये गए हितग्राहियों को प्राप्त योजना लाभ को लेखा परीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के प्रबंधन सूचना प्रणाली के गैर–लिंकेज के कारण 99 हितग्राहियों ने दोनों योजनाओं का लाभ उठाया है। एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम के तहत पहले ही लाभान्वित हो चुके 35 हितग्राहियों ने योजना के हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण घटक के तहत पुनः लाभ उठाया। केंद्रीय सहायता को देरी से एकल नोडल एजेंसी को हस्तांतरित किया गया, जिससे शहरी स्थानीय निकाय और हितग्राहियों को निधि वितरण तथा ठेकेदारों को भुगतान में देरी हुई। लेखापरीक्षा में देखा गया कि भागीदारी में किफायती आवास परियोजनाओं के तहत शहरी स्थानीय निकाय द्वारा आवासीय इकाईयों को पूरा करने में देरी हुई और इसके परिणामस्वरूप ₹ 230.05 करोड़ की योजना निधि अवरुद्ध हो गई। आवासीय इकाईयों के पूरा होने में देरी मुख्य रूप से धन की कमी, कोविड महामारी और काम की धीमी प्रगति के कारण हुई। अनुबंध की शर्तों के अनुसार, अनियमित संवितरण और मोबिलाईजेशन अग्रिम राशि की वसूली न होने के कारण ठेकेदारों को अनुचित लाभ प्रदान किया गया।

भागीदारी में किफायती आवास घटक के तहत पूरा किए गए आवासीय इकाईयों में से 6,888 आवासीय इकाईया स्लम निवासियों को आवंटित किए गए थे, जबकि स्लम निवासियों के लिए आवंटित 10,903 आवासीय इकाईयों केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की मंजूरी के बिना पात्रता मानदंडों को संशोधित करके गैर–स्लम निवासियों के लिए 'मोर मकान मोर आस' के अंतर्गत आवंटित किए गए थे। इसके अलावा, राज्य के अंशदान (₹ 2.50 लाख) का हिस्सा भी हितग्राहियों से उनके अंशदान ₹ 0.75 लाख प्रति आवासीय इकाईयों के अतिरिक्त 'मोर मकान मोर आस' योजना के तहत वसूल किया गया। स्लम पुनर्विकास के लिए 5,946 आवासीय इकाईयों वाली सभी स्व–स्थाने स्लम पुनर्विकास परियोजनाओं में भी कटौती की गई। इस प्रकार, भागीदारी में किफायती आवास/स्व–स्थाने स्लम पुनर्विकास घटक के तहत स्लम क्षेत्रों के हितग्राही परियोजनाओं में कटौती और गैर–स्लम निवासियों को आवास के आवंटन के कारण योजना के लाभ से वंचित हुये।

हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण घटक के तहत, अयोग्य हितग्राहियों के चयन, निर्धारित लेआउट से परे आवासों का निर्माण, आवास के साथ दुकानों का निर्माण, भूमि के स्वामित्व के बिना आवास की मंजूरी और हितग्राहियों द्वारा निर्माण के बाद किसी तीसरे व्यक्ति को आवास/ आवासीय इकाईयों की बिक्री के उदाहरण थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कुछ मामलों में निर्माण के विभिन्न चरणों के लिए किश्तों को संबंधित चरण के निर्माण और जियो–टैगिंग को पूर्ण किए बिना जारी किया गया था, जबकि अन्य

मामलों में आवासों के पूर्ण होने के बाद अंतिम किस्त जारी करने में देरी हुई थी। लेखापरीक्षा ने हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण आवासों के निर्माण की निगरानी में खामियां पाईं जैसे कि बेमेल और अन्य हितग्राहियों के आवासों की तस्वीरें विभिन्न निर्माण चरणों की जियो–टैगिंग के लिए उपयोग, स्थल निरीक्षण के दौरान अपूर्ण पाए गए आवासों के पूर्ण होने के चरण के लिए अनियमित जियो–टैगिंग आदि, स्वतंत्र सुविधा एजेंसी की नियुक्ति में देरी के परिणामस्वरूप सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करने में देरी हुई।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि संपत्ति के स्वामित्व के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर योजना के विशेष महत्व दिए के बावजूद, बड़ी संख्या में महिला सदस्यों को वांछित लाभ नहीं मिला क्योंकि वर्ष 2016–17 से 2023–24 की अवधि के दौरान महिला हितग्राहियों के नाम पर केवल 50 प्रतिशत आवास स्वीकृत किए गए थे, जो योजना के लक्ष्यों से कम है।

हम क्या सिफारिश देते हैं?

राज्य सरकार कर सकती है

- ***शेष आवासों के निर्माण में तेजी लाएं और उन्हें पूर्ण करने के लिए एक ठोस समय सीमा निर्धारित करें ताकि सभी हितग्राहियों को बिना किसी देरी के उनके आवास मिल सकें।***
- ***आवासों के निर्माण के लिए केंद्र और राज्य के हिस्से को जारी करने और कार्यान्वयन एजेंसियों/शहरी स्थानीय निकायों और हितग्राहियों को निधि के हस्तांतरण में समयबद्धता सुनिश्चित करना।***
- ***सुनिश्चित करें कि मूल रूप से चिन्हांकित पात्र स्लम निवासियों को प्रगतिशील परियोजनाओं में प्राथमिकता के आधार पर आवास के आवंटन की सुविधा प्रदान करके योजना के तहत लाभान्वित किया जाए।***
- ***दो आवासीय योजनाओं के तहत या एक योजना के दो घटको में एक हितग्राही को दोहरे लाभ को रोकने के लिए निगरानी/नियंत्रण तंत्र को मजबूत करना।***
- ***निर्दिष्ट पात्र हितग्राहियों को निधि जारी करने से पहले आवास इकाइयों की उचित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए जियो–टैगिंग अनुपालन को लागू करना।***
- ***हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण आवासों की जियो–टैगिंग से पहले सहायता को गलत तरीके से जारी करने और जियो–टैगिंग में अन्य अनियमितताओं के लिए गलती करने वाले अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करें जैसा कि कंडिका क्रमांक 2.1.6.4, 2.1.7.4, 2.1.8.9, 2.1.8.12 और 2.1.9.1 में सम्मिलित किया गया है।***
- ***अनियमित भुगतान और ठेकेदार से मोबिलाईजेशन अग्रिम राशि की वसूली न किये जाने के लिए गलती करने वाले अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करें।***
- ***महिला सशक्तिकरण के योजना के उद्देश्य को पूरा करने के लिए महिला सदस्य के नाम पर आवास आवंटित/स्वीकृत करके महिला हितग्राहियों की संख्या में वृद्धि करना।***

2.1.1 प्रस्तावना

प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी भारत सरकार का एक प्रमुख मिशन है जिसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 25 जून 2015 में लागू किया गया था। यह मिशन वर्ष 2022 तक सभी पात्र शहरी परिवारों के लिए एक पक्का आवास सुनिश्चित करके स्लम निवासियों सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न आय समूह और मध्यम आय समूह श्रेणियों के बीच शहरी आवास की कमी को दूर करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऋण आधारित सब्सिडी योजना घटक को छोड़कर सभी घटक के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी को 31 दिसंबर 2025 तक जारी रखने की मंजूरी दी है।

प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी एक मांग संचालित दृष्टिकोण अपनाता है जिसमें राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मांग मूल्यांकन के आधार पर आवास की कमी का निर्णय लिया जाता है। राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियां, शहरी स्थानीय निकाय/कार्यान्वयन एजेंसियां, केंद्रीय नोडल एजेंसियां एवं प्राथमिक ऋण देने वाले संस्थान मुख्य हितधारक हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के कार्यान्वयन और सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

यह मिशन महिला सदस्य या संयुक्त नाम पर आवासों का स्वामित्व प्रदान करके महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, एकल महिलाओं, ट्रांसजेंडर और समाज के अन्य कमजोर एवं असुरक्षित वर्गों को भी प्राथमिकता दी जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी आवास हितग्राहियों को सुरक्षा की भावना और स्वामित्व के गौरव के साथ गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करता है।

मिशन निम्नलिखित कार्यक्रमों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास की आवश्यकता को पूरा करना चाहता है जैसा कि नीचे दिया गया है:

- भागीदारी में किफायती आवास– आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवासों का निर्माण ₹ 1.50 लाख की केंद्रीय सहायता, ₹ 2.50 लाख की राज्य सहायता और ₹ 0.75 लाख हितग्राही अंशदान से किया जाता है, जिसमें सार्वजनिक या निजी क्षेत्र शामिल होते हैं।
- हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण– हितग्राहियों को नये आवास या नवीनीकरण के लिए केंद्र से ₹ 1.50 लाख, राज्य से ₹ 0.85 लाख मिलता है और हितग्राही ₹ 0.86 लाख का योगदान करता है।
- स्व–स्थाने स्लम पुनर्विकास– स्लम आवास का पुनर्विकास भूमि को एक संसाधन के रूप में उपयोग करके किया जाता है। जिसमें प्रति आवास ₹ 1.00 लाख की केंद्रीय सहायता, ₹ 0.75 लाख के हितग्राही अंशदान और ₹ 3.75 लाख की सार्वजनिक निजी भागीदारी होती है।

- ऋण आधारित सब्सिडी स्कीम– आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय समूह और मध्यम आय समूह–I और II हितग्राहियों के लिए ₹ 6, 9 एवं 12 लाख की ऋण राशि पर 6.5, 4 एवं 3 प्रतिशत की होम लोन ब्याज सब्सिडी।

छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी की निष्पादन लेखापरीक्षा राज्य में आवास की कमी को दूर करने में योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए किया गया था, जो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 4.23 लाख आवासों का अनुमान था।

2.1.2 प्रशासन एवं कार्यान्वयन संरचना

सचिव, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) भारत सरकार स्तर पर इस योजना का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। राज्य स्तर पर, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रण हेतु नामित किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के अंतर्गत राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) तथा राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति (एसएलएसी) का गठन किया है और योजना के अंतर्गत भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी), हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण (बीएलसी) और स्व–स्थाने स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) कार्यक्षेत्रों के कार्यान्वयन हेतु राज्य शहरी विकास अभिकरण को राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी नियुक्त किया है, जिसके अंतर्गत नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय और राज्य शहरी विकास अभिकरण शहरी स्थानीय निकायों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों (छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल और रायपुर विकास प्राधिकरण) को दिए जाने वाले वित्तपोषण और उसके उपयोग की निगरानी करते हैं। संचालनालय स्तर पर, मुख्य अभियंता को अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता, उप–अभियंता द्वारा सहायता प्रदान की जाती है और वे परियोजनाओं के कार्यान्वयन में शहरी स्थानीय निकायों की तकनीकी सहायता करते हैं। शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर, आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी को योजना के सुचारू संचालन हेतु अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता, उप–अभियंता और अन्य कर्मचारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। योजना के कार्यान्वयन में शामिल विभिन्न एजेंसियों की भूमिका **चार्ट 2.1** में दर्शाई गई है:

चार्ट 2.1: प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी का कार्यान्वयन संरचना

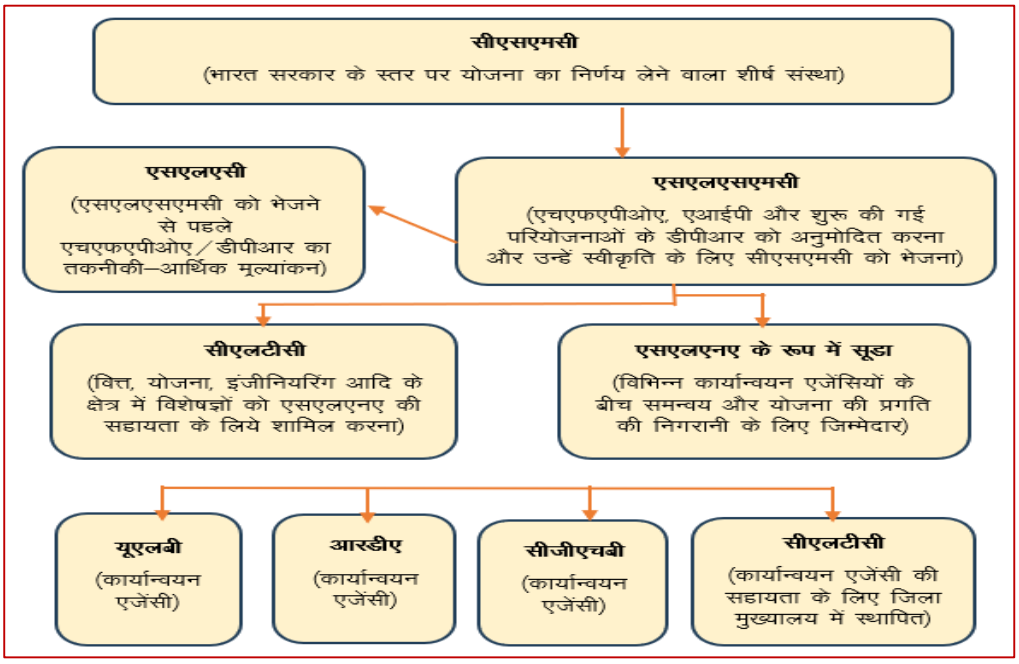

2.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

इस निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना है कि क्या,

- 'सभी के लिए आवास' परियोजनाओं की योजना सावधानीपूर्वक बनाई गई और व्यापक कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उचित सतकर्ता के साथ निष्पादित किया गया।
- प्रत्येक घटक के तहत हितग्राही पहचान प्रणाली मजबूत, प्रभावी एवं अयोग्य हितग्राहियों के समावेश को रोकते हुए सभी पात्र व्यक्तियों के समावेश की गारंटी देती है।
- योजना के लिए निधि प्रबंधन में स्थापित दिशानिर्देशों और नीतियों का पालन किया गया, जिससे इष्टतम दक्षता और प्रभावशीलता सुनिश्चित हुई।
- यह योजना अपने इच्छित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए अंतर्निहित निगरानी और मूल्यांकन तंत्र के साथ आवश्यक प्रशासनिक और नियामक उपायों को शामिल करती है।

2.1.4 लेखापरीक्षा मानदंड

निष्पादन लेखापरीक्षा निष्कर्षों को निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार निर्धारित किया गया था:

- आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी योजना के दिशानिर्देश
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण की जियो–टैगिंग पर जारी सलाह
- प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रबंधन सूचना प्रणाली उपयोगकर्ता नियमावली, 2016
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सामाजिक लेखापरीक्षा दिशानिर्देश 2017
- राज्य सरकार तथा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी किए गए सर्वोत्तम अभ्यास और आदेश, अधिसूचनाएं, परिपत्र और निर्देश।

2.1.5 लेखापरीक्षा का दायरा और कार्यप्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा में वर्ष 2015–24 के दौरान छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी योजना के कार्यान्वयन को शामिल किया गया। इसमें सचिवालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, राज्य शहरी विकास अभिकरण, 26 शहरी स्थानीय निकाय (छः[1] नगर निगमों, नौ[2] नगर पालिका परिषदों और 11[3] नगर पंचायतों) जो प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के तहत स्वीकृत आवासों की संख्या और किए गए व्यय को अपनाकर बहुस्तरीय स्तरीकृत नमूनाकरण के आधार पर लिया गया था एवं जिसमें अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों ग्रामीण विकास अभिकरण और छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल में अभिलेखों की जांच शामिल थी। जिसमें के साथ जैसा कि **परिशिष्ट–2.1.1** में वर्णित है। इसके अलावा, चयनित 26 शहरी स्थानीय निकाय में, 17 भागीदारी में किफायती आवास और 128 हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण परियोजनाओं में अनुमोदित

---

1 अंबिकापुर, भिलाई, बिलासपुर, जगदलपुर, कोरबा और रायपुर
2 आरंग, बीजापुर, गरियाबंद, जामुल, कटघोरा, खैरागढ़, सारंगढ़, सूरजपुर और तखतपुर
3 अभनपुर, बस्तर, भटगांव, छुरीकला, धमधा, फिंगेश्वर, गंडई, गीदम, कोटा, प्रेमनगर और सीतापुर

कुल 38 भागीदारी में किफायती आवास और 388 हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण परियोजनाओं में से भागीदारी में किफायती आवास (न्यूनतम दो) और हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण घटक की 30 प्रतिशत परियोजनाओं का चयन क्रमशः प्रतिस्थापन के बिना सरल यादृच्छिक नमूनाकरण द्वारा किया गया है। जिनमें से प्रत्येक चयनित परियोजना के पांच हितग्राहियों को विस्तृत जांच और संयुक्त भौतिक सत्यापन/हितग्राही के साथ बातचीत के लिए क्षेत्र दौरे के दौरान यादृच्छिक आधार पर चुना गया था।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा की कार्यप्रणाली में प्रक्रियाओं का विश्लेषण, मौजूदा आंकड़ों का उपयोग, संचालनालय और शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर मात्रात्मक विश्लेषण और शहरी स्थानीय निकाय और कार्यान्वयन एजेंसियों के स्तर पर हितग्राही बातचीत/सर्वेक्षण–सह–संयुक्त भौतिक सत्यापन शामिल थे।

हमने 14 अगस्त 2023 को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के विशेष सचिव के साथ एक आगम बैठक आयोजित किया जिसमें लेखापरीक्षा पद्धति, दायरा, उद्देश्यों और मानदंडों को साझा किया गया। निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का मसौदा राज्य सरकार को (08 नवंबर 2024) भेजा गया था और सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के साथ एक निर्गम बैठक दिनांक 07 मई 2025 को आयोजित किया गया था। राज्य सरकार के जवाबों को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.1.6 हितग्राहियों की पहचान और चयन

प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के दिशानिर्देशों के कंडिका 8.3 के अनुसार, राज्यों/शहरों को हितग्राही सूची से अस्थायी प्रवासियों को छोड़कर आवास की जरूरतों का आंकलन करने के लिए मांग सर्वेक्षण करना चाहिए। सभी के लिए आवास कार्य योजना को पात्र हितग्राहियों की आवास मांग और चयनित हस्तक्षेपों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, सभी के लिए आवास कार्य योजना तैयार करते समय शहर में मौजूदा किफायती आवास स्टॉक पर विचार किया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के दिशानिर्देशों के कंडिका 8.5 में कहा गया है कि सभी के लिए आवास कार्य योजना के आधार पर राज्य/शहर बाद में संसाधनों की उपलब्धता और प्राथमिकता को देखते हुए वर्ष 2022 तक कार्य को विभाजित करते हुए वार्षिक कार्यान्वयन योजनाएं तैयार करेंगे।

इसके अलावा, कंडिका 8.8 से 8.10 के अनुसार, सभी के लिए आवास कार्य योजना और वार्षिक कार्यान्वयन योजना को राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति की मंजूरी के बाद मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सभी के लिए आवास कार्य योजना की समीक्षा वार्षिक आधार पर की जानी चाहिए ताकि पिछले वर्षों में वार्षिक कार्यान्वयन योजना के कार्यान्वयन को देखते हुए बदलाव किए जा सकें और सभी के लिए आवास कार्य योजना और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक शहर, राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति द्वारा विधिवत अनुमोदित मिशन के प्रत्येक घटक (ऋण आधारित सब्सिडी योजना को छोड़कर) के तहत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करेगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी योजना के कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों को **चार्ट 2.2** और **चार्ट 2.3** में नीचे दर्शाया गया है:

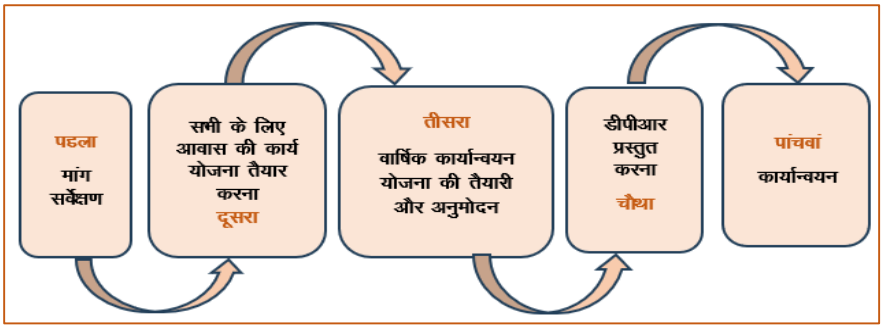

चार्ट 2.3: प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के तहत हितग्राहियों के चयन के लिए प्रक्रिया प्रवाह

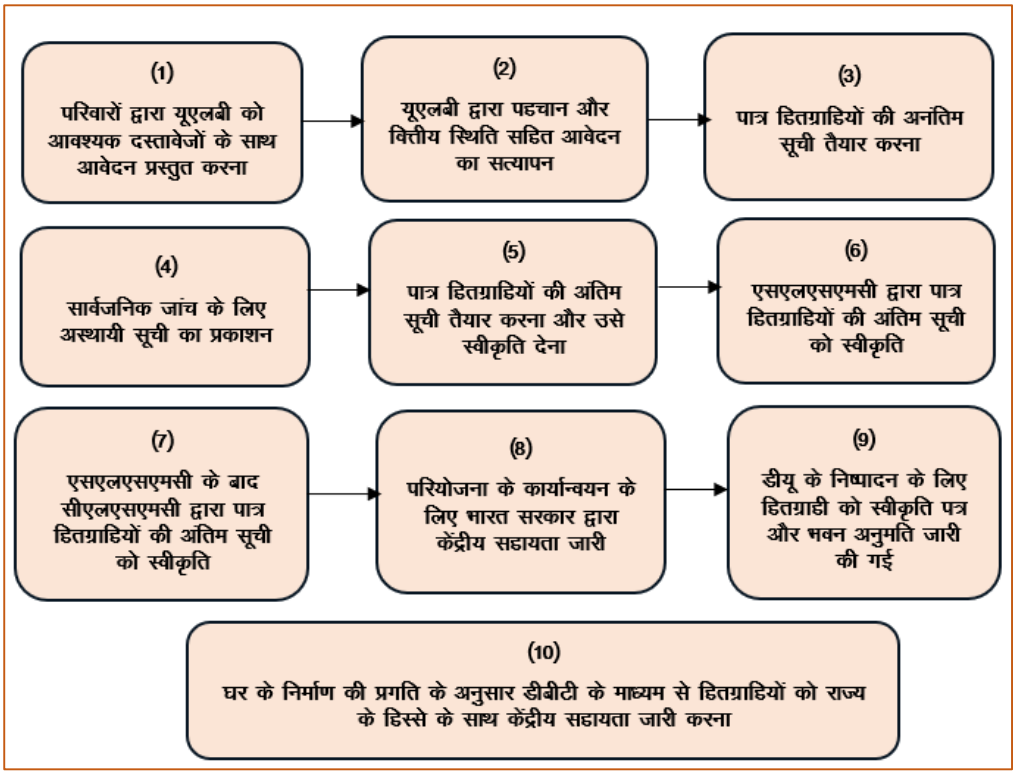

2.1.6.1 हितग्राहियों की पहचान और सभी कार्य योजना के लिए आवास की तैयारी के लिए मांग सर्वेक्षण

केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति ने अपनी 8वीं बैठक (अप्रैल 2016) में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जून 2016 तक मांग सर्वेक्षण को पूरा और सभी के लिए आवास कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया।

2.1.6.1(अ) प्रस्ताव के लिए अनुरोध और सभी के लिए आवास कार्य योजना की तैयारी में देरी के मुद्दे

जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों और राज्य शहरी विकास अभिकरण में अभिलेखों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने मांग मूल्यांकन सर्वेक्षण करने के बाद सभी के लिए आवास कार्य योजना तैयार करने के कार्य के लिए राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा प्रस्ताव के लिए अनुरोध जारी करने में देरी देखी गई।

इसके अलावा, वर्ष 2016–17 के दौरान मांग मूल्यांकन सर्वेक्षण करने के प चात सभी के लिए आवास कार्य योजना तैयार करने के लिए तीन प्रस्ताव के लिए अनुरोध फरवरी 2016, मई 2016 और सितंबर 2016 में जारी किए गए थे और अगस्त 2016, नवंबर 2016

और मार्च 2017 में क्रमशः 17, 11 एवं आठ शहरी स्थानीय निकाय के लिए तीन चयनित एजेंसियों को कार्य आदेश जारी किए गए थे। किसी भी एजेंसी ने चार महीने के निर्धारित समय के भीतर कार्य पूरा नहीं किया। शेष 132 शहरी स्थानीय निकायों के लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध 18 महीने के अंतराल के बाद मार्च 2018 में जारी किया गया था और राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा जनवरी 2019 में 132 शहरी स्थानीय निकायों के लिए कार्य आदेश जारी किया गया था।

एजेंसियों ने मार्च 2018 और मार्च 2021 में 36 और 132 शहरी स्थानीय निकायों के लिए सभी के लिए आवास कार्य योजना और वार्षिक कार्यान्वयन योजना प्रस्तुत किया, जिन्हें राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति द्वारा अप्रैल 2018 और फरवरी 2022 में और केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति द्वारा क्रमशः अगस्त 2020 और फरवरी 2022 में अनुमोदित किया गया था। हालांकि, सभी के लिए आवास कार्य योजना तैयार करने और हितग्राहियों की सूची को अंतिम रूप देने से पहले 1,259 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई थी, जैसा कि नीचे **तालिका 2.1.1** में दिखाया गया है:

तालिका 2.1.1: सभी के लिए आवास कार्य योजना तैयार किए बिना परियोजनाओं के अनुमोदन का विवरण

घटक का नाम	शहरी स्थानीय निकाय की संख्या	परियोजनाओं की संख्या	आवासीय इकाईयों की संख्या	केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति द्वारा परियोजनाओं की स्वीकृति की तिथि	सर्वेक्षण और सभी के लिए आवास कार्य योजना का कार्य दिया गया (पूर्ण)	केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति द्वारा सभी के लिए आवास कार्य योजना के अनुमोदन की तिथि
भागीदारी में किफायती आवास	13	58	43543	27–10–2015 से 27–02–2018	अगस्त 2016 से मार्च 2017 (मार्च 2018)	अगस्त 2020
हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण	161	1193	98017	20–12–2016 से 07–08–2020	अगस्त 2016 से जनवरी 2019 (मार्च 2021)	अगस्त 2020 और फरवरी 2022
स्व–स्थाने स्लम पुनर्विकास	05	08	5946	20–12–2016 से 27–09–2017	अगस्त 2016 से मार्च 2017 (मार्च 2018)	अगस्त 2020
योग		**1259**	**147506**			

(स्रोतः राज्य शहरी विकास अभिकरण के अभिलेखों से लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी)

इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि प्रस्ताव के लिए अनुरोध जारी करने और राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में देरी हुई और साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के तहत सभी के लिए आवास कार्य योजना की तैयारी और अनुमोदन में देरी हुई। जिसके कारण प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के तहत 1,47,506 आवासीय इकाईयों के लिए 1,259 परियोजनाओं का कार्यान्वयन दिशानिर्देशों में निर्धारित कार्य योजना तैयार किए बिना किया गया। अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त परियोजनाओं के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन हितग्राहियों की सूची संलग्न किए बिना या हितग्राही डेटा के सत्यापन के बिना हितग्राहियों की संभावित सूची संलग्न कर केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गई थी। कार्ययोजना के बिना परियोजनाओं के कार्यान्वयन और हितग्राहियों की पहचान के परिणामस्वरूप हितग्राहियों को जोड़ने/चयन करने में कमी और परियोजनाओं में कटौती हुई जैसा कि बाद की कंडिका में चर्चा की गई है।

राज्य सरकार ने कहा (मई 2025) कि उस अवधि के दौरान जब सभी के लिए आवास कार्य योजना तैयार किए जा रहे थे और भारत सरकार को प्रस्तुत किए जा रहे थे, केंद्र सरकार ने राज्य को प्रबंधन सूचना प्रणाली में आसानी से उपलब्ध प्रबंधन सूचना प्रणाली मांग आधार से प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश देकर भागीदारी में किफायती आवास/हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण आवासों को मंजूरी देना शुरू कर दिया था। उपरोक्त कार्यों के समानांतर, सभी के लिए आवास कार्य योजना की तैयारी के दौरान विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था, जिसके लिए सर्वेक्षण डेटा/अटैचमेंट/कटौती में संभावित हितग्राहियों की प्रविष्टियां और ऐसी सभी गतिविधियों को प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल में किया जा रहा था। भारत सरकार ने सभी के लिए आवास कार्य योजना की प्राथमिकता को स्वीकृति नहीं दी, अन्यथा स्वीकृतियों को रोक दिया जाता, न ही राज्य की सभी के लिए आवास कार्य योजना तिथि के खिलाफ केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति में किसी भी स्वीकृति पर चर्चा की गई। राज्य के सभी के लिए आवास कार्य योजना के दूसरे हिस्से को केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति द्वारा फरवरी 2022 में मंजूरी दी गई थी। राज्य ने भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों पर कार्रवाई की है।

जवाब इस बात की पुष्टि करता है कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन योग्य हितग्राहियों की पहचान किए बिना एवं मांग सर्वेक्षण और सभी के लिए आवास कार्य योजना की तैयारी के पूरा होने से पहले तैयार किए गए थे और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए गए थे। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की स्वीकृति के संबंध में सरकार का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी के लिए आवास कार्य योजना और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर राज्य सरकार द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार की जानी थी।

2.1.6.1(ब) मांग सर्वेक्षण में कमी और प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल में डेटाबेस के साथ बेमेल

प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के दिशा–निर्देशों के अनुसार, राज्यों और शहरों को आवास की जरूरतों का आकलन करने के लिए मांग सर्वेक्षण करने की आवश्यकता थी। इन सर्वेक्षणों के आधार पर उन्हें सभी के लिए आवास कार्य योजना तैयार करना था, जिसमें पात्र हितग्राहियों द्वारा आवास की मांग और प्रस्तावित हस्तक्षेप शामिल हैं। इसमें आगे कहा गया है कि भागीदारी में किफायती आवास परियोजनाओं में चिन्हित पात्र हितग्राहियों को आवासों का आवंटन राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति द्वारा अनुमोदित एक पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जाना चाहिए और चयनित हितग्राही सभी के लिए आवास कार्य योजना का हिस्सा होने चाहिए।

लेखापरीक्षा में अनुमोदित सभी के लिए आवास कार्य योजना में शामिल सर्वेक्षण किए गए हितग्राही डेटा और प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी पोर्टल में शहरी स्थानीय निकाय के प्रबंधन सूचना प्रणाली डेटाबेस में की गई सर्वेक्षण किए गए हितग्राहियों की प्रविष्टियों के बीच विसंगतियां देखी गई। सभी के लिए आवास कार्य योजना में कुल 5,00,075 मांग अर्थात 36 शहरी स्थानीय निकायों और 132 शहरी स्थानीय निकायों में क्रमशः 3,48,640 और 1,51,435 दर्ज हैं। हालांकि, दिसंबर 2024 तक प्रबंधन सूचना प्रणाली डेटाबेस के अनुसार, सर्वेक्षण सूची के तहत 5,67,066 हितग्राहियों के लिए प्रविष्टियां की गई थीं। इस प्रकार, प्रबंधन सूचना प्रणाली में 66,991 हितग्राहियों के लिए अतिरिक्त प्रविष्टियां की गईं जो मांग सर्वेक्षण के दौरान पहचाने गए हितग्राहियों की सूची का हिस्सा और सभी के लिए आवास कार्य योजना में शामिल नहीं थे।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि हितग्राहियों को हटाने के साथ–साथ केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति को प्रस्तुत कटौती/नई परियोजनाओं के प्रस्तावों के आधार पर नए आवेदकों को जोड़ने से प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल पर मूल सर्वेक्षण डेटाबेस में निरंतर

संशोधन हुए। नतीजतन, प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल में आरम्भ में दर्ज की गई सर्वेक्षण हितग्राहियों की मूल सूची का पता नहीं लगाया जा सका, जिससे लेखापरीक्षा के लिए यह सत्यापित करना मुश्किल हो गया कि क्या मूल रूप से पहचाने गए हितग्राहियों को लाभ प्रदान किए गए थे। यह हितग्राहियों की पहचान और चयन में कमियों को दर्शाता है। आगे की जांच से पता चला कि सभी के लिए आवास कार्य योजना (फरवरी 2022) की स्वीकृति के बाद प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल में की गई अतिरिक्त प्रविष्टियों में से 38,345 हितग्राहियों (भागीदारी में किफायती आवास–3,588 और हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण–34,757) को योजना दिशानिर्देश के प्रावधान के उल्लंघन करके लाभ प्रदान किए गए हैं क्योंकि लाभ केवल अनुमोदित सभी के लिए आवास कार्य योजना में शामिल सर्वेक्षण किए गए हितग्राहियों को प्रदान किए जाने थे।

राज्य सरकार ने कहा (मई 2025) कि भारत सरकार ने केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की तारीख तक प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल के वास्तविक समय सर्वेक्षण डेटाबेस के आधार पर किसी विशेष शहर/शहरी स्थानीय निकाय के लिए सभी के लिए आवास कार्य योजना को मंजूरी दी। इसलिए, एक बार अनुमोदित होने के बाद सभी के लिए आवास कार्य योजना रिपोर्ट के सर्वेक्षण डेटा को वास्तविक समय के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल पर अपलोड किया गया था। उपरोक्त कार्यों के समानांतर, सभी के लिए आवास कार्य योजना की तैयारी के दौरान विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था, जिसके लिए सर्वेक्षण डेटा/अटैचमेंट/कटौती में संभावित हितग्राहियों की प्रविष्टियां और ऐसी सभी गतिविधियों को प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल में किया जा रहा था। इसलिए, यदि आज देखा जाए, तो आंकड़ों का पूर्वव्यापी रूप से पता नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि मूल मिशन अवधि के दौरान बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं। इसके अलावा, प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के लाभों का लाभ उठाने के इच्छुक प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल में दर्ज किए गए सभी वैध हितग्राहियों और जिनके प्रस्ताव शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विधिवत अग्रेषित किए गए थे, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के लाभ प्रदान किए गए हैं, जिसमें मांग मूल्यांकन सर्वेक्षण के हितग्राही भी शामिल हैं।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सभी के लिए आवास कार्य योजना में शामिल मांग सर्वेक्षण करने के बाद पहचाने गए हितग्राहियों से परे प्रबंधन सूचना प्रणाली में हितग्राहियों की सूची में जोड़, सर्वेक्षण डेटा, हितग्राहियों के चयन और प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के तहत सर्वेक्षण के दौरान मूल रूप से पहचाने गए हितग्राहियों को लाभों की निगरानी में एक महत्वपूर्ण अंतर को उजागर करता है।

2.1.6.1(स) प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के तहत स्वीकृत परियोजनाओं में कटौती

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 168 शहरी स्थानीय निकाय में किए गए मांग सर्वेक्षण के आधार पर छत्तीसगढ़ के स्वीकृत सभी के लिए आवास कार्य योजना में हितग्राहियों के लिए पांच लाख आवासीय इकाईयों की कुल मांग का अनुमान लगाया गया था। कुल मांग के सापेक्ष, 3.58 लाख आवासीय इकाईयों मूल रूप से स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 1.09 लाख आवासीय इकाईयों में कटौती की गई थी और 2.49 लाख आवासीय इकाईयों अर्थात कुल अनुमानित मांग का 50 प्रतिशत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के तहत निर्माण के लिए लिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप असंतृप्त मांग हुई थी।

(i) भागीदारी में किफायती आवास परियोजनाओं में कटौती

केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति में भागीदारी में किफायती आवास परियोजनाओं की मंजूरी के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के अभिलेखो और बैठकों के कार्यवृत्त की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2016–19 की अवधि के दौरान 16 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा 58,038 आवासों के निर्माण के लिए 97 स्वीकृत परियोजनाओं में से 26,982 आवासों की 38 परियोजनाओं को अप्रैल 2025 तक कटौती किया गया था। इनमें से 12,817 आवासों की आठ परियोजनाओं को सभी के लिए आवास कार्य योजना की तैयारी से पहले स्वीकृति दी गई थी। कटौती भूमि की अनुपलब्धता, हितग्राहियों द्वारा ऋण आधारित सब्सिडी योजना के तहत लाभ उठाने एवं हितग्राहियों को इन परियोजनाओं के स्थानों पर स्थानांतरित/स्थानांतरित करने में रुचि नहीं होने के कारण की गई थी और राज्य सरकार द्वारा स्लम निवासियों को भूमि पट्टा का आवंटन किया गया था।

इसी तरह, वर्ष 2015–17 की अवधि के दौरान छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा निष्पादित की जाने वाली 13,017 परियोजनाओं के निर्माण के लिए 14 स्वीकृत परियोजनाओं में से, अपर्याप्त पंजीकरण और मांग के साथ–साथ आवंटन के लिए वैध हितग्राहियों की अनुपस्थिति के कारण 38वीं और 54वीं केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति में छः परियोजनाओं के 10,085 आवासों में कटौती की गई थी। इसके अलावा, सभी के लिए आवास कार्य योजना की तैयारी से पहले 13,017 आवासों की सभी 14 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई थी।

राज्य सरकार ने कहा (मई 2025) कि राज्य ने केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति के निर्देशों के बाद, विभिन्न शहरों में भागीदारी में किफायती आवास घटक में प्रारम्भ नहीं किए गए आवासों की पूरी तरह से समीक्षा की। शहरों ने प्रारम्भ नहीं किए गए आवासों को कम करने के लिए राज्य को प्रस्ताव प्रस्तुत किए, क्योंकि निर्माणाधीन आवासों के लिए हितग्राहियों की पहचान पहले से ही एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। ऐसे परिदृश्य में फिर से नए आवासों का निर्माण खाली आवास स्टॉक पैदा कर सकता है। चिन्हित स्लम क्षेत्रों के तहत मांग मूल्यांकन सर्वेक्षण के दौरान पहचाने गए हितग्राहियों ने स्लम से भागीदारी में किफायती आवास स्थलों पर स्थानांतरित करने के लिए अपनी सहमति वापस लेनी शुरू कर दी थी। इसलिए, राज्य सरकार ने खाली आवास स्टॉक के निर्माण से बचने के लिए भागीदारी में किफायती आवास आवासों में कटौती का प्रस्ताव दिया है।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि हितग्राहियों की सूची एवं संसाधनों की उपलब्धता को अंतिम रूप दिए बिना परियोजनाओं की स्वीकृति के परिणामस्वरूप भागीदारी में किफायती आवास परियोजनाएं निरस्त कर दी गईं।

(ii) हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास के निर्माण परियोजनाओं में कटौती

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2016–24 की अवधि के दौरान कुल 2.77 लाख हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण आवास निर्माण के लिए 1,960 परियोजनाओं की स्वीकृति में से अप्रैल 2025 तक 66,383 आवासों की कटौती की गई है, क्योंकि लाभार्थियों ने अपनी भूमि बेच दी है, जो पहले से ही भारत सरकार की योजनाओं में लाभान्वित हो चुकी है, वित्तीय भार, पलायन के कारण अनिच्छा, वार्षिक पारिवारिक आय ₹ 3.00 लाख से अधिक है, भूमि विवाद, हाईटेंशन लाईन के तहत स्थित भूमि, लाभार्थियों की मृत्यु आदि के कारण।

इस प्रकार, परियोजनाओं में कटौती/समर्पण भागीदारी में किफायती आवास और हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण के तहत आवास परियोजनाओं को शुरू करने और

अपात्र हितग्राहियों के चयन और प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल में उनकी प्रविष्टियों में कमी का संकेत देता है।

राज्य सरकार ने कहा (मई 2025) कि हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण में आवासों की कटौती मूल रूप से हितग्राहियों द्वारा भूमि दस्तावेजों को जमा नहीं करने या भारत सरकार से मंजूरी के 2 से 7 साल बाद भी निर्माण आरम्भ करने के लिए उनकी असहमति के कारण थी। इसलिए, राज्य सरकार ने केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति के निर्देशों के तहत अप्रारम्भ आवासों में कटौती का प्रस्ताव दिया है और अमान्य हितग्राहियों की स्वीकृति को साफ किया है।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण आवासों को निरस्त करना परियोजनाओं को स्वीकृति देने से पहले खराब हितग्राही सत्यापन और योजना को उजागर करता है।

(iii) स्व–स्थाने स्लम पुनर्विकास परियोजनाओं में कटौती

पात्र स्लम निवासियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए निजी भागीदारी के साथ एक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करते हुए स्व–स्थाने स्लम पुनर्विकास "प्रधानमंत्री आवास योजना–सभी के लिए आवास (शहरी)" मिशन का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य स्लम अंतर्गत भूमि के बंद क्षमता का लाभ उठाना है ताकि पात्र स्लम निवासियों को औपचारिक शहरी बस्ती में लाने के लिए आवास प्रदान किए जा सकें।

स्व–स्थाने स्लम पुनर्विकास घटक के तहत पात्र स्लम निवासियों के लिए बनाए गए सभी आवासों के लिए प्रति आवास ₹ 1.00 लाख की केंद्रीय सहायता स्वीकार्य है/पुनर्विकास के बाद, दिशा–निर्देशों के तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा स्लम की अधिसूचना रद्द करने की सिफारिश की जानी है। राज्यों/शहरों को इस केंद्रीय सहायता को पुनर्विकसित की जा रही अन्य स्लम में लगाने के लिए लचीलापन दिया गया है।

केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति द्वारा वर्ष 2016–17 और 2017–18 के दौरान पांच नगर पालिक निगमों के लिए 6,671 आवासीय इकाईयों के निर्माण के लिए 10 स्व–स्थाने स्लम पुनर्विकास परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई थी जैसा कि **तालिका 2.1.2** में वर्णित है।

तालिका 2.1.2: स्व–स्थाने स्लम पुनर्विकास परियोजनाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के तहत केंद्रीय सहायता की स्वीकृति और जारी करने का विवरण

(₹ लाख में)

स. क्र.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	परियोजना का नाम	स्वीकृत इकाईयों की संख्या	एक आवास के लिए एक लाख की दर से स्वीकृत केन्द्रीय सहायता	जारी केन्द्रीय सहायता
(अ) 17वीं केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति बैठक (दिसंबर 2016) में अनुमोदित परियोजनाएं					
1	बिलासपुर	मिटटीटीला विष्णु नगर	232	232.00	0.00
2	बिलासपुर	मिनीमाता तालपारा	493	493.00	0.00
(ब) 21वीं केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति बैठक (अप्रैल 2017) में अनुमोदित परियोजनाएं					
3	रायपुर	टिकरापारा और आमापारा	484	484.00	187.00
4	रायपुर	डगनिया	592	592.00	50.00
5	कोरबा	कुंवाभाटा	161	161.00	64.00
6	राजनांदगांव	डबरीपारा	300	300.00	120.00
(स) केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 26वीं बैठक (सितंबर 2017) में अनुमोदित परियोजनाएं					
7	भिलाई	घासीदास नगर	1680	1680.00	0.00
8	भिलाई	रुआंबांधा	1176	1176.00	0.00
9	भिलाई	इंद्रानगर मॉडल टाउन	616	616.00	0.00
10	कोरबा	सीतामणि बस्ती	937	937.00	0.00
	योग		**6,671**	**6,671.00**	**421.00**

(स्रोतः अभिलेखों से लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी)

*(*बिलासपुर में 725 आवासीय इकाईयों के साथ दो परियोजनाएं शामिल हैं जिन्हें अप्रैल 2018 में भागीदारी में किफायती आवास घटक के तहत परिवर्तित किया गया था)*

केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति ने अपनी 17 वीं बैठक (दिसंबर 2016) में परियोजनाओं को मंजूरी देते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि यदि निजी विकासकर्ता इच्छुक/उपलब्ध नहीं हैं तो स्व–स्थाने स्लम पुनर्विकास परियोजनाओं के लिए एक वैकल्पिक योजना तैयार की जाए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार ने 10 स्व–स्थाने स्लम पुनर्विकास परियोजनाओं में 5,946[4] आवासों के समर्पण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसे केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति द्वारा अगस्त 2020 और अप्रैल 2025 में आयोजित अपनी 51वीं और 72वीं बैठक में अनुमोदित किया गया था।

प्रस्ताव को स्वीकृति देते समय केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति ने कहा कि इन परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने से पहले आंकड़ों का सत्यापन नहीं किया गया था। केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कोई भी पात्र हितग्राही इन हितग्राहियों को छोड़ने के कारण योजना के तहत लाभ से वंचित न रहे। स्व–स्थाने स्लम पुनर्विकास परियोजनाएं स्लमों के विकास के बाद स्लमों में रहने वालों को सम्मानजनक रहने की स्थिति प्रदान करने के लिए थीं, इसलिए स्व–स्थाने स्लम पुनर्विकास घटक के तहत परियोजनाओं को निरस्त नहीं किया जाना चाहिए।

राज्य सरकार ने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए पात्र स्लम निवासियों को पट्टा प्रदान करने और स्लम निवासियों के लिए भागीदारी में किफायती आवास के तहत आवास प्रदान करने का प्रस्ताव रखा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कुल पात्र हितग्राहियों में से

[4] 51 वें केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति–5,946 आवासीय इकाईयों (6,671–725) में से 725 आवासीय इकाईयों को भागीदारी में किफायती आवास के तहत परिवर्तित किया गया और अप्रैल 2025 में 72 वीं केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति बैठक में कटौती की गई।

आठ स्व–स्थाने स्लम पुनर्विकास परियोजनाओं, बिलासपुर में मिनीमाता के केवल 696 हितग्राहियों को आवास पट्टा दिया गया, जबकि 5,975 (6,671–696) पात्र हितग्राहियों को बिना किसी लाभ के छोड़ दिया गया। इस प्रकार, झुग्गी–झोपड़ी के विकास का इच्छित उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि समर्पण किए गए आठ स्व–स्थाने स्लम पुनर्विकास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु विभिन्न एजेंसियों का ₹ 1.44 करोड़ का शुल्क भुगतान किया जाना था जिसके विरुद्ध राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा वर्ष 2017–18 के दौरान ₹ 1.25 करोड़ का भुगतान किया गया था। स्व–स्थाने स्लम पुनर्विकास परियोजनाओं के समर्पण/निरस्त होने के कारण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने पर होने वाला खर्च निष्फल रहा।

राज्य सरकार ने कहा (मई 2025) कि निविदा जारी करने वाले शहरी स्थानीय निकाय को निविदा प्राप्त नहीं हुई। स्लम क्षेत्र में आवास पट्टा जारी करने के संबंध में सरकारी अधिसूचना (सितंबर 2019) ने पुनर्वास की पूरी प्रक्रिया को हतोत्साहित कर दिया और बदले में हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण घटक की ओर रुचि की प्रवृत्ति को बढ़ा दिया। राज्य ने मुख्य रूप से निविदाकर्ताओं की अनुपलब्धता के कारण बिलासपुर की दो स्व–स्थाने स्लम पुनर्विकास परियोजनाओं में 725 आवासीय इकाईयों को भागीदारी में किफायती आवास परियोजनाओं में बदलने का प्रस्ताव रखा, जिसे राज्य की वैकल्पिक योजना माना जा सकता है। राज्य के पास उस समय उपलब्ध सभी वैकल्पिक योजनाओं का उचित ध्यान था और उपलब्ध भागीदारी में किफायती आवास आवासों और हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण आवासों को ध्यान में रखते हुए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवास स्टॉक को नहीं बढ़ाने और स्व–स्थाने स्लम पुनर्विकास परियोजनाओं में कटौती के लिए आगे बढ़ने का प्रस्ताव था। इसलिए सभी उपलब्ध विश्लेषणों के साथ गहन विश्लेषण और उचित परिश्रम के बाद आठ स्व–स्थाने स्लम पुनर्विकास परियोजनाओं में कटौती की गई।

जवाब इस बात की पुष्टि करता है कि स्व–स्थाने स्लम पुनर्विकास परियोजनाओं को हितधारकों से परामर्श करने, हितग्राहियों की पहचान और सत्यापन के बाद उचित योजना के बिना शुरू किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप इन परियोजनाओं में कटौती हुई।

2.1.6.2 सभी के लिए आवास कार्य योजना में मौजूदा खाली किफायती आवास स्टॉक को शामिल नहीं करना

दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी के लिए आवास कार्य योजना तैयार करते समय, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और कार्यान्वयन एजेंसियों को शहर में पहले से उपलब्ध किफायती आवास स्टॉक पर भी विचार करना चाहिए क्योंकि जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि पहले की योजनाओं के तहत निर्मित बड़ी संख्या में आवास खाली हैं।

राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति एवं केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति द्वारा तैयार और अनुमोदित सभी के लिए आवास कार्य योजना की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि भिलाई और बिलासपुर नगर निगम द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, इन दोनों शहरी स्थानीय निकाय में पूर्ववर्ती योजनाओं जैसे एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम, बॉम्बे हाउसिंग और अटल आवास आदि के तहत खाली आवास स्टॉक (बिलासपुर में 1000 और भिलाई में 1828) उपलब्ध थे। हालांकि, सभी के लिए आवास कार्य योजना तैयार करते समय इन मौजूदा खाली आवासों की उपलब्धता को ध्यान में नहीं रखा गया।

परिणामस्वरूप, सभी के लिए आवास कार्य योजना में आवास स्टॉक की आवश्यकता का आकलन करते समय शहरी स्थानीय निकाय के पास उपलब्ध खाली आवास स्टॉक को

ध्यान में नहीं रखा गया और इसलिए, प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के भागीदारी में किफायती आवास घटक के तहत इसका उपयोग नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार ने कहा (मई 2025) कि राज्य अद्धसरकारी आवास एजेंसियों या पिछली आवास योजनाओं के तहत स्वीकृत आवासों के माध्यम से स्वीकृत शहरी स्थानीय निकाय के पास पहले से उपलब्ध किफायती आवास स्टॉक को सभी के लिए आवास कार्य योजना रिपोर्ट में शामिल किया गया है। इसके अलावा, शहर के लिए मांग का आकलन दशकीय शहरी जनसंख्या वृद्धि, किफायती आवास के लिए मांग–आधारित जरूरतों और प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी की मिशन अवधि दिसंबर 2022 तक को ध्यान में रखते हुए किया गया है। हालांकि यदि मौजूदा आवास स्टॉक का हिसाब रखा जाए, तो शहरी स्थानीय निकाय ने अभी भी शहर में किफायती आवास की भविष्य की मांगों को पूरा करने के लिए अपनी मांगों को आशावादी रूप से प्रस्तुत किया। इसी प्रत्याशा के माध्यम से शहरों में बनाए जा रहे मकान वर्ष 2024–25 में भी हितग्राहियों के लिए आसानी से उपलब्ध होंगे।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि न तो सभी के लिए आवास कार्य योजना में विचार किए गए खाली आवास स्टॉक और न ही खाली आवास स्टॉक के लिए आवंटन का विवरण जवाब के समर्थन में प्रदान किया गया था।

2.1.6.3 राशि ₹ 3.00 लाख से अधिक आय वाले अयोग्य हितग्राहियों का चयन

प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के दिशानिर्देशों की कंडिका 3 के अनुसार, केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणियों के ₹ 3.00 लाख से कम वार्षिक आय वाले हितग्राही भागीदारी में किफायती आवास और हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण घटक के तहत लाभ उठा सकते हैं।

चार शहरी स्थानीय निकायों (नगर पालिक निगम बिलासपुर, रायपुर, कोरबा और नगर पंचायत, प्रेमनगर) में लेखापरीक्षा में पाया गया कि 71 हितग्राहियों का चयन किया गया जिनकी आय ₹ 3.00 लाख से अधिक थी और उन्हें हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण/भागीदारी में किफायती आवास घटक के तहत आवास/ आवासीय इकाईयों आवंटित किए गए थे जैसा कि **परिशिष्ट–2.1.2** में विस्तृत है।

आगे के विश्लेषण से पता चला कि इन 71 हितग्राहियों में से 57[5] शहरी स्थानीय निकायों/सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी थे, जिनकी वार्षिक आय ₹ 3.00 लाख से अधिक थी, उन्होंने अपने परिवारों की वार्षिक सकल आय की असत्य घोषणाएं प्रस्तुत करके आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तहत योजना का लाभ उठाया। यह ध्यान देने योग्य है कि इस तथ्य से अवगत होने के बावजूद, शहरी स्थानीय निकाय ने इसकी अनदेखी की और अयोग्य हितग्राहियों को अनुचित लाभ दिए।

राज्य सरकार ने (मई 2025) कहा कि नगर निगम, कोरबा के हितग्राहियों को लाभ प्रदान नहीं किए गए हैं और प्रस्तावित हितग्राहियों को आगामी राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति में राज्य सरकार द्वारा विधिवत अनुमोदित हितग्राही संशोधन अनुरोध के माध्यम से प्रबंधन सूचना प्रणाली से हटा दिया जाएगा। नगर निगम, बिलासपुर में हितग्राही को प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी योजना के तहत आवास आवंटित किया गया है, जो तहसीलदार, बिलासपुर तहसील द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र के आधार पर है, जिसमें हितग्राही की वार्षिक आय ₹ 2.80 लाख प्रति वर्ष घोषित की गई है। नगर निगम रायपुर, में हितग्राही स्वीपर कॉलोनी, टिकरापारा, रायपुर में रहते थे, जिसका निर्माण लगभग

[5] शहरी स्थानीय निकाय कर्मचारी/अधिकारी–56 और एक मामले में शहरी स्थानीय निकाय कर्मचारी की पत्नी

70 साल पहले किया गया था। आवास अवसंरचना की स्थिति गंभीर रूप से बिगड़ गई थी और किसी भी जीवन/संपत्ति के नुकसान को रोकने के लिए, निगम ने मानसून की बारिश शुरू होने से पहले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के अन्य हितग्राहियों के साथ निम्न आय समूह श्रेणी के इन हितग्राहियों को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। चूंकि उनके पास इन हितग्राहियों के लिए निम्न आय समूह/पारगमन श्रेणी के लिए कोई आवास स्टॉक आरक्षित/खाली नहीं था, इसलिए स्वीपर कॉलोनी के हितग्राहियों को स्थानांतरित करने की परिस्थितियों और परियोजना की समावेशी प्रकृति के आधार पर निर्णय लिया गया था। इसके अलावा, नगर पंचायत, प्रेमनगर में तीन हितग्राहियों ने झूठे हलफनामे जमा करके लाभ उठाया, जिसके लिए नोटिस जारी किए गए थे और वसूली की जा रही है।

जवाब इस बात की पुष्टि करता है कि आय मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले हितग्राहियों को योजना के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में भागीदारी में किफायती आवास/हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण घटक के तहत लाभान्वित किया गया था।

2.1.6.4 पूर्व से ही पक्का आवास रखने वाले हितग्राहियों का चयन

नगर पालिका परिषद, तखतपुर में, एक हितग्राही (आईडी–0322801973609953938) के पक्ष में एक हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण आवास स्वीकृत किया गया था और पूर्ण होने के बाद, ₹ 2.26 लाख की वित्तीय सहायता का भुगतान किया गया था।

नगर पालिका परिषद, परियोजना प्रबंधन सलाहकार और शहर स्तरीय तकनीकी प्रकोष्ठ के अधिकारियों के साथ हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण आवासों के संयुक्त भौतिक सत्यापन (फरवरी 2024) पर यह पाया गया कि हितग्राही के पास पहले से ही नए प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी आवास के बगल में व्यवसायिक दुकानों के साथ एक पक्का आवास था। इसके अलावा, हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण के तहत आवास का निर्माण तीन मंजिलों में अनुमोदित लेआउट से परे किया गया था जैसा कि नीचे दिखाया गया है।

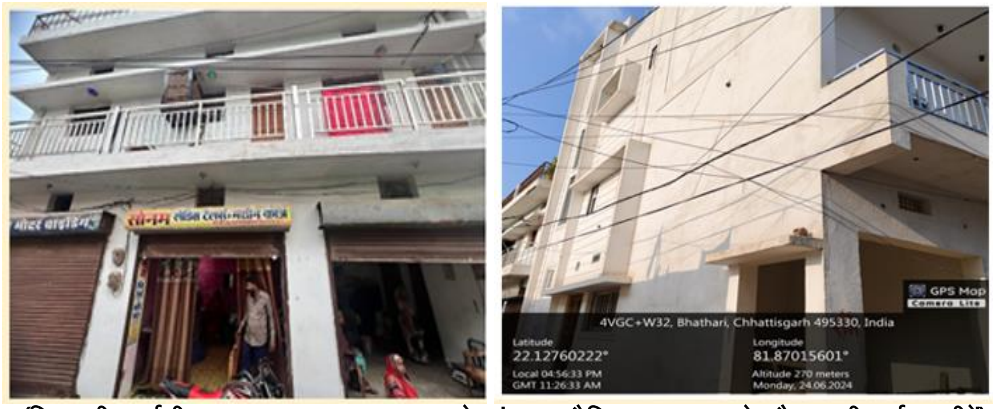

(हितग्राही आईडी–0322801973609953938 के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान ली गई तस्वीरें)

इसके अलावा, वास्तविक कार्य स्थल का जियो–टैग प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी भुवन पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया था, और दूसरे आवास की एक तस्वीर अपलोड की गई थी जिसे मंजूरी दी गई थी।

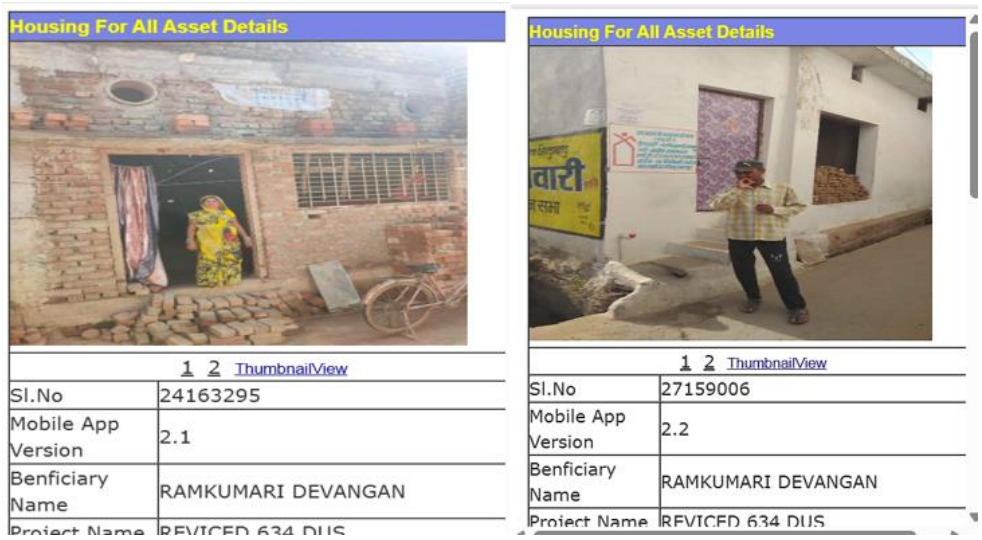

(हितग्राही आईडी–0322801973609953938 की जियो–टैग की गई तस्वीरें)

इसी तरह, नगर निगम, रायपुर में यह देखा गया कि हितग्राही (आईडी–228020340667800959) के पक्ष में एक हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण आवास स्वीकृत किया गया था और पूर्ण होने के बाद मई 2020 में ₹ 2.26 लाख की वित्तीय सहायता का भुगतान किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण के तहत आवास फरवरी 2019 में हितग्राही को स्वीकृत किया गया था और उसी के लिए भवन की अनुमति सितंबर 2019 में जारी की गई थी। हितग्राही ने जून 2019 में स्व–घोषणा प्रस्तुत की है कि उसका भारत में कहीं भी पक्का आवास नहीं है। अभिलेखों की आगे की जांच से पता चला कि दिनांक 5 अक्टूबर 2019 को हितग्राही ने एक हलफनामा प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया था कि हितग्राही के पास वार्ड–28, महर्षि वाल्मीकि वार्ड, रायपुर में उनके नाम पर 1470 वर्ग फुट भूमि पर एक पक्का आवास और 630 वर्ग फुट भूमि में कच्चा आवास है और उन्होंने उसके नाम पर 630 वर्ग फुट की शेष भूमि पर हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण के तहत लाभ उठाने के लिए अपना 1,470 वर्ग फुट में निर्मित पक्का आवास उसके तीन बेटों को एक पारिवारिक निपटान समझौते (5 अक्टूबर 2019) के माध्यम से दिया है। जांच में यह भी पता चला कि हितग्राही ने अपने तीन बेटों के नाम पर आवास/संपत्ति के नोटराइज्ड पारिवारिक निपटान समझौते के अलावा हस्तांतरण का कोई सबूत जमा नहीं किया है और आवेदन के साथ संलग्न हितग्राही के राशन कार्ड में उसके परिवार के सदस्यों के रूप में तीनों बेटों का नाम शामिल है।

इस प्रकार, हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण घटक के तहत आवास की स्वीकृति और अटैचमेंट के समय पक्का आवास रखने वाले अयोग्य हितग्राहियों को हटाने के लिए आवेदन/दस्तावेजों का उचित सत्यापन नहीं किया गया था।

राज्य सरकार ने कहा (मई 2025) कि नगर पालिका परिषद, तखतपुर में हुई गलती के लिए पूरी तरह से वास्तुकार जिम्मेदार है। शहरी स्थानीय निकाय ने यह भी स्वीकार किया है कि वास्तुकार ने भुवन पोर्टल में नकली जियो–टैग फोटो अपलोड की हैं। इसके अलावा, नगर पालिक निगम रायपुर में हितग्राही और उसके तीन बेटे 630 वर्ग फुट रकबा और 1,470 वर्ग फुट रकबा भूमि में रह रहे थे। हितग्राही ने आंतरिक आपसी बंटवारनामा विलेख प्रस्तुत किया है, जिसमें कहा गया है कि 630 वर्ग फुट की आबादी भूमि हितग्राही श्रीमती पार्वती नारंग को आवंटित किया गया है। शहरी स्थानीय निकाय ने कहा है कि चूंकि हितग्राही कट–ऑफ–डेट से पहले आबादी भूमि पर कच्चा आवास में रह रहा था, इसलिए हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण आवासों को मंजूरी दी गई।

पहले से ही पक्का आवास रखने वाले हितग्राही को स्वीकृत आवास के हितग्राही डेटा को मान्य किए बिना स्व–घोषणा के आधार पर शहरी स्थानीय निकाय के रूप में जवाब स्वीकार्य नहीं है।

2.1.6.5 हितग्राहियों के नाम पर भूखंड/भूमि के स्वामित्व के लिए दस्तावेज प्राप्त किए बिना हितग्राही को आवास की अनियमित मंजूरी

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा सितंबर 2016 में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, ऐसे लोग जिनके पास निजी या स्थायी रूप से पट्टे पर दी गई भूमि है अथवा जिन्होंने ऐसी भूमि पर आवास (कच्चा/अर्ध–पक्का) बनाए हैं और 31 अगस्त 2015 से पहले नगरपालिका क्षेत्र में रह रहे थे, वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार (29 मई 2017) संयुक्त रूप से रहने वाले एक ही परिवार के सभी उत्तराधिकारियों द्वारा नियमों के अनुसार एक नोटराइज्ड परिवार विभाजन पत्र जमा करने पर योजना के लाभ परिवार के प्रत्येक पात्र सदस्य को अलग आवास के लिए प्रदान किए जाएंगे। हालांकि, निर्माण शुरू करने से पहले हितग्राहियों के लिए भूखंड को उनके नाम पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को पूरा करना और आवश्यक दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा।

नमूना जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में अभिलेखों की जांच के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि 250 हितग्राहियों द्वारा उनके नाम पर भूखंड के हस्तांतरण के दस्तावेज जमा किए बिना निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया था। इसके अलावा, जांच से पता चला कि शहरी स्थानीय निकायों ने हितग्राहियों के नाम पर भूमि हस्तांतरण सुनिश्चित किए बिना 250 हितग्राहियों को ₹ 4.05 करोड़ की सहायता का भुगतान किया।

तथ्यों से यह स्पष्ट है कि इस संबंध में जारी सरकारी निर्देश के उल्लंघन करके आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किए बिना हितग्राहियों को काम शुरू करने के लिए भवन अनुमति जारी की गई थी।

राज्य सरकार ने कहा (मई 2025) कि हितग्राहियों के नाम पर भूमि हस्तांतरण के दस्तावेजों को जमा करने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। इसके अलावा, कुछ मामलों में, हितग्राहियों को भूमि के स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए तहसीलदार को पत्र भी भेजे गए हैं, जो अभी भी लंबित है। परिणामस्वरूप, सहायता का अंतिम भुगतान नहीं किया जा सका।

जवाब इंगित करता है कि हितग्राहियों को आवास स्वीकृत करते समय दिशानिर्देशों में निर्धारित पात्रता शर्तों का पालन नहीं किया गया था।

2.1.6.6 प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण योजना के तहत हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण घटक के अंतर्गत हितग्राहियों का दोहराव

प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के दिशानिर्देशों के कंडिका 2.1 में निर्धारित किया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के लिए पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग और प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के बीच प्रबंधन सूचना प्रणाली का जुड़ाव हितग्राहियों के दोहराव से बचने के लिए किया जाएगा।

सभी शहरी स्थानीय निकाय के ऑनलाइन प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी प्रबंधन सूचना प्रणाली डेटाबेस के विश्लेषण और जांच के दौरान, 42 शहरी स्थानीय निकायों में 99 मामले देखे गए जहां हितग्राहियों ने दोनों योजनाओं अर्थात प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के बीच प्रबंधन सूचना प्रणाली डेटाबेस के गैर–लिंकेज तथा पंचायत और ग्रामीण विकास और शहरी प्रशासन और

विकास विभाग में हितग्राहियों के दोहराव से बचने के लिए डेटाबेस साझा करने के तंत्र की अनुपस्थिति के कारण हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण घटक के तहत लाभ उठाया है। इनमें से, 52 हितग्राहियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण योजना दोनों के तहत अपने आवास पूर्ण कर लिए थे, तथा शेष 47 मामलों में, कार्य एक योजना में पूरा किया गया था और प्रगति दूसरी योजना में हुई थी जैसा कि **परिशिष्ट–2.1.3** में वर्णित है।

राज्य सरकार ने कहा (मई 2025) कि रिपोर्ट अनुभाग के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल में "ग्रामीण रिपोर्ट" नाम का एक खंड है, जिसके लिए भारत सरकार समय–समय पर प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के बीच दोहराव का डेटा डंप करती है, लेकिन नियमित रूप से नहीं और डेटा की ऐसी डंपिंग के लिए ऐसी कोई अलग पहचानी गई अधिसूचना पोर्टल में प्राप्त नहीं होती है। यह दर्शाता है कि ग्रामीण रिपोर्ट में भारत सरकार द्वारा डेटा डंप किए जाने के बाद डुप्लिकेट डेटा को पूर्वव्यापी रूप से जांचा जाना है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के बीच दोहराव की सूचना के संबंध में डेटा का लाभ उठाने का कोई वास्तविक समय प्रावधान नहीं है। भारत सरकार द्वारा पूर्वव्यापी डंप किया गया डेटा प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के बीच आवासों की मंजूरी में दोहराव के बारे में सीमित जानकारी प्रदान करता है और प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची के बारे में कोई विचार नहीं करता है। पुष्टि के लिए पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग को एक पत्र भेजा गया है। अधीनस्थ अधिकारी को निर्देश दिया गया था कि एक बार दोनों योजनाओं के तहत दोहरेपन की पुष्टि हो जाने के बाद, हितग्राही को केवल एक योजना के तहत लाभ उठाने का विकल्प दिया जाना चाहिए क्योंकि दोनों के तहत दावा करने की अनुमति नहीं है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि हितग्राही के दोहराव से बचने के लिए सत्यापन के लिए डेटाबेस/हितग्राहियों की सूची साझा करने के लिए विभाग द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के तहत हितग्राहियों को दोहरा लाभ प्राप्त हुआ।

2.1.6.7 एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम के आवासों का आवंटन करने के बाद हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण घटक में हितग्राहियों की अनियमित स्वीकृति

दिशानिर्देशों के कंडिका 1.3 के अनुसार, एक हितग्राही परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित बेटे और/या अविवाहित बेटियां शामिल होंगी। हितग्राही परिवार के पास भारत के किसी भी हिस्से में पक्का आवास (एक हर मौसम में रहने वाली इकाई) या तो उसके नाम पर या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर नहीं होना चाहिए।

नगर पालिका परिषद, खैरागढ़ में अभिलेखों की जांच के दौरान यह देखा गया कि छः अलग–अलग वार्डों के पहचाने गए हितग्राहियों को स्थानांतरित करने के लिए एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम के तहत 492 आवासों का निर्माण वर्ष 2016 में किया गया था। शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अप्रैल 2019 तक सभी 492 आवासों का आवंटन कर दिया गया था।

इसके अलावा, हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण घटक के तहत स्वीकृत आवासों के अभिलेखो की जांच और प्रबंधन सूचना प्रणाली डेटाबेस से सत्यापन और एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम के तहत हितग्राहियों को किए गए आवंटन पर लेखापरीक्षा ने पाया कि हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण घटक के

तहत 35 हितग्राहियों को लाभ प्रदान किए गए थे, जिन्हें एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम के तहत पहले ही आवास आवंटित किए जा चुके थे, जैसा कि **परिशिष्ट–2.1.4** में बताया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के तहत इन हितग्राहियों को ₹ 72.14 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

राज्य सरकार ने कहा (मई 2025) कि संबंधित हितग्राहियों, जिन्हें एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम के तहत आवास आवंटित किए गए थे, ने पहले विभिन्न व्यक्तिगत कारणों से एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम योजना के तहत स्वीकृत आवासों को निरस्त करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया था। आगे कहा गया कि हितग्राहियों को पहले आवंटित एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम आवासों को निरस्त करने के लिए उनके आवेदन के बाद ही हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण घटक के तहत आवास स्वीकृत किए गए थे। यह भी कहा गया था कि एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम आवासों पर इन हितग्राहियों का कब्जा नहीं था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम के तहत स्वीकृत आवास को निरस्त नहीं किया गया था और प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के तहत हितग्राहियों को अनुचित लाभ दिया गया था, भले ही एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम के तहत एक पक्का आवास आवंटित किया गया था।

2.1.7 योजना के तहत जारी की गई राशि

भारत सरकार, प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के तहत, जनसंख्या, मौजूदा स्लम बस्तियों और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा उल्लिखित अन्य मानदंडों जैसे घटकों के मूल्यांकन के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निधि वितरित करती है। संवितरण तीन किश्तों: 40 प्रतिशत, उसके बाद 40 प्रतिशत और फिर 20 प्रतिशत में होता है। पहली किश्त का 70 प्रतिशत उपयोग हो जाने के बाद दूसरी किश्त जारी की जानी है। इसी तरह, अंतिम 20 प्रतिशत पहले आवंटित निधि के 70 प्रतिशत के उपयोग के साथ–साथ आवास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के पूरा होने पर निर्भर करता है। योजना के विभिन्न घटक के तहत प्रत्येक आवास इकाई की लागत का निधि विभाजन **तालिका 2.1.3** में दिखाया गया है।

तालिका 2.1.3: प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के तहत प्रत्येक आवास इकाई की लागत का निधि विभाजन का विवरण

(₹ लाख में)

स. क्र.	घटक	केन्द्रांश	राज्यांश	हितग्राही अंशदान	सार्वजनिक निजी भागीदारी अंशदान	प्रत्येक आवास इकाई की लागत (भूमि की लागत को छोड़कर)
1	स्व–स्थाने स्लम पुनर्विकास	1.00	0.00	0.75	3.75	5.50
2	भागीदारी में किफायती आवास	1.50	2.50	0.75	निरंक	4.75
3	हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण (एन/ई)	1.50	0.85	0.86	निरंक	3.21

(स्रोत: राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति को सौंपे गए विवरण से ली गई जानकारी)

ऋण आधारित सब्सिडी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी का चौथा घटक है और इसे प्राथमिक ऋण देने वाले संस्थानों द्वारा लागू किया जाना है/ऋण आधारित सब्सिडी योजना घटक के लिए वित्तपोषण का तरीका **तालिका 2.1.4** में दिया गया है।

तालिका 2.1.4: ऋण आधारित सब्सिडी योजना योजना के फंडिंग पैटर्न का विवरण

विवरण	आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग	निम्न आय समूह	निम्न आय समूह – I	निम्न आय समूह – II
योजना की अवधि	17/06/15 से 31/03/22		01/01/17 से 31/03/21	
परिवार की आय (₹ प्रति वर्ष)	3,00,000 तक	3,00,001 से 6,00,000	6,00,001 से 12,00,000	12,00,001 से 18,00,000
ब्याज सब्सिडी (प्रतिशत/वर्ष)	6.50		4.00	3.00
अधिकतम ऋण अवधि (वर्षों में)	20 वर्ष			
ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र आवास ऋण राशि (₹)	6,00,000/–		9,00,000/–	12,00,000/–
आवासीय इकाई कारपेट क्षेत्रफल	30# वर्ग मी तक	60# वर्ग मी तक	160# वर्ग मी तक	200# वर्ग मी तक
शुद्ध वर्तमान मूल्य के लिए छूट दर ब्याज सब्सिडी की गणना (प्रतिशत)	9			

(स्रोतः योजना दिशानिर्देशों से संकलित जानकारी)

 # हितग्राही, अपने विवेकाधिकार पर, बड़े क्षेत्र का आवास बना सकता है, लेकिन ब्याज अनुदान केवल पहले 6.00 लाख तक सीमित होगा।

आवास इकाइयों की लागत साझा करने के अलावा, भारत सरकार क्षमता निर्माण, सामाजिक लेखापरीक्षा, जियो–टैगिंग, सूचना शिक्षा और संचार तथा प्रशासन एवं कार्यालय व्यय के लिए 100 प्रतिशत व्यय भी साझा करती है। इसके अलावा, भारत सरकार स्वीकृत सभी के लिए आवास कार्ययोजना, तीसरे पक्ष की गुणवत्ता निगरानी एजेंसी तथा राज्य एवं जिला स्तर के तकनीकी प्रकोष्ठ में विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए 75 प्रतिशत खर्च साझा करती है।

वर्षवार प्राप्ति और उस पर किए गए व्यय का विवरण **तालिका 2.1.5** में वर्णित है।

तालिका 2.1.5: प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के तहत वर्षवार प्राप्ति और व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	द्वारा निधि जारी		राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा प्राप्त ऋण	निधियों की कुल उपलब्धता	राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा व्यय		
	भारत सरकार	राज्य			भारत सरकार	राज्य	कुल
1	2	3	4	5 (2+3+4)	6	7	8 (6+7)
2015–16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016–17	133.36	108.23	0.00	241.59	21.68	0.53	22.21
2017–18	479.96	83.74	0.00	563.70	105.60	100.27	205.87
2018–19	354.33	79.40	0.00	433.73	461.57	358.96	820.53
2019–20	617.75	25.50	500.00	1143.25	675.26	502.90	1178.16
2020–21	231.68	4.51	325.00	561.19	304.58	286.77	591.35
2021–22	436.60	86.21	0.00	522.81	359.19	194.39	553.58
2022–23	548.22	203.21	464.68	1216.11	505.12	357.62	862.74
2023–24	489.70	4.05	264.89	758.64	578.13	362.52	940.65
योग	**3291.60**	**594.85**	**1554.57**	**5441.02**	**3011.13**	**2163.96**	**5175.09**

(स्रोतः राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा प्रस्तुत और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी)

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि भारत सरकार के ₹ 3,291.60 करोड़ के अंशदान के मुकाबले राज्य सरकार ने बजट के माध्यम से ₹ 594.85 करोड़ का अंशदान दिया है। वर्ष 2022–23 के दौरान ₹ 200.00 करोड़, अमृत मिशन (₹ 100.00 करोड़) और स्वच्छ भारत मिशन (₹ 100.00 करोड़) के अतिरिक्त राज्य निधि से व्यपवर्तित (सितंबर 2022) किए गए थे। राशि ₹ 5,441.02 करोड़ की कुल उपलब्ध निधियों में से राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा राज्य सरकार की गारंटी (राज्यांश के मिलान के लिए) के विरुद्ध ₹ 1554.57[6] करोड़ ऋण से प्राप्त किए गए थे।

2.1.7.1 एकल नोडल एजेंसी को भारत सरकार के अंशदान के हस्तांतरण में देरी

प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी योजना के दिशानिर्देशों के कंडिका 14.2.1 के अनुसार, केंद्रीय सहायता को राज्य के हिस्से के साथ केंद्रीय निधि प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी को हस्तांतरित किया जाना चाहिए, ताकि कार्यान्वयन एजेंसियों को आगे जारी किया जा सके, जो अगले 15 दिनों के भीतर पात्र हितग्राहियों को निधि हस्तांतरित करेंगे। इसके अलावा, भारत सरकार के निर्देश (मार्च 2021) के अनुसार, राज्य सरकार को योजना के कार्यान्वयन के लिए एक एकल नोडल एजेंसी को अधिसूचित करना होगा और भारतीय रिजर्व बैंक में प्राप्त केंद्रीय अंशदान को इसकी प्राप्ति के 21 दिनों की अवधि के भीतर संबंधित एकल नोडल एजेंसी खाते में स्थानांतरित करना होगा। संबंधित राज्य का हिस्सा जल्द से जल्द जारी किया जाना चाहिए और केंद्रीय हिस्से के जारी होने के 40 दिनों के बाद नहीं।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण के अभिलेखो की जांच के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि भारत सरकार के निर्देश के अनुपालन में सितंबर 2021 में एकल नोडल एजेंसी खाता खोला गया था और उसके बाद केंद्रीय सहायता से ₹ 486.35 करोड़ 14 से 67 दिनों की देरी के बाद एकल नोडल एजेंसी खाते में जमा किए गए थे। वर्ष 2015–2021 की अवधि के दौरान, एकल नोडल एजेंसी की शुरुआत से पहले, राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय अंशदान को जारी करने में 32 दिनों से लेकर 251 दिनों तक की देरी हुई थी। इसके परिणामस्वरूप शहरी स्थानीय निकाय को निधि के हस्तांतरण और हितग्राहियों और ठेकेदारों को भुगतान में देरी हुई।

राज्य सरकार ने कहा (मई 2025) कि निकासी में देरी का मुख्य कारण संबंधित वर्षों के बजट में निधि का प्रावधान नहीं करना था।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बजट का प्रावधान न होने के कारण, योजना के तहत निधि को देरी से वापस ले लिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए शहरी स्थानीय निकाय को निधि के हस्तांतरण में देरी हुई।

2.1.7.2 प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी में राज्य अंशदान के वित्तपोषण के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधनों का उपयोग

राज्य शहरी विकास अभिकरण के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2017–18 से 2021–22 की अवधि के दौरान योजना के कार्यान्वयन के लिए ₹ 3,357.00 करोड़[7] की धनराशि की आवश्यकता के लिए, राज्य शहरी विकास अभिकरण ने वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल के निर्णय

---

[6] भारतीय स्टेट बैंक–₹ 825 करोड़ और आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको)– ₹ 729.57 करोड़

[7] 2017–18: ₹ 736.00 करोड़, 2018–19: ₹ 1373.00 करोड़, 2019–20: ₹ 802.00 करोड़, 2020–21: ₹ 298.00 करोड़ और 2021–22:148.00 करोड़

(जनवरी 2018) में मंजूरी दी गई थी और सरकार ने योजना अवधि (मार्च 2022) तक वित्तीय संस्थानों से ₹ 3,357.00 करोड़ का ऋण प्राप्त करने के लिए गारंटी (फरवरी 2018) प्रदान करने के लिए प्रशासनिक मंजूरी दी थी, जिसे दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया था। प्रशासनिक मंजूरी के अनुसार, प्राप्त ऋण पर मूलधन और ब्याज का भुगतान राज्य सरकार द्वारा बजटीय प्रावधान के माध्यम से वर्ष 2038–39 की अवधि तक अगले 15 से 20 वर्षों में किया जाना था।

तदनुसार, ₹ 3,357.00 करोड़ के सावधि ऋण के लिए रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने (अगस्त 2018) के बाद राज्य शहरी विकास अभिकरण ने वित्त विभाग (जून 2019) से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद भारतीय स्टेट बैंक से जून 2019 को अनुबंध निष्पादित करते हुये ₹ 825.00 करोड़[8] (19 वर्षों के लिए 8.54 प्रतिशत ब्याज दर पर ₹ 674.00 करोड़ के ब्याज के साथ) का ऋण प्राप्त किया। इसके अलावा, आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) के साथ ₹ 2,385.00 करोड़ की ऋण राशि के लिए अनुबंध दिसंबर 2022 में निष्पादित किया गया था और दिसंबर 2022 और अक्टूबर 2024 के बीच केंद्रांश (₹ 1,164.00 करोड़) जारी होने के विरुद्ध राज्यांश के रूप में ₹ 879.77 करोड़[9] (19 वर्षों के लिए 8.50 प्रतिशत ब्याज दर पर) आहरित किया गया था।

राज्य सरकार ने कहा (मई 2025) कि विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के तहत राज्यांश की पूर्ति के लिए वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त किया है। इस निर्णय को राज्य मंत्रिमंडल की नीतिगत मंजूरी से समर्थन मिला है। दोनों संस्थानों के लिए ब्याज दर को वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया था।

अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के माध्यम से राज्यांश का वित्त पोषण न केवल उस वर्ष में बजटीय संसाधनों के बाहर योजना के तहत किए गए व्यय की सीमा तक राज्य सरकार के कम खर्च और घाटे को पूरा किया गया, बल्कि पारदर्शिता और अंतर–पीढ़ीगत समानता पर भी सवाल उठाया गया।

2.1.7.3 प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के तहत एकल नोडल एजेंसी खाते में प्राप्त ₹ 36.15 करोड़ के ब्याज के अंतरण में देरी

भारत सरकार के निर्देश (मार्च 2021) के अनुसार, राज्य को प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी योजना को लागू करने के लिए एक एकल नोडल एजेंसी को अधिसूचित करना होगा और जारी किए गए धन से अर्जित ब्याज को संबंधित समेकित निधि में जमा करने के लिए केंद्र और राज्य के बीच एकल नोडल एजेंसी खाते में विभाजित किया जाना था।

अभिलेखों की जांच के दौरान, यह देखा गया कि भारत सरकार के आदेश के अनुपालन में दिनांक 28 सितंबर 2021 को एचडीएफसी बैंक में राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा एक एकल नोडल एजेंसी खाता खोला गया था और केंद्रांश के साथ राज्यांश एकल नोडल एजेंसी खाते में जमा किया गया था। हालांकि, योजना के तहत जारी केंद्र और राज्य के हिस्से पर प्राप्त ब्याज राशि को संबंधित समेकित निधियों में स्थानांतरित नहीं किया गया था। इसके अलावा, भारत सरकार ने ब्याज जमा करने के संबंध में पहले के आदेश (मार्च 2021) के संदर्भ में जून 2021 और फरवरी 2022 में एक और निर्देश जारी

---

[8] जुलाई 2019–₹ 200.00 करोड़, सितंबर 2019–₹ 100.00 करोड़, नवंबर 2019–₹ 100.00 करोड़, दिसंबर 2019–₹ 100.00 करोड़, मई 2020–₹ 125.00 करोड़, अगस्त 2020–₹ 100.00 करोड़ और अक्टूबर 2020–₹ 100.00 करोड

[9] दिसंबर 2022–₹ 700.00 करोड़, मार्च 2024–₹ 93.00 करोड़, सितंबर 2024–₹ 19.69 करोड़ और अक्टूबर 2024–₹ 67.08 करोड़।

किया, जिसके बाद वर्ष 2015–16 से 2021–22 की अवधि के लिए केंद्रांश से संबंधित ₹ 22.64 करोड़ की ब्याज राशि एक वर्ष से अधिक की देरी के बाद जुलाई 2022 को भारत सरकार को हस्तांतरित कर दी गई। इसके अलावा, वर्ष 2022–24 के दौरान प्राप्त ₹ 14.98 करोड़ कुल केंद्रांश ब्याज में से दिनांक 1 जुलाई 2023 को प्राप्त ₹ 2.71 करोड़ एक साल से अधिक की देरी के बाद राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा भारत सरकार को अक्टूबर 2024 में स्थानांतरित किया गया था।

इसी तरह, राज्यांश पर प्राप्त ब्याज को राज्य सरकार को हस्तांतरित किया जाना था, लेकिन वर्ष 2015–16 से 2021–22 के दौरान प्राप्त ₹ 9.40 करोड़ की ब्याज राशि भारत सरकार द्वारा निर्देश जारी करने की तारीख से तीन साल से अधिक की देरी के साथ राज्य के समेकित कोष में अप्रैल 2024 में हस्तांतरित किया गया। इसके अलावा, वर्ष 2022–24 के दौरान अर्जित ₹ 7.72 करोड़ के कुल राज्यांश ब्याज में से, दिनांक 1 जुलाई 2023 को अर्जित ₹ 1.40 करोड़ की राशि एक वर्ष से अधिक की देरी के बाद राज्य सरकार को अक्टूबर 2024 में हस्तांतरित कर दी गई।

इस प्रकार, भारत सरकार के निर्देशों का पालन न करने के कारण, योजना के तहत जारी केंद्र और राज्य के अंशदान पर प्राप्त ब्याज न केवल सरकारी खाते से बाहर रहा बल्कि भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार ने कहा (मई 2025) कि मिशन संचालनालय नियमित रूप से वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग के निर्देशों के तहत संबंधित समेकित बैंक खाते में संचित ब्याज जमा कर रहा है।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के तहत अर्जित ब्याज एक से तीन साल से अधिक की देरी के बाद संबंधित समेकित निधि में जमा किया गया था।

2.1.7.4 जियो–टैगिंग से पहले/बिना बाद के चरणों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता जारी करना

जियो–टैगिंग के लिए दिनांक 25 अगस्त 2018 से प्रभावी परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्माण का जो भी चरण (अप्रारम्भ, फाउंडेशन, लिंटेल, छत या पूर्ण) पूरा हो उस चरण के निर्माण पूर्ण होने की तारीख से पांच दिनों के भीतर जियोटैग किया जाना चाहिए। यह संवितरण निर्माण की प्रगति पर आधारित है और प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी भुवन पोर्टल पर अपलोड की गई जियो–टैग की गई तस्वीरों के माध्यम से सत्यापित किया जाता है।

सभी शहरी स्थानीय निकाय के लिए ऑनलाइन प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के प्रबंधन सूचना प्रणाली डेटाबेस (दिसंबर 2024 तक) के विश्लेषण से पता चला है कि 84 शहरी स्थानीय निकाय में जियो–टैगिंग से 13 से 79 महीने पहले 328 हितग्राहियों को ₹ 13.18 करोड़ की अंतिम किस्त का भुगतान किया गया था। ये भुगतान प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी भुवन पोर्टल पर जियो–टैग की गई तस्वीरों को अपलोड किए बिना भी किए गए थे। इनमें से 12 चयनित शहरी स्थानीय निकाय में 94 मामलों की जांच की गई और देखा गया कि ₹ 38.80 लाख का भुगतान जियो–टैगिंग के बिना किया गया था।

इस प्रकार, हितग्राहियों को आवास के पूर्ण होने और पूर्णता चरण के लिए जियो–टैगिंग किये जाने से पहले भुगतान किया गया।

राज्य सरकार ने कहा (मई 2025) कि हितग्राहियों ने उन्हें दी गई अंतिम सहायता के भुगतान से पहले अपने आवासों को विधिवत पूर्ण कर लिया था और तकनीकी त्रुटि के कारण जियो–टैग नहीं किया जा रहा था। हालांकि, हितग्राहियों को पूर्ण किए गए आवास

की वास्तविक तस्वीर के आधार पर भुगतान किया गया है। आवासों के जियो–टैग तकनीकी त्रुटि के उन्मूलन के बाद किए गए थे।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा के दौरान इस संबंध में न तो शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर कोई लॉग रखा गया था और न ही तकनीकी त्रुटि के बारे में उच्च अधिकारियों के साथ पत्राचार पाया गया था।

2.1.8 योजना के विभिन्न घटकों के तहत परियोजनाओं का कार्यान्वयन

2.1.8.1 भागीदारी में किफायती आवास

योजना दिशानिर्देशों के कंडिका 6.1 और 6.4 के अनुसार, भारत सरकार द्वारा भागीदारी में किफायती आवास घटक के तहत ₹ 1.50 लाख प्रति आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आवास की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है और भागीदारी में किफायती आवास विभिन्न श्रेणियों के लिए घरों का मिश्रण हो सकता है, लेकिन यह केंद्रीय सहायता के लिए पात्र होगा, यदि परियोजना में कम से कम 35 प्रतिशत आवास आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के लिए हैं। राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आवासों की बिक्री मूल्य पर एक ऊपरी सीमा पर निर्णय ले सकते हैं, जिसका उद्देश्य उन्हें किफायती और इच्छित हितग्राहियों के लिए सुलभ बनाना है। राज्य और शहर अन्य रियायतें भी प्रदान करते हैं जैसे कि उनके राज्य का अंशदान, किफायती लागत पर भूमि, स्टांप शुल्क छूट आदि।

भागीदारी में किफायती आवास घटक पर वर्षवार निधियो की प्राप्ति और व्यय का विवरण नीचे **तालिका–2.1.6** में दिया गया है:

तालिका–2.1.6: भागीदारी में किफायती आवास घटक के अंतर्गत राज्य शहरी विकास अभिकरण से वर्षवार निधि की प्राप्ति और व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्ति			कुल उपलब्ध निधि	व्यय (उपलब्ध निधि के विरुद्ध प्रतिशत)	अंतिम शेष
		केन्द्रांश	राज्यांश[10]	योग			
2016–17	0.00	79.82	84.66	164.48	164.48	20.80(13)	143.68
2017–18	143.68	136.37	62.79	199.16	342.84	106.65(31)	236.19
2018–19	236.19	96.91	23.15	120.06	356.25	247.00(69)	109.25
2019–20	109.25	0.00	250.00	250.00	359.25	276.40(77)	82.85
2020–21	82.85	0.00	160.00	160.00	242.85	240.77(99)	2.08
2021–22	2.08	0.00	0.00	0.00	2.08	0.50(24)	1.58
2022–23	1.58	75.62	210.93	286.55	288.13	147.06(51)	141.07
2023–24	141.07	0.00	3.18	3.18	144.25	66.95(46)	77.30
योग		**388.72**	**794.71**	**1183.43**		**1106.13**	

(स्रोत: राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा दी गई जानकारी)

यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2016–17 से 2023–24 के दौरान, राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा ₹ 1,183.43 करोड़ की उपलब्ध धनराशि के विरुद्ध ₹ 1,106.13 करोड़ व्यय किए गए थे। वर्ष 2020–21 को छोड़कर उपलब्ध निधियों पर व्यय का प्रतिशत

[10] राज्य के आंकड़ों में अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के माध्यम से वित्तपोषण के लिए निधि शामिल है।

13 से 77 प्रतिशत तक था, जिसमें 99 प्रतिशत धनराशि भागीदारी में किफायती आवास घटक के कार्यान्वयन के लिए खर्च की गई थी।

प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के तहत ली गई भागीदारी में किफायती आवास परियोजनाओं की भौतिक स्थिति नीचे **तालिका–2.1.7** में विस्तृत है।

तालिका–2.1.7: प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के तहत अप्रैल 2025 तक भागीदारी में किफायती आवास आवासों की वर्षवार भौतिक स्थिति का विवरण

वर्ष	स्वीकृत आवासों की संख्या	कटौती/समर्पण के बाद स्वीकृत संशोधित आवासों की संख्या	पूर्ण आवासों की संख्या	निर्माणाधीन आवासों की संख्या	अप्रारम्भ आवासों की संख्या
2015–16	12670	2874	2394	480	0
2016–17	13416	12865	8922	3682	261
2017–18	17457	13164	8294	4216	654
2018–19	29752	7325	3073	4150	102
2019–20	0	0	0	0	0
2020–21	0	0	0	0	0
2021–22	1869	1869	559	1310	0
योग	**75,164**	**38,097**	**23,242**	**13,838**	**1,017**

(स्रोतः सुडा द्वारा प्रदान की गई और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी)

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2015–16 से 2018–19 और 2021–22 के दौरान स्वीकृत कुल 75,164 आवासीय इकाईयों में से 37,067 आवासीय इकाईयों (49 प्रतिशत) को अप्रैल 2025 तक कटौती/समर्पण कर दिया गया था। शेष 38,097 आवासीय इकाईयों में से 23,242 आवासीय इकाईयों (61 प्रतिशत) पूरे किए गए और 13,838 आवासीय इकाईयों (36 प्रतिशत) केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति द्वारा परियोजनाओं के अनुमोदन की तारीख से तीन से सात साल से अधिक के अंतराल के बाद भी पूरा नहीं किया जा सका। चार शहरी स्थानीय निकाय (धमतरी, दंतेवाड़ा, रिसाली और अंबिकापुर) में स्वीकृत भागीदारी में किफायती आवास परियोजनाओं के तहत एक भी आवासीय इकाई पूर्ण नहीं किया गया था। इसके अलावा, वर्ष 2016–19 के दौरान स्वीकृत 1,017 आवासीय इकाईयों का निर्माण अप्रैल 2025 तक प्रारम्भ नहीं किया गया था। स्वीकृत आवासों के निर्माण में देरी विभिन्न घटकों जैसे परियोजना की स्वीकृति के बाद कार्य प्रदान करने में देरी, स्थल सौंपने में देरी, स्थल में परिवर्तन, ठेकेदार को चल देयको के भुगतान में देरी और ठेकेदारों द्वारा धीमी/कोई प्रगति नहीं आदि के कारण हुई।

2.1.8.2 भागीदारी में किफायती आवास के तहत आवासीय इकाईयों पूर्ण नहीं होने के कारण निधि अवरुद्ध होना

जांच किए गए छः[11] शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेखों की जांच से पता चला कि अवधि वर्ष 2016–2020 के दौरान कुल स्वीकृत 10 परियोजनाओं में 12,802 आवासीय इकाईयों के निर्माण के लिए ठेकेदारों को निर्धारित अवधि 12 से 36 महीने के के भीतर कार्य पूरा करने के लिए ₹ 576.67 करोड़ की अनुबंधित राशि पर अगस्त 2017 और जनवरी 2020 के बीच कार्य आदेश जारी किए गए थे। अगस्त 2024 तक 12,802 आवासीय इकाईयों में से, 580 आवासीय इकाईयों पूर्ण हो चुके थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि नगर पालिक निगम, बिलासपुर में 5,785 आवासीय इकाईयों के लिए ठेकेदार को दिए गए कार्यों में से ठेकेदार को कार्य स्थल प्रदान न करने के कारण 1,914

[11] अंबिकापुर, भिलाई, बिलासपुर, जगदलपुर, कोरबा एवं रायपुर।

आवासीय इकाईयों में कटौती की गई थी। शेष 3,871 आवासीय इकाईयों में से, ₹ 48.42 करोड़ के व्यय के साथ 522 आवासीय इकाईयों (14 प्रतिशत) पूर्ण होने के बाद, ठेकेदार द्वारा मई 2023 में कार्य अपूर्ण छोड़ दिया गया। शेष 2,406 आवासीय इकाईयों जिनमें निर्माण प्रारम्भ नहीं किया गया था, का अप्रैल 2025 की केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति बैठक में कटौती कर दिया गया था। इसी तरह, बिलासपुर में एक अन्य परियोजना में 58 आवासीय इकाईया पूर्ण होने के बाद ₹ 9.20 करोड़ का व्यय करने के पश्चात ठेकेदार द्वारा 493 आवासीय इकाईयों का कार्य अधूरा छोड़ दिया गया था। नगर पालिक निगम बिलासपुर द्वारा जून 2023 में पुनः निविदा की गयी जिसे मई 2025 तक राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाना बाकी है। पांच नगर पालिक निगमों की अन्य सात परियोजनाओं में ठेकेदार द्वारा अगस्त 2024 तक ₹ 172.43 करोड़ के व्यय के बाद पूर्णता की निर्धारित अवधि से 29 से 72 महीने के अंतराल के बाद स्वीकृत 6,524 आवासीय इकाईयों में से एक भी आवासीय इकाईयों को पूर्ण नहीं किया जा सका जिसका विवरण **परिशिष्ट–2.1.5** में दर्शाया गया है। इस प्रकार, आवासीय इकाईयों को पूर्ण न करने के परिणामस्वरूप छः शहरी स्थानीय निकाय में परियोजनाओं के तहत ₹ 230.05 करोड़ की निधि अवरुद्ध हो गई। भागीदारी में किफायती आवास परियोजनाओं के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान ली गई तस्वीरें नीचे दी गई हैं:

(रायपुर में 392 आवासीय इकाईयों और 667 आवासीय इकाईयों की भागीदारी में किफायती आवास परियोजनाओं के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान ली गई तस्वीरें)

राज्य सरकार ने कहा (मई 2025) कि कोविड–19 महामारी, कानूनी और प्रक्रियात्मक बाधाओं, काम की धीमी प्रगति, स्थल सौंपने में देरी, ठेकेदारों को चलदेयको के भुगतान में देरी और निधि की अनुपलब्धता जैसे कई घटकों के कारण भागीदारी में किफायती आवास आवास इकाइयों को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण देरी का सामना करना पड़ा। राज्य लगातार प्रगति की निगरानी कर रहा है और मिशन अवधि तक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करेगा।

सरकार का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि महामारी की समाप्ति के बाद भी आज तक (मई 2025) कार्य पूर्ण नहीं हो सका और शहरी स्थानीय निकाय ने अनुबंध की शर्तों के अनुसार काम की धीमी प्रगति के लिए ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। यह भागीदारी में किफायती आवास परियोजनाओं के तहत निर्माण की अपर्याप्त निगरानी का संकेत देता है।

इसी तरह, ग्रामीण विकास अभिकरण और छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा निष्पादित कार्यों में यह देखा गया कि वर्ष 2015–19 और वर्ष 2021–22 की अवधि के दौरान केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति द्वारा कुल 4,109 और 2,932 आवासीय इकाईयों स्वीकृत किए गए थे। उपरोक्त आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आवासीय इकाईयों को ₹ 5.23 लाख

से ₹ 8.60 लाख की लागत से स्व–वित्तपोषण योजना[12] के तहत मंजूरी दी गई है। इनमें से क्रमशः 2,415 और 2,452 आवासीय इकाईयों पूर्ण हो चुके हैं और शेष 2,174 आवासीय इकाईयों परियोजनाओं की स्वीकृति की तारीख से तीन से नौ साल बीतने के बाद भी मार्च 2025 तक पूर्ण नहीं किया जा सका। संयुक्त भौतिक सत्यापन (10 जून 2024) के दौरान ली गई तस्वीरें भागीदारी में किफायती आवास परियोजनाओं को नीचे दिखाया गया है:

(ग्रामीण विकास अभिकरण के 257 आवासीय इकाईयों और 258 आवासीय इकाईयों की भागीदारी में किफायती आवास परियोजनाओं के संयुक्त भौतिक सत्यापंन के दौरान ली गई तस्वीरें)

राज्य सरकार ने कहा (मई 2025) कि देरी मुख्य रूप से कोविड–19 महामारी और इस स्व–वित्तपोषण योजना में आवंटनकर्ताओं पर वित्तीय दबाव के कारण हुई थी। चूंकि हितग्राहियों ने भुगतान में चूक की, इसलिए ग्रामीण विकास अभिकरण को ठेकेदारों को चालदेयको के वितरण में बाधाओं का सामना करना पड़ा, जिससे निर्माण चक्र प्रभावित हुआ। किश्त संग्रह में सुधार और अधूरे पैकेजों के पुनः कार्य आदेश के साथ, निर्माण ने फिर से गति पकड़ ली है। शेष इकाईयाँ प्रगति पर हैं और अक्टूबर 2025 तक पूर्ण होने का लक्ष्य है।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ग्रामीण विकास अभिकरण और छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा आवंटित आवासीय इकाईयों की लागत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हितग्राहियों के लिए बहुत अधिक थी और हितग्राहियों की पहचान के बिना विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की मंजूरी ने परियोजना के निष्पादन को प्रभावित किया।

2.1.8.3 ठेकेदारों को मोबिलाइजेशन अग्रिम के भुगतान और वसूली में अनियमितताएं

ठेकेदार और आयुक्त के बीच निष्पादित अनुबंध की कंडिका 3.20.1(i) के अनुसार, अनुबंध मूल्य के पांच प्रतिशत तक मोबिलाइजेशन अग्रिम दिया जाएगा यदि ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारम्भ करने के आदेश की तिथि के एक महीने के भीतर अनुरोध किया जाता है। पांच प्रतिशत अग्रिम दो चरणों में दिया जाएगाः

चरण 1: अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद देय अनुबंध मूल्य का दो प्रतिशत

चरण 2: अनुबंध मूल्य का तीन प्रतिशत ठेकेदार से प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर कि उसने पूर्ण केंद्रीय और क्षेत्र–परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की है और कामगारों/ तकनीशियनों को नियुक्त किया है और कार्य स्थल पर आवश्यक संयंत्र तथा मशीनरी लाई है तथा कार्य भी भौतिक रूप से प्रारम्भ किया गया है।

अनुबंध की कंडिका 3.20.1(ii) के अनुसार, इस अग्रिम की वसूली आगामी प्रत्येक चल देयको में से अनुपातिक आधार पर (अनुबंध कार्य के 15 प्रतिशत निष्पादित होने के बाद)

---

[12] हितग्राहियों द्वारा भागीदारी में किफायती आवास आवासीय इकाईयों का पूर्ण भुगतान करने के बाद, हितग्राहियों को ₹ 1.50 लाख की केंद्रीय सहायता का भुगतान किया गया।

समान मासिक किश्तों में की जाएगी। हालांकि, सभी अग्रिम पूरी तरह से वसूल किए जाएंगे जब 80 प्रतिशत अनुबंध राशि पूरी हो जाती है या जब निर्धारित वैधता अवधि का 75 प्रतिशत समाप्त हो जाता है, जो भी पहले हो।

लेखापरीक्षा ने ठेकेदारों को मोबिलाइजेशन अग्रिम के भुगतान और वसूली में निम्नलिखित अनियमितताओं को पायाः

2.1.8.3(अ) मोबिलाइजेशन अग्रिम की अनियमित स्वीकृति और वसूली न किया जाना

नगर पालिक निगम बिलासपुर के अभिलेखों की जांच से पता चला है कि मार्च 2019 में ₹ 262.12 करोड़ की अनुबंधित राशि पर ₹ 4.53 लाख प्रति आवासीय इकाई की दर से 37 विभिन्न स्थलों में 5,785 आवासीय इकाईयों के निर्माण का कार्य आदेश दिया गया था। ठेकेदार को अनुबंध मूल्य के 2 प्रतिशत की दर से ₹ 5.24 करोड़ का चरण–I मोबिलाइजेशन अग्रिम मार्च 2019 में प्रदान किया गया था। इसके अलावा, ₹ 7.86 करोड़ के शेष चरण–II मोबिलाइजेशन अग्रिम में से ₹ 4.09 करोड़ की पहली किस्त दिनांक 14 मई 2019 को ठेकेदार को अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करते हुए स्थल पर भौतिक रूप से कार्य प्रारम्भ किए बिना दी गई थी। ठेकेदार को चरण–II अग्रिम की दूसरी किस्त ₹ 3.77 करोड़ का भुगतान 5,785 आवासीय इकाईयों के निर्माण से जुड़े कुल 37 स्थलों में से 493 आवासीय इकाईयों के निर्माण के लिए मधुबन और मोपका में केवल दो स्थलों पर कार्य प्रारम्भ होने के बाद जुलाई 2019 में किया गया था। इसके अलावा, मोबिलाइजेशन अग्रिम जारी करने के बाद अक्टूबर 2019 और जनवरी 2021 के बीच 13 स्थल ठेकेदार को सौंप दिया गया। इस प्रकार, काम शुरू किए बिना ₹ 4.09 करोड़ अग्रिम राशि का जारी किया जाना अनियमित और अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन था। इसके अलावा, शेष कार्य स्थलों को सौंपने से पहले और कार्य प्रारम्भ होने से पहले ठेकेदार को ₹ 7.19[13] करोड़ की अग्रिम राशि जारी करने के परिणामस्वरूप ठेकेदार को अनुचित लाभ हुआ।

आगे यह देखा कि उपरोक्त कार्य की प्रगति धीमी रही और केवल 18 प्रतिशत लागत का कार्य पूर्ण किया गया था और लेखापरीक्षा को अगस्त 2024 की स्थिति में उपलब्ध कराये गए कार्यो की स्थिति के अनुसार ठेकेदार द्वारा कार्य बंद कर दिया गया था। ठेकेदार को दिसंबर 2024 तक समयवृद्धि दी गयी थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि ठेकेदार से मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली प्रारम्भ नहीं की गई थी, हालांकि निर्धारित/वैधता विस्तारित अवधि का 75 प्रतिशत जुलाई 2023 में पूर्ण हो गया था।

इस प्रकार, अनुबंध की शर्तों के विरुद्ध स्थलो पर कार्य प्रारम्भ किए बिना मोबिलाइजेशन अग्रिम प्रदान कर ठेकेदार को दिये गये अनुचित लाभ के परिणामस्वरूप ₹ 13.10 करोड़ के मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली नहीं हुई। चूंकि मामला न्यायालय में लंबित है, इसलिए नगर पालिक निगम, बिलासपुर द्वारा बैंक गारंटी जब्त नहीं की जा सकी।

इसी प्रकार, नगर पालिक निगम, रायपुर में 667 आवासीय इकाईयों के निर्माण का कार्य एक ठेकेदार (अगस्त 2019) को ₹ 32.01 करोड़ की अनुबंध राशि और 24 महीने की निर्धारित पूर्णता अवधि के साथ प्रदान किया गया था। ठेकेदार को ₹ 64.00 लाख और ₹ 96.00 लाख की वैध बैंक गारंटी क्रमशः अगस्त 2020 और अक्टूबर 2020 तक के विरुद्ध ₹ 1.60 करोड़ का मोबिलाइजेशन अग्रिम दिया गया था। लेखापरीक्षा जांच से यह भी पता चला कि उपरोक्त बैंक गारंटी समाप्त हो गयी थी और अप्रैल 2024 तक नवीनीकृत नहीं की गयी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त कार्य अगस्त 2021

---

[13] ₹ 7.86 करोड़ – (₹ 4.53 लाख की दर से 493 आवासीय इकाईयों का तीन प्रतिशत = ₹ 0.67 करोड)

में पूर्ण किया जाना था जिसमे मार्च 2022 तक वृद्धि दिया गया था। हालांकि, अगस्त 2021 तक 24 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने के बाद ठेकेदार ने सितंबर 2021 से काम बंद कर दिया।

अनुबंध की शर्तों के अनुसार, संपूर्ण मोबिलाइजेशन अग्रिम अगस्त 2021 तक वसूल किया जाना था (अर्थात अनुबंध की निर्धारित/विस्तारित अवधि का 75 प्रतिशत), हालांकि, ठेकेदार से ₹ 1.60 करोड़ में से केवल ₹ 73.00 लाख की वसूली की गई थी। इस प्रकार, निर्धारित समयावृद्धि में मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली न करने और बैंक गारंटी का नवीनीकरण न करने के परिणामस्वरूप शहरी स्थानीय निकाय के वित्तीय हित की रक्षा नहीं हुई।

राज्य सरकार ने कहा (मई 2025) कि नगर पालिक निगम, रायपुर ने अनुबंध की कंडिका 3.20.1(i) के अनुसार, मोबिलाइजेशन अग्रिम के लिए अनुबंध के प्रावधानों का पालन किया है। हालांकि, कोविड–19 और अन्य दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के कारण परियोजना में देरी हुई और परियोजना मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली के लिए आवश्यक माइलस्टोन को प्राप्त नहीं कर सकी। मोबिलाइजेशन अग्रिम वसूली प्रगति पर है। नगर पालिक निगम, बिलासपुर ने अनुबंध की कंडिका 3.20.1(i) के अनुसार मोबिलाइजेशन अग्रिम के लिए अनुबंध के प्रावधानों का भी पालन किया है। हालांकि, कई दुर्भाग्यपूर्ण कारणों ने परियोजना को अग्रिम वसूली जुटाने के लिए आवश्यक चरण तक पहुंचने से रोक दिया। इसके अलावा, अनुबंध की लागत को संशोधित किया गया जिससे चलदेयको में समायोजन हुआ। संशोधित गणना के अनुसार, मोबिलाइजेशन अग्रिम वसूली पहले ही शुरू हो चुकी है, जो अनुबंध की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। इसके अलावा, आश्वासन दिया गया है कि उचित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है और वित्तीय और अनुबंधात्मक दायित्वों के अनुसार वसूली प्रक्रिया को नियमित करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की गई है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि चरण दो मोबिलाइजेशन अग्रिम ठेकेदार को कार्य स्थल सौंपे बिना और बिलासपुर में कार्य प्रारम्भ किए बिना प्रदान किया गया था और रायपुर के मामले में मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली में देरी और बैंक गारंटी के नवीनीकरण में चूक ने वित्तीय मामलों में आंतरिक नियंत्रण की कमी का संकेत दिया।

2.1.8.4 चूककर्त्ता ठेकेदार से ₹ 0.70 करोड़ की वसूली न किया जाना तथा अपूर्ण छोड़े गए कार्य के कारण ₹ 0.90 करोड़ की लागत में वृद्धि

नगर पालिक निगम, बिलासपुर में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति (दिसंबर 2016) द्वारा 493 आवासीय इकाईयों (174 चिंगराजपारा में और 319 चांटीडीह में) का कार्य स्वीकृत किया गया था और निविदा आमंत्रित करने के बाद ठेकेदार को 12 माह की निर्धारित अवधि के साथ 174 आवासीय इकाईयों और 18 महीने की निर्धारित अवधि के साथ 319 आवासीय इकाईयों को पूर्ण करने के लिए कार्य आदेश अगस्त 2017 में जारी किए गए थे। परियोजना अपूर्ण है और अगस्त 2024 तक परियोजना पर ₹ 9.20 करोड़ का व्यय किया गया था। अभिलेखों की जांच से पता चला कि 174 आवासीय इकाईयों के कार्य आदेश (अगस्त 2017) के जारी होने के बाद जनवरी और जुलाई 2018 के मध्य ठेकेदार को छः ब्लॉक (29 आवासीय इकाईयों प्रति ब्लॉक) के निर्माण के लिए स्थल उपलब्ध कराया गया था। इसके बाद दिसंबर 2019 तक बिना शास्ति के दो बार समय वृद्धि प्रदान की गयी है, लेकिन ठेकेदार विस्तारित अवधि के भीतर कार्य को पूर्ण करने में विफल रहा। इसके बाद अप्रैल 2022 तक दो प्रतिशत की दर से शास्ति के साथ चार अतिरिक्त समय वृद्धि दी गयी और त्वरित प्रगति एवं काम को समय पर पूर्ण करने के लिए नियमित नोटिस (जुलाई 2019 और जुलाई 2022 के बीच) जारी किए गए लेकिन ठेकेदार कार्य को पूर्ण नहीं कर सका। इसलिए, कंडिका 1.15 के तहत दिसंबर 2022 को नोटिस जारी किया गया था और अंत में नगर निगम आयुक्त द्वारा कंडिका 1.15 के तहत जुलाई 2023 को अनुबंध समाप्त कर दिया गया तथा ठेकेदार को उस कार्य के लिए

निविदा में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। दर्ज अंतिम माप के अनुसार, ठेकेदार ने ₹ 7.97 करोड़ के कुल कार्य की तुलना में ₹ 5.15 करोड़ का कार्य निष्पादित किया। अंतिम आदेश के अनुसार, ₹ 17.23 लाख की बयाना राशि (ईएमडी) और सुरक्षा जमा (एसडी) की जब्ती और ₹ 28.24 लाख शास्ति लगाने के बाद ₹ 70.08 लाख की राशि की गणना चूककर्त्ता ठेकेदार से वसूली योग्य के रूप में की गई थी जिसे भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा।

इसी प्रकार, मार्च 2019 तक 11 ब्लॉकों में 319 आवासीय इकाईयों के निर्माण के लिए, ठेकेदार को अक्टूबर 2017 और मार्च 2018 के बीच दो चरणों में 145 आवासीय इकाईयों (पांच ब्लॉक) के निर्माण के लिए भूमि प्रदान की गई थी और स्लम को हटाने के लिए न्यायालय स्थगन रहने के कारण, शेष 174 आवासीय इकाईयों के लिए भूमि जुलाई 2021 में प्रदान की गई थी। इसलिए, फरवरी 2022 तक (36 महीनों के लिए) चार बार के समयवृद्धि बिना शास्ति के दिए गए थे, लेकिन ठेकेदार 145 आवासीय इकाईयों का कार्य पूर्ण करने में विफल रहा और शेष 174 आवासीय इकाईयों का कार्य विस्तारित अवधि के अंत तक प्रारम्भ नहीं हुआ। इस बीच, धीमी प्रगति और कार्यों प्रारम्भ न किये जाने के संबंध में (जून 2018 और जुलाई 2022 के बीच) नियमित नोटिस जारी किए गए थे। इसके बाद, चूंकि ठेकेदार कार्य को निष्पादित नहीं कर सका, कार्य को रोकने और कंडिका 1.15 के तहत अनुबंध को निरस्त करने के लिए दिसंबर 2022 को नोटिस जारी किया गया था और अंत में अनुबंध अप्रैल 2023 को निरस्त कर दिया गया। ठेकेदार ने अप्रैल 2023 तक कुल कार्य ₹ 14.35 करोड़ के विरुद्ध ₹ 3.09 करोड़ का कार्य निष्पादित किया है। इसके अलावा, स्थल के निरीक्षण और अपूर्ण छोड़े गए कार्य के मूल्यांकन के बाद अपूर्ण कार्य को जून 2023 में अनंतिम किया गया। अंतिम अपूर्ण बिल के अनुसार ₹ 10.07 लाख की ईएमडी और एसडी जब्त करने के बाद, चूककर्त्ता ठेकेदार से ₹ 1.02 करोड़ की राशि वसूली योग्य थी जिसे अद्यतन तक वसूल नहीं किया गया।

भागीदारी में किफायती आवास स्थलो के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान अपूर्ण छोड़े गए कार्य की तस्वीरें नीचे दी गई हैं:

(174 आवासीय इकाईयों और 319 आवासीय इकाईयों की भागीदारी में किफायती आवास परियोजनाओं के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान ली गई तस्वीरें)

इसके अलावा, उपरोक्त 493 आवासीय इकाईयों के बकाया शेष कार्य के लिए जून 2023 में निविदा आमंत्रित की गई थी और न्यूनतम दरों (चिंगराजपारा में 174 आवासीय इकाईयों के लिए ₹ 2.82 करोड़ के बकाया कार्य के विरुद्ध ₹ 3.45 करोड़ और चांटीडीह में 319 आवासीय इकाईयों के लिए ₹ 11.25 करोड़ के बकाया कार्य के विरुद्ध ₹ 13.24 करोड़) के अनुमोदन के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण को अगस्त 2023 में पत्र अग्रेषित किया गया था, जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है (अक्टूबर 2024)।

इस प्रकार, कार्यादेश के सात साल के अंतराल के बाद भी कार्य पूर्ण न होने के परिणामस्वरूप न केवल कार्य पर किए गए ₹ 9.20 करोड़ की व्यय अवरुद्ध हुआ और

परियोजना पर ₹ 0.90[14] करोड़ की लागत में वृद्धि हुई, अपितु ₹ 1.72 करोड़ की वसूली भी ठेकेदार से से नहीं हुई।

राज्य सरकार ने कहा (मई 2025) कि चिंगराजपारा (174 आवासीय इकाईयों) और चांटीडीह (319 आवासीय इकाईयों) दोनों के लिए मूल अनुबंध कई समयावृद्धि के बावजूद ठेकेदार की निर्धारित अवधि के भीतर कार्य पूर्ण करने में असमर्थता के कारण समाप्त कर दिए गए थे । समय पर पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए नियमित नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन धीमी प्रगति और दक्षता अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण वर्ष 2023 में अनुबंधों को उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद निरस्त कर दिया गया था। अनुबंध समाप्ति के बाद, पुनः निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ की गई और बकाया कार्य के लिए न्यूनतम दरों की स्वीकृति प्रदान की गई। चिंगराजपारा के लिए ₹ 22.82 करोड़ और चांटीडीह के लिए ₹ 13.61 करोड़ की राशि के बकाया कार्य के लिए निविदा को जून 2023 में अंतिम रूप दिया गया था। इसके अलावा, चूककर्त्ता ठेकेदार से ₹ 1.02 करोड़ की जमा बयाना राशि और सुरक्षा जमा जब्त कर ली गई है और अनुबंध की शर्तों के अनुसार ठेकेदार से बकाया राशि की वसूली की प्रक्रिया चल रही है। नगर पालिक निगम कानूनी और संविदात्मक प्रावधानों के अनुसार बकाया कार्य को पूर्ण करने और बकाया राशि की वसूली को सक्रिय रूप से सुनिश्चित कर रहा है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जून 2023 में बकाया कार्य के लिए निविदा को अंतिम रूप देने के बावजूद, कार्य अभी सौंपा जाना बाकी है जिसके कारण परियोजना को पूर्ण करने में और देरी हुई।

2.1.8.5 हितग्राही अंशदान की राशि ₹ 17.23 करोड़ की वसूली न किया जाना

प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी योजना के दिशानिर्देश के अनुसार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग परिवारों को ₹ 3.00 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के रूप में परिभाषित किया गया है और कण्डिका 6 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हितग्राहियों को भागीदारी में किफायती आवास घटक के तहत ₹ 1.50 लाख की केंद्रीय सहायता, ₹ 2.50 लाख की राज्य सहायता प्रदान करता है और हितग्राही को प्रत्येक इकाई के लिए केवल ₹ 0.75 लाख का अंशदान देना होता है। इसके अलावा, केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति द्वारा अपनी 11वीं बैठक (अगस्त 2016) में लिए गए निर्णय के अनुसार, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने से पहले हितग्राही अंशदान के संबंध में हितग्राहियों से लिखित सहमति प्राप्त की जानी चाहिए। राज्य शहरी विकास अभिकरण के निर्देश (मई 2017) के अनुसार, शहरी स्थानीय निकाय द्वारा पात्र हितग्राहियों से मासिक किश्तों (₹ 5000 की पहली किस्त, ₹ 3000 की 23 किश्त और ₹ 1000 की अंतिम किश्त) में हितग्राही योगदान एकत्रित किया जाएगा।

जांच किए गए सात शहरी स्थानीय निकाय में अभिलेखो की जांच से पता चला कि स्लम निवासियों के लिए भागीदारी में किफायती आवास के तहत कुल स्वीकृत 23,246 आवासीय इकाईयों में से 14,316 आवासीय इकाईयों पूर्ण किए जा चुके हैं, जिनमें से 5,247 आवासीय इकाईयों मार्च 2025 तक स्लम निवासियों को आवंटित किए गए थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि हितग्राहियों को आवंटित आवासीय इकाईयों के विरुद्ध, शहरी स्थानीय निकाय द्वारा मात्र ₹ 22.13 करोड़ की वसूली की जा सकी और ₹ 17.23 करोड़ की बकाया राशि मार्च 2025) तक वसूल नहीं की जा सकी। वसूली न होने का मुख्य कारण हितग्राही के

---

[14] 174 आवासीय इकाईयों में (₹ 3.45 करोड़–₹ 2.82 करोड़)=₹ 0.63 करोड़ और 319 आवासीय इकाईयों में (₹ 13.24 करोड़–₹ 11.25 करोड़) =₹ 1.99 करोड़; कुल ₹ 2.62 करोड़–₹ 1.72 करोड़ = ₹ 0.90 करोड़।

अंशदान की लिखित सहमति का अभाव और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के दौरान पात्र हितग्राहियों का अटैचमेंट न होना था। यह निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद भी परियोजनाओं की धीमी प्रगति और पूर्ण न होने के कारणों में से एक है जैसा कि नीचे दी गई **तालिका–2.1.8** में वर्णित है:

तालिका–2.1.8: भागीदारी में किफायती आवास के तहत स्लम निवासियों से मार्च 2025 तक बकाया हितग्राही अंशदान का विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	स्वीकृत आवासीय इकाईयों की संख्या	पूर्ण आवासीय इकाईयों	आवंटित डी आवासीय इकाईयों	आवश्यक हितग्राही अंशदान	प्राप्त हितग्राही अंशदान	बकाया हितग्राही अंशदान
1	बिलासपुर	3446	2097	2037	15.28	12.85	2.43
2	भिलाई	3709	1421	556	4.17	3.68	0.49
3	रायपुर	11581	9536	2060	15.45	3.72	11.73
4	अंबिकापुर	493	0	0	0.00	0.05	–0.05
5	जगदलपुर	462	346	40	0.3	0.07	0.23
6	कोरबा	3265	800	544	4.08	1.59	2.49
7	आरंग	290	116	10	0.08	0.17	–0.09
	योग	**23246**	**14316**	**5247**	**39.36**	**22.13**	**17.23**

(स्रोतः राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा प्रदान की गई और लेखा परीक्षा द्वारा संकलित जानकारी)

राज्य सरकार ने कहा (मई 2025) कि योजना के लिए चयनित हितग्राहियों की श्रेणी मूल रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हितग्राही हैं, जो या तो स्लम में रह रहे हैं या किराये के परिसरों में निवास करते हैं। ये हितग्राही अत्यंत सीमित आय वर्ग से संबंध रखते हैं। शहरी स्थानीय निकाय को इन स्पष्ट रूप से आर्थिक रूप से कमजोर हितग्राहियों से हितग्राही अंशदान एकत्र करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इन आर्थिक रूप से कमजोर हितग्राहियों के लिए हितग्राही अंशदान के विरुद्ध यह राशि भी देना बेहद कठिन है। यह विषम परिस्थिति जिसमें लाभार्थी अपनी खराब आर्थिक स्थिति के कारण भुगतान नहीं कर पा रहे और स्थानीय निकाय उनसे वसूली नहीं कर पा रहे, कम लाभार्थी संग्रह का कारण बन रहा है। जहां तक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने से पहले हितग्राहियों से लिखित सहमति प्राप्त करने की बात है, तो यह निवेदन किया जाता है कि भागीदारी में किफायती आवास स्थल पर स्थानांतरित करने के लिए सहमति प्रदान करने के बाद भी, कई हितग्राहियों या हितग्राहियों के मुख्य समूहों ने भागीदारी में किफायती आवास आवासों में स्थानांतरित करने के लिए अपना असंतोष दर्ज कराया है। इसलिए शहरी स्थानीय निकाय परियोजना के लिए हितग्राहियों की पहचान करने और उनका चयन करने के लिए बार–बार सर्वेक्षण करता है ताकि परियोजना के लिए लाभार्थियों की पहचान और चयन पुनः किया जा सके। शहरी स्थानीय निकाय ने यह सुनिश्चित किया है कि शेष हितग्राही अंश निर्धारित समयसीमा के भीतर वसूला जाएगा।

राज्य सरकार को आसान ऋण सुविधाओं के विभिन्न उपलब्ध विकल्पों के बारे में हितग्राहियों को सुविधा प्रदान करने/शिक्षित करने और हितग्राही अंशदान की सुचारू वसूली के लिए मासिक किश्त की छोटी राशि की अनुमति देने जैसे तरीके खोजने चाहिए।

2.1.8.6 मोर मकान मोर आस' के तहत आवासीय इकाईयों के आवंटन के लिए हितग्राहियों पर अतिरिक्त वित्तीय भार

प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग परिवारों को ₹ 3.00 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के रूप में परिभाषित किया गया है और कंडिका 6, भागीदारी में किफायती आवास घटक के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हितग्राहियों को ₹ 1.50 लाख केंद्रीय सहायता तथा ₹ 2.50 लाख की राज्य सहायता प्रदान करके लाभ प्रदान करता है और हितग्राही को प्रत्येक आवासीय इकाईयों के लिए केवल ₹ 0.75 लाख का अंशदान देना होगा।

आवंटित नहीं किये गये आवासीय इकाईयों के मुद्दे को हल करने के लिए, नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के तहत फरवरी 2022 में "मोर मकान मोर आस" नाम से एक उप–योजना प्रारम्भ की। इस योजना का उद्देश्य नगरपालिका क्षेत्रों में किराए के आवास में रहने वाले पात्र हितग्राहियों को आवास प्रदान करना था, चाहे वे स्लम या गैर–स्लम स्थानों में हों।

"मोर मकान मोर आस" दिशानिर्देशों की आगे की जांच से पता चला कि प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के अनुसार मानक ₹ 75,000 हितग्राही अंशदान के स्थान पर हितग्राहियों को प्रति आवासीय इकाईयों ₹ 3.25 लाख (राज्य के हिस्से के ₹ 2.50 लाख सहित) का भुगतान करना आवश्यक था, हालांकि, आवासीय इकाईयों की लागत ₹ 2.98 लाख से ₹ 3.87 लाख के बीच थी। इसके अतिरिक्त, योजना के दिशानिर्देश राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए थे, और न ही केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति से अनुमोदन प्राप्त किया गया था जैसा कि **तालिका–2.1.9** में विस्तृत है।

तालिका–2.1.9: मोर मकान मोर आस के तहत मार्च 2025 तक किए गए आवंटन का विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	स्वीकृत आवासीय इकाईयों की संख्या	पूर्ण आवासीय इकाईयों	'मोर मकान मोर आस' के तहत आवंटित आवासीय इकाईयों की संख्या	प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के अनुसार हितग्राही अंशदान ₹ 0.75 लाख की दर से	'मोर मकान मोर आस' के तहत शहरी स्थानीय निकाय द्वारा वसूली गई हितग्राही अंशदान	हितग्राहियों पर अतिरिक्त भार
1	बिलासपुर	3446	2097	76	0.57	1.36	0.79
2	भिलाई	3709	1421	1464	10.98	21.00	10.02
3	रायपुर	11581	9536	7727	57.95	220.83	162.88
4	रिसाली	493	0	121	0.91	0.49	.0.42
5	राजनंदगांव	1930	1282	165	1.24	2.94	1.70
6	रायगढ़	1031	622	231	1.73	5.63	3.90
7	जगदलपुर	462	346	206	1.55	0.59	.0.95
8	दुर्ग	1502	536	279	2.09	5.41	3.31
9	बीरगांव	696	696	138	1.04	2.52	1.49
10	कोरबा	3265	800	435	3.26	7.67	4.41
11	भिलाई–चरोदा	1027	795	61	0.46	1.09	0.63
	योग	**29142**	**18131**	**10903**	**81.78**	**269.53**	**187.76**

(स्रोतः राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा प्रदान की गई और लेखा परीक्षा द्वारा संकलित जानकारी)

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के भागीदारी में किफायती आवास घटक के अंतर्गत स्वीकृत 29,142 आवासीय इकाईयों में से 18,131 आवासीय इकाईयों पूर्ण किए गए थे, जिनमें से मार्च 2025 तक शहरी स्थानीय निकायों द्वारा मोर मकान मोर आस योजना के तहत 10,903 आवासीय इकाईयों आवंटित किये

गये थे। योजना के तहत आवंटित आवासीय इकाईयों के लिए, हितग्राहियों का अंशदान प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी में 16 प्रतिशत (₹ 0.75 लाख) के स्थान पर 68 प्रतिशत (₹ 3.25 लाख) था। इस प्रकार, अंशदान का अधिक हिस्सा हितग्राहियों से वसूल किया गया और राज्य के हिस्से के अंशदान का भार भी हितग्राहियों पर स्थानांतरित कर दिया गया। नमूना जांच किए गए 11 शहरी स्थानीय निकायों में, मार्च 2025 तक 10,903 हितग्राहियों को आवासीय इकाईयों के आवंटन के विरुद्ध ₹ 187.76 करोड़ का अतिरिक्त अंशदान प्राप्त किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि स्लम निवासियों के लिए भागीदारी में किफायती आवास के तहत स्वीकृत आवासीय इकाईयों का आवंटन गैर–स्लम निवासियों को लाभ देने के लिए बुनियादी पात्रता मानदंडों को संशोधित करके "मोर मकान मोर आस" के तहत आवंटित किया गया था। इस प्रकार, स्लम निवासियों को स्थानांतरित करने की योजना का मुख्य उद्देश्य विफल हो गया क्योंकि स्लम निवासियों के लिए भागीदारी में किफायती आवास के तहत स्वीकृत आवासीय इकाईयों का 59 प्रतिशत गैर–स्लम निवासियों को व्यप्वर्तित/आवंटित किया गया था। इसके अलावा, प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के तहत प्रदान की गई केंद्रीय सहायता का लाभ इच्छित हितग्राहियों तक नहीं पहुंचा क्योंकि भागीदारी में किफायती आवास की योजना आरम्भ में राज्य सरकार द्वारा केवल स्लम निवासियों के लिए बनाई गई थी।

राज्य सरकार ने कहा (मई 2025) कि स्लम निवासियो के अधिपत्य के पश्चात खाली पड़े आवासों को मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार मोर मकान मोर आस के संशोधित दिशानिर्देशों के तहत लिया गया था और गैर–स्लम निवासियों को आवंटित किया गया था जो भागीदारी में किफायती आवास दिशानिर्देशों के तहत पात्र थे। इसके अलावा, प्रमुख और महत्वपूर्ण शहरी क्षेत्रों में बनाए गए भागीदारी में किफायती आवास आवासों के लिए हितग्राहियों को ₹ 3.25 लाख प्रति यूनिट लागत का हितग्राही हिस्सा प्रदान किया गया, जहां भूमि और बुनियादी ढांचे की लागत बहुत अधिक है। लेकिन राज्य सरकार ने भूमि की लागत की वसूली के लिए प्रावधान नहीं किया है और अप्रत्यक्ष रूप से मोर मकान मोर आस के तहत भूमि की लागत पर सब्सिडी दे रही है। आवासीय इकाईयों के 100 प्रतिशत आवंटन के बाद, संशोधित परियोजना लागत अनुमोदन के लिए राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति और केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति को प्रस्तुत की जाएगी।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भागीदारी में किफायती आवास घटक के तहत स्लम निवासियों को किफायती आवास प्रदान करने का वांछित उद्देश्य गैर–स्लम निवासियों को उच्च लागत/हितग्राही हिस्से पर आवासीय इकाईयों के आवंटन के कारण पूरी तरह से हासिल नहीं किया जा सका।

2.1.8.7 हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण

मिशन का चौथा घटक अर्थात हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणियों के व्यक्तिगत पात्र परिवारों को या तो नए आवास का निर्माण करने या मौजूदा आवासों में वृद्धि के लिए सहायता है, ताकि उन हितग्राहियों को शामिल किया जा सके जो मिशन के अन्य घटकों का लाभ उठाने में सक्षम नहीं हैं। हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण के तहत व्यक्तिगत आवास निर्माण/वृद्धि के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणियों से संबंधित पात्र परिवारों को प्रति आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हाउस ₹ 1.50 लाख की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। शहरी स्थानीय निकाय के हितग्राही द्वारा प्रस्तुत जानकारी और भवन निर्माण योजना को सत्यापित करते हैं ताकि भूमि के स्वामित्व और आर्थिक स्थिति तथा पात्रता जैसे अन्य विवरणों का पता लगाया जा सके। केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति द्वारा अनुमोदित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने वाले वास्तुकारो/परियोजना प्रबंधक परामर्शदाताओं के सर्वेक्षकों द्वारा लिए गए भुवन पोर्टलों में विभिन्न स्तरों पर मकानों की तस्वीरों की जियों टैगिंग

और काम की प्रगति के अनुसार केंद्रीय सहायता, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/शहरी स्थानीय निकाय के अंशदान के साथ 3–4 किश्तों में राज्य द्वारा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से हितग्राहियों के बैंक खातों में ₹ 0.85 लाख तक जारी किए गए थे।

राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण घटक के अंतर्गत वर्षवार निधियों की प्राप्ति और किए गए व्यय का विवरण **तालिका–2.1.10** में दर्शाया गया है।

तालिका–2.1.10: हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण घटक के तहत राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा वर्षवार प्राप्ति और व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्ति			कुल उपलब्ध निधि	व्यय (उपलब्ध निधि के विरुद्ध प्रतिशत)	अंतिम शेष
		केन्द्रांश	राज्यांश[15]	योग			
2016–17	0.00	3.07	6.5	9.57	9.57	0 (0)	9.57
2017–18	9.57	335.68	18.63	354.31	363.88	92.08 (25)	271.80
2018–19	271.80	259.27	59.15	318.42	590.22	541.33 (92)	48.89
2019–20	48.89	610.88	239.54	850.42	899.31	877.17 (98)	22.14
2020–21	22.14	270.68	145.2	415.88	438.02	326.75 (73)	111.27
2021–22	111.27	428.71	76.44	505.15	616.42	584.27 (69)	32.15
2022–23	32.15	465.47	453.76	919.23	951.38	678.48 (49)	272.90
2023–24	272.90	483.13	264.89	748.02	1020.92	844.99 (83)	175.93
योग		**2856.89**	**1264.11**	**4121.00**		**3945.07**	

(स्रोतः राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा प्रदान की गई और लेखा परीक्षा द्वारा संकलित जानकारी)

यह देखा जा सकता है कि प्रथम दो वर्षों में उपलब्ध निधियों के विरुद्ध उपयोग कम था और वर्ष 2019–20 के दौरान 98 प्रतिशत तक बढ़ गया और वर्ष 2022–23 के दौरान 49 प्रतिशत तक कम हो गया।

योजना के अंतर्गत ली गई हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण परियोजनाओं की भौतिक स्थिति **तालिका–2.1.11** में विस्तृत है।

तालिका–2.1.11: प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के तहत हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण आवासों की वर्षवार स्वीकृति और भौतिक स्थिति का विवरण

वर्ष	वास्तविक स्वीकृति	संशोधित स्वीकृति	भौतिक प्रगति अप्रैल 2025 की स्थिति तक				
			पूर्ण	प्लिंथ	लिंटल	छत	अप्रारम्भ
2015–16	0	0	0	0	0	0	0
2016–17	2157	1222	1211	2	6	3	0
2017–18	64647	45576	43260	953	683	506	172
2018–19	65835	44286	41894	1023	750	447	172
2019–20	29777	24617	23039	606	488	332	152
2020–21	25497	20375	18126	867	737	452	193
2021–22	46368	38537	31132	3024	2065	1587	731
2022–23	38453	32505	22561	3502	2388	2339	1715
2023–24	4718	3951	2611	373	260	416	291
योग	**277452**	**211069**	**183834**	**10350**	**7377**	**6082**	**3426**

(स्रोतः राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा प्रदान की गई और लेखा परीक्षा द्वारा संकलित जानकारी)

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2015–16 से 2023–24 की अवधि के दौरान कुल स्वीकृत 2.77 लाख हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण आवासों में से 24 प्रतिशत (66,383 आवास) हितग्राहियों के पास पहले से ही पक्का आवास है, उनकी आय ₹ 3.00 लाख से अधिक है अथवा भूमि के उचित दस्तावेज नहीं होने के कारण

[15] राज्य के आंकड़ों में अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के माध्यम से वित्तपोषण के लिए निधि शामिल है।

समर्पित किये गये थे। शेष 2.11 लाख आवासों में से, 1.84 लाख आवास (87 प्रतिशत) पूर्ण हो चुके थे। हालांकि, स्वीकृति की तारीख से एक से सात साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद 23,809 आवास अपूर्ण हैं।

राज्य सरकार ने कहा (मई 2025) कि शहरी स्थानीय निकायों ने हितग्राहियों को तत्परता से प्रोत्साहित किया और वास्तुकार तथा हितग्राहियों को आवासों को पूर्ण करने के लिए नोटिस जारी किए। हालांकि, वित्तीय बाधाओं और बढ़ती सामग्री लागत के कारण, कई हितग्राही अपने आवासों को पूर्ण करने के लिए अपने हिस्से का योगदान करने में असमर्थ थे।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आवासों का पूर्ण न होना हितग्राहियों के अटैचमेंट और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किश्तों को जारी करने में देरी के कारण है जैसा कि आगामी कण्डिका में चर्चा की गई है।

2.1.8.8 हितग्राहियों द्वारा हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण हाउस पूर्ण किये जाने के बाद भी सहायता राशि जारी न किया जाना अथवा देरी से जारी किया जाना

जिला स्तर के पदाधिकारियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी नियमावली के अनुसार, निर्माण के विभिन्न चरणों में आवास की जियो–टैगिंग के आधार पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मोड के माध्यम से निधि सीधे हितग्राहियों के खाते में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। यूएडी विभाग और राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा भवन अनुमति जारी करने तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के बाद तीन दिनों के भीतर विभिन्न किश्तों को जारी करने के लिए निर्देश मई 2018 और जनवरी 2019 में जारी किए गये।

सभी शहरी स्थानीय निकाय के ऑनलाइन प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के प्रबंधन सूचना प्रणाली डेटाबेस (दिसंबर 2024 तक) के विश्लेषण के दौरान यह देखा गया कि 136 शहरी स्थानीय निकायों में, वर्ष 2019–20 से 2023–2024 के दौरान हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण आवासों के निर्माण और पूर्णता चरण के जियो–टैगिंग के बाद भी, दिसंबर 2024 तक 15,675 हितग्राहियों को ₹ 62.55 करोड़ की सहायता की अंतिम किस्त जारी नहीं की गई थी। इसके अलावा, 82 शहरी स्थानीय निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी भुवन पोर्टल पर अपलोड किए गए पूर्णता चरण की जियो–टैगिंग के महीने से 25 से 71 महीने की देरी के साथ 1,620 हितग्राहियों को ₹ 6.01 करोड़ की सहायता की अंतिम किस्त जारी की गई।

प्रबंधन सूचना प्रणाली डेटाबेस में प्रविष्टियों में से लेखापरीक्षा ने 16 नमूना जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेखो से 449 मामलों की जांच की है और देखा कि किश्तों को जारी करने में देरी/जारी न करने के कारणों में निधि की अनुपलब्धता, भुगतान प्रस्तुत करने के लिए दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं करना, सभी मामलों में आवासों का पूर्ण न होना और भूमि स्वामित्व दस्तावेजों की अनुपलब्धता शामिल है।

इस प्रकार, वित्तीय सहायता जारी न करने/जारी करने में देरी के उपरोक्त मामलों ने न केवल हितग्राहियों के वित्तीय कठिनाई का कारण बना, बल्कि शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर आवासों की स्वीकृति और जियो–टैगिंग के लिए अपर्याप्त निगरानी तंत्र का भी संकेत दिया।

राज्य सरकार ने कहा (मई 2025) कि सहायता का अंतिम भुगतान भूमि हस्तांतरण दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने, आंतरिक कार्यों का पूर्ण न होना और हितग्राहियों द्वारा अतिरिक्त निर्माण के लिए भवन अनुमति शुल्क का भुगतान न करने के कारण लंबित था। इसके अलावा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हितग्राहियों की कमजोर वित्तीय क्षमताओं के कारण, हितग्राही की अंतिम राशि की अनुपलब्धता के कारण आंतरिक कार्य प्रायः रुक जाते हैं। हालाँकि, हितग्राही अपनी वित्तीय सुविधा के अनुसार अपूर्ण कार्य को पूर्ण करता

है। जहां तक पूर्णता चरण की जियो–टैगिंग का संबंध है, प्रस्तावित आवास में आवास के बाहरी पूर्णता और हितग्राही द्वारा अधिपत्य शहरी स्थानीय निकाय को जियो–टैगिंग और इसे पूर्ण के रूप में दिखाने के लिए योग्यता प्रदान करता है। हालांकि, अंतिम भुगतान सभी तरह से आवासों के पूर्ण होने के बाद ही किया जाता है।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आवास को वास्तविक रूप से पूर्ण किए बिना पूर्णता स्तर पर आवासों की जियो–टैगिंग गलत है और योजना के दिशानिर्देशों के विरुद्ध है। अपूर्ण आवास की जियो–टैगिंग के कारण, भुवन पोर्टल पर निर्माण की भौतिक प्रगति को गलत तरीके से दर्शाया गया है।

2.1.8.9 हितग्राहियों द्वारा हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण प्रारम्भ न किया जाना

मिशन के हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण घटक के तहत जियो–टैगिंग पर सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भारत सरकार द्वारा जारी सलाह के अनुसार, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से हितग्राहियों को केंद्रीय सहायता की आगामी किश्तों को जारी करना विभिन्न चरणों की जियो–टैगिंग से सम्बद्ध है। यह भी कहा गया है कि राज्यों को हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण परियोजनाओं के लिए आगामी किश्तों को जारी करने से पहले उपयोग प्रमाणपत्र में शामिल भौतिक प्रगति को जियो–टैग किए गए आवासों के साथ मिलान किया जाना चाहिए।

ऑनलाइन प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के प्रबंधन सूचना प्रणाली डेटाबेस (दिसंबर 2024 तक) के विश्लेषण से लेखापरीक्षा में पाया गया कि 133 शहरी स्थानीय निकाय में, 11,181 हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण आवासों की नींव/लिंटेल चरण की जियो–टैगिंग और पहली किश्त जारी करने के बाद, हितग्राहियों द्वारा 13 से 81 महीने बीतने के बाद भी आगामी चरणों का कार्य नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप स्वीकृत आवास पूर्ण नहीं हुआ था।

लेखापरीक्षा ने जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों में अभिलेखो को सत्यापित किया और पाया कि जमीन में छोटे गड्ढे खोदने और जियो–टैगिंग के बाद, निर्धारित आधार स्तर को प्राप्त किए बिना, नींव/प्लिंथ स्तर के लिए पहली किश्त 177 हितग्राहियों (201 में से) को जारी की गई थी जैसा कि **परिशिष्ट–2.1.6** में दर्शाया गया है। यह इंगित करता है कि पहली किश्त को कार्य के वास्तविक रूप से पूर्ण और शहर स्तरीय तकनीकी प्रकोष्ठ और आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा उचित सत्यापन किये बिना स्वीकृत और जारी किया गया था जैसा कि प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी भुवन पोर्टल में दिखाया गया है, नीचे दिए गए हैं:

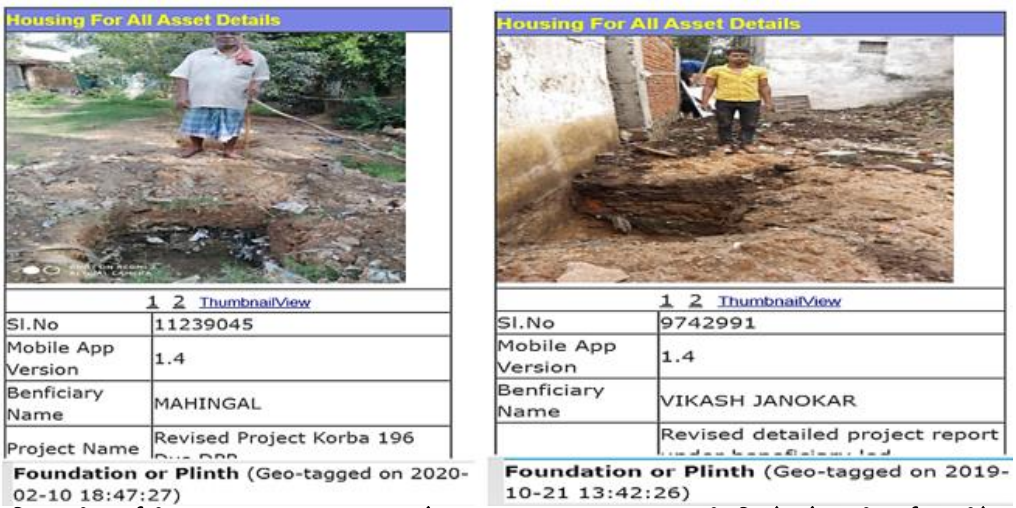

(हितग्राही आईडी–22801949068800002 और 228019750723500003 की जियो–टैग की गई तस्वीरें)

इस प्रकार, वास्तविक प्लिंथ स्तर के कार्य को किए बिना छोटे गड्ढे की खुदाई के बाद ही पहली किश्त जारी करना जियो–टैगिंग कर्मियों और भुगतान को स्वीकृति देने वाले अधिकारी की ओर से गंभीर खामियों का संकेत देता है। यह हितग्राही के गंभीर न होने को इंगित करता है क्योंकि अनेक हितग्राहियों ने अपने हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण आवासों का निर्माण जारी नहीं रखा। इसके अलावा, ऐसे मुद्दों की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए वास्तुकारों, परियोजना प्रबंधन सलाहकारों, शहर स्तरीय तकनीकी प्रकोष्ठ, आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी उच्च स्तर द्वारा कोई निगरानी नहीं की गई थी।

राज्य सरकार ने कहा (मई 2025) कि शहरी स्थानीय निकायों ने कार्य प्रारम्भ करने के लिए कई नोटिस जारी किए हैं, हालांकि, 201 हितग्राही नींव/प्लिंथ के बाद कार्य प्रारम्भ नहीं कर सके। इसलिए, उन्हें कार्य प्रारम्भ करने के लिए अंतिम नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें विफल रहने पर शहरी स्थानीय निकाय इन हितग्राहियों को प्रदान की गई पहली किश्त की वसूली के लिए प्रक्रिया आरम्भ करेगा।

2.1.8.10 वास्तुकार के सर्वेक्षक द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी में हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण आवासों का खराब गुणवत्ता वाला निर्माण

नगर पंचायत, कोटा के अभिलेखों की जांच और प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी भुवन पोर्टल में जियो–टैगिंग की स्थिति के सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि 12 प्रकरणो में, 'फकीर मोहल्ला' वार्ड–1 में हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण आवासों का निर्माण फरवरी 2022 में शुरू हुआ था और दो साल से अधिक समय के बाद भी मार्च 2024 तक अपूर्ण रहा। उप–अभियंता और शहर स्तरीय तकनीकी प्रकोष्ठ के साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा मई 2023 में वार्ड–1 का निरीक्षण किया गया था, जिसके दौरान निर्माण की खराब गुणवत्ता पाई गई और संबंधित वास्तुकार को सभी निर्माणाधीन आवासों को 15 दिवस में गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।

उपरोक्त हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण आवासों का दिनांक 04 मार्च 2024 को संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया था और हितग्राहियों के साथ चर्चा से यह पता चला कि इन आवासों का निर्माण एक ठेकेदार (वास्तुकार का एक कर्मचारी) द्वारा किया जा रहा था ठेकेदार द्वारा खराब गुणवत्ता वाले निर्माण और सुधार न किये जाने के बारे में जून 2023 में नगर पंचायत कार्यालय को शिकायतें भी प्रस्तुत की गईं, लेकिन इन मुद्दों को हल करने या आवासों को पूर्ण करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान ली गई आवासों की तस्वीरें इस प्रकार हैं:

(हितग्राही आईडी–0322801968631813047 और 0322801968627822675 के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान ली गई तस्वीरें)

राज्य सरकार ने कहा (मई 2025) कि संबंधित सर्वेक्षक जिसने हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण आवासों के निर्माण के लिए एक ठेकेदार के रूप में कार्य प्रारम्भ किया था, को हटा दिया गया है और आवासों को पूरा करने के लिए परियोजना के प्रभारी सलाहकार को नोटिस दिया गया है।

2.1.8.11 हितग्राहियों द्वारा अनुमोदित लेआउट के विचलन में व्यवसायिक दुकानों का निर्माण

अभिलेखों की जांच के दौरान और नमूना जांच किये गये शहरी स्थानीय निकायों में हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण आवासों के संयुक्त भौतिक सत्यापन पर लेखापरीक्षा ने देखा कि 17 हितग्राहियों ने लेआउट के अनुसार आवासों का निर्माण नहीं किया था और हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण आवासों की दुकानों के साथ व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए निर्माण किया गया था जैसा कि नीचे दी गई तस्वीरों में दिखाया गया है:

(हितग्राही आईडी–228019266858400016 और 0322801989633384266 के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान ली गई तस्वीरें)

राज्य सरकार ने कहा (मई 2025) कि प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के तहत अपने आवासों के पूरा होने के बाद, कुछ हितग्राहियों ने अपनी आजीविका के लिए दुकानों का निर्माण किया है। अन्य मामलों में, व्यवसायिक दुकानों के निर्माण के लिए हितग्राहियों को नोटिस जारी किए गए हैं।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी भुवन पोर्टल में अपलोड की गई जियो–टैग की गई तस्वीर के अनुसार यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि व्यवसायिक दुकानों का निर्माण हितग्राहियों द्वारा किया गया था, जिन्हें जियो–टैगिंग और भुगतान जारी करने के समय सक्षम अधिकारियों द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया था जैसा कि नीचे दिखाया गया है।

Housing For All Asset Details

1 2 ThumbnailView

Sl.No	12983753
Mobile App Version	1.4
Benficiary Name	Sumer Sahu
Project Name	BLCPremnagar 45-42-36 revisedValidjune 2018

Completed (Geo-tagged on 2020-09-08 17:04:51)

Housing For All Asset Details

1 2 ThumbnailView

Sl.No	27606123
Mobile App Version	2.2
Benficiary Name	RAMADHAR
Project Name	BLCPremnagar98-94dusrevisedSep2017

Completed (Geo-tagged on 2023-07-20 15:53:57.646371)

(हितग्राही आईडी–228019266858400016 और 228019266858400005 की जियो–टैग की ली गई तस्वीरें)

2.1.8.12 अनुमोदित लेआउट/क्षेत्रफल से परे आवासों का निर्माण

प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के आवासों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करता है।

अभिलेखों की जांच के दौरान और शहरी स्थानीय निकायों के नमूना जांच में हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण आवासों के संयुक्त भौतिक सत्यापन पर, लेखापरीक्षा ने पाया गया कि 107 हितग्राहियों ने हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण आवासों के लिए स्वीकृत 30 वर्ग मीटर लेआउट से परे अधिक क्षेत्रफल/बहुमंजिला आवासों का निर्माण किया, जिसके लिए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा हितग्राहियों को नोटिस जारी किए गए हैं। आगे बिलासपुर और भिलाई में हितग्राहियों ने बाद में 'छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास (संशोधन) अधिनियम और नियम, 2022' के तहत इन अनाधिकृत निर्माणों को नियमित करने के लिए आवेदन किया। निर्माण की निगरानी के लिए जिम्मेदार अधिकारी अनाधिकृत विस्तार की अनुमति देते हुए दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रहे। इसके परिणामस्वरूप 107 हितग्राहियों को ₹ 2.19 करोड़ की अनियमित वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

(जियो टैग फोटो) (हितग्राही आईडी–228019737902000071) (संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान ली गयी तस्वीर)

(जियो टैग फोटो) (हितग्राही आईडी–228019270707800082) (संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान ली गयी तस्वीर)

राज्य सरकार ने कहा (मई 2025) कि वास्तुकार और संबंधित हितग्राहियों को आवासों के अतिरिक्त निर्माण के लिए नोटिस जारी किए गए हैं और कुछ हितग्राहियों ने अनधिकृत निर्माण को नियमित करने के लिए आवेदन किया है। हालांकि, सहायता का भुगतान योजना के दिशानिर्देशों के प्रावधान के अनुसार प्रदान किया गया था और अतिरिक्त निर्माण के लिए कोई भुगतान नहीं किया गया था।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि स्वीकृत लेआउट से परे अतिरिक्त निर्माण का नियमितकरण न केवल योजना के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में है, बल्कि योजना के उद्देश्यों की भावना के विरुद्ध भी है।

केस स्टडी

एक ही भूमि पर भवन निर्माण की अनुमति का अनियमित अनुमोदन और दूसरे आवास की जियो–टैग तस्वीरों के आधार पर सहायता का भुगतान

नगर पालिक निगम, कोरबा के वार्ड संख्या–1 के खसरा संख्या–818 में भूतल में 35 वर्ग मीटर तक हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण आवास के निर्माण के लिए एक भवन अनुज्ञा को हितग्राही कोड–228019490685500046 के पक्ष में अनुमोदित (फरवरी 2020) किया गया था। तदनुसार, नींव की जियो–टैगिंग (दिनांक 01 अगस्त 2021) के पश्चात दिनांक 27 सितंबर 2021 को कार्य पूर्ण दिखाया गया था।

संयुक्त भौतिक सत्यापन (सितंबर 2023) में योजना के तहत स्वीकृत लेआउट 35 वर्ग मीटर के स्थान पर एक दो मंजिला इमारत का निर्माण किया जाना पाया गया। नगर पालिक निगम, कोरबा ने 224.06 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल के लिए एक और इमारत की भवन अनुमति भी जारी की है। इसके अलावा, संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान जियो–टैग की गई तस्वीर में दिखाए गए आवास के बजाय निम्नलिखित वास्तविक आवास पाया गया।

(जियो टैग की गई तस्वीर)

(संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान ली गई तस्वीर)

आगे, वास्तुकार, परियोजना प्रबंधन सलाहकार, शहर स्तरीय तकनीकी प्रकोष्ठ और नगर पालिक निगम के अधिकारियों द्वारा कार्य स्थल के भौतिक सत्यापन किए बिना वित्तीय सहायता का भुगतान किया गया था।

राज्य सरकार ने कहा (मई 2025) कि हितग्राही ने आय के संबंध में गलत हलफनामे जमा करके योजना का लाभ उठाया है और अनुमत्य क्षेत्र से अधिक क्षेत्रफल के मकान का निर्माण किया है। इसलिए, शहरी स्थानीय निकाय ने योजना के तहत भुगतान की गई किश्तों की वसूली शुरू कर दी है और हितग्राही के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की है और हितग्राही को जनवरी 2025 को नोटिस जारी किया गया है।

2.1.8.13 प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के तहत लाभ प्राप्त करने के बाद हितग्राहियों द्वारा आवासों की बिक्री

प्रथम राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति (अक्टूबर 2015) के अनुसार, मिशन के तहत हितग्राहियों को आवंटित आवासों की बिक्री 10 साल के लिए प्रतिबंधित होगी। इसके अलावा औपबंधिक आवंटन पत्र के अनुसार, आवास हितग्राही को केवल उसके आवासीय उपयोग के लिए आवंटित किया जाता है। उनके पास अधिकार नहीं होंगे और उन्हें किसी अन्य तरीके से इस आवास को बेचने या पट्टे पर देने या किराए पर देने या दान करने या स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं होगी। अभिलेखों की जांच में निम्नलिखित तथ्य सामने आए:

- नगर पालिका परिषद, तखतपुर में, संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि एक हितग्राही (आईडी–228019737147900111) ने ₹ 2.26 लाख की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बाद जून 2023 में ₹ 8.03 लाख की लागत से तीसरे पक्ष को आवास का आधा हिस्सा बेच दिया।

- नगर पंचायत, भटगांव में भूमि के रूप में भूमि के स्वामित्व/विभाजन के किसी भी दस्तावेज के बिना पिता के अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर हितग्राही (आईडी–228020277427000009) के पक्ष में एक हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण आवास को स्वीकृति सितंबर 2017 को दी गई थी क्योंकि भूमि (1295/8) उनके पिता के नाम पर पंजीकृत थी। संयुक्त भौतिक सत्यापन पर यह पाया गया कि आवास पूरा होने और सहायता की प्राप्ति के बाद, जिस भूमि पर आवास का निर्माण किया गया था, वह हितग्राही के पिता की है, जिसे तीसरे पक्ष को ₹ 42.60 लाख की कीमत पर फरवरी 2023 में विक्रय किया गया था और खरीदार ने आवास का उन्नयन करवाया था।

- नगर पालिक निगम, रायपुर के अमलीडीह में 232 आवासीय इकाईयों के निर्माण का कार्य पूरा होने के बाद मोर मकान मोर आस के तहत आवासीय इकाईयों के आवंटन (मई 2022) के लिए, 30 साल के पट्टे के लिए औपबंधिक आवंटन पत्र जनवरी 2023 में जारी किया गया था। अमलीडीह में निर्मित 232 आवासीय इकाईयों के संयुक्त भौतिक सत्यापन (22 मई 2024) और हितग्राहियों के साथ बातचीत के दौरान यह पाया गया कि जिस हितग्राही को आवंटन बैंक वित्त के माध्यम से ₹ 3.03 लाख का भुगतान करने के बाद किया गया था, उसने आवंटन की शर्तों का उल्लंघन करते हुए ₹ 6.00 लाख की कीमत पर आवास तीसरे व्यक्ति को जुलाई 2023 में बेच दिया।

राज्य सरकार ने कहा (मई 2025) कि प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के तहत लाभ लेने के बाद अपने आवास बेचने वाले हितग्राहियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार, हितग्राहियों को 10 साल की अवधि के भीतर अपने आवास बेचने की मनाही है। आगे, रायपुर के मामले में हितग्राही को आवासीय इकाईयों की बिक्री के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करने के कारण, आवास को हितग्राही से वापस लेकर निगम के नियंत्रण में ले लिया गया है। यह आवास आगे किसी अन्य वैध हितग्राही को आवंटित किया जाएगा।

2.1.8.14 विभिन्न घटकों के तहत कई लाभों का विस्तार

प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी योजना दिशानिर्देशों के पैरा 5.12 में कहा गया है कि हितग्राही योजना के घटकों के तहत केवल एक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जबकि तीन घटकों का प्रबंधन राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है, ऋण आधारित सब्सिडी योजना को प्राथमिक ऋण देने वाले संस्थानों द्वारा लागू किया जाता है। प्राथमिक ऋण देने वाले संस्थानों को दोहराव की जांच करने के लिए ऋण आधारित सब्सिडी योजना आवास पोर्टल का उपयोग करना चाहिए और हितग्राहियों को अपने आवेदन की स्थिति का पता करने की अनुमति देनी चाहिए। आवास शहरी विकास निगम (हुडको), राष्ट्रीय आवास बैंक और भारतीय स्टेट बैंक को भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा योजना के कार्यान्वयन और इन सब्सिडी को वितरित करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसियों के रूप में चुना गया है।

छत्तीसगढ़ में हितग्राहियों द्वारा जमा किए गए कुल 2.49 लाख सब्सिडी प्रकरणो में से केवल 37,374 प्रकरणो को स्वीकृति दी गई, जिसके लिए वर्ष 2016–17 से 2022–23 की

अवधि के दौरान सब्सिडी के रूप में ₹ 820.93 करोड़ की राशि जारी की गई। शेष मामलों की मंजूरी न मिलने या विभिन्न चरणों में लंबित होने के कारण तीनों[16] केंद्रीय नोडल एजेंसियों से पूछे गए थे और अभी भी लंबित है। अभिलेखों की जांच में निम्नलिखित बातें सामने आईं।

नमूना जांच हेतु चयनित शहरी स्थानीय निकाय के ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली डेटाबेस और छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा प्रदान की गई जानकारी की जांच में यह देखा गया कि नगर पालिक निगम, कोरबा और बिलासपुर तथा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के 133[17] हितग्राहियों ने ऋण आधारित सब्सिडी योजना घटक के तहत लाभ उठाया। इनमें से, लेखापरीक्षा ने 29 हितग्राहियों के ऐसे मामलों की पुष्टि की, जिन्होंने योजना के तहत दोहरे लाभ प्राप्त किए। यह भागीदारी में किफायती आवास/हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण घटकों के तहत उनके अटैचमेंट के बावजूद घटित हुआ, जिसके कारण योजना दिशानिर्देशों के उल्लंघन में ₹ 57.61 लाख का अनुचित लाभ दिया गया जैसा कि **परिशिष्ट–2.1.7** में विस्तृत है।

उपरोक्त निष्कर्ष विभिन्न घटकों के तहत हितग्राहियों के अटैचमेंट को उजागर करते हैं जिसके परिणामस्वरूप प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के तहत हितग्राही को दोहरा लाभ हुआ है। ऐसे मामले प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी दिशानिर्देशों में उल्लिखित प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन हैं।

राज्य सरकार ने कहा (मई 2025) कि हितग्राही द्वारा एक ही प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल में दो बार अलग–अलग घटकों के लिए संलग्न होकर दोहरा लाभ प्राप्त किया गया था। इसके अलावा, भागीदारी में किफायती आवास घटक में पहले से संलग्न हितग्राही उसी पोर्टल में ऋण आधारित सब्सिडी योजना के लिए आवेदन कर सकता है और ऋण आधारित सब्सिडी योजना घटक को प्राथमिक ऋण देने वाले संस्थानों/केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा नियंत्रित/निगरानी की जाती है, इसलिए यह शहरी स्थानीय निकायों की जांच/निगरानी की पहुंच से बाहर है।

राज्य सरकार द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी दिशानिर्देश के उल्लंघन का समाधान नहीं करते हैं। हितग्राहियों को ऋण आधारित सब्सिडी योजना घटक के तहत लाभ प्राप्त करने की अनुमति, भागीदारी में किफायती आवास और हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण घटक से जुड़े होने के बावजूद, स्पष्ट रूप से दोहराव और उचित सत्यापन की कमी को दर्शाता है।

2.1.8.15 महिला हितग्राहियों का कम प्रतिनिधित्व

प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी महिलाओं के स्वामित्व और आवासों के सह–स्वामित्व पर जोर देता है, जो उनके सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण में योगदान देता है। योजना दिशानिर्देशों के पैरा 2.5 के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी मिशन के तहत केंद्रीय सहायता से निर्मित या अधिग्रहित आवास, आवास की महिला मुखिया के नाम पर होना चाहिए या आवास के पुरुष मुखिया और उसकी पत्नी के संयुक्त नाम पर होना चाहिए। केवल उन मामलों में जहां परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं है, आवास, परिवार के पुरुष सदस्य के नाम पर हो सकता है।

प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के प्रबंधन सूचना प्रणाली डेटाबेस (दिसंबर 2024 तक) की 170 शहरी स्थानीय निकाय में जांच और विश्लेषण तथा योजना के तहत महिला हितग्राहियों को प्रदान किए गए लाभों के बारे में राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा लेखापरीक्षा को प्रदान की गई जानकारी के अवलोकन में यह पाया गया कि संपत्ति के

---

[16] हुडको, भारतीय स्टेट बैंक और राष्ट्रीय आवास बैंक

[17] बिलासपुर–08, कोरबा–01 और छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल–124

स्वामित्व के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर योजना का ध्यान केंद्रित करने के बावजूद, पर्याप्त संख्या में महिला सदस्यों को वांछित लाभ प्राप्त नहीं हुए। वर्ष 2015–16 से 2023–24 की अवधि के दौरान योजना के तहत महिला हितग्राहियों को प्रदान किए गए लाभों का वर्षवार विवरण **तालिका–2.1.12** में दिया गया है।

तालिका–2.1.12: प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के तहत महिला हितग्राहियों को प्रदान किए गए वर्षवार लाभों का विवरण।

वर्ष	घटक	कुल हितग्राही	लिंग		
			पुरुष (प्रतिशत)	महिला (प्रतिशत)	थर्ड जेंडर
2016–17	भागीदारी में किफायती आवास	2278	456 (20)	1821 (80)	1
	हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण (एनसी)	2754	654 (24)	2100 (76)	0
2017–18	भागीदारी में किफायती आवास	9536	1965 (21)	7561 (79)	10
	हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण (एनसी)	47313	21691 (46)	25620 (54)	2
2018–19	भागीदारी में किफायती आवास	8641	1185 (14)	7456 (86)	0
	हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण (एनसी)	39316	22065 (56)	17251 (44)	0
2019–20	भागीदारी में किफायती आवास	2170	755 (35)	1414 (65)	1
	हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण (एनसी)	48557	27688 (57)	20869 (43)	0
2020–21	भागीदारी में किफायती आवास	1787	455 (25)	1330 (74)	2
	हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण (एनसी)	26185	14180 (54)	12005 (46)	0
2021–22	भागीदारी में किफायती आवास	2076	1009 (49)	1066 (51)	1
	हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण (एनसी)	18086	10691 (59)	7394 (41)	1
2022–23	भागीदारी में किफायती आवास	2391	771 (32)	1615 (68)	5
	हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण (एनसी)	18937	10535 (56)	8402 (44)	0
2023–24	भागीदारी में किफायती आवास	901	304 (34)	597 (66)	0
	हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण (एनसी)	8256	3991 (48)	4265 (52)	0
योग	**भागीदारी में किफायती आवास**	**29780**	**6900 (23)**	**22880 (77)**	**22**
योग	**हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण (एनसी)**	**209404**	**111495 (53)**	**97906 (47)**	**03**
कुल योग		**239184**	**118395 (50)**	**120706 (50)**	**25**

(स्रोतः सभी शहरी स्थानीय निकायों के प्रबंधन सूचना प्रणाली डेटाबेस से संकलित)

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि कुल 2.09 लाख हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण हितग्राहियों में से केवल 47 प्रतिशत और कुल 0.30 लाख भागीदारी में किफायती आवास हितग्राहियों में से 77 प्रतिशत, कुल मिलाकर, वर्ष 2016–17 से 2023–24 तक 50 प्रतिशत महिलाएँ थीं, जो योजना के लक्ष्यों से कम है। यह कमी आवास की महिला मुखिया या संयुक्त स्वामित्व के नाम पर मूर्त संपत्ति को पंजीकृत करने की चुनौतियों को उजागर करती है। परिणामस्वरूप, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक–आर्थिक स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने की पहल की क्षमता पूरी तरह से हासिल नहीं की जा सकी।

राज्य सरकार ने कहा (मई 2025) कि भूमि के स्वामित्व के आधार पर हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र जारी किया गया है। स्वीकृति अधिमानतः उन हितग्राहियों को दी गई है

जिनके पास भूमि का स्वामित्व है। इसके अतिरिक्त, अधीनस्थ अधिकारियों को महिला मुखिया के नाम पर या पुरुष मुखिया के साथ संयुक्त रूप से स्वीकृत आवासों की संख्या निर्धारित करने का निर्देश दिया गया था।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि योजना का उद्देश्य महिलाओं को उनके नाम पर आवास मंजूर करके सशक्त बनाना है, हालांकि भूमि के स्वामित्व के आधार पर पुरुष सदस्यों के नाम पर आवास स्वीकृत करना योजना के उद्देश्य को पूरा नहीं करता है।

2.1.8.16 अन्य अनियमितताएं

- नगर पालिक निगम, भिलाई में लेखापरीक्षा ने देखा कि एक हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण हाउस (हितग्राही आईडी–228020080660600435) को पिलिंथ/नींव चरण (दिनांक 10 फरवरी 2023) से पूर्णता चरण (15 फरवरी 2023) तक पांच दिनों के भीतर पूरा किया गया था।

  राज्य सरकार ने कहा (मई 2025) कि जियो–टैगिंग में त्रुटि हुई है और बाद में संबंधित सलाहकार को नोटिस जारी किए गए हैं, लेकिन कोई वित्तीय हेराफेरी नहीं की गई है क्योंकि शहरी स्थानीय निकाय अधिकारियों की वास्तविक स्थल दौरे के आधार पर हितग्राही को भुगतान किया गया है।

- नगर पालिक निगम रायपुर में लेखापरीक्षा ने देखा कि हितग्राही आईडी–0322802034632575297 और 0322802034632573544 के दो हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण आवासों को स्वीकृति वर्ष 2021–22 में दी गई थी और पिलिंथ/नींव चरण के विरुद्ध ₹ 50,000 की पहली किस्त का प्रत्येक हितग्राही को भुगतान (मई 2023) भवन अनुज्ञा की अनुमति (मार्च 2024) और आय आदि के लिए स्व–घोषणा शपथ पत्र (मई 2024) जैसे आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किए बिना दी गई थी।

  राज्य सरकार ने कहा (मई 2025) कि योजना के महत्व और हितग्राही को योजना लाभ के वितरण को ध्यान में रखते हुए हितग्राही द्वारा कार्य आरम्भ किया गया था और किस्तों का भुगतान वास्तविक जियो–टैगिंग के आधार पर किया गया था।

  जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भुगतान योजना के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में आवश्यक शपथ पत्र प्राप्त किए बिना प्रदान किया गया था।

- नमूना जांच किए गए शहरी स्थानीय निकाय में हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण परियोजनाओं के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि 49 आवासों में, हितग्राहियों के विवरण जैसे नाम, आईडी, परियोजना विवरण, निर्माण का वर्ष आदि दिखाने वाला प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी प्रतीक चिन्ह नहीं मिला।

  राज्य सरकार ने कहा (मई 2025) कि अंतिम भुगतान के दौरान लोगो मौजूद था, लेकिन हितग्राहियों ने अपने आवासों के पूर्ण होने के बाद प्रतीक चिन्ह को हटा दिया। निर्देशों के बाद, हितग्राहियों ने अपने आवासों में लोगो को बना दिया है, और लोगो को न हटाने के संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं।

2.1.9 निगरानी और मूल्यांकन

योजना के कार्यान्वयन की निगरानी नियमावली, प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रबंधन सूचना प्रणाली, तृतीय पक्ष गुणवत्ता निगरानी एजेंसी, सामाजिक लेखापरीक्षा, जियो–टैगिंग, राज्य स्तरीय तकनीकी प्रकोष्ठ/शहर स्तरीय तकनीकी प्रकोष्ठ आदि के माध्यम से की गई थी।

2.1.9.1 हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण आवासों की जियो–टैगिंग में अनियमितताएं

प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी में जियो–टैगिंग का उपयोग जियो–टैग वाली तस्वीरों के माध्यम से आवासों के निर्माण की प्रगति की निगरानी के लिए किया जाता है। प्रबंधन सूचना प्रणाली विभिन्न निर्माण चरणों को ट्रैक करने के लिए भुवन पोर्टल, भारत मैप और उमंग मोबाइल ऐप के साथ एकीकृत करती है। सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, तस्वीरों को आवास के 10 मीटर के भीतर टैग किया जाना चाहिए, एक सुसंगत स्थान से सभी पांच चरणों को तस्वीर ली जानी चाहिए, और लाभार्थी को शामिल करना चाहिए। लेखापरीक्षा ने नमूना जांच हेतु चयनित शहरी स्थानीय निकायों में योजना के तहत आवासों के निर्माण की जियो–टैगिंग में निम्नलिखित कमियों को देखा:

➢ 38 मामलों में, पूर्णता चरण की जियो–टैगिंग प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी भुवन पोर्टल में अपलोड की गई थी **परिशिष्ट–2.1.8**। हालांकि, संयुक्त भौतिक सत्यापन पर यह पाया गया कि उन आवासों का निर्माण नींव/प्लिंथ चरण या लिंटल/छत चरण में था, जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

(संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान ली गई तस्वीर) (लाभार्थी आईडी–228020706777400010) (जियोटैग की गई तस्वीर)

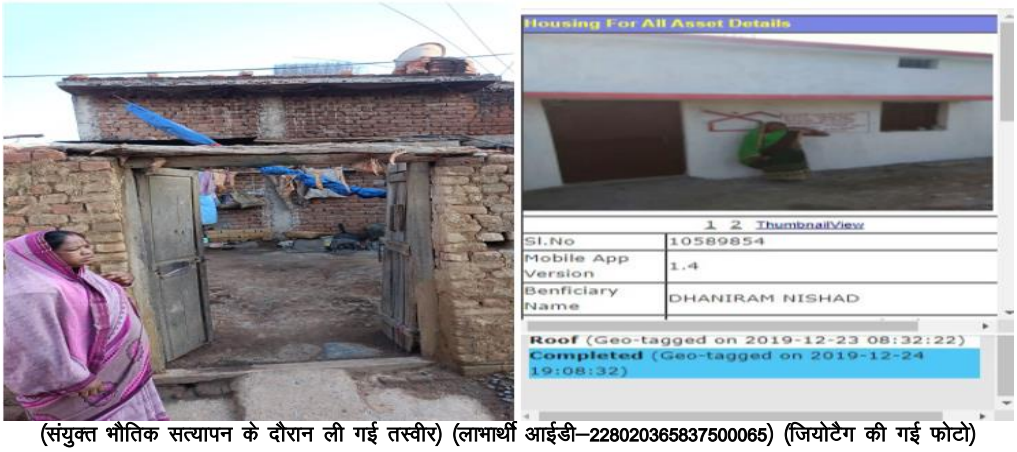

(संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान ली गई तस्वीर) (लाभार्थी आईडी–228020365837500065) (जियोटैग की गई फोटो)

इस प्रकार, विभिन्न स्तरों पर निगरानी की कमी के कारण, प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी भुवन पोर्टल में अन्य पूर्ण आवासों की तस्वीरें अपलोड की गईं और राज्य और भारत सरकार को गलत प्रगति प्रस्तुत की गई।

राज्य सरकार ने कहा (मई 2025) कि सलाहकार के सर्वेक्षक ने गलती से आवासों के चरणों को जियो–टैग किया था। सभी हितग्राहियों को अंतिम किस्त का भुगतान नहीं किया गया था। बाद में, हितग्राहियों ने उन्हें अपने आवासों को पूरा करने के बारे में

सूचित किया है तथा भौतिक सत्यापन के आधार पर उन्हें अंतिम किश्तों का भुगतान किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि गलत जियो–टैगिंग के कारण भारत सरकार को निर्माण प्रगति की गलत रिपोर्टिंग हुई।

➢ नगर पालिका परिषद, सारंगढ़ और नगर पंचायत, अभनपुर और कोटा में लेखापरीक्षा ने देखा कि एक ही भूमि पर एक ही परिवार के हितग्राहियों को दो से चार हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण आवास स्वीकृत किए गए थे, हालांकि, पृथक–पृथक हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण आवासों के निर्माण के स्थान पर हितग्राहियों द्वारा एकल आवास का निर्माण किया गया था और एक ही आवास के विभिन्न तरफ से ली गयी जियो–टैगिंग फोटो प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी भुवन पोर्टल में अपलोड की गई थी।

राज्य सरकार ने कहा (मई 2025) कि कोटा में, हितग्राहियों को अनियमित रूप से संलग्न किए जाने के लिए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने और कट–ऑफ तिथि के बाद खरीदी गई एक ही भूमि पर दो हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण आवासों की स्वीकृति, एकल आवास के विरुद्ध वित्तीय सहायता का अनियमित भुगतान के संबंध में वास्तुकार को नोटिस जारी किया गया है। अभनपुर में परिवार के सदस्यों के लिए चार मकान स्वीकृत किए गए। हालांकि, अलग–अलग आवासों के निर्माण के स्थान पर उन्होंने आपसी समझ के माध्यम से 1,200 वर्गमीटर पर एक आवास का निर्माण किया है। हालांकि, सारंगढ़ के मामले में दो अलग–अलग आवासों को स्वीकृति दी गई है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अलग–अलग आवासों के स्थान पर स्थल में केवल एक आवास का निर्माण किया गया था और गलत प्रगति दिखाने के लिए विभिन्न कोणों से तस्वीरें अपलोड करना निगरानी विफलता का संकेत देता है।

➢ लेखापरीक्षा ने 42 मामलों में देखा कि एक हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण हितग्राही के पूर्ण आवास का उपयोग केवल हितग्राहियों के नाम और आईडी को बदलकर कई हितग्राहियों के जियो–टैगिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था। हालांकि, शहर स्तरीय तकनीकी प्रकोष्ठ और सक्षम अधिकारियों ने अपनी स्वीकृति दे दी, और अंत में बेमेल तस्वीरें प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी भुवन पोर्टल में जियो–टैग की गईं। परिणामस्वरूप, राज्य और भारत सरकार को प्रस्तुत गलत प्रगति अनुसार विभिन्न स्तर पर निगरानी की कमी को दर्शाती है, जो नीचे दिखाए गए हैं:

(जियो–टैग फोटो) (हितग्राही आईडी–228019490685700042) (संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान ली गई तस्वीर)

राज्य सरकार ने कहा (मई 2025) कि वास्तुकार/परियोजना प्रबंधन सलाहकार के सर्वेक्षकों द्वारा गलत तस्वीरों को जियो–टैग किया गया था, जिसे बाद में सुधार/संशोधित

किया गया है, और इस संबंध में वास्तुकार/परियोजना प्रबंधन सलाहकार को नोटिस जारी किए गए हैं। हालांकि, किश्तों के भुगतान से पहले आवासों का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जाता है।

➢ लेखापरीक्षा ने देखा कि 136 हितग्राही के लिंटेल से पूर्ण होने के चरण तक की जियो–टैग वाली तस्वीरें या तो उसी तारीख को या विगत जियो–टैगिंग के दो से पांच दिनों के भीतर अपलोड की गई थीं। हालांकि, जियो–टैगिंग के लिए परामर्श के अनुसार, प्रत्येक चरण के निर्माण में कम से कम 10–15 दिन लगेंगे। इस प्रकार, सलाह के प्रावधानों का कड़ाई से पालन नहीं किया गया था जो प्रत्येक स्तर पर निगरानी की कमी को दर्शाता है।

लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार हुये राज्य सरकार ने कहा (मई 2025) कि हितग्राही प्रायः शहरी स्थानीय निकायों को सूचित करने से पहले कार्य शुरू करते हैं, ऐसे मामलों में पोर्टल में आगे बढ़ने के लिए जो चरणों को छोड़ने की अनुमति नहीं देता है, वही तस्वीरें पहले/स्किप किए गए चरणों के लिए अपलोड की जा रही हैं। इसके अलावा, तस्वीरें अक्सर विभिन्न कोणों से ली जाती हैं, इसलिए आवास विभिन्न चरणों में अलग प्रतीत होते हैं। संबंधित वास्तुकार/परियोजना प्रबंधन सलाहकार को नोटिस जारी किए गए हैं। हालांकि, किश्तों के भुगतान से पहले आवासों का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जाता है।

2.1.9.2 स्वतंत्र सुविधा एजेंसी की नियुक्ति में देरी

योजना दिशानिर्देशों का कंडिका 12.5 योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं की सामाजिक लेखापरीक्षा करने के लिए निर्देशित करता है। इसके अलावा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने सामाजिक लेखापरीक्षा करने के लिए स्वतंत्र सुविधा एजेंसी की नियुक्ति के लिए निर्देश (सितंबर 2017) और स्मरण पत्र नवंबर–दिसंबर 2018 और अप्रैल 2019) जारी किए।

राज्य शहरी विकास अभिकरण ने (जनवरी 2018) सामाजिक लेखापरीक्षा करने के लिए स्वतंत्र सुविधा एजेंसी के चयन हेतु प्रक्रिया प्रस्ताव के लिए अनुरोध आमंत्रित (फरवरी 2018) प्रारम्भ की, हालाँकि, एकल प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण इसे में निरस्त (अप्रैल 2018) कर दिया गया। इसके बाद अक्टूबर 2019 और जुलाई 2020 में अगली निविदा पुनः आमंत्रित की गई। अनुबंध जून 2021 को हस्ताक्षरित किए गए और चयनित एजेंसी को वर्ष 2016–17, 2017–18 और 2018–19 की अवधि के लिए नौ[18] शहरी स्थानीय निकायों (प्रत्येक वर्ष के लिए तीन शहरी स्थानीय निकाय) की सामाजिक लेखापरीक्षा का कार्य एक वर्ष के भीतर पूर्ण करने के लिए दिनांक 19 अगस्त 2021 को कार्य आदेश जारी किया गया था। एजेंसी ने तीन महीने के भीतर कार्य प्रारम्भ करने के निर्धारित समय के स्थान पर सात महीने की देरी से अप्रैल 2022 में लेखापरीक्षा प्रारम्भ की।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2019–20 से 2021–22 की अवधि के लिए (प्रत्येक वर्ष के लिए तीन शहरी स्थानीय निकाय) सामाजिक लेखापरीक्षा करने के लिए उसी स्वतंत्र सुविधा एजेंसी को ₹ 8.21 लाख की सहमत लागत पर सामाजिक लेखापरीक्षा कार्य को पूर्ण कर और एक वर्ष के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अतिरिक्त कार्य आदेश दिनांक 08 अगस्त 2022 को जारी किया गया। स्वतंत्र सुविधा एजेंसी ने तीन महीने की देरी के साथ नवंबर 2023 में सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत की थी। इसके बाद सामाजिक लेखापरीक्षा के प्रक्रिया के संबंध में कोई अभिलेख नहीं पाया गया।

[18] भिलाई, बिलासपुर, डोंगरगढ़, दुर्ग, जगदलपुर, लखनपुर, रामगढ़, रायपुर एवं राजनांदगांव

इसके अलावा, जांच से पता चला कि रायपुर और बिलासपुर के दो बार लेखापरीक्षा किए जाने के बावजूद, महत्वपूर्ण अनियमितताएं जैसे सहायता का नहीं/बिलंब भुगतान, अपूर्ण आवास, अन्य हितग्राही आईडी के साथ जियो–टैगिंग, हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण आवासों की विक्री, अनुमोदित लेआउट से परे निर्माण, और व्यवसायिक दुकान निर्माण आदि सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल नहीं किया गया था।

इस प्रकार, सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए एजेंसी के चयन में देरी के कारण, वर्ष 2016–17 से 2019–20 की अवधि के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा वर्ष 2021–22 में अर्थात दो से चार साल की देरी के बाद की गई थी। सामाजिक लेखापरीक्षा करने में एजेंसी की ओर से भी और देरी हुई।

राज्य सरकार ने कहा (मई 2025) कि योजना के प्रारंभिक चरण में, विभाग ने सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया के लिए नियमित रूप से भारत सरकार और अन्य राज्यों के साथ समन्वय किया। इसके साथ ही विभाग ने सामाजिक लेखापरीक्षा करने के लिए राज्य के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समन्वय भी किया। भारत सरकार और अन्य राज्यों के साथ समन्वय के बाद, विभाग ने सामाजिक लेखापरीक्षा कार्य के लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की। चूंकि पहली निविदा में केवल एक निविदा प्राप्त हुई थी, दूसरी निविदा पर विचार किया गया था। इसी दौरान, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के साथ पुनः समन्वय किया गया लेकिन उचित प्रतिक्रिया नहीं मिलने के कारण दूसरी निविदा जारी की गई और बातचीत के बाद सरकार को राशि ₹ 8.20 लाख के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव भेजा गया। सरकार द्वारा जून और अगस्त 2021 में दरों के अनुमोदन के बाद, संस्था को दिनांक 06 अगस्त 2021 को कार्य आदेश जारी किया गया था। इस दौरान देश में कोविड–19 महामारी की दूसरी लहर चल रही थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सामाजिक लेखापरीक्षा में बहुत विलंब हुई थी और वर्ष 2018 में पहली निविदा निरस्त करने और वर्ष 2019 में दूसरी निविदा जारी करने के बीच एक अनुचित अंतर था, जिसके बाद वर्ष 2021 में कार्य आदेश जारी करने में अतिरिक्त देरी हुई। सामाजिक लेखापरीक्षा में इन देरी ने प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी परियोजनाओं में अनियमितताओं की समय पर पहचान और समाधान को प्रभावित किया।

2.1.9.3 तृतीय–पक्ष गुणवत्ता निगरानी एजेंसी का संचालन

प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के दिशानिर्देशों की कंडिका 12.9 में तृतीय–पक्ष गुणवत्ता निगरानी के माध्यम से आवास परियोजनाओं की गुणवत्ता की जांच करने के लिए एक प्रणाली की आवश्यकता होती है। भागीदारी में किफायती आवास घटक के तहत सभी परियोजनाओं की निगरानी की जानी है, जबकि हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण के तहत आवासों के नमूने की निष्पक्ष समीक्षा की जानी है। योजना के तहत आवासों की गुणवत्ता की निगरानी के लिए दो[19] तृतीय–पक्ष गुणवत्ता निगरानी एजेंसियों को नियुक्त किया गया था।

अभिलेखों की जांच से पता चला कि पांच अलग–अलग समूहों के शहरी स्थानीय निकायों में तृतीय–पक्ष गुणवत्ता निगरानी एजेंसी के लिए दो चयनित एजेंसियों को कार्य आदेश मार्च, सितंबर और अक्टूबर 2018 में जारी किए गए थे, जिनमें भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार तृतीय–पक्ष गुणवत्ता निगरानी तीन स्तरों (नींव, लिंटेल और पूर्णता) पर किया जाना था। आगे की जांच से पता चला कि 70 स्वीकृत भागीदारी में किफायती आवास परियोजनाओं में से पहला, दूसरा और तीसरा दौरा सितंबर 2018 और

[19] दुर्ग एवं रायपुर क्लस्टर के लिए इंजीनियरिंग स्टॉफ कॉलेज ऑफ इंडिया, हैदराबाद तथा अंबिकापुर, जगदलपुर एवं बिलासपुर क्लस्टर के लिए एसजीएस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, नागपुर

अक्टूबर 2021 के मध्य क्रमशः 37, 28 और पांच (बिलासपुर क्लस्टर) भागीदारी में किफायती आवास परियोजनाओं में किया गया था, जबकि चयनित एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत स्थल दौरा देयको से पता चला कि अंबिकापुर क्लस्टर में कोई दौरा नहीं किया गया था।

इसी तरह, हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण परियोजनाओं के मामले में 240 परियोजनाओं (अक्टूबर 2018 और जुलाई 2019) के बिलासपुर क्लस्टर में केवल प्रथम दौरा और सितंबर 2018 तथा अप्रैल 2022 (दुर्ग क्लस्टर) के बीच 363 परियोजनाओं के रायपुर और दुर्ग क्लस्टर में तीसरा दौरा किया गया था। हालांकि, अंबिकापुर और जगदलपुर क्लस्टर में अक्टूबर 2018 और अक्टूबर 2019 के बाद दौरा नहीं किया गया था। इसके बाद, लेखापरीक्षा की तारीख (जून 2024) तक किसी भी क्लस्टर में तृतीय–पक्ष गुणवत्ता निगरानी एजेंसी द्वारा कोई दौरा नहीं किया गया था।

इस प्रकार, प्रगतिरत और पूर्ण की गई परियोजनाओं की अपर्याप्त निगरानी के कारण सभी प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी परियोजनाओं की गुणवत्ता की समीक्षा और निगरानी का उद्देश्य अप्राप्त रहा था।

राज्य सरकार ने कहा (मई 2025) कि तृतीय पक्ष गुणवत्ता निगरानी एजेंसी ने 73 भागीदारी में किफायती आवास परियोजनाओं का दौरा किया (पहला दौराः 59 परियोजनाएं, दूसरा दौराः 45 परियोजनाएं और तीसरा दौराः 10 परियोजनाएं)। इसके अलावा, तृतीय पक्ष गुणवत्ता निगरानी एजेंसी ने 1958 हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण परियोजनाओं का दौरा किया (पहला दौराः 1861 परियोजनाएं, दूसरा दौराः 1440 परियोजनाएं और तीसरा दौराः 1121 परियोजनाएं)। इसलिए, तृतीय पक्ष गुणवत्ता निगरानी एजेंसी ने आवासों की गुणवत्ता और अच्छा निर्माण सुनिश्चित करने के लिए सभी भागीदारी में किफायती आवास और हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण परियोजनाओं में समय–समय पर दौरा किया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उत्तर के साथ संलग्न दस्तावेज के अनुसार, दुर्ग, जगदलपुर और अंबिकापुर क्लस्टर में तृतीय पक्ष गुणवत्ता निगरानी एजेंसी द्वारा दूसरा और तीसरा दौरा नहीं किया गया था, जिन्होंने आवास की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य को विफल कर दिया था।

2.1.9.4 प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी पोर्टल में प्रबंधन सूचना प्रणाली भुगतान का अद्यतन न होना

प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के दिशानिर्देशों के अनुसार योजना, इंजीनियरिंग और निगरानी में क्षमता बढ़ाने के लिए राज्य स्तरीय तकनीकी प्रकोष्ठ (5–10 पेशेवर) और शहर स्तरीय तकनीकी प्रकोष्ठ (2–4 पेशेवर) की स्थापना की जानी थी। शहर स्तरीय तकनीकी प्रकोष्ठ डेटा प्रविष्टि और फ़ाइल अपलोड के प्रबंधन, प्रबंधन सूचना प्रणाली अनुप्रयोगों के लिए प्रारूप तैयार करने, परियोजना की प्रगति की निगरानी और रिपोर्ट करने के लिए सिस्टम स्थापित करने और शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी को तिमाही प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार थे।

अभिलेखों की जांच और ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली डेटाबेस के विश्लेषण के दौरान (दिसंबर 2024 तक) लेखापरीक्षा ने हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण परियोजनाओं के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली डेटाबेस अपडेट में महत्वपूर्ण अंतराल देखा। भुगतान प्रगति और जियो–टैगिंग के आधार पर जारी किए गए थे, लेकिन प्रबंधन सूचना प्रणाली डेटाबेस में भुगतान की स्थिति को अपडेट नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण घटक के तहत लाभान्वित कुल 2.11 लाख हितग्राहियों में से केवल 1.25 लाख की ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली भुगतान प्रविष्टियां पाई गईं। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और

प्रबंधन सूचना प्रणाली डेटाबेस के बीच कोई एकीकरण नहीं था, जिससे विसंगतियां पैदा हुईं।

राज्य सरकार ने कहा (मई 2025) कि प्रबंधन सूचना प्रणाली में हितग्राही भुगतान के निरंतर अद्यतन की मूल विशेषता नहीं थी। वर्ष 2016–17 से 2022–23 तक किए गए भुगतानों की पूर्वव्यापी प्रविष्टि के लिए वर्ष 2022–23 में हितग्राही भुगतानों को चरणबद्ध रूप से अद्यतन करने का प्रावधान किया गया था, ताकि पीएफएमएस के साथ जुड़ाव शुरू किया जा सके। लेकिन महत्वपूर्ण रूप से भुगतान विवरण के अद्यतन के लिए अनुवर्ती कार्रवाई भारत सरकार द्वारा नहीं की गई थी और लिंकेज कार्य को भी छोड़ दिया गया था। इसलिए प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल में हितग्राही भुगतान की अपडेशन का उपयोग शहर स्तरीय तकनीकी प्रकोष्ठ पेशेवरों के अक्षमता को दर्शाने के लिए महत्वपूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता है। शहर स्तरीय तकनीकी प्रकोष्ठ और परियोजना प्रबंधन सलाहकार/वास्तुकार की मदद से प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय ने अब तक किए गए हितग्राही भुगतानों का एक विस्तृत ऑफ़लाइन डेटाबेस बनाए रखा है। शहर स्तरीय तकनीकी प्रकोष्ठ और परियोजना प्रबंधन सलाहकार/वास्तुकार ने परियोजना के निष्पादन में बहुत मदद की है, अन्यथा शहरी स्थानीय निकाय के अधिकारी आज की तरह प्रगति हासिल नहीं कर सकते थे।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शहर स्तरीय तकनीकी प्रकोष्ठ प्रबंधन सूचना प्रणाली प्रविष्टियों के लिए जिम्मेदार हैं और प्रबंधन सूचना प्रणाली प्रविष्टियों के अभाव में, किसी विशेष हितग्राही को किए गए भुगतान को प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी पोर्टल से सत्यापित नहीं किया जा सका।

2.1.10 निष्कर्ष

सभी के लिए आवास कार्य योजना तीन से छह साल की देरी के साथ तैयार किया गया था और 1.48 लाख आवासीय इकाइयों के साथ भागीदारी में किफायती आवास/ हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण/स्व–स्थाने स्लम पुनर्विकास परियोजनाओं को मांग मूल्यांकन सर्वेक्षण के आधार पर हितग्राहियों की पहचान/चयन के बिना स्वीकृति दी गई थी, जो कि योजना के प्लानिंग में कमी को दर्शाती है। सभी के लिए आवास कार्य योजना की तैयारी के दौरान पिछली योजनाओं के तहत शहरी स्थानीय निकाय के पास उपलब्ध खाली आवास स्टॉक पर विचार नहीं किया जा सका। पात्र हितग्राहियों की पहचान किए बिना परियोजनाओं के अनुमोदन के कारण, अप्रैल 2025 तक 1.09 लाख स्वीकृत आवासों को कम कर दिया गया था।

सभी के लिए आवास कार्य योजना की तैयारी के समय प्रबंधन सूचना प्रणाली में दर्ज प्रारंभिक मांग सर्वेक्षण डेटाबेस, मूल डेटाबेस में निरंतर अद्यतन (जोड़ने/हटाने) के कारण उपलब्ध नहीं थे। परिणामस्वरूप, मूल रूप से सर्वेक्षण में शामिल किए गए हितग्राहियों को प्राप्त योजना लाभ को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण डेटाबेस के बीच जुड़ाव की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप 99 हितग्राहियों को दोनों योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त हुआ, जबकि 35 हितग्राहियों जिन्हें एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम के तहत आवास लाभ प्राप्त हुआ था, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के तहत पुनः आवास आवंटित किए गए थे।

केंद्रीय अंशदान निर्धारित समय सीमा के भीतर एकल नोडल एजेंसी में हस्तांतरित नहीं किया गया था, जिससे शहरी स्थानीय निकाय को निधि का संवितरण तथा हितग्राहियों और ठेकेदारों को भुगतान में देरी हुई।

प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी योजना के भागीदारी में किफायती आवास घटक के तहत, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा आवासीय इकाईयों को पूर्ण करने में देरी के कारण ₹ 230.05 करोड़ की निधि अवरुद्ध थी और आवासीय इकाईयों को पूर्ण करने में देरी मुख्य रूप से निधि की कमी, कोविड महामारी और काम की धीमी प्रगति के कारण हुई थी। अनुबंध के नियमों और शर्तों का पालन न करने के कारण भुगतान और मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली तथा शास्ति न लगाकर ठेकेदारों को अनुचित लाभ प्रदान किया गया था।

भागीदारी में किफायती आवास घटक के तहत पूर्ण किए गए 18,375 आवासीय इकाईयों में से स्लम निवासियों के लिए 10,903 आवासीय इकाईयों (59 प्रतिशत) निर्धारित थी, जिन्हे केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति के अनुमोदन के बिना पात्रता मानदंड को संशोधन करके 'मोर मकान मोर आस' के तहत गैर–स्लम निवासियों को आवंटित किए गए थे। इसके अलावा, हितग्राहियों से प्रति आवासीय इकाई ₹ 0.75 लाख के अंशदान के अतिरिक्त राज्यांश (₹ 2.50 लाख) का हिस्सा भी वसूल किया गया था। स्लम विकास के लिए समस्त स्व–स्थाने स्लम पुनर्विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित नहीं किया जा सका और निजी भागीदारी की कमी के कारण कटौती करना पड़ा। इन कटौती की गई परियोजनाओं के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने पर ₹ 1.25 करोड़ का व्यय भी निष्फल हुआ। इस प्रकार, शुरू में भागीदारी में किफायती आवास घटक के तहत स्लम क्षेत्रों के चिन्हांकित किये गए हितग्राहियों को परियोजनाओं में कटौती और संशोधित मानदंडों के अनुसार आवास के आवंटन के कारण योजना लाभ से वंचित होना पड़ा।

हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण घटक के तहत, अपात्र हितग्राहियों के चयन जिनकी सकल वार्षिक आय ₹ 3.00 लाख से अधिक और पक्के मकान थे, हितग्राहियों द्वारा नींव/प्लिंथ के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बाद भी आवासों का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाना, निर्धारित लेआउट से परे आवासों का निर्माण, आवास के साथ दुकानों का निर्माण, भूमि के स्वामित्व के बिना आवास की स्वीकृति और हितग्राहियों द्वारा निर्माण के बाद तीसरे व्यक्ति को आवास/आवासीय इकाई की बिक्री। कुछ मामलों में, निर्माण के विभिन्न चरणों के लिए किश्तें पूर्ण निर्माण और संबंधित चरण की जियो–टैगिंग के बिना जारी की गई थीं, जबकि अन्य मामलों में आवासों के पूर्ण होने के बाद अंतिम किस्त जारी करने में देरी हुई थी।

हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण आवासों के निर्माण की निगरानी में खामियां थीं अर्थात विभिन्न निर्माण चरणों की जियो–टैगिंग के लिए अन्य हितग्राहियों के आवासों की बेमेल तस्वीरें, स्थल निरीक्षण के दौरान अधूरे पाए गए आवासों के पूर्ण होने के चरण के लिए अनियमित जियो–टैगिंग, पूर्णता चरण की जियो–टैगिंग से पहले सहायता की अंतिम किश्त जारी करना। स्वतंत्र सुविधा एजेंसी की नियुक्ति में देरी के परिणामस्वरूप वर्ष 2016–20 की अवधि के लिए दो से चार साल की देरी के साथ सामाजिक लेखापरीक्षा का संचालन हुआ।

आवास के स्वामित्व या सह–स्वामित्व के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण के योजना के उद्देश्य को पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के तहत महिला सदस्यों को केवल 50 प्रतिशत आवास स्वीकृत किए गए थे जो योजना के लक्ष्यों से कम हैं।

2.1.11 अनुशंसाएं

राज्य सरकार कर सकती है

- शेष आवासों के निर्माण में तेजी लाएं और उन्हें पूर्ण करने के लिए एक ठोस समय सीमा निर्धारित करें ताकि सभी हितग्राहियों को बिना किसी देरी के उनके आवास मिल सकें।
- आवासों के निर्माण के लिए केंद्र और राज्य के हिस्से को जारी करने और कार्यांवयन एजेंसियों/शहरी स्थानीय निकायों और हितग्राहियों को निधि के हस्तांतरण में समयबद्धता सुनिश्चित करना।
- सुनिश्चित करें कि मूल रूप से चिन्हांकित पात्र स्लम निवासियों को प्रगतिशील परियोजनाओं में प्राथमिकता के आधार पर आवास के आवंटन की सुविधा प्रदान करके योजना के तहत लाभान्वित किया जाए।
- दो आवासीय योजनाओं के तहत या एक योजना के दो घटकों में एक हितग्राही को दोहरे लाभ को रोकने के लिए निगरानी/नियंत्रण तंत्र को मजबूत करना।
- निर्दिष्ट पात्र हितग्राहियों को निधि जारी करने से पहले आवास इकाइयों की उचित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए जियो–टैगिंग अनुपालन को लागू करना।
- हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण आवासों की जियो–टैगिंग से पहले सहायता को गलत तरीके से जारी करने और जियो–टैगिंग में अन्य अनियमितताओं के लिए गलती करने वाले अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करें जैसा कि कंडिका क्रमांक 2.1.6.4, 2.1.7.4, 2.1.8.9, 2.1.8.12 और 2.1.9.1 में सम्मिलित किया गया है।
- अनियमित भुगतान और ठेकेदार से मोबिलाईजेशन अग्रिम राशि की वसूली न किये जाने के लिए गलती करने वाले अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करें।
- महिला सशक्तिकरण के योजना के उद्देश्य को पूरा करने के लिए महिला सदस्य के नाम पर आवास आवंटित/स्वीकृत करके महिला हितग्राहियों की संख्या में वृद्धि करना।

अध्याय 3

अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय 3

अनुपालन लेखापरीक्षा

श्रम विभाग

3.1 श्रम विभाग द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर अनुपालन लेखापरीक्षा

3.1.1 परिचय

श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए श्रम अधिनियमों/कानूनों के प्रवर्तन और श्रमिक कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से संगठित और साथ ही असंगठित क्षेत्रों[1] के श्रमिकों की सुरक्षा एवं उनके आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक हितों को सुनिश्चित करने के लिए नोडल विभाग है।

भारत सरकार के असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अधीन, छत्तीसगढ़ शासन ने असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए श्रम विभाग के अंतर्गत ''असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल'' का गठन (जनवरी 2011) किया। छत्तीसगढ़ में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की 56 श्रेणियाँ अधिसूचित की गई हैं। असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है।

10 या अधिक श्रमिकों वाले विभिन्न प्रतिष्ठानों में लगे श्रमिकों को संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 के प्रावधान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल का गठन (फरवरी 2001) श्रमिकों के हितों की रक्षा करने और इस क्षेत्र के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए किया गया था।

3.1.2 संगठनात्मक संरचना

श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का नेतृत्व छत्तीसगढ़ शासन के सचिव करते हैं एवं श्रमायुक्त, असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल तथा छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल द्वारा उनकी सहायता की जाती है। असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष, पदेन सदस्य के रूप में श्रम विभाग के सचिव और असंगठित श्रमिकों, नियोक्ताओं, राज्य विधानसभा, सिविल सोसाइटी के प्रतिष्ठित व्यक्तियों और संबंधित विभाग के प्रतिनिधियों सहित 28 नामित सदस्य शामिल होते हैं। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कल्याण आयुक्त एवं नियोक्ताओं, कर्मचारियों और स्वतंत्र सदस्यों के प्रतिनिधियों सहित 19 नामित सदस्य शामिल हैं। श्रम विभाग के संगठनात्मक संरचना का विस्तृत प्रवाह चित्र **परिशिष्ट–3.1.1** में दिया गया है।

---

[1] स्व–नियोजित श्रमिकों के स्वामित्व वाला एक उद्यम जो किसी भी प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन/बिक्री/सेवा प्रदान करने में लगा हो, तथा कोई भी उद्यम जिसमें 10 से कम श्रमिक कार्यरत हो।

3.1.3 लेखापरीक्षा का उद्देश्य, कार्य क्षेत्र और कार्यप्रणाली

अपेक्षित हितलाभों को प्राप्त करने के लिए श्रमिकों के कल्याण के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिनियमों/नियमों एवं प्रक्रिया के अनुपालन का आकलन करने के लिए वर्ष 2018–19 से 2022–23 तक की अवधि को शामिल करते हुए लेखापरीक्षा आयोजित की गई थी।

तीन शीर्ष इकाइयों यथा श्रमायुक्त कार्यालय, असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल तथा 10 जिला स्तर के इकाइयों[2] में अभिलेखों की नमूना जाँच की गई थी। 10 जिलों में से, उन छः जिलों का चयन किया गया जहां श्रम कार्यालय और कल्याण केंद्र दोनों अस्तित्व में थे। इसके अतिरिक्त, सांख्यिकीय नमूनाकरण के आधार पर चार जिलों का चयन किया गया था। असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल और छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल द्वारा क्रियान्वित 50[3] कल्याणकारी योजनाओं में से 10[4] योजनाओं का चयन जांच के लिए किया गया था (**परिशिष्ट–3.1.2**)। चयनित जिलों में वर्ष 2018–19 से 2022–23 की अवधि में 4.94 लाख हितग्राहियों ने कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाया। चयनित योजनाओं के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए 506 श्रमिकों का हितग्राही सर्वेक्षण किया गया था।

3.1.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्त्रोतों से प्राप्त किए गए थेः

- छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982, असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, और भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन के श्रम अधिनियम
- केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अधिनियमों और कानूनों के क्रियान्वित करने के लिए समय–समय पर जारी सरकारी अधिसूचनाएं एवं निर्देश
- वर्ष 2011–18 की अवधि में श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी कल्याणकारी योजनाओं के दिशानिर्देश/आदेश

3.1.5 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल और छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अंतर्गत वित्तीय प्रबंधन

असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल और छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल में कल्याणकारी योजनाओं के लिए निधियों के आबंटन और व्यय से ज्ञात हुआ कि श्रम विभाग ने योजना शीर्ष 7435, 8977, 8989 एवं 4270 के अंतर्गत वर्ष 2018–19 से 2022–23 की अवधि में ₹ 329.41 करोड़ का कुल बजट प्रावधान/आवंटन किया था। योजना शीर्ष 4270–श्रम कल्याण निधि के तहत छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल को निधि प्रदान किया गया था, जबकि शेष योजना शीर्ष असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के लिए संचालित थे। वर्ष 2018–23 के दौरान, सभी 50 कल्याणकारी योजनाओं पर आवंटित निधियों में से प्रशासनिक व्यय (10 चयनित कल्याणकारी योजनाओं में ₹ 88.56 करोड़) सहित केवल ₹ 210.75 करोड़ (64 प्रतिशत) व्यय किए गए तथा ₹ 118.66 करोड़ (36 प्रतिशत) व्यय नहीं किए गए, जैसा कि **तालिका 3.1.1** में दर्शाया गया है।

---

2 सहायक श्रम आयुक्त/श्रम पदाधिकारी बिलासपुर, दुर्ग, जांजगीर–चांपा, कांकेर, कोंडागांव, कोरबा, रायगढ़, रायपुर, राजनंदगांव और सरगुजा।

3 14 संगठित क्षेत्र के अंतर्गत और 36 असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत।

4 सात असंगठित क्षेत्र से और तीन संगठित क्षेत्र से।

तालिका 3.1.1: वर्ष 2018–23 के दौरान असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल एवं छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल में कल्याणकारी योजनाओं के लिए बजट शीर्ष के अंतर्गत आबंटन, व्यय एवं बचत का वर्षवार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आबंटन	व्यय	बचत (प्रतिशत)
2018–19	71.15	36.00	35.15 (49)
2019–20	67.82	33.53	34.29 (51)
2020–21	63.42	40.80	22.62 (36)
2021–22	61.50	42.08	19.42 (32)
2022–23	65.52	58.34	7.18 (11)
योग	**329.41**	**210.75**	**118.66 (36)**

(स्त्रोतः श्रम आयुक्त कार्यालय और छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि निधि के आबंटन में कमी आई है, जबकि वर्ष 2019–20 से आबंटित निधियों से व्यय में लगातार वृद्धि हुई है। कुल व्यय ₹ 210.75 करोड़ में से ₹ 11.96 करोड छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के लिए योजना शीर्ष 4270 के अंतर्गत एवं शेष ₹ 198.79 करोड़ का व्यय असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत किए गए। बजट आबंटन के अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल को पंजीकृत श्रमिकों एवं प्रतिष्ठानों के अंशदान तथा ब्याज आदि से निधि की प्राप्ति हुई ।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2018–19 से 2022–23 की अवधि में छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल में उपलब्ध ₹ 44.86 करोड़ की राशि में से ₹ 21.27 करोड़ (47 प्रतिशत) व्यय किया गया। प्राप्तियों/उपलब्ध निधियों और व्यय का विवरण **तालिका 3.1.2** में दिया गया है।

तालिका 3.1.2: वर्ष 2018–19 से 2022–23 की अवधि में श्रम कल्याण निधि की प्राप्ति, व्यय एवं बचत

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्राम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	कुल उपलब्ध निधि	व्यय	अंत शेष
2018–19	3.01	5.60	8.61	4.02	4.59
2019–20	4.59	9.32	13.91	5.27	8.64
2020–21	8.64	8.28	16.92	3.46	13.46
2021–22	13.46	7.00	20.46	2.88	17.58
2022–23	17.58	11.65	29.23	5.64	23.59
कुल		**41.85**		**21.27**	

(स्त्रोतः छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 की धारा 9 में यह प्रावधान है कि पंजीकृत प्रतिष्ठानों को कल्याण निधि में अंशदान करना होगा ताकि निधि का उपयोग संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए किया जा सके। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि 8,777 पंजीकृत प्रतिष्ठानों में से, 1,627 प्रतिष्ठानों ने जनवरी 2017 से मार्च 2023

के दौरान कल्याण निधि में कम से कम ₹ 2.93 करोड़[5] का अंशदान नहीं दिया था। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल ने इन लंबित अंशदानों की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी।

कुल व्यय ₹ 21.27 करोड़ में से केवल ₹ 9.05 करोड़ (43 प्रतिशत) का व्यय विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर किया गया तथा शेष व्यय प्रशासन एवं स्थापना पर किया गया। वर्ष 2018–19 से 2022–23 की अवधि में, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल द्वारा ₹ 3.74 करोड़ विज्ञापन के लिए व्यय किया गया जिसमें से ₹ 76.04 लाख कोविड की रोकथाम के लिए जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यय किया गया था।

शासन ने कहा (मई 2025) कि वर्ष 2020–21 और 2021–22 के दौरान कोविड–19 के कारण असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में बचत हुई, जबकि छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के मामले में श्रम भवन, छात्रावास, अन्य भवनों के निर्माण और नई योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ₹ 50 करोड़ का प्रावधान किया गया था। हालांकि, भूमि की अनुपलब्धता के कारण इन भवनों का निर्माण प्रारंभ नहीं हो सका।

शासन के उत्तर से पता चलता है कि व्यय का उद्देश्य कल्याणकारी योजनाओं की तुलना में प्रशासनिक और स्थापना गतिविधियों पर अधिक था।

3.1.6 श्रमिकों का पंजीयन

(i) असंगठित क्षेत्र:

असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम की धारा 10 में प्रावधान है कि असंगठित क्षेत्र का प्रत्येक कर्मकार जिसकी आयु 14 वर्ष पूरी हो चुकी है, असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में पंजीयन के लिए पात्र होगा। असंगठित कर्मकार और संगठित क्षेत्र के प्रतिष्ठान/कर्मकार *shramevjayate.cg.gov.in* के माध्यम से पंजीयन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पंजीयन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में श्रमिकों के पंजीयन का वर्षवार विवरण **तालिका 3.1.3** में दिया गया है।

तालिका 3.1.3: असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में असंगठित कर्मकारों के पंजीयन की स्थिति

वर्ष	पंजीकृत कर्मकारों की संख्या	वर्ष में पंजीयन के लिए प्राप्त आवेदन	वर्ष के दौरान पंजीयन	अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	लंबित आवेदन में से स्वीकृत	मृत्यु और किसी अन्य कारण से पंजीयन निरस्तीकरण	अन्त शेष (2)+(4)+(6)–(7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2018–19	7,38,542	7,74,040	5,46,530	2,27,510	1,253	221	12,86,104
2019–20	12,86,104	79,420	48,162	31,258	6	304	13,33,968
2020–21	13,33,968	1,75,803	96,499	79,304	10	1,102	14,29,375
2021–22	14,29,375	98,970	69,319	29,651	49	2,311	14,96,432
2022–23	14,96,432	2,44,840	1,66,539	78,301	204	1,099	16,62,076
योग	.	**13,73,073**	**9,27,049**	**4,46,024**	**1522**	**5037**	.

(स्त्रोत: असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

[5] 1627 (प्रतिष्ठान) × ₹ 1500 × 2 (वर्ष में दो बार) × 6 (वर्ष) = ₹ 2.93 करोड़

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि:

- राष्ट्रीय पोर्टल ई–श्रम के अनुसार, मार्च 2023 तक छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में 76.33 लाख श्रमिक (6.44 लाख निर्माण श्रमिकों को छोड़कर) पंजीकृत थे। तथापि, मार्च 2023 तक असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों की संख्या केवल 16.62 लाख थी और शेष 59.71 लाख[6] असंगठित क्षेत्र के कर्मकार असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में लक्षित हितग्राही संख्या पंजीयन के दायरे से बाहर रहे।
- पंजीकृत 16.62 लाख असंगठित कर्मकारों में से केवल 9.25 लाख (56 प्रतिशत) आधार नंबर से जुड़े थे, जबकि 8.97 लाख (54 प्रतिशत) पंजीयन मोबाइल नंबरों से जुड़े थे। विभाग ने एक ही आधार संख्या के साथ कई पंजीयन के 3.40 लाख प्रकरणों की पहचान की (मई 2024), किन्तु उनमे से केवल 5,013 मामलों को सुधार किया गया और शेष 3.35 लाख मामले सुधार के लिए लंबित थे।

(ii) संगठित क्षेत्र

छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 2015 (संशोधित) में अन्य बातों के साथ–साथ यह प्रावधान है कि प्रत्येक प्रतिष्ठान[7] पंजीयन के लिए छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल को इसके अंतर्गत काम करने वाले कर्मकारों के नाम प्रस्तुत करेगा। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल में कर्मकारों के पंजीयन का वर्षवार विवरण **तालिका 3.1.4** में दिया गया है।

तालिका 3.1.4: छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल में प्रतिष्ठानों और संगठित श्रमिकों के पंजीयन की स्थिति

वर्ष	पंजीकृत प्रतिष्ठानों और कर्मकारों का प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान पंजीयन		पंजीयन का अंतिम शेष	
	प्रतिष्ठान	कर्मकार	प्रतिष्ठान	कर्मकार	प्रतिष्ठान	कर्मकार
2018–19	2,393	1,05,863	1,439	23,719	3,832	1,29,582
2019–20	3,832	1,29,582	1,077	17,760	4,909	1,47,342
2020–21	4,909	1,47,342	1,206	23,257	6,115	1,70,599
2021–22	6,115	1,70,599	1,737	23,838	7,852	1,94,437
2022–23	7,852	1,94,437	925	10,292	8,777	2,04,729

(स्त्रोत: छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

लेखापरीक्षा ने पाया गया कि वर्ष 2019–20 और 2021–22 के लिए क्रमशः 2.50 लाख और 5.50 लाख कर्मकारों के पंजीयन का लक्ष्य रखा गया था। तदनुसार, धनराशि स्वीकृत की गई और प्रचार/विज्ञापन पर ₹ 3.74 करोड़ का व्यय किया गया। तथापि, मार्च 2023 तक केवल 2.05 लाख (26 प्रतिशत) श्रमिकों का पंजीयन किया गया था।

शासन ने उत्तर दिया (मई 2025) कि असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के मामले में, भारत सरकार के ई–श्रम पोर्टल के तहत 85.81 लाख पंजीकृत श्रमिकों के विरुद्ध, 26.62 लाख श्रमिकों का पंजीयन किया गया है तथा शेष 59.19 लाख (मई 2025) कर्मकारों को पंजीकृत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल

---

6 76.33 – 16.62 = 59.71

7 छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 की धारा 2 (5) (i) (ii) के अनुसार, एक कारखाना या कोई भी संस्थान जो किसी भी व्यवसाय या व्यापार या उसके संबंध में या सहायक कार्य करता है, जिसमें विगत माहों के दौरान किसी भी कार्य दिवस में 10 या अधिक श्रमिकों को नियुक्त किया गया है या नियोजित किया गया है।

के मामले में, संगठित क्षेत्र के प्रतिष्ठानों और कर्मकारों की संख्या बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

3.1.7 कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन

असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के लिए असंगठित कर्मकारों से योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आवेदन मांगे गए थे। कर्मकारों को योजना के मानदंड के अनुसार आवेदन पत्र (श्रम पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन) के साथ आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करने करने की आवश्यकता थी (जैसे मातृत्व सहायता योजना के लिए जन्म प्रमाण पत्र और बैंक खाते का विवरण)। ई–रिक्शा पर वित्तीय सहायता तथा मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना पर श्रमिकों की पात्रता के लिए स्वीकृति प्राधिकारी जिला कलेक्टर, संबंधित जिलों के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी और नगर निगम/नगर पालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की एक समिति थी। अन्य योजनाओं के लिए जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/कोई अन्य अधिकारी (कलेक्टर द्वारा अधिकृत) को कर्मकारों के आवेदनों की स्वीकृति देने के लिए प्राधिकृत किया गया था। इसी तरह, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के लिए, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रतिष्ठानों के नियोक्ता द्वारा आवेदन मांगे गए थे। कल्याण आयुक्त कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के लिए आवेदनों की जांच तथा स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी थे।

वर्ष 2018–19 से 2022–23 के दौरान, असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को लाभान्वित करने के लिए 36 योजनाएं और संगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए 14 योजनाएं क्रमशः असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल एवं छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल द्वारा क्रियान्वित की गईं। इन योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों की कुल संख्या और व्यय **तालिका 3.1.5** में दिए गए हैं।

तालिका 3.1.5: वर्ष 2018–19 से 2022–23 की अवधि में विभिन्न श्रम कल्याण योजनाओं के तहत लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या एवं व्यय की स्थिति

वर्ष	असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल		छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल	
	हितग्राहियों की संख्या	व्यय (₹ करोड़ में)	हितग्राहियों की संख्या	व्यय (₹ करोड़ में)
2018–19	4,46,113	32.67	78,684	2.45
2019–20	2,91,761	7.48	1,26,861	2.25
2020–21	12,557	21.04	93,015	1.13
2021–22	17,362	37.12	1,28,775	0.90
2022–23	20,480	42.75	26,780	2.32
योग	**7,88,273**	**141.06**	**4,54,115**	**9.05**

(स्त्रोतः असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल और छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि:

क) वर्ष 2020 के बाद हितग्राहियों की संख्या में तेजी से कमी आई है, तथापि, असंगठित क्षेत्र के लिए योजना व्यय में वृद्धि हुई है। इसकी तुलना में, संगठित क्षेत्र के लिए योजना व्यय नगण्य रहा, यद्यपि 2020 से उतरोत्तर इस क्षेत्र में पंजीकृत हितग्राहियों की संख्या अधिक है।

ख) असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल और छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के कुल 50 योजनाओं (**परिशिष्ट–3.1.3**) में से 10 योजनाओं में, वर्ष 2018–19 से 2022–23 की अवधि में बजट प्रावधान होने के बावजूद कोई व्यय नहीं किया गया था जैसा कि नीचे दिया गया है:

असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल–(i) स्मार्ट वेंडिंग कार्ट (रेडीमेड किचन) के लिए सहायता (ii) ई–ठेला सहायता योजना (iii) सफाई कर्मकार हेतु ओपीडी उपचार (iv) ठेका मजदूर और हमाल कामगार हेतु ओपीडी उपचार (v) मुख्यमंत्री सायकल रिक्शा;

छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल –(i) निःशुल्क बैसाखी/कैलिपर्स/श्रवण यन्त्र वितरण (ii) निःशुल्क सायकल वितरण (iii) स्वास्थ्य एबं नेत्र परीक्षण शिविर और निःशुल्क चश्मा वितरण (iv) कर्मकारों हेतु आकस्मिक मृत्यु सहायता (v) कर्मकारों हेतु खेल प्रतियोगिताएं।

इस प्रकार, संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिक निधि की उपलब्धता के बावजूद उपरोक्त कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रहे।

ग) 17 योजनाओं में प्रत्येक कर्मकार को औसतन वित्तीय लाभ ₹ 1,000 से कम था (**परिशिष्ट 3.1.4**)। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कल्याण योजनाओं जैसे विवाह सहायता, सिलाई मशीन, सायकल, औजार एवं उपकरण आदि के वितरण पर व्यय अनवरत नहीं किया गया था और विशिष्ट वर्षों में ही लाभ प्रदान किए गए थे। असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल और छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल ने सम्मिलित रूप से ₹ 150.11 करोड़ का व्यय किया और वर्ष 2018–19 से 2022–23 के दौरान केवल 12.42 लाख कर्मकारों को लाभान्वित किया गया, जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के कवरेज में कमी तथा असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल और छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए उपलब्ध निधि के कम उपयोग का संकेत देता है।

घ) दो योजनाओं अर्थात ई–रिक्शा के लिए वित्तीय सहायता और मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना के संबंध में, आवेदनों की जांच एवं लाभ प्रदान करने के लिए योजना दिशानिर्देश में एक समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। तथापि, उक्त प्रक्रिया अन्य योजनाओं में निर्धारित नहीं थी। यह दर्शाता है कि हितग्राहियों के चयन के लिए कोई एकसमान प्रक्रिया नहीं थी और इसमें सुसंगत दृष्टिकोण का अभाव था।

शासन ने उत्तर दिया (मई 2025) कि 10 कल्याणकारी योजनाओं में से पांच कल्याणकारी योजनाओं को वर्ष 2018–19 से 2022–23 के दौरान आवेदन प्राप्त नहीं होने/अपर्याप्त आवेदनों के कारण बंद कर दिया गया है। शेष कल्याणकारी योजनाओं में हितग्राहियों की संख्या बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पांच योजनाओं में 6,773 आवेदन प्राप्त हुए थे (असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत चार योजनाओं में 101 आवेदन और छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अंतर्गत एक योजना में 6,672 आवेदन) लेकिन कर्मकारों को कोई लाभ प्रदान नहीं किया गया था।

3.1.7.1 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा मुख्यमंत्री सायकल सहायता और समाचारपत्र वितरक (हॉकर) सायकल योजनाएं

वर्ष 2018–19 से 2022–23 के दौरान, पंजीकृत कर्मकारों के लिए असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा निःशुल्क सायकल सहायता से संबंधित छह योजनाओं[8] को क्रियान्वित किया गया था। लेखापरीक्षा ने असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल की दो सायकल संबधी योजनाओं यथा मुख्यमंत्री सायकल सहायता और समाचारपत्र वितरक (हॉकर) सायकल सहायता योजना का नमूना जांच किया। इन योजनाओं के अंतर्गत असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में पंजीकृत, महिला कामगारों (18–40 वर्ष की आयु) और हॉकर्स को एक सायकल प्रदान की जाएगी। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गयीः

(i) हितग्राहियों का अल्प कवरेज होना

असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत 6.51 लाख महिला कर्मकार और 1,624 हॉकर पंजीकृत थे। वर्ष 2018–19 से 2022–23 के दौरान, 1.50 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमे से 0.35 लाख (23 प्रतिशत) कर्मकार लाभान्वित हुए, जबकि 0.76 लाख (51 प्रतिशत) आवेदन जिला श्रम कार्यालयों में कार्यवाही के लिए लंबित थे और 0.39 लाख आवेदन अस्वीकार कर दिए गए थे। सभी सायकल वर्ष 2018–19 के दौरान वितरित किए गए थे एवं 2019–20 से 2022–23 के दौरान कर्मकारो को कोई सायकल वितरित नहीं की गई थी।

- जिला श्रम कार्यालय, रायपुर में अभिलेखों की जांच में यह पाया गया कि सायकल योजनाओं के लिए आवेदन करने वाले कर्मकारों को वितरण के लिए रायपुर जिले को 18,200 सायकलों (असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के लिए 4,200 और भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के लिए 14,000) की आपूर्ति की गई थी। असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल ने फर्म को 4,200 साइकिलों (100 पुरुष + 4,100 महिला) के लिए ₹ 1.55 करोड़ का भुगतान किया (मार्च 2020) और 14,000 सायकलों के लिए शेष भुगतान भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल द्वारा किया गया (फरवरी 2020)। प्राप्त 18,200 सायकलों में से 17,505 सायकल हितग्राहियों को वितरित की गईं और शेष 695 सायकलें हितग्राहियों को वितरित नहीं की गईं तथा पिछले छह वर्षों से शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला, कोलार, विकासखण्ड–अभनपुर, कृषि उपज मंडी समिति, विकासखण्ड– अभनपुर, आईटीआई कॉलेज माना, गोबरा–नवपारा और आरंग में अनुपयोगी पड़ी थीं। स्थल के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान क्षतिग्रस्त सायकलों की ली गई तस्वीर नीचे दी गई हैः

[8] (i) मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना (ii) हॉकर सायकल सहायता योजना (iii) कोटवार हेतु सायकल और टॉर्च सहायता (iv) राउत चरवाहा, दूधवाले हेतु सायकल योजना (v) सफाई कर्मकार के पुत्र/पुत्री हेतु सायकल सहायता (vi) घरेलू कामगार हेतु सायकल, छतरी, चप्पल/जूता योजना

शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला, कोलार (विकासखण्ड–अभनपुर) में रखी गई क्षतिग्रस्त सायकलें, दिनांक 26.06.2024

यह भी देखा गया कि सहायक श्रम आयुक्त रायपुर कार्यालय के श्रम निरीक्षक, ने सूचित किया (मई 2022) था कि सायकल जंग लगे हुए व छतिग्रस्त थे तथा उपयोग करने की स्थिति में नहीं थे। समय पर सायकलों का वितरण न होने के कारण न केवल ₹ 25.76 लाख (3,707 × 695) का निरर्थक व्यय हुआ, बल्कि कर्मकार योजनाओं के लाभ से भी वंचित रहे।

शासन ने उत्तर दिया (मई 2025) कि श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल को निर्देश जारी किए थे कि श्रमिकों को सामग्री प्रदान नहीं किया जायेगा। तथापि, कुछ भ्रम के कारण, असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को सायकलों का वितरण रोक दिया गया। ₹ 25.76 लाख के निर्थक व्यय के संबंध में, शासन ने आगे कहा कि शेष सायकलों के भौतिक मूल्यांकन के बाद आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

उत्तर इस बात की पुष्टि करता है कि विभाग ने असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत पंजीकृत कर्मकारों को सायकल वितरित नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, 695 सायकलों का वितरण न होने और परिणामस्वरूप क्षतिग्रस्त होने के कारण सायकलों की खरीद पर ₹ 25.76 लाख का निरर्थक व्यय हुआ।

3.1.7.2 अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन में कमियां

असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल की अन्य योजनाओं यथा ई–रिक्शा सहायता योजना, सफाई कर्मकार के लिए आवश्यक उपकरण जैसे दस्ताने, मास्क, गमबूट आदि के लिए प्रावधान, सफाई कर्मकार को कौशल विकास एवं छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अंतर्गत, शैक्षिणिक छात्रवृत्ति योजना, कल्याण केंद्र के संचालन पर प्रशासनिक व्यय, निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण योजना और शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां नीचे दी गई हैं: –

- **ई–रिक्शा सहायता योजना (असंगठित कर्मकारों के लिए):–** ई–रिक्शा योजना के अनुसार, असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा 18–50 वर्ष की आयु के आवेदक/कर्मकार को उनके आवेदन पर ₹ 10,000 के स्वयं के अंशदान और शेष राशि की बैंक ऋण के रूप में स्वीकृति के बाद ₹ 50,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जानी थी। यह पाया गया कि राज्य में ई–रिक्शा की क्रय के लिए वर्ष 2018–19 से 2022–23 के दौरान 1,053 कर्मकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी एवं दुर्ग जिले में वर्ष 2020–21 से 2022–23 के दौरान, ई–रिक्शा के क्रय के लिए किसी भी हितग्राही को वित्तीय सहायता नहीं दी गई

थी, यद्यपि 39 आवेदन प्राप्त हुए थे। आगे, चार जिलों[9] के नौ हितग्राहियों को ई–रिक्शा के लिए वित्तीय सहायता श्रम विभाग में आवेदन जमा करने के एक वर्ष के अंतराल के बाद मिली थी, जबकि आठ जिलों[10] के 13 हितग्राहियों को वित्तीय सहायता उनके आवेदन जमा करने के छह महीने से 12 महीने में मिली थी।

शासन ने उत्तर दिया (मई 2025) कि वर्ष 2020–21 के दौरान प्राप्त 39 आवेदनों में से ई–रिक्शा के लिए वित्तीय सहायता 11 हितग्राहियों को दी गई है, जबकि 06 मामलों में डुप्लिकेट आवेदन प्राप्त हुए थे तथा 22 मामलों में अनुचित दस्तावेजों के कारण आवेदन निरस्त कर दिए गए थे।

शासन ने दुर्ग जिले में 11 हितग्राहियों और अन्य चयनित जिलों में 22 हितग्राहियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में देरी के मामले में कोई उत्तर नहीं दिया।

- **सफाई कर्मकार (असंगठित कर्मकारो के लिए) के लिए आवश्यक उपकरणों का अनुदान–** असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत पंजीकृत 18–60 वर्ष की आयु के सफाई कर्मकारों को गमबूट, दस्ताने, मास्क और एप्रन की खरीद के लिए प्रत्येक वर्ष ₹ 1,000 की सहायता दी जानी थी। यह पाया गया कि वर्ष 2018–19 से 2022–23 के दौरान 11,042 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 6,327 कर्मकारों को ₹ 34.35 लाख के व्यय के उपरांत योजना का लाभ प्रदान किया गया था। प्राप्त 11,042 आवेदनों में से 3,230 आवेदन (29 प्रतिशत) लंबित थे। 56 श्रमिकों के हितग्राही सर्वेक्षण से पता चला कि श्रमिकों को योजना लाभ केवल एक वर्ष के लिए प्रदान किया गया था जबकि योजना के दिशानिर्देशों में प्रत्येक वर्ष लाभ प्रदान किया जाना था। आगे, तीन जिलों यथा कोंडागांव, जांजगीर–चांपा और रायगढ़ में हितग्राही सर्वेक्षण से पता चला कि हितग्राहियों की सूची में 11 कर्मकारों को शामिल किया गया था, लेकिन उनमें से किसी को भी दिशानिर्देशों में दिए गए आवश्यक उपकरण नहीं मिले थे।

  शासन ने उत्तर दिया (मई 2025) कि नए दिशानिर्देशों के अनुसार अधिसूचना जारी की जाएगी और प्रत्येक वर्ष प्रारंभिक आवेदन और संबंधित सफाई कर्मकारों की उपलब्धता के सत्यापन के आधार पर उपकरण जारी किए जाएंगे।

- **सफाई कर्मकार का कौशल विकासः** योजना में यह प्रावधान है कि छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के सहयोग से पंजीकृत कर्मकारों/परिवार के सदस्यों (पति, पत्नी, पुत्र और पुत्री) को कुछ चयनित छोटे व्यवसायों का समय–समय पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत (2018–23 के दौरान) 32,623 सफाई कर्मकार पंजीकृत थे। यह पाया गया कि वर्ष 2018–19 से 2022–23 के दौरान राज्य में 741 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 440 कर्मकारों को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया था, परन्तु किसी भी प्रतिष्ठान में उनके प्रशिक्षण उपरांत रोजगार प्रदाय किए जाने पर असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा कोई अभिलेख नहीं रखा गया था। आगे, यह पाया गया कि नमूना जाँच किए गए जिलों में पिछले पांच वर्षों के दौरान योजनान्तर्गत 188 आवेदन प्राप्त करने के बाद भी किसी भी कर्मकार का प्रशिक्षण के लिए चयन नहीं किया गया था।

---

9 राजनांदगाँव (1), कोरबा (4), सरगुजा (2) तथा रायगढ़ (2)

10 राजनांदगाँव (1), दुर्ग (1), कोरबा (1), कोंडागांव (1), कांकेर (2), जांजगीर–चांपा (4), रायगढ़ (1) तथा बिलासपुर (2)

शासन ने उत्तर दिया (मई 2025) कि सफाई कर्मकार के कौशल विकास के प्रकरण में रोजगार के अभिलेखों के रख रखाव के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे।

- **शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना (संगठित कर्मकार हेतु) –** इस योजना में प्रावधान है कि छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल में पंजीकृत प्रतिष्ठान के अंतर्गत पंजीकृत कर्मकारों के पुत्र/पुत्री (दो पुत्र/पुत्रियों तक) छात्रवृत्ति के रूप में ₹ 1,500 से ₹ 10,000 (कक्षा एक से स्नातकोत्तर तक) का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र थे। यह पाया गया कि 2018–19 से 2022–23 के दौरान प्राप्त 11,254 आवेदनों में से केवल 8,779 (78 प्रतिशत) कर्मकारों को ₹ 3.12 करोड़ के व्यय के उपरांत योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया था। शेष 2,497 आवेदनों में से 2,475 को अस्वीकार कर दिया गया और 22 लंबित थे। तीन नमूना जाँच किए गए जिलों (सरगुजा, कोंडागांव और कांकेर) में यद्यपि 168 प्रतिष्ठानों में 4,859 कर्मकार थे, लेकिन कर्मकारो से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। यह इन जिलों में शैक्षिक छात्रवृत्ति की कल्याणकारी योजना के प्रति जागरूकता की कमी को इंगित करता है।

  शासन ने कहा (मई 2025) कि शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना में प्रतिष्ठानों में पोस्टर, डिस्प्ले बोर्ड आदि के माध्यम से इस योजना के प्रचार के लिए प्रयास किए जाएंगे ताकि कर्मकार योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जागरूक हो सकें।

  उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल ने इसी अवधि के दौरान विज्ञापन पर ₹ 3.74 करोड़ का व्यय किया, जो विज्ञापन के पारंपरिक माध्यम यथा होर्डिंग, पोस्टर आदि के माध्यम से श्रमिकों तक पहुंचने में अप्रभावी होने का संकेत देता है। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल को नए तरीके से कल्याणकारी योजनाओं के लिए श्रमिकों के बीच जागरूकता बढ़ाने की पहल करनी चाहिए।

- **कल्याण केंद्रों के संचालन पर प्रशासनिक व्यय एवं निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण योजना (संगठित कर्मकार हेतु)–** छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत प्रतिष्ठान के कर्मकार के परिवार के सदस्य (पत्नी और पुत्री) कल्याण केंद्रों में निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं, और छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल द्वारा आयोजित सिलाई/कढ़ाई की आवश्यक परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत, उन्हें सिलाई मशीन प्रदान किया जाएगा। जांच में यह ज्ञात हुआ कि वर्ष 2018–23 के दौरान 2,572 हितग्राहियों सिलाई का प्रशिक्षण दिया गया। इन 2,572 हितग्राहियों में से 1,702 लाभार्थी सिलाई मशीनों का लाभ उठाने के लिए पात्र थे। वर्ष 2018–23 के दौरान, इन पात्र हितग्राहियों को सिलाई मशीन प्रदान की जानी थी, परन्तु उन्हें वर्ष 2023–24 के दौरान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से लाभ प्रदान किया गया था। इस प्रकार, योजना का लाभ प्रदान करने में एक से पांच साल तक का विलम्ब हुआ।

  हितग्राहियों को योजना का लाभ प्रदान करने में विलम्ब के संबंध में शासन ने कोई टिप्पणी नहीं किया।

- **शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना (संगठित कर्मकार हेतु)–** पंजीकृत प्रतिष्ठानों के कर्मकार निर्दिष्ट केंद्रों पर 5 रुपये प्रति भोजन की कीमत पर पौष्टिक भोजन (चावल, दाल, सब्जी और आचार) के लिए पात्र थे। वर्ष 2018–19 में शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना सात से आठ केंद्रों पर भोजन वितरण के माध्यम से केवल पांच जिलों (बिलासपुर, रायपुर, राजनंदगांव, दुर्ग और रायगढ़) में लागू की गई थी। वर्ष 2019–20 से 2022–23 के दौरान, यह योजना चार जिलों (रायपुर, राजनंदगांव, दुर्ग और रायगढ़) में संचालित की गई

थी। 2018–19 के दौरान, दो केंद्रों अर्थात मैग्नेटो मॉल (रायपुर) और बृहस्पति बाजार (बिलासपुर) में पूरे वर्ष के दौरान और छावनी (दुर्ग) के एक केंद्र में छः महीने के लिए भोजन वितरित नहीं किया गया था। आगे, नवा रायपुर में वर्ष 2021–22 के दौरान 11 महीनों तक भोजन वितरित नहीं किया गया था।

शासन ने कहा (मई 2025) कि बृहस्पति बाजार (बिलासपुर) में शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना और छावनी (दुर्ग) के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लाभ हुआ है, जबकि मैग्नेटो मॉल (रायपुर) में अपंजीकृत व्यक्तियों ने लाभ उठाया था, इसलिए इसे कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। वर्तमान में, नवा रायपुर में नियुक्त ठेकेदार/वेंडर द्वारा भोजन केंद्र संचालित नहीं किया जा रहा है।

जबाब, केंद्रों अर्थात बृहस्पति बाजार (बिलासपुर), छावनी (दुर्ग) और मैग्नेटो मॉल (रायपुर) में भोजन के वितरण की अपर्याप्त निगरानी को इंगित करता है। आगे, अनुबंध के अनुसार, ठेकेदार/विक्रेता को सभी भोजन केंद्रों का संचालन करना था।

3.1.8 लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 का पालन न करना

लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के अंतर्गत तीन योजनाओं यथा महिला ठेका/हमाल/घरेलु कामगार, सफाई कर्मकार तथा अन्य असंगठित कर्मकार से संबंधित प्रसूति सहायता योजना से संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिए समय सीमा (आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 30 कार्य दिवस) निर्धारित की गई थी। लेखापरीक्षा ने असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत लाभों से संबंधित चयनित जिला कार्यालयों में तत्कालीन अभिलेख की जांच की, जो लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के अंतर्गत आते हैं एवं यह पाया कि उपरोक्त तीन प्रसूति योजनाओं के 2,837 आवेदन, आवेदन की तारीख से 30 दिनों की समय सीमा से परे लंबित थे। इसका विवरण **तालिका 3.1.6** में दिया गया है।

तालिका 3.1.6: योजनाओं का विवरण जिनमें लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 का पालन नहीं किया गया

योजना का नाम	जिला	विलंब की स्थिति माह तक (एक महीने में 20 कार्य दिवसों को मानते हुए)	आवेदन दिनांक से विलंब	लंबित आवेदनों की संख्या (30 दिवस के उपरांत लंबित)
ठेका श्रमिक घरेलु महिला कामगार और हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना	कोंडागांव	31 दिसंबर 2023	50 दिन से 55 दिन	02 (20 दिन से 25 दिन)
	कांकेर	31 दिसंबर 2023	40 दिन से 75 दिन	12 (10 दिन से 45 दिन)
	रायपुर	31 मई 2024	40 दिन से 246 दिन	123 (10 दिन से 216 दिन)
असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना	कोंडागांव	31 दिसंबर 2023	40 दिन से 95 दिन	45 (10 दिन से 65 दिन)
	कांकेर	31 दिसंबर 2023	40 दिन से 84 दिन	25 (10 दिन से 54 दिन)
	रायपुर	31 मई 2024	40 दिन से 242 दिन	90 (10 दिन से 212 दिन)
	जांजगीर–चांपा	31 दिसंबर 2023	60 दिनों तक और उससे अधिक	2535 (60 दिनों से अधिक)
सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता योजना	रायपुर	31 मई 2024	40 दिन से 98 दिन	05 (10 दिन से 68 दिन)
कुल				**2,837 मामलें**

(स्त्रोतः चयनित जिला कार्यालयों द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि विलंब 30 कार्य दिवसों की समय सीमा के बाद 10 दिनों से लेकर 216 दिनों तक थी। इस प्रकार, इन योजनाओं में विभाग द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया।

इंगित किये जाने पर पर संबंधित जिलों के सहायक श्रमायुक्तों/श्रम अधिकारियों ने कहा कि विधानसभा चुनाव एवं कर्मचारियों के चुनाव ड्यूटी में शामिल हाने के कारण आवेदनों के निपटान में विलंब हुआ।

उत्तर इंगित करता है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रावधान का पालन नहीं किया गया था।

3.1.9 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल और छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल द्वारा अपर्याप्त संख्या में बैठकों का आयोजन

असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल और छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अभिलेखों से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2018–23 के दौरान, असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल की बैठक, आवश्यक 15 बैठकों के विरुद्ध केवल एक बार (फरवरी 2023) तथा छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल की बैठक आवश्यक 20 बैठकों के विरुद्ध केवल सात बार आयोजित की गई थी जो कि क्रमशः असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा नियम, 2010 और छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि नियम, 1984 में प्रावधानित है।

आगे, निःशुल्क स्वास्थ्य/नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित करने, निःशुल्क सिलाई और कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्रों के विस्तार आदि के लिए छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल की बैठकों में लिए गए निर्णयों को लागू नहीं किया गया। जिसके कारण श्रमिक कल्याणकारी कार्यक्रमों के लाभ से वंचित रहे।

शासन ने कहा (मई 2025) कि वर्ष 2018–19 से नवंबर 2022 तक सदस्यों के नामांकन की अनुपलब्धता के कारण वांछित संख्या में बैठकें आयोजित नहीं की गईं। यद्यपि, दिसंबर 2022 में नामांकन किया गया था लेकिन अपूर्ण गणपूर्ति के कारण बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

जवाब इस बात की पुष्टि करता है कि सदस्यों के नामांकन में विलम्ब और अपूर्ण गणपूर्ति के कारण बैठकों का न होना असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल और छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल द्वारा अपर्याप्त प्रशासन को दर्शाता है।

3.1.10 राज्य में अमलों की कमी

श्रम विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं और अधिनियमों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने श्रम कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों की स्वीकृति दी है। श्रम विभाग में स्वीकृत, कार्यरत और रिक्त पदों का विवरण **तालिका 3.1.7** में दिया गया है।

तालिका 3.1.7: स्वीकृत, कार्यरत और रिक्त पदों का विवरण (मार्च 2023 तक)

श्रेणी	राज्य		
	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद (प्रतिशत)
सहायक श्रम आयुक्त/श्रम अधिकारी/सहायक श्रम अधिकारी	53	34	19 (36)
श्रम निरीक्षक/श्रम उप निरीक्षक	150	113	37 (25)
सहायक ग्रेड–3	103	21	82 (80)
डाटा प्रविष्टि प्रचालक	27	15	12 (44)
आउटसोर्स सहित भृत्य और चौकीदार	110	28	82 (75)

(स्त्रोतः श्रम आयुक्त कार्यालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

यह देखा गया कि सहायक ग्रेड–3 के मामले में 80 प्रतिशत पद, डाटा एंट्री ऑपरेटर के मामले में 44 प्रतिशत, सहायक श्रमायुक्त/श्रम अधिकारी के मामले में 36 प्रतिशत और श्रम निरीक्षक/श्रम उपनिरीक्षक के मामले में 25 प्रतिशत पद रिक्त थे, जिसके परिणाम स्वरूप कमियां जैसे कि योजनाओं के क्रियान्वयन में कमी, श्रम न्यायालय में लंबित मामलों को आगे बढ़ाने में देरी, अभिलेखों का अनुचित रखरखाव और लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 का पालन न करना आदि परिलक्षित हुईं जैसा कि पिछले कंडिकाओं में उल्लेख किए गया है।

शासन ने कहा (मई 2025) कि नियत समय पर कर्मचारियों की नई नियुक्ति और पदोन्नति के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

3.1.11 निष्कर्ष

श्रम विभाग, केंद्र और राज्य शासन द्वारा बनाए गए श्रम अधिनियमों/कानूनों के प्रवर्तन और श्रमिक कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से श्रमिकों की सुरक्षा और उनके आर्थिक, भौतिक और सामाजिक हितों को सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन का नोडल विभाग है।

हमने पाया किया कि छ.ग. शासन ने आबंटन और पंजीकृत श्रमिकों की संख्या के अनुरूप योजनाओं पर व्यय सुनिश्चित नहीं किया। असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों का पंजीयन भारत सरकार के ई–श्रम पोर्टल के अंतर्गत पंजीयन की संख्या से बहुत कम था, जबकि संगठित क्षेत्र में पंजीयन केवल 26 प्रतिशत था। निगरानी एजेंसियों की नियमित और आवधिक बैठकों की कमी के कारण असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल/छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल द्वारा कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी/मूल्यांकन अपर्याप्त थी।

3.1.12 अनुशंसाएं

शासन यह सुनिश्चित कर सकती है:

- ***श्रमिकों के लाभ के लिए आबंटित धन का बेहतर उपयोग।***
- ***क्रय की गई सायकल और अन्य उपकरण/सुरक्षात्मक गियर/सामग्री आदि के वितरण में विफल रहने वाले दोषी अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करना।***
- ***आईटी श्रम पोर्टल पर शेष एवं योग्य श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए विशिष्ट उपाय और विभिन्न शासकीय कल्याणकारी योजनाओं तथा इन योजनाओं का लाभ उठाने की प्रक्रिया के बारे में श्रमिकों को शिक्षित करने एवं जागरूकता पैदा***

करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित करना।

- *बेहतर क्रियान्वयन, पारदर्शिता एवं निगरानी के लिए उपयोगकर्ता अनुकूल पंजीकरण एवं हितलाभ वितरण हेतु मौजूदा पोर्टल में एक सुदृढ़ आईटी उप–मॉड्यूल बनाया जा सकता है।*

ऊर्जा विभाग

3.2 छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के द्वारा सौर पंपों की स्थापना पर वृहद कंडिका

3.2.1 प्रस्तावना

राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास और प्रचार के लिए मुख्य अभिकरण के रूप में छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) का गठन मई 2001 में सोसाइटी अधिनियम 1973 के अधीन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया गया है। क्रेडा का मुख्य उद्देश्य घरेलू एवं औद्योगिक उद्देश्यों के लिए ऊर्जा का उत्पादन करने हेतु सौर, पवन, जल, जैवमास, बायोगैस एवं भू–तापीय जैसे नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा देना है, जो कि प्रकृति में या तो असीमित हैं या प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं तथा साथ ही कोयला, जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम आदि जैसे सीमित पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को कम करना है। क्रेडा सौर सुजला योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत/समुदायिक लघु सिंचाई तथा जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाइपलाइन के माध्यम से पेय जल आपूर्ति करने हेतु विभिन्न जल स्रोतों जैसे नलकूप, कुएं, नदियों, तालाबों आदि में सौर फोटो वोल्टाइक उपकरणों पर आधारित सौर पंप स्थापित करने के लिए एक अभिकरण जैसा कार्य करता है।

वर्ष 2017–23 के दौरान क्रेडा ने तीन योजनाओं के अंतर्गत लघु सिंचाई तथा पेय जल आपूर्ति करने हेतु ₹ 4,495.24 करोड़ व्यय कर 1,26,908 सौर पंप संस्थापित किए। वर्ष 2017–23 के दौरान, क्रेडा द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्थापित सौर पंपों की संख्या तथा उस पर हुए व्यय का विवरण **तालिका 3.2.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.2.1: 2017–23 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्थापित सौर पंपों का विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	योजनाओं का नाम	स्थापित सौर पंपों की संख्या	व्यय
1	*लघु सिंचाई –*		
	(i) व्यक्तिगत सौर सुजला योजना	1,12,392	3,404.09
	(ii) सौर सामुदायिक सिंचाई	171	60.61
2	पेय जल आपूर्ति–		
	(iii) सौर डुअल पंप	9,594	482.54
	(iv) जल जीवन मिशन	4,751	548.00
	योग	**1,26,908**	**4,495.24**

(स्त्रोतः वर्ष 2017–23 हेतु क्रेडा द्वारा सूचित भौतिक/वित्तीय प्रगति)

लेखापरीक्षा ने (अप्रैल 2021 से सितंबर 2023 के मध्य) क्रेडा, इसके क्षेत्रीय कार्यालयों तथा जिला स्तर पर कार्यरत कार्यालयों द्वारा वर्ष 2017–18 से 2022–23 की अवधि में संधारित अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा की जिसका उद्देश्य यह आंकलन करना था कि क्या सौर पंपों की स्थापना मितव्ययिता, कुशलता और समयबद्ध तरीके से की गई थी। लेखापरीक्षा द्वारा सौर सुजला योजना के अंतर्गत सौर पंपों को प्राप्त करने वाले हितग्राहियों (कृषकों) को सम्मिलित करते हुए क्षेत्र सर्वेक्षण भी किए गए थे। राज्य के 28 जिलों में

से, आठ जिलों[11] और प्रत्येक चयनित जिले में से दो विकासखंडो (या 25 प्रतिशत) और प्रत्येक चयनित विकास खंडो में 15 सौर पंपों का चयन स्तरीकृत यादृच्छिक वितरण नमूनाकरण बिना प्रतिस्थापन विधि से किए गए थे।

लेखापरीक्षा परिणामों की तुलना नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग/वित्त विभाग द्वारा जारी योजना के दिशानिर्देशों, परिपत्रों एवं निर्देशों तथा क्रेडा के कार्य नियमावली से प्राप्त मानदंडों के मानक से किया गया।

पंजीकृत समिती होने के कारण क्रेडा विभिन्न विभागों/प्राधिकरणों/निकायों द्वारा उपलब्ध कराए निक्षेप से कार्य करती है।

वर्ष 2017–23 के दौरान, क्रेडा को सौर सुजला योजना/सौर सामुदायिक सिंचाई के अंतर्गत उर्जा विभाग तथा सौर डुअल पंपों/जल जीवन मिशन हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा अन्य जिला प्राधिकरणों से ₹ 5,147.66 करोड़ की निधियां प्राप्त हुई थी। उपलब्ध निधियां ₹ 5,195.63 करोड़ (वर्ष 2017–18 के प्रारम्भिक शेष ₹ 47.97 करोड़ सहित) में से, कुल निधि ₹ 4,495.24 करोड़ (86.52 प्रतिशत) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सौर पंपों के स्थापना हेतु उपयोग की गई थी तथा मार्च 2023 के अंत में अंतशेष के रूप में ₹ 700.40 करोड़ पड़ी थी जिसे **तालिका 3.2.2** में वर्णित किया गया है।

तालिका 3.2.2: 2017–23 के दौरान सौर पंपों की स्थापना हेतु निधियों के प्रवाह की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्तियां	योग	व्यय (प्रतिशत)	अंतशेष (प्रतिशत)
2017–18	47.97	901.5	949.47	891.69 (93.91)	57.78 (6.09)
2018–19	57.78	677.05	734.83	621.25 (84.54)	113.59 (15.46)
2019–20	113.59	496.19	609.78	559.70 (91.79)	50.08 (8.21)
2020–21	50.08	988.64	1038.72	651.10 (62.68)	387.62 (37.32)
2021–22	387.62	790.9	1178.52	941.11 (79.86)	237.41 (20.14)
2022–23	237.41	1293.38	1530.79	830.39 (54.25)	700.40 (45.75)
योग		**5147.66**	**6042.11**	**4495.24 (86.52)**	

(स्त्रोतः वर्ष 2017–23 हेतु क्रेडा द्वारा सूचित वित्तीय प्रगति)

अंतशेष वर्ष 2019–20 के अंत में ₹ 50.08 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022–23 के अंत में ₹ 700.40 करोड़ हो गया और वर्ष 2017–23 के दौरान उपलब्ध निधि से व्यय का प्रतिशत 93.91 प्रतिशत से 54.25 प्रतिशत तक की उतार–चढ़ाव की प्रवृति को दर्शाती है तथा उपलब्ध निधियों के कम उपयोग को इंगित करता है।

जिला जल और स्वच्छता समितियों ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के अंत में जल जीवन मिशन के तहत सौर पंपों की स्थापना के लिए निधियां जमा किए थे और इस जमा निधि में से अव्ययित निधि अधिक अन्तशेष के रूप में दृष्टिगोचर हुई।

[11] बलोदाबाजार, बलरामपुर, गरियाबंद, जशपुर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर और राजंनदगांव

3.2.2 लेखापरीक्षा परिणाम

3.2.2.1 सौर सुजला योजना के अंतर्गत एसी पंपों की अपेक्षा महंगे डीसी पंपों की स्थापना को प्राथमिकता दिया जाना

सौर सुजला योजना का उद्देश्य विशेष रूप से विद्युतविहीन, दुर्गम क्षेत्रों में सौर पंपों की स्थापना के माध्यम से लघु सिंचाई सुविधा पहुंचाना है। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्ष 2016–17, 2017–18 और 2018–19 हेतु तीन से पांच एचपी क्षमता श्रेणी के केवल एसी सौर पंपो की स्थापना किए जाने थे जबकि डीसी सौर पंप का विकल्प एक से दो एचपी क्षमता श्रेणी के लिए ही उपलब्ध था। तथापि, वर्ष 2019–20 के संशोधित दिशानिर्देशों में एसी एवं डीसी सौर पंपों का विकल्प सभी श्रेणियों अर्थात दो से पांच एचपी क्षमता वाले पंपों तक बढ़ा दी गई थी।

अवधि वर्ष 2016–23 के दौरान, क्रेडा ने दो से पांच एचपी के एसी तथा डीसी सबमर्सिबल तथा सतही सौर पंपो की आपूर्ति तथा स्थापना हेतु खुली निविदा आमंत्रित की थी। सबमर्सिबल तथा सतही सौर पंपों की प्रति इकाई न्यूनतम स्वीकृत दरें एसी पंप हेतु ₹ 1,38,585 तथा ₹ 4,50,000 के मध्य थी जबकी डीसी सौर पंप हेतु प्रति इकाई दर ₹ 1,86,219 तथा ₹ 4,90,500 के मध्य थी। इसतरह, डीसी सौर पंप हेतु स्वीकृत दरें एसी सौर पंप हेतु स्वीकृत दरों के तुलना में ₹ 40,500 से ₹ 47,634 तक अधिक थी।

लेखापरीक्षा (अप्रैल 2021 तथा सितम्बर 2023 के मध्य) में पाया गया कि अवधि वर्ष 2016–23 के दौरान, सौर सुजला योजना के अंतर्गत क्रेडा ने 1,24,472 सौर पंप स्थापित किए थे जिसमें 88,806 डीसी (71.35 प्रतिशत) पंप तथा 35,666 (28.65 प्रतिशत) एसी पंप शामिल थे। इनमें से, वर्ष 2016–17 से 2018–19 के दौरान, योजना के दिशानिर्देशों के विपरीत एसी पंपों की जगह तीन से पांच एचपी के 24,427 डीसी सौर पंप स्थापित किए थे। जिसके परिणामस्वरूप एसी पंपों के अपेक्षा डीसी पंपो को प्राथमिकता देने के कारण **तालिका 3.2.3** में दर्शाए अनुसार योजना पर ₹ 49.39 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई।

तालिका 3.2.3: वर्ष 2016–19 से विभिन्न क्षमता के स्थापित सौर पंपो का विवरण

(₹ लाख में)

स. क्र.	सौर पंपो की प्रकार एवं क्षमता	चरण–1 (2016–17)			चरण–2 (2017–18)			चरण–3 (2018–19)		
		डीसी पंपो की संख्या	दरें (डीसी/एसी)	अंतर	डीसी पंपो की संख्या	दरें (डीसी/एसी)	अंतर	डीसी पंपो की संख्या	दरें (डीसी/एसी)	अंतर
1	3 एचपी सतही	631	3.60/3.36	0.24	3011	2.99/2.82	0.17	573	2.09/2.10	0.00
2	3 एचपी सबमर्सिबल	2107	3.72/3.48	0.24	5945	3.18/3.02	0.16	6910	2.48/2.25	0.23
3	5 एचपी सबमर्सिबल	728	4.91/4.50	0.41	1929	4.19/3.94	0.25	1820	3.15/2.89	0.26
4	5 एचपी सतही	0	0	0	229	4.33/3.98	0.35	544	3.33/3.11	0.22
	योग	**3,466**	**अतिरिक्त लागत ₹ 955.60**		**11,114**	**अतिरिक्त लागत ₹ 1,927.41**		**9,847**	**अतिरिक्त लागत ₹ 2,056.02**	
वर्ष 2016–19 में स्थापित कुल सौर पंपो की संख्या					**24,427**	**सकल अतिरिक्त लागत ₹ 4,939.03 लाख**				

(स्त्रोतः वर्ष 2016–23 हेतु क्रेडा द्वारा सूचित किए गए वित्तीय प्रगति)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2016–17 से 2018–19 के दौरान तीन से पांच एचपी के महंगे डीसी पंप स्थापित किए गए थे जबकि दिशानिर्देशो में एसी पंपों की स्थापना हेतु प्रावधान किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 49.39 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

लेखापरीक्षा में इंगित करने पर, शासन ने (जनवरी 2024) में उत्तर दिया कि एमएनआरई की संकेतात्मक तकनीकी विशिष्टियो के अनुसार डीसी सौर पंपों की जल निकासी क्षमता एसी सौर पंप की तुलना में अधिक है। डीसी सौर पंपों का कोई अन्य उपयोग नहीं है इसलिए इसके चोरी होने की संभावना कम है।

उत्तर तीन से पांच एचपी श्रेणी के अंतर्गत एसी पंपों की स्थापना हेतु योजना के निधार्रित दिशा–निर्देशों के अनुरूप नहीं है।

3.2.2.2 सौर सुजला योजना के अंतर्गत नलकूप के जल आवक क्षमता परीक्षण किए बिना सौर पंपों की स्थापना के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर को भुगतान

अनुबंध के दायरे के अनुसार, सौर पंपों की स्थापना के कार्य में स्थलों का सर्वेक्षण, नलकूप/जल स्रोत की जल आवक क्षमता का अनुमान, पंपों के आकार और प्रकार का सही चयन, स्थल स्वीकृति प्रमाणपत्र की प्रस्तुति और जहाँ सौर फोटो वोल्टाइक पंप स्थापित किए जाने हैं उसका जल आवक क्षमता प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सम्मिलित होगा। सौर सुजला योजना अंतर्गत सौर पंपों की स्थापना के लिए क्रेडा द्वारा जारी स्वीकृति आदेश, कार्य आदेश और आशय पत्र के अनुसार सौर पंपों की स्थापना से पहले नलकूपों की जल आवक क्षमता परीक्षण करने का उत्तरदायित्व सिस्टम इंटीग्रेटरो[12] की है। आगे, यह निर्देशित किया गया था कि यदि पंप के स्वीकृत क्षमता के अनुरूप पर्याप्त पानी नहीं पाया जाता है तो कार्य आदेश तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिए जाएंगे। इसके अलावा, क्रेडा के आदेश (जून 2019) के अनुसार, क्रेडा द्वारा निष्पादित प्रत्येक परियोजना के संयुक्त पूर्णता प्रमाणपत्र के साथ न्यूनतम पांच जियो–टैग चित्र प्रस्तुत किए जाने थे। इसमे कार्य पूर्ण होने से पहले और बाद के चित्र, विभिन्न घटकों की चित्र तथा हितग्राही के साथ स्थापित पंप का एक चित्र सम्मिलित था।

अभिलेखों की जांच (अप्रैल 2021 से सितंबर 2023 के मध्य) में पाया गया कि अवधि 2016–23 के दौरान, क्रेडा ने सौर सुजला योजना के अंतर्गत 1,24,472 सौर पंप (नलकूप में 90,130 सबमर्सिबल पंप तथा सतही जल स्रोतों जैसे नदी, तालाब आदि पर 34,342 पंप) स्थापित किए। तथापि, सौर सबमर्सिबल पंप स्थापित करने से पहले आवश्यक जल आवक क्षमता परीक्षण नहीं किए गए थे क्योंकि जल आवक क्षमता परीक्षण का प्रतिवेदन या जल आवक क्षमता परीक्षण निष्पादित किए जाने के अन्य अभिलेख नही पाये गये तथा लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं किए गए। चयनित आठ जिलों में, क्षेत्र सर्वेक्षण (अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022) के दौरान 236 सौर पंपों (3 एचपी–188 और 5 एचपी–48) का भौतिक निरीक्षण किया गया तथा हितग्राहियों के साथ पारस्परिक बातचीत की गई थी। इनमें से, 15 सौर पंप (छह प्रतिशत) पानी का कम जल आवक क्षमता दे रहे थे और 13 सौर पंप अकार्यशील/खराब हो गए थे।

हितग्राहियों ने यह भी पुष्टि की कि सिस्टम इंटीग्रेटरो ने सौर पंपों की स्थापना से पहले जल आवक क्षमता परीक्षण नहीं किए थे। तथापि, क्रेडा ने दर अनुबंध के अनुसार सिस्टम

[12] सिस्टम इंटीग्रेटर एक ठेकेदार/एजेंसी है जो संबंधित कार्य के साथ सौर पंपों की स्थापना को निष्पादित करने के लिए क्रेडा/एमएनआरई के साथ पंजीकृत हैं।

इंटीग्रेटरो को पूर्ण भुगतान जारी कर दिया। दर अनुबंध में घटकवार लागत के विवरण के अभाव में लेखा परीक्षा ने जल आवक क्षमता परीक्षण हेतु सिस्टम इंटीग्रेटरो को किए गए ₹ 4.66 करोड़[13] की भुगतान की संगणना करने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में फरवरी 2015 और जून 2020 से प्रभावी दरों की अनुसूची में जल आवक क्षमता परीक्षण घटक हेतु निर्धारित दर को अपनाया है। इसके परिणामस्वरूप, क्रेडा द्वारा कार्य के एक मद की निष्पादन सुनिश्चित किए बिना भुगतान के कारण ठेकेदारों को ₹ 4.66 करोड़ के अनुचित लाभ मिला।

लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर, शासन ने बताया (जनवरी 2024) कि दूरस्थ और विद्युतविहीन क्षेत्र होने के कारण सभी सिस्टम इंटीग्रेटर/विक्रेता सौर पंप स्थापना से पहले स्थिर स्तर और जल की कुल गहराई की सामान्य विधि द्वारा जल के स्रोत का जाँच करते हैं तथा यही समान जानकारी आवेदन पत्र के प्रारूप–2 में दी गई थी जिसके आधार पर क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कार्य आदेश जारी किए गए थे। आगे यह भी कहा गया कि सौर पंप स्थापना से पहले जल आवक क्षमता परीक्षण अनिवार्य रूप से किए जाने तथा जियो–टैग चित्र लेने के निर्देश जारी किए जाएंगे। आगे यह कहा गया कि लेखापरीक्षा परिणामों के अनुपालन में निविदा अभिलेखों में जल आवक क्षमता परीक्षण और जियो –टैग चित्र लेने के लिए प्रावधान किए गए हैं।

उत्तर स्वतः–व्याख्यात्मक है कि सौर सबमर्सिबल पंप की स्थापना से पहले जल आवक क्षमता परीक्षण नहीं किया गया था और सौर पंप की क्षमता (3एचपी/5 एचपी) का निर्धारण नलकूपों में जल जल आवक क्षमता की जाँच के स्थान पर स्थिर स्तर और नलकूप की कुल गहराई के आधार पर निर्धारित की गई थी।

3.2.2.3 कुओं में सतही पंप के स्थान पर सबमर्सिबल पंप स्थापित किए जाने के कारण अपरिहार्य अतिरिक्त लागत

सौर सुजला योजना के दिशा–निर्देशों (मई 2017) के अंतर्गत, एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान अपनी उथली नलकूप या अपनी अन्य स्रोतों में पानी की उपलब्धता के आधार पर सौर पंप के लिए पात्र हैं। सौर सुजला योजना के दिशानिर्देशों में कहा गया है कि नलकूप/कुएं/तालाब/नदी/एनिकट जैसे स्रोतों में पानी की उपलब्धता के आधार पर 2 एचपी से 5 एचपी तक की सबमर्सिबल/सतही सौर पंप स्थापित किया जाएगा।

अभिलेखों की जांच (अप्रैल 2021 से सितंबर 2023 के मध्य) में पाया गया कि अवधि 2016–23 के दौरान क्रेडा ने सौर सुजला योजना के तहत 1,24,472 सौर पंप (सबमर्सिबल–90,130 और सतही–34,342) स्थापित किए। इनमें से 5,297 सबमर्सिबल सौर पंप (4,865–3 एचपी और 432–5 एचपी) कुओं में स्थापित किए गए थे जैसा कि **तालिका 3.2.4** में दिया गया है।

[13] 56301 × ₹ 415 प्रति घंटा + 34083 × ₹ 688 प्रति घंटा = ₹ 2.32 करोड़ + ₹ 2.34 करोड़

तालिका 3.2.4: क्षेत्रीय कार्यालयवार कुओं में सौर पंपों की स्थापना

क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	तीन एचपी सौर पंप		पांच एचपी सौर पंप	
	सबमर्सिबल	सतही	सबमर्सिबल	सतही
बिलासपुर[14]	99	346	25	11
दुर्ग	409	466	66	137
जगदलपुर	386	1096	9	125
दंतेवाडा	624	95	14	35
रायगढ़	81	327	14	65
रायपुर	524	495	88	69
सरगुजा	2742	2306	216	152
योग	**4865**	**5131**	**432**	**594**

सामान्यतः सबमर्सिबल पंपों को गहरे कुओं के लिए उपयोग किया जाता है जबकि सतही पंपों का उपयोग उथले जल स्रोतों के लिए किया जाता है। उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि जल की गहराई तालिका पर ध्यान दिए बिना सबमर्सिबल पंप सभी परिक्षेत्रो में स्थापित किए गए थे। लेखा परीक्षा में देखा गया कि छत्तीसगढ़ के भू–जल प्रतिवेदन 2021–22 के अनुसार 13 प्रतिशत कुओं में सामान्य जल स्तर की गहराई 0 से 2 मीटर नीचे भूमि स्तर (एमबीजीएल) के मध्य, 46 प्रतिशत कुओं में 2–5 एमबीजीएल के मध्य और 37 प्रतिशत कुओं में 10 एमबीजीएल तक था। बिलासपुर और कबीरधाम के केवल कुछ भागो में जल स्तर की गहराई 20 से 40 एमबीजीएल के मध्य होते हैं। तथापि, उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि बिलासपुर परिक्षेत्र में जहां छत्तीसगढ़ के शेष भागों की तुलना में गहरे कुंए हैं वहां सबमर्सिबल पंपों की तुलना में अधिक सतही पंप स्थापित किए गए थे जबकि सरगुजा और रायपुर में अधिक सबमर्सिबल पंप स्थापित की गई थी। यह दर्शाता है कि योजना के अंतर्गत सबमर्सिबल पंप के स्थान पर सतही पंप जो लागत में अधिक सस्ती हैं, को स्थपित किया जा सकता था। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि क्रेडा द्वारा वर्ष 2016–23 के दौरान स्वीकृत किए गए न्यूनतम दरों के अनुसार, 3 एचपी और 5 एचपी के सबमर्सिबल एवं सतही सौर पंपों में औसत दर का अंतर क्रमशः ₹ 28,697 और ₹ 95,551 के मध्य था, जिसे **तालिका 3.2.5** में वर्णित किया गया है।

तालिका 3.2.5: सतही और सबमर्सिबल सौर पंप के मध्य दर का अंतर

(₹ में)

दर अनुबंध में सौर पंपों की औसत दर की वर्ष	3 एचपी सौर पंप			5 एचपी सौर पंप		
	सबमर्सिबल पंपों की औसत दर	सतही पंपों की औसत दर	औसत दर में अंतर	सबमर्सिबल पंपों की औसत दर	सतही पंपों की औसत दर	औसत दर में अंतर
2016–17 से 2022–23	2,88,337	2,59,640	28,697	4,38,805	3,43,254	95,551

(स्त्रोतः– वर्ष 2016–17 से 2022–23 के दौरान क्रेडा द्वारा सौर सुजला योजना के अंतर्गत सौर पंप स्थापना हेतु स्वीकृत किए न्यूनतम दरें)

[14] जिला गौरेला–पेंड्रा–मरवाही, मुंगेली, कोरबा से संबंधित आंकड़े

इस प्रकार, 14[15] जिलों में सतही पंपों के स्थान पर 2,746 (तीन एचपी के 2,474 और पांच एचपी के 272) सौर सबमर्सिबल पंपों की स्थापना से ₹ 9.70 करोड़[16] की अपरिहार्य अतिरिक्त लागत आई।

इंगित किए जाने पर शासन ने उत्तर दिया (जनवरी 2024) कि सतही पंप का सक्शन हेड कम होता है तथा कुछ कुओं में जहाँ गहराई अधिक थी, सबमर्सिबल पंप स्थापित किए गए थे। आगे यह भी कहा गया कि लेखा परीक्षा परिणामों के अनुपालन में अब सबमर्सिबल सौर पंपों की स्थापना नहीं की जा रही है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एम.एन.आर.ई. के विशिष्टियो के अनुसार 20 से 30 मीटर जल सक्शन हेड क्षमता के साथ सतही पंप उपलब्ध है और भारत सरकार की भूजल प्रतिवेदन के अनुसार कुओं की अधिकतम गहराई 25 एमबीजीएल के भीतर थी।

3.2.2.4 श्रमिक उपकर की कटौती नही करने के कारण सिस्टम इंटेंग्रेटर्स को ₹12.47 करोड़ का अनुचित लाभ

भवन तथा अन्य निर्माण कार्यो में नियोजित श्रमिकों की कल्याण हेतु संसाधनों को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 को अधिसूचित किया। अधिनियम के धारा 3(1) के अनुसार, सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निर्माण कार्यों के संबंध में "स्रोत पर कटौती" के रूप में निर्माण लागत पर एक प्रतिशत की दर से उपकर लगाना एवं संग्रह किया जाना है। विभिन्न राज्य योजनाओं यथा व्यक्तिगत लघु सिंचाई तथा सौर सामुदायिक सिंचाई हेतु सौर सुजला योजना, छत्तीसगढ़ में पेय जल प्रदाय हेतु सौर डुअल पंप और जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन हेतु क्रेडा मुख्य अभिकरण है। क्रेडा ने अवधि 2016–17 से 2022–23 के दौरान सौर सुजला योजना/सौर सामुदायिक सिंचाई/सौर डुअल पंप/जल जीवन मिशन योजनाओं के अंतर्गत सौर पंपों की स्थापना के लिए सिस्टम इंटेंग्रेटर्स के साथ दर अनुबंधों का पालन किया जिसमें आपूर्ति, स्थापना और सिविल कार्य सम्मिलित थे। दर अनुबंध की शर्तों में भुगतान जारी करने के दौरान सिस्टम इंटेंग्रेटर्स के देयकों से सिविल कार्यों पर श्रमिक उपकर की कटौती हेतु शर्त भी सन्निहित है।

वर्ष 2016–17 से 2022–23 के दौरान, क्रेडा ने लघु सिंचाई के लिए सौर सुजला योजना/सौर सामुदायिक सिंचाई तथा पेयजल की आपूर्ति के लिए सौर डुअल पंप/जल जीवन मिशन के अंतर्गत 1,39,643 सौर पंप स्थापित किए एवं स्वीकृत लागत के अनुसार सिस्टम इंटेंग्रेटर्स को ₹ 5,006.57 करोड़ का भुगतान किया। इस प्रकार, इस अवधि के दौरान ₹ 50.06 करोड़ तक श्रमिक उपकर (लागत का एक प्रतिशत) आरोपित किया जाना था।

अभिलेखों की जांच (अप्रैल 2021 से सितंबर 2023 के बीच) से पता चला कि वर्ष 2016–21 के दौरान क्रेडा ने सौर पंपों की स्थापना के लिए सिस्टम इंटेंग्रेटर्स को जारी किए गए ₹ 3,235.07 करोड़ के भुगतान से श्रमिक उपकर की कटौती नहीं की, जो संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन था। हालाँकि, क्रेडा ने वर्ष 2021–22 से सौर पंपों की स्थापना पर श्रमिक उपकर की कटौती प्रारंभ किया था। आगे यह भी देखा गया कि वर्ष 2021–23

---

[15] बस्तर, धमतरी, दुर्ग, जांगीर–चांपा, जशपुर, कबीरधाम, कांकेर, कोरबा, कोरिया, महासमुंद, रायगढ़, रायपुर, राजनंदगांव और सरगुजा 2021–22 के भूजल विवरण में उपलब्ध हैं।

[16] ₹ 7. 10 करोड़ (28697 की दर से तीन एचपी के 2474) + 2.6 करोड़ (95551 की दर से पांच एचपी के 272)

के दौरान, क्रेडा ने सौर पंपों की स्थापना लागत के 30 प्रतिशत पर श्रमिक उपकर की कटौती की।

हालाँकि, क्रेडा ने अवधि 2016–17 से 2020–21 के दौरान सिस्टम इंटेंग्रेटर्स को किए गए भुगतान से श्रमिक उपकर की कटौती नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप श्रमिक उपकर की कटौती नही करने के कारण सिस्टम इंटेंग्रेटर्स को ₹ 12.47 करोड़[17] का अनुचित लाभ प्राप्त हुआ जिसे उत्तरदायी सिस्टम इंटेंग्रेटर्स से न तो वसूला गया और न ही इसे दिसंबर 2024 तक भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के पास जमा किया गया।

इंगित किये जाने पर, शासन ने उत्तर दिया (जनवरी 2024) कि वर्तमान में सिविल कार्य की स्थापना लागत पर एक प्रतिशत श्रमिक उपकर की कटौती की जा रही है। आगे यह भी कहा गया कि लेखापरीक्षा परिणामों के अनुपालन में वर्ष 2024–25 के निविदा अभिलेखों में पंप की कुल लागत पर श्रमिक उपकर की कटौती का प्रावधान अपनाया गया है।

3.2.3 निष्कर्ष

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से क्रेडा द्वारा सौर पंपों की स्थापना योजनाओं में धन के अपर्याप्त उपयोग एवं योजना के दिशानिर्देशों से विचलन के कारण योजना का उद्देश्य प्रभावित हुआ। इसके परिणामस्वरूप जल स्रोतों के साथ उपयुक्तता सुनिश्चित किए बिना पंपों की स्थापना, नलकूपों की जल आवक क्षमता का परीक्षण किए बिना ठेका भुगतान जारी करना एवं महंगे पंपों का चयन किया गया। इन सभी कारणों ने योजनाओं के प्रदर्शन को प्रभावित किया एवं अनावश्यक व्यय का कारण बने। क्रेडा ने जहाँ देय था वहाँ निर्धारित रॉयल्टी एवं श्रमिक उपकर की वसूली न करके वैधानिक अनुपालन में भी चूक किया।

3.2.4 अनुशंसाएं

- ***यह अनुशंसा की जाती है कि संबंधित जल स्रोतों में स्थापित किए जाने वाले सौर पंपों का उपयुक्त प्रकार एवं श्रेणी निर्दिष्ट करते हुए तथा योजना के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु क्रेडा को स्पष्ट दिशानिर्देश बनाना चाहिए।***

[17] (5006.57 करोड़ का 30 प्रतिशत) का एक प्रतिशत = ₹ 15.02 करोड़ – ₹ 2.55 करोड़ (श्रम उपकर की वसूली की गई और 2021–22 से 2022–23 की अवधि के लिए खातों के संबंधित अंतिम शीर्ष में जमा किया गया) =₹ 12.47 करोड़

लेखापरीक्षा कंडिकाएं

लेखापरीक्षा ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गंभीर कमियां पाई, जो राज्य सरकार की प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं। अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस अध्याय में प्रस्तुत किए गए हैं। ये टिप्पणियाँ नियमों और विनियमों के अनुपालन न होने/अनुपस्थित होने तथा निगरानी/प्रशासनिक नियंत्रण में कमी से संबंधित हैं। इनका उल्लेख नीचे किया गया है:

लोक निर्माण विभाग

3.3 ठेकेदार को अनुचित लाभ

कठोर चट्टान को साधारण चट्टान के रूप में गलत वर्गीकृत करने तथा तटबंध कार्य के लिए ठेकेदार को वास्तविक मात्रा से अधिक ₹ 1.19 करोड़ का अधिक भुगतान करने के परिणामस्वरूप सरकार को हानि हुई तथा ठेकेदार को अनुचित लाभ हुआ।

माप पुस्तिकाओं के उपयोग के संबंध में निर्माण विभाग नियमावली के खंड 4.023(v) के अनुसार, "आंकड़ों को जोड़ना/मिटाना/आंकड़ो का अधिलेखन करना सख्त वर्जित है। यदि सुधार आवश्यक है, तो गलत प्रविष्टि पर एक रेखा खींचकर एवं उसके ऊपर सही आंकड़ा लिखकर सुधार किया जाना चाहिए। सुधार करने वाले पक्ष को सुधार पर अपने आद्याक्षर एवं दिनांक अंकित करने आवश्यक हैं। जब आंकड़ों के समूह में सुधार आवश्यक हो, तो पूरे समूह को फिर से लिखा जाना, आद्याक्षर किया जाना एवं दिनांक अंकित किया जाना चाहिए। आद्याक्षर में व्यक्ति के नाम एवं उपनाम के प्रथम अक्षर होने चाहिए। यदि कोई माप रद्द किया जाता है, तो रद्द करने का कारण उसी पृष्ठ पर दर्ज किया जाना चाहिए एवं उसके नीचे दिनांक सहित हस्ताक्षर किए जाने चाहिए"। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी सड़क निर्माण कार्यों के लिए दर अनुसूची (एसओआर), 2013 के प्रावधान के अनुसार, खुदाई के दौरान प्राप्त कठोर चट्टान ठेकेदार को ₹ 200.00 प्रति घन मीटर की दर से जारी की जाएगी।

छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग ने लोक निर्माण वृत्त, सरगुजा में मसंकी–बेदमी रोड (लंबाई 4.36 कि. मी.) पर घाट काटने एवं सीमेंट कंक्रीट सड़क के निर्माण के लिए एक ठेकेदार को ₹ 6.46 करोड़ (एसओआर से 13.80 प्रतिशत कम) की अनुबंध राशि के साथ कार्य आदेश (अक्टूबर 2014) जारी किया, जिसे पूरा करने की अवधि बारिश के मौसम सहित 15 महीने अर्थात 19.01.2016 निर्धारित की गई थी।

सड़क के संरेखण में परिवर्तन एवं बिटुमिनस मैकाडम और सेमी–डेंस बिटुमिनस कंक्रीट की नई मदों सहित अतिरिक्त कार्य के कारण कार्य का मूल दायरा संशोधित किया गया था तथा छत्तीसगढ़ शासन (अप्रैल 2018) ने कार्य के लिए पूरक अनुसूची को मंजूरी इस निर्देश के साथ दी कि शुद्ध अतिरिक्त लागत अनुबंधित राशि के ₹ 4.71 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। कार्य मार्च 2018 में पूरा हुआ, और ठेकेदार को ₹ 11.51[18] करोड़ का भुगतान किया गया (मार्च 2022)। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पूरक अनुसूची में अनुमोदित ₹ 11.17[19] करोड़ की राशि से ₹ 33.92 लाख की राशि का अतिरिक्त भुगतान किया गया।

अभिलेखों की जाँच से निम्नलिखित तथ्य सामने आए:

[18] दिनांक 11.03.2022 के आदेश संख्या 13 डीएल के अनुसार, ₹ 12.82 लाख की लागत वृद्धि सहित

[19] ₹ 6.46 करोड़ (अनुबंधित राशि) + ₹ 4.71 करोड़ (पूरक अनुसूची में अतिरिक्त शुद्ध लागत)

(अ) कठोर चट्टान को साधारण चट्टान के रूप में गलत वर्गीकृत करने के कारण सरकार को ₹ 2.02 करोड़ का नुकसान

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि कार्य के मूल प्राक्कलन में साधारण चट्टान में उत्खनन की मात्रा 44,528.16 घन मीटर और कठोर चट्टान में उत्खनन की मात्रा 66,792.24 घन मीटर शामिल थी, जबकि संशोधित प्राक्कलन (जून 2016) में साधारण चट्टान और कठोर चट्टान में उत्खनन की मात्रा को क्रमशः 3,72,566.90 घन मीटर और शून्य के रूप में संशोधित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि अधीक्षण अभियंता द्वारा (दिसंबर 2017) ठेकेदार को अप्रैल 2017 से मार्च 2018 की अवधि के लिए कठोर चट्टानों में घाट काटने और वन विभाग से अनुमति में देरी जैसे कारणों से समय विस्तार दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने मदों की मात्रा एवं लागत में भिन्नता के अनुमोदन हेतु छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग को प्रस्तुत (फरवरी 2018) पूरक अनुसूची से पाया कि साधारण चट्टान और कठोर चट्टान में उत्खनन मद के अंतर्गत की गई वास्तविक मात्राएँ क्रमशः 2,41,064.28 घन मीटर (60 प्रतिशत) और 1,60,709.52 घन मीटर (40 प्रतिशत) दर्शाई गई थीं। यहाँ शामिल मात्राएँ 8वें और अंतिम देयक[20] के लिए माप पुस्तिकाओं में दर्ज की गई प्रारंभिक अभिलेखण (26 फरवरी 2018) के अनुरूप थीं।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि उपरोक्त प्रारंभिक अभिलेखण को माप पुस्तिका में काट दिया गया था और अधिलेखन कर दिया गया था, जिसमें पूरी मात्रा अर्थात 4,01,773.80 घन मीटर (2,41,064.28 घन मीटर + 1,60,709.52 घन मीटर) को बिना किसी औचित्य/कारण के साधारण चट्टान में कटाई के रूप में दर्शाया गया था। तदनुसार, 4,01,773.80 घन मीटर साधारण चट्टान की कटाई पर विचार करते हुए ठेकेदार को 8वें चल देयक में ₹ 129 प्रति घन मीटर की दर से भुगतान किया गया।

उपरोक्त तथ्य दर्शाते हैं कि कठोर चट्टान का उत्खनन किया गया था और विभाग की दर अनुसूची के प्रावधान के अनुसार, उत्खनन के दौरान प्राप्त कठोर चट्टान को ठेकेदार को जारी किया जाना आवश्यक था। इस प्रकार, ठेकेदार को 1,60,709.52 घन मीटर कठोर चट्टान जारी न करने और कठोर चट्टान को साधारण चट्टान के रूप में गलत वर्गीकृत करने के परिणामस्वरूप सरकार को ₹ 2.02 करोड़[21] के राजस्व का शुद्ध घाटा हुआ।

इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर, सचिव, लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने उत्तर दिया (अगस्त 2024) कि घाट भाग में मिश्रित सामग्री (कठोर चट्टान, साधारण चट्टान और मिट्टी) थी और खुदाई के दौरान सामग्री को कठोर चट्टान, साधारण चट्टान में अंतर करना मुश्किल था और सड़क के दोनों ओर गहरी खाई होने के कारण सामग्री को ढेर करना और परिवहन करना भी मुश्किल था। अतः कटाई सामग्री का भुगतान कम दर वाली वस्तु यानी साधारण चट्टान पर सामग्री को वर्गीकृत करने के बाद किया गया था। इसके अलावा, सड़क के एक तरफ ढलान होने के कारण घाट कटाई के दौरान 40 प्रतिशत सामग्री खाई में गिर गई थी और शेष 60 प्रतिशत का उपयोग तटबंध निर्माण में किया गया था। आगे यह कहा गया कि माप पुस्तिका एवं बिल माप पुस्तिका में अधिलेखन के लिए तत्कालीन उप–अभियंता और तत्कालीन अनुभागीय अधिकारी से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा, यह भी बताया गया कि चट्टान का वर्गीकरण तत्कालीन कार्यपालन अभियंता द्वारा किया गया था और वर्गीकरण के लिए कोई अनुमति पत्र अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था।

---

[20] बाद में, मूल्य वृद्धि हेतु 9वां एवं अंतिम देयक प्रस्तुत किया गया।

[21] 1,60,709.52 × [200–(215–129) से 13.80 प्रतिशत कम]

उत्तर निम्नलिखित कारणों से स्वीकार्य नहीं है:

- मिश्रित सामग्री के उत्खनन का कोई अभिलेख/दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया गया तथा उत्खनित सामग्री के विभेदन और ढेर लगाने में आने वाली कठिनाइयों के लिए ठेकेदार द्वारा कोई पत्राचार भी उत्तर के समर्थन में प्रस्तुत नहीं किया गया। ढेर लगाने के अभाव में, खाई में गिरी सामग्री का 40 प्रतिशत परिमाणीकरण भी संदिग्ध है;
- उत्खनित सामग्री का वर्गीकरण अनुमति पत्र प्राप्त किए बिना किया गया; और
- ठेकेदार द्वारा कठोर चट्टान के उत्खनन को एक कारक बताया गया और कार्य के लिए समय विस्तार प्रदान करते समय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस पर विचार भी किया गया था।

माप पुस्तिका में कठोर चट्टान की प्रारंभिक प्रविष्टियों को हटाना तथा बिना किसी औचित्य के अंतिम भुगतान से ठीक पहले साधारण चट्टान के रूप में अधिलेखण करना इस बात की पुष्टि करता है कि कटाई सामग्री को साधारण चट्टान के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था, ताकि कठोर चट्टान की खुदाई करके उसे ठेकेदार को जारी किये जाने के बदले में वसूली किये जाने से बचा जा सके।

(ख) ठेकेदार को तटबंध कार्य के लिए निष्पादित वास्तविक मात्रा से अधिक मात्रा में ₹ 1.19 करोड़ का भुगतान किया जाना

उपरोक्त कार्य में सड़क काटने से जमा सामग्री और बॉरो पिट से प्राप्त सामग्री के साथ तटबंध का निर्माण भी शामिल था, जिसकी मात्रा क्रमशः ₹ 74.00 प्रति घन मीटर की दर से 50,721.60 घन मीटर और ₹ 145 प्रति घन मीटर की दर से 53,176.91 घन मीटर थी, जैसा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पूरक अनुसूची में अनुमोदित (अप्रैल 2018) किया गया था।

यह देखा गया कि 8वें और अंतिम बिल के लिए, उप–अभियंता ने माप पुस्तिका (माप पुस्तिका क्रमांक 919 के पृष्ठ 57 पर) में 1,01,837.26 घन मीटर की कुल भराव मात्रा का माप दर्ज किया (फरवरी 2018), जिसमें सड़क कटाई (50,721.60 घन मीटर) और बॉरो पीट (51,115.66 घन मीटर) से प्राप्त कुल भराव मात्रा शामिल थी। हालांकि, माप पुस्तिका में 50,721.60 घन मीटर के प्रारंभिक माप को अधिलेखित और काट कर सड़क काटने से प्राप्त मद की मात्रा 2,37,492.11 घन मीटर तक बढ़ा दी गई। बढ़ी हुई मात्रा के लिए कोई विस्तृत माप दर्ज किए बिना, सड़क कटाई की सामग्री के साथ तटबंध के निर्माण की मद की 1,86,770.51[22] घन मीटर की अतिरिक्त मात्रा का भुगतान ठेकेदार को 8वें अंतिम बिल के माध्यम से किया गया (अक्टूबर 2018)। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को उस कार्य के लिए ₹ 1.19 करोड़[23] का अतिरिक्त भुगतान किया गया, जो स्पष्टतः निष्पादित नहीं किया गया था।

बाद में, कार्यपालन अभियंता द्वारा तत्कालीन उप–अभियंता और अनुभागीय अधिकारी को माप पुस्तिका में अधिलेखन करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया (फरवरी 2024) लेकिन उनसे कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2024)।

सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग ने (अगस्त 2024) उत्तर दिया कि सड़क के घाट की ओर कुल 4,01,773.80 घन मीटर की कटाई में से 60 प्रतिशत सामग्री, अर्थात् 2,37,492.11 घन मीटर, तटबंध निर्माण में प्रयुक्त हुई और भुगतान 7वें चालू बिल तक LxBxD माप के आधार पर किया गया तथा अंतिम भुगतान सड़क के समतलीकरण के

---

[22] 2,37,492.11 घनमीटर–50,721.60 घनमीटर

[23] (1,86,770.51 X ₹ 74) से 13.80 प्रतिशत कम

बाद किया गया। आगे बताया गया कि तत्कालीन उप–अभियंता और तत्कालीन अनुभागीय अधिकारी से माप पुस्तिका और बिल माप पुस्तिका में अधिलेखन करने के लिए कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि माप पुस्तिका में दर्ज मिट्टी कार्य की अंतिम गणना के अनुसार भराव हेतु केवल 1,01,837.26 घन मीटर मात्रा की आवश्यकता थी। सड़क कटाई से प्राप्त सामग्री की 50,721.60 घन मीटर मात्रा को माप पुस्तिका में अधिलेखन कर/काटकर 2,37,492.11 घन मीटर कर दिया गया था एवं 50,721.60 घन मीटर ही वास्तविक निष्पादित मात्रा थी, जिसे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पूरक अनुसूची (अप्रैल 2018) में भी अनुमोदित किया गया था। 1,86,770.51 घन मीटर की अतिरिक्त मात्रा का भुगतान ठेकेदार को किए गए कार्य का कोई विस्तृत माप दर्ज किए बिना ही कर दिया गया।

इस प्रकार, माप पुस्तिकाओं की शुद्धता बनाए न रखने के कारण सरकार ने प्रविष्टियों को काटने/अधिलेखित करने की अनुमति देकर ठेकेदार को अतिरिक्त भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप राजकोष को ₹ 3.21 करोड़[24] का नुकसान हुआ।

यह अनुशंसा की जाती है कि जिम्मेदारी निर्धारित किया जाए और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए तथा माप पुस्तिका के रखरखाव के मानदंडों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ताकि निष्पादित कार्य के लिए भुगतान की शुद्धता सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण अभिलेखों में परिवर्तन किए जाने से रोका जा सके।

रायपुर
दिनांक : 11 नवंबर 2025

(मो. फ़ैज़ान नैय्यर)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
छत्तीसगढ़

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक : 19 नवंबर 2025

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

[24] (₹ 2.02 करोड़ + ₹ 1.19 करोड़)

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

(कंडिका 1.2 में संदर्भित)

राज्य में विभिन्न विभागों द्वारा किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विभाग का नाम	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय
1	सामान्य प्रशासन विभाग	815.30	723.80
2	गृह विभाग	5,758.92	4,971.13
3	जेल विभाग	236.17	177.67
4	वित्त विभाग	20,750.77	23,699.59
5	राज्य कर विभाग (जीएसटी)	392.16	323.58
6	राजस्व विभाग	2,675.43	1,769.49
7	परिवहन विभाग	107.49	74.05
8	खेल एवं युवा कल्याण विभाग	147.88	90.04
9	वन विभाग	2,248.89	2,366.48
10	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	417.23	308.34
11	खनिज संसाधन विभाग	1,070.29	810.77
12	ऊर्जा विभाग	5,206.49	6,669.21
13	कृषि विभाग	9,271.77	9,346.64
14	सहकारिता विभाग	457.01	426.63
15	श्रम विभाग	156.04	125.46
16	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	4,738.60	4,878.86
17	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	3,848.28	4,263.97
18	लोक निर्माण विभाग	6,638.18	4,734.12
19	स्कूल शिक्षा विभाग	16,650.23	15,913.51
20	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	8,830.11	8,148.38
21	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	422.58	392.55
22	जनसंपर्क विभाग	324.87	399.43
23	आदिवासी, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग विभाग	2,347.71	1,739.01
24	समाज कल्याण विभाग	1,071.10	1,023.27
25	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	5,158.51	5,917.70
26	संस्कृति विभाग	187.75	176.44
27	जल संसाधन विभाग	3,323.14	1,664.24
28	आवास एवं पर्यावरण विभाग	579.16	607.37
29	लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	1,551.16	2,575.58
30	पशुपालन विभाग	581.30	388.59
31	मत्स्य पालन विभाग	181.94	109.52
32	उच्च शिक्षा विभाग	1,138.02	1,004.73

33	महिला एवं बाल विकास विभाग	2,289.47	1,583.99
34	क्षमता निर्माण, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	670.59	497.46
35	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	246.80	146.69
36	विमानन विभाग	61.49	124.01
37	राज्य विधानमंडल विभाग	70.32	54.10
38	चिकित्सा शिक्षा विभाग	1,707.54	1,718.63
39	रेशम उत्पादन विभाग	165.55	143.91
40	विधि एवं विधायी कार्य विभाग	766.51	594.26
कुल		**1,13,262.75**	**1,10,683.20**

(स्त्रोतः छत्तीसगढ़ शासन की संबंधित वर्ष की बजट पुस्तिका)

परिशिष्ट 1.2

(कंडिका 1.6.1 में संदर्भित)

लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं का विभागवार ब्यौरा (सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र)

विभाग का नाम	30 जून 2024 की स्थिति में लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं की संख्या	
	निरिक्षण प्रतिवेदन	कंडिका
उच्च शिक्षा विभाग	138	489
तकनीकी शिक्षा विभाग	34	117
स्कूल शिक्षा विभाग	799	3995
श्रम विभाग	33	177
सामान्य प्रशासन विभाग	62	144
जनसम्पर्क विभाग	15	37
राज्य विधानमंडल विभाग	10	26
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	649	2020
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	101	370
खेल एवं युवा कल्याण विभाग	14	75
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	1022	6601
जेल विभाग	51	156
गृह (पुलिस) विभाग	99	367
विधि एवं विधायी कार्य विभाग	66	181
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	244	2383
आवास एवं पर्यावरण विभाग	22	118
संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग	128	660
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	3	41
पर्यटन विभाग	7	81
लोक निर्माण विभाग	281	1509
लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	159	849
जल संसाधन विभाग	601	3023
कृषि विभाग	236	1070
बागवानी विभाग	60	316
पशु चिकित्सा विभाग	119	671
रेशम पालन विभाग	77	267
मत्स्य पालन विभाग	58	198
सहकारिता विभाग	37	134
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	184	939
चिकित्सा शिक्षा विभाग	59	524
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	488	3292
पुनर्वास विभाग	9	31
समाज कल्याण विभाग	127	700
आदिवासी, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग विभाग	165	915
महिला एवं बाल विकास विभाग	418	1958
कुल	**6575**	**34434**

परिशिष्ट 1.3

(कंडिका 1.6.5 में संदर्भित)

अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जाने के प्रकरण वाले इकाईयों का विवरण

विभाग	लेखापरीक्षिती इकाई	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	कंडिका क्रमांक	लेखापरीक्षा को प्रस्तुत न किए गए अभिलेखों का विवरण
शहरी प्रशासन एवं विकास	नगर पालिका परिषद, सरायपाली	59	OBS-481943	जून 2022 माह के लिए ₹ 28.32 लाख के वाउचर।
	नगर पंचायत, राजपुर	60	OBS-517600	किराए की दुकानों की नीलामी, भवन निर्माण अनुमति आदि से संबंधित टेंडर की फाइलें।
	नगर पंचायत, थनखमरिया	67	OBS-505122	ई–रिक्शा, ट्रैक्टर ट्रॉली, वैक्यूम एम्प्टीयर, वजन मशीन, डस्टबिन आदि की क्रय की फाइलें।
	नगर पालिका परिषद जांजगीर नैला	72	OBS-433768	जल आवर्धन योजना से संबंधित अभिलेख, भीमा तालाब और बीडीएम उद्यान के सौंदर्यीकरण की माप पुस्तिका।
स्कूल शिक्षा	विकासखंड शिक्षा अधिकारी, दुर्गकोंदल	38	9	मध्याह्न भोजन, सरस्वती साइकिल योजना से संबंधित अभिलेख।
	विकासखंड शिक्षा अधिकारी, मरवाही	25	9	स्टॉक रजिस्टर और निर्गमन रजिस्टर।
	विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बिलाईगढ़	40	6	कैश बुक, स्टॉक रजिस्टर।
	विकासखंड शिक्षा अधिकारी, अंतागढ़	39	8	सरस्वती साइकिल योजना, गणवेश (पोशाक) वितरण, पाठ्य पुस्तक वितरण और रसोई शेड निर्माण से संबंधित अभिलेख।
	विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बैकुंठपुर	43	2	मध्याह्न भोजन योजना के लिए गैस चूल्हे के क्रय वाउचर।
	विकासखंड शिक्षा अधिकारी, राजनांदगांव	120	10	कैश बुक, क्रय फाइलें, प्रगति प्रतिवेदन, समग्र शिक्षा अभियान के वित्त पोषण का विवरण।
	विकासखंड शिक्षा अधिकारी, छुरा	71	3	सामग्री आपूर्ति के संबंध में ₹ 5575 के वाउचर।
	विकासखंड शिक्षा अधिकारी, छुईखदान	88	10	विकासखंड शिक्षा अधिकारी के अंतर्गत निजी स्कूलों से संबंधित जानकारी।
	विकासखंड शिक्षा अधिकारी, वाड्रफनगर	126	3	चयनित माह के लिए ₹ 23.55 लाख की क्रय फाइलें और वाउचर।
	विकासखंड शिक्षा अधिकारी, खैरागढ़	92	9	विकासखंड शिक्षा अधिकारी के अंतर्गत निजी स्कूलों से संबंधित जानकारी।
	विकासखंड शिक्षा अधिकारी, भैयाथान	94	6	चेक पंजी, बिल ट्रांजिट रजिस्टर, बैंक स्टेटमेंट, प्रशासनिक आदेश।
	विकासखंड शिक्षा अधिकारी, सोनहत	127	9	विकासखंड शिक्षा अधिकारी के अंतर्गत निजी स्कूलों से संबंधित जानकारी।
	विकासखंड शिक्षा अधिकारी, मैनपाट	111	15	कार्यालय प्रारंभ होने से 2014–15 तक के सभी अभिलेख।
कृषि	उपसंचालक, कृषि, दंतेवाड़ा	117	7 OBS-351415	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से संबंधित अभिलेख।
चिकित्सा शिक्षा	जिला आयुर्वेद अधिकारी, दंतेवाड़ा	72	11	शासकीय आयुर्वेद औषधालय, तालनार की कैश बुक, स्टॉक रजिस्टर, निर्गम रजिस्टर, पासबुक।

	खंड चिकित्सा अधिकारी, खड़गवा	45	6	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के वर्ष 2016–17 से 2018–19 के बिल, वाउचर एवं सीए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। जीवन दीप समिति चिरमिरी खाते, के वर्ष 2016–17 से 2017–18 के बिल एवं वाउचर। पीएचसी, रतनपुर के बिल, वाउचर एवं सीए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
	सिविल सर्जन, धमतरी	100	7	जीवन दीप समिति की कैश बुक।
	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी, बीजापुर	117	20	कर्मचारियों की भर्ती से संबंधित फाइलें, पैथोलॉजी लैब की खरीद एवं निर्माण से संबंधित फाइलें, हाट बाजार क्लीनिक एम्बुलेंस एवं मोबाइल बाइक एम्बुलेंस की खरीद, जिला खनिज निधि से संबंधित खरीद फाइलें, कैश बुक।
	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी, कोण्डागांव	123	15	कैश बुक, बैंक खाता विवरण, खरीद एवं निविदा फाइलें, स्टॉक रजिस्टर, बिल एवं वाउचर, कर्मचारियों की भर्ती से संबंधित फाइलें।
महिला एवं बाल विकास	परियोजना अधिकारी, आईसीडीएस, बागबहारा, पत्थलगांव	73	4	मार्च 2022 के महीने के लिए ₹ 1.26 लाख के वाउचर।
	परियोजना अधिकारी, आईसीडीएस, दरिमा	96	7	मार्च 2015 के महीने के लिए ₹ 2.15 लाख के वाउचर।
	जिला परियोजना अधिकारी, अंबिकापुर	87	6	विभिन्न योजनाओं से संबंधित फाइलें, कैशबुक और वाउचर।
समाज कल्याण	प्राचार्य, दृष्टी एवं श्रवण बधितार्थ विद्यालय, मठपुरैना, रायपुर	21	5	वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए ₹ 6.86 करोड़ के बिल और वाउचर, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत जारी किए गए निधि, निविदा/कोटेशन से संबंधित फाइलें।
	अधीक्षक, अस्थि विकलांग बाल गृह, माना कैम्प, रायपुर	5	9	वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए ₹ 12.49 करोड़ के बिल और वाउचर।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण	सहायक नियंत्रक नाप एवं तौल, रायगढ़	29	48	नवंबर 2018 के महीने के लिए तिमाही प्रगति प्रतिवेदन ।
बागवानी	सहायक संचालक, उद्यानिकी, गरियाबंद	71	7	चयनित महीने के लिए कैशबुक और वाउचर।
कुल	**30**			

परिशिष्ट 2.1.1

(संदर्भित कंडिका 2.1.5)

संभागवार जिले और स्तर–वार चयनित यूएलबी का प्रदर्शित विवरण

संभाग	जिला	नगर पालिक निगम	नगर पालिका परिषद	नगर पंचायत
बस्तर	बस्तर	जगदलपुर	–	बस्तर
	बीजापुर	–	बीजापुर	गीदम
बिलासपुर	बिलासपुर	बिलासपुर	तखतपुर	कोटा
	कोरबा	कोरबा	कटघोरा	छुरीकला
	सारंगढ़–बिलाईगढ़	–	सारंगढ	भटगॉव
दुर्ग	दुर्ग	भिलाई	जामुल	धमधा
	खैरागढ़–छुईखदान–गंडई	–	खैरागढ़	गंडई
रायपुर	गरियाबंद	–	गरियाबंद	फिंगेश्वर
	रायपुर	रायपुर	आरंग	अभनपुर
सरगुजा	सरगुजा	अंबिकापुर	–	सीतापुर
	सूरजपुर	–	सूरजपुर	प्रेमनगर

टिप्पणी:– आईडिया में सैंपलिंग उन चयनित जिलों के लिए की गई थी जिनमें एक से अधिक नगर पालिक निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत हैं।

परिशिष्ट 2.1.2

(संदर्भित कंडिका 2.1.6.3)

प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के तहत तीन लाख रुपये से अधिक आय वाले लाभान्वित हितग्राहियों का विवरण

क्रं. सं	यूएलबी का नाम	हितग्राही आईडी	मसिक आय	वर्षिक आय
1	नगर पालिक निगम, कोरबा	228019490689500029	60000	720000
2		228019490686800578	50000	600000
3		228019490686800541	30000	360000
4		228019490686800553	30000	360000
5		228019490686800498	28000	336000
6		222801949391560854	28000	336000
7		228019490686800544	27000	324000
8		228019490686800569	27000	324000
9		228019490689400129	26000	312000
10		228019490686800449	26000	312000
11		228019490686800598	26000	312000
12		228019490686800607	26000	312000
13		228019490686800198	26000	312000
14	नगर पालिक निगम, बिलासपुर	228019759434600021	26911	322932
15	नगर पालिक निगम, रायपुर	228020340731200464	45000	540000
16		228020340667500264	45000	540000
17		228020340665600146	40800	489600
18		228020340666200004	36000	432000
19		0222802034536198378	30000	360000
20		228020340731200029	29000	348000
21		228020340731200472	28000	336000
22		228020340731200338	27000	324000
23		228020340667700245	27000	324000
24		228020340671400173	39028	468336
25		228020340671400272	39849	478188
26		228020340671400178	38697	464364
27		228020340671400100	61960	743520
28		0222802034629157552	29100	349200
29		228020340671400054	58395	700740
30		228020340671400029	42473	509676
31		228020340671400151	45129	541548
32		0222802034631501752	45065	540780
33		228020340671400180	53745	644940
34		सर्वे कोड–5793359	40985	491820
35		228020340671400055	40415	484980
36		0222802034579310432	46707	560484
37		228020340671400244	58387	700644

38		सर्वे कोड–5793273	33458	401496
39		228020340671400211	48167	578004
40		सर्वे कोड–5793217	56636	679632
41		02228020346293541 61	52109	625308
42		02228020346293383 64	51364	616368
43		02228020346293097 96	48167	578004
44		228020340671400269	56635	679620
45		228020340671400149	47037	564444
46		सर्वे कोड–5793346	39261	471132
47		228020340671400217	50167	602004
48		सर्वे कोड–5793253	30209	362508
49		02228020346293635 91	35920	431040
50		02228020346293834 42	49627	595524
51		228020340671400042	55029	660348
52		228020340671400089	45460	545520
53		228020340671400040	हितग्राही का निधन हो गया	
54		228020340671400276	50165	601980
55		228020340671400168	56635	679620
56		सर्वे कोड–5793054	33390	400680
57		228020340671400238	39261	471132
58		02228020346293818 16	30600	367200
59		02228020346293731 31	41655	499860
60		02228020346293820 91	41655	499860
61		सर्वे कोड–5793306	38093	457116
62		228020340671400171	39371	472452
63		228020340671400243	32135	385620
64		02228020346293706 46	आय उपलब्ध नहीं[1]	
65		228020340671400088	55250	663000
66		228020340671400156	33340	400080
67		सर्वे कोड–6268919	40415	484980
68		228020340671400251	आय उपलब्ध नहीं है	
69	नगर पंचायत, प्रेमनगर	0322801926627632753	27880	334480
70		0322801926627552150	27600	354127
71		0322801926632386816	लेखापाल की पत्नि	

(स्रोतः लेखापरीक्षा द्वारा अभिलेखों से संकलित जानकारी)

[1] नगर पालिक निगम, रायपुर ने 54 नियमित कर्मचारियों का विवरण प्रदान किया, जिन्हें एएचपी घटक के तहत लाभ प्रदान किए गए हैं, यद्यपि उनकी सकल वार्षिक आय ₹ 3.00 लाख से अधिक थी। हालांकि, दो हितग्राहियों की सकल मासिक आय प्रदान नहीं की गई थी।

परिशिष्ट 2.1.3

(संदर्भित कंडिका 2.1.6.6)

प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों का प्रदर्शित विवरण

क्रं. सं	यूएलबी का नाम	हितग्राही कोड	योजना का विवरण	पीएमएवाई–यू के अंतर्गत आवास की स्थिति	पीएमएवाई–जी के अंतर्गत आवास की स्थिति
1	वाड्रफनगर	228019196945400024	बीएलसी वाड्रफनगर बलरामपुर 29–28 संशोधित अगस्त 2020 वैध (7सी22801919042882)	पूर्ण	पूर्ण
2	वाड्रफनगर	228019196945400025	बीएलसी वाड्रफनगर बलरामपुर 29–28 संशोधित अगस्त 2020 वैध (7सी22801919042882)	पूर्ण	पूर्ण
3	वाड्रफनगर	228019196946000014	बीएलसी वाड्रफनगर बलरामपुर 95–90 संशोधित मार्च 2020 वैध (7सी22801919042884)	पूर्ण	पूर्ण
4	वाड्रफनगर	228019196946300063	बीएलसी वाड्रफनगर बलरामपुर 29–28 संशोधित अगस्त 2020 वैध (7सी22801919042882)	पूर्ण	पूर्ण
5	वाड्रफनगर	228019196946300064	बीएलसी वाड्रफनगर बलरामपुर 29–28 संशोधित अगस्त 2020 वैध (7सी22801919042882)	पूर्ण	पूर्ण
6	वाड्रफनगर	228019196946300066	बीएलसी वाड्रफनगर बलरामपुर 64–61 संशोधित अक्टूबर 2019 वैध (7सी22801919042880)	पूर्ण	पूर्ण
7	अंबिकापुर	228019270706000063	बीएलसी 389–320–293 संशोधित ईडब्ल्यूएस आवासों के लिए (7सी22801927038317)	पूर्ण	पूर्ण
8	अंबिकापुर	228019270706900010	बीएलसी संशोधित 182–148 अंबिकापुर में (7सी22801927053177)	पूर्ण	पूर्ण
9	अंबिकापुर	228019270707100010	नया निर्माण 579–467–436 संशोधित बीएलसी (7सी22801927038342)	पूर्ण	पूर्ण
10	अंबिकापुर	228019270709900071	नया निर्माण 579–467–436 संशोधित बीएलसी (7सी22801927038342)	पूर्ण	पूर्ण
11	बोड़ला	228019837204700051	प्रधानमंत्री आवास योजना एचएफए 311 डीयू (7सी22801983047644)	पूर्ण	पूर्ण
12	राजनांदगॉव	228019912956000041	549–807 बीएलसी नए निर्माण वैध आवासों का निर्माण (7सी22801991047507)	पूर्ण	पूर्ण
13	भिलाई चरौदा	228020070658500286	बीएलसी नया निर्माण 84 वैध पट्टा डीयू (7सी22802007052985)	पूर्ण	पूर्ण

14	भिलाई नगर	228020080658600159	बीएलसी 230 डीयू–188–136 डीयू–106 डीयू (7सी22802008048297)	पूर्ण	पूर्ण
15	भिलाई नगर	228020080661700048	बीएलसी 302 डीयू–248 डीयू–210–190 डीयू के लिए पीएमएवाई–एचएफए परियोजना (7सी22802008053229)	पूर्ण	पूर्ण
16	भिलाई नगर	228020080662600039	भिलाई में 1632–1245–1039–1005 डीयू में बीएलसी के तहत नया निर्माण (7सी22802008047757)	पूर्ण	पूर्ण
17	बालोद	228020152536100084	बीएलसी बालोद 114 डीयू वैध फरवरी 2023 (7सी22802015049097)	पूर्ण	पूर्ण
18	रायपुर	228020340665400023	बीएलसी रायपुर 282–281 संशोधित वैध फरवरी 2023 (7सी22802034050817)	पूर्ण	पूर्ण
19	कोंडागांव	228020621148000046	बीएलसी कोंडागांव 25 संशोधित 4 आबादी सितम्बर 2018–19 (7सी22802062053232)	पूर्ण	पूर्ण
20	मंदिर हसौद	322444587634823825	बीएलसी मंदिर हसौद के 287 डीयू का नया निर्माण (7सी22444587045306)	पूर्ण	पूर्ण
21	मंदिर हसौद	322444587634826555	बीएलसी मंदिर हसौद के 287 डीयू का नया निर्माण (7सी22444587045306)	पूर्ण	पूर्ण
22	प्रतापपुर	322801920624708771	बीएलसी प्रतापपुर–315 डीयू वैध जून 2021 (7सी22801920026395)	पूर्ण	पूर्ण
23	कुश्मी	322801922634845181	बीएलसी कुश्मी 81 डीयू अप्रैल 2022 (7सी22801922043421)	पूर्ण	पूर्ण
24	लखनपुर	322801928626263637	बीएलसी लखनपुर –375–359 संशोधित डीयू वैध जून 2021 (7सी22801928047501)	पूर्ण	पूर्ण
25	पत्थलगांव	322801933629973832	बीएलसी पत्थलगांव–185 डीयू वैध जून 2021 (7सी22801933026372)	पूर्ण	पूर्ण
26	नैला–जांजगीर	322801950547675589	जांजगीर चांपा (7सी22801950026424)	पूर्ण	पूर्ण
27	अढ़भार	322801963615963718	जांजगीर चंपा अढ़भार 248 डीयू जून 2021 (7सी22801963026415)	पूर्ण	पूर्ण
28	जैजेपुर	322801964630017388	जांजगीर चांपा जैजेपुर 443 डीयू जून 2021 (7सी22801964026419)	पूर्ण	पूर्ण
29	पेंड्रा	322801966628944850	बिलासपुर पेंड्रा 166 डीयू जून 2021 (7सी22801966026404)	पूर्ण	पूर्ण

30	बिलासपुर	322801975625499980	वैध पट्टा जून 2021 के बिलासपुर के तहत संशोधित 540 नए डीयू (7सी22801966026404)	पूर्ण	पूर्ण
31	बिलासपुर	322801975626278625	वैध पट्टा के नगर पालिक निगम बिलासपुर में बीएलसी के तहत 636 डीयू का संशोधित नया निर्माण जून 2021 (7सी22801975044676)	पूर्ण	पूर्ण
32	बिलासपुर	322801975631636447	बीएमसी में बीएलसी के तहत 643 डीयू का संशोधित नया निर्माण जुलाई 2020 (7सी22801975047606)	पूर्ण	पूर्ण
33	बिल्हा	322801980628819772	संशोधित बिल्हा बिलासपुर 155 डीयू (7सी22801980048603)	पूर्ण	पूर्ण
34	कवर्धा	322801981556644681	कवर्धा 48 वैध मार्च 2020 (7सी22801981052922)	पूर्ण	पूर्ण
35	कवर्धा	322801981625004070	कवर्धा 60 वैध जून 2021 (7सी22801981044754)	पूर्ण	पूर्ण
36	सहसपुर–लोहारा	322801984600851296	प्रधान मंत्री आवास योजना एचएफए 26 (7सी22801984050208)	पूर्ण	पूर्ण
37	सहसपुर–लोहारा	322801984607807112	प्रधान मंत्री आवास योजना एचएफए 26 (7सी22801984050208)	पूर्ण	पूर्ण
38	सहसपुर–लोहारा	322801984607844916	प्रधान मंत्री आवास योजना एचएफए 26 (7सी22801984050208)	पूर्ण	पूर्ण
39	नवागढ–डी	322801995606196613	बीएलसी नवागढ़ 459 डीयू जून 2021 (7सी22801995026382)	पूर्ण	पूर्ण
40	नवागढ–डी	322801995626385982	बीएलसी नवागढ़ 459 डीयू जून 2021 (7सी22801995026382)	पूर्ण	पूर्ण
41	भिलाई नगर	322802008622392591	भिलाई बीएलसी 539 डीपीआर एनसी 26 जून 2023 (7सी22802008050355)	पूर्ण	पूर्ण
42	भिलाई नगर	322802008622658929	बीएलसी एनसी भिलाई दुर्ग 762–– 470 जून 2021 (7सी22802008048510)	पूर्ण	पूर्ण
43	भिलाई नगर	322802008629984552	भिलाई में 1632–1245–1039–1005 डीयू में बीएलसी के तहत नया निर्माण (7सी22802008047757)	पूर्ण	पूर्ण
44	गोबरा नवापारा	322802031631511095	संशोधित बीएलसी 325/352 वैध जून 2021 (7सी22802031053226)	पूर्ण	पूर्ण
45	गोबरा नवापारा	322802031631511095	संशोधित बीएलसी 325/352 वैध जून 2021 (7सी22802031053226)	पूर्ण	पूर्ण

46	वीरगॉव	322802033138003235	पीएमएवाई–एचएफए, बीएलसी नया निर्माण 107 डीयू वैध (7सी22802033047746)	पूर्ण	पूर्ण
47	रायपुर	322802034627448495	बीएलसी रायपुर 2660–3786 नवंबर 2022 (7सी22802034049277)	पूर्ण	पूर्ण
48	रायपुर	322802034629052732	बीएलसी रायपुर 2660–3786 नवंबर 2022 (7सी22802034049277)	पूर्ण	पूर्ण
49	रायपुर	322802034630176841	रायपुर बीएलसी संशोधित 427–417 वैध फरवरी 2023 (7सी22802034049296)	पूर्ण	पूर्ण
50	कुरुद	322802049615770663	बीएलसी जून 2021 184 डीयू कुरुद (7सी22802049026548)	पूर्ण	पूर्ण
51	धमतरी	322802052533066397	बीएलसी संशोधित वैध 974 डीपीआर जुलाई 2023 (7सी22802052053263)	पूर्ण	पूर्ण
52	धमतरी	322802052533066397	बीएलसी संशोधित वैध 974 डीपीआर जुलाई 2023 (7सी22802052053263)	पूर्ण	पूर्ण
53	रायपुर	322802034637026955	पीएमएवाई के तहत आरएमसी के लिए नया बीएलसी 1075 डीयू (7सी22802034050598)	पूर्ण	मौजूदा स्थल (पुराना आवास)
54	तखतपुर	322801973625076446	बिलासपुर तखतपुर (7सी22801973026368)	पूर्ण	आवास स्वीकृत
55	बिलासपुर	228019750725700009	वैध पट्टा के नगर पालिक निगम बिलासपुर में बीएलसी के तहत 755 डीयू का नया निर्माण फरवरी 2022 (7सी22801975033151)	पूर्ण	आवास स्वीकृत
56	भिलाई नगर	322802008441254898	पीएमएवाई–एचएफए परियोजना बीएलसी 302 डीयू–248 डीयू–210–190 डीयू (7सी22802008053229)	पूर्ण	आवास स्वीकृत
57	महासमुन्द	228020452693200010	बीएलसी वैध 48 डीयू फरवरी 2023 (7सी22802045048861)	पूर्ण	आवास स्वीकृत
58	अंबिकापुर	322801927630561293	नया बीएलसी वैध 1570–1461 (7सी22801927053266)	पूर्ण	आवास स्वीकृत
59	बलौदाबाजार	322802022629665674	18 ईडब्ल्यूएस 2020–21 के लिए बीएलसी संशोधित 20–18 (7सी22802022052904)	पूर्ण	आवास स्वीकृत
60	प्रेमनगर	322801926627354987	बीएलसी प्रेमनगर 369–354 डीयू संशोधित वैध जून 2021 (7सी22801926052681)	पूर्ण	आवास स्वीकृत
61	रायपुर	228020340667800653	बीएलसी रायपुर 449–451–514 वैध संशोधित जून 2023 (7सी22802034053056)	पूर्ण	आवास स्वीकृत
62	बिलासपुर	322801975611714473	बीएलसी वैलिड–सितंबर 2019 (7सी22801975047582) के	पूर्ण	प्रस्तावित स्थल

			तहत 807 डीयू का संशोधित नया निर्माण		
63	बिलासपुर	322801975634762687	बीएलसी के तहत 405 डीयू का नया निर्माण वैध–नवंबर 2022 (7सी22801975043440)	पूर्ण	प्रस्तावित स्थल
64	भिलाई नगर	228020080668600036	बीएलसी 1258 डीयू–841 डीयू–809 डीयू (7सी22802008047762)	पूर्ण	प्रस्तावित स्थल
65	भिलाई नगर	228020080659600004	बीएलसी 140 डीयू–– 120 डीयू––––– 99 डीयू (7सी22802008048311)	पूर्ण	प्रस्तावित स्थल
66	आरंग	228020296862000056	233 बीएलसी आबादी डीपीआर (7सी22802029047658)	पूर्ण	प्रस्तावित स्थल
67	रायपुर	322802034630815093	रायपुर बीएलसी संशोधित 427–417 वैध फरवरी 2023 (7सी22802034049296)	पूर्ण	प्रस्तावित स्थल
68	राजनांदगॉव	322801991544689725	340–397 बीएलसी (7सी22801991047549) बीएलसी वाड्रफनगर का निर्माण 64–61 संशोधित डीयू अक्टूबर 2019 वैध (7सी22801919042880)	पूर्ण	छत स्तर
69	अंबिकापुर	228019196946200046	बीएलसी वाड्रफनगर 64–61 संशोधित डीयू अक्टूबर 2019 वैध (7सी22801919042880)	नींव / प्लिंथ	पूर्ण
70	अंबिकापुर	228019196946200046	वैध पट्टा के नगर पालिक निगम अंबिकापुर में बीएलसी के तहत 755 डीयू का नया निर्माण फरवरी 2022 (7सी22801975033151)	नींव / प्लिंथ	पूर्ण
71	तखतपुर	322801973615754046	बिलासपुर तखतपुर (7सी22801973026368)	नींव / प्लिंथ	पूर्ण
72	सूरजपुर	322801923633396425	बीएलसी सूरजपुर 218 डीयू फरवरी 2023 (7सी22801923045635)	नींव / प्लिंथ	पूर्ण
73	सरगॉव	322801956614321834	बीएलसी 539 डीपीआर एनसी 26 जून 2023 (7सी22802008050355)	नींव / प्लिंथ	पूर्ण
74	बिलासपुर	322801975616722962	बीएलसी वैध–नवंबर 2022 (7सी22801975043440) के तहत 405 डीयू का नया निर्माण	नींव / प्लिंथ	पूर्ण
75	भिलाई नगर	228020080661700005	बीएलसी 302 के लिए पीएमएवाई–एचएफए परियोजना डीयू–248 डीयू–210–190–187 डीयू (7सी22802008047692)	नींव / प्लिंथ	पूर्ण
76	भिलाई नगर	322802008622666035	बीएलसी 539 डीपीआर एनसी 26 जून 2023 (7सी22802008050355)	नींव / प्लिंथ	पूर्ण

77	भिलाई नगर	322802008609625479	बीएलसी 1258 डीयू–841 डीयू–809 डीयू (7सी22802008047762)	नींव / प्लिंथ	पूर्ण
78	भिलाई नगर	322802008630131376	बीएलसी 419 डीयू–333 डीयू–305 डीयू (7सी22802008047690)	नींव / प्लिंथ	पूर्ण
79	मारो	322801996625055477	बीएलसी 122 डीयू जून 2021 (7सी22801996026383)	नींव / प्लिंथ	पूर्ण
80	मल्हार	322801978628906198	बिलासपुर मल्हार 282 डीयू जून 2021 (7सी22801978026401)	नींव / प्लिंथ	पूर्ण
81	अंबिकापुर	322801927629133015	नया बीएलसी वैध 1570–1461 (7सी22801927053266)	नींव / प्लिंथ	पूर्ण
82	अंबिकापुर	228019270705400040	नया बीएलसी वैध 1570–1461 (7सी22801927053266)	नींव / प्लिंथ	पूर्ण
83	अंबिकापुर	322801927634761920	बीएलसी 459 नवंबर 2022 अंबिकापुर (7सी22801927043649)	नींव / प्लिंथ	पूर्ण
84	चिरमिरी	322801916629755442	बीएलसी–118–85 डीयू संशोधित वैध जून 2021 (7सी22801916052978)	नींव / प्लिंथ	पूर्ण
85	घरघोड़ा	228019378426200038	संशोधित 44 बीएलसी (7सी22801937047436)	नींव / प्लिंथ	पूर्ण
86	चिरमिरी	322801916629755442	बीएलसी–118–85 डीयू संशोधित वैध जून 2021 (7सी22801916052978)	नींव / प्लिंथ	पूर्ण
87	घरघोड़ा	228019378426200038	संशोधित 44 बीएलसी (7सी22801937047436)	नींव / प्लिंथ	पूर्ण
88	रायपुर	322802034630279767	रायपुर बीएलसी डीपीआर संशोधित 1090–1062–1052 (7सी22802034064519)	नींव / प्लिंथ	पूर्ण
89	राजनांदगॉव	228019912950400022	340–397 बीएलसी वैध आवासों का निर्माण (7सी22801991047549)	नींव / प्लिंथ	पूर्ण
90	सहसपुर लोहारा	228019845830900023	बीएलसी 230 डीयू सितंबर 2018–19 आबादी (7सी22801984047463)	नींव / प्लिंथ	पूर्ण
91	चांपा	322801955622224927	जांजगीर चांपा वैध 102 डीयू (7सी22801955053234)	लिंटल	पूर्ण
92	रायगढ़	322801939629833819	बीएलसी रायगढ़ वैध 291 डीयू संशोधित (7सी22801939047322)	लिंटल	पूर्ण
93	राजनांदगॉव	322801991628718786	698–787 बीएलसी नए निर्माण वैध आवासों का निर्माण (7सी22801991052995)	लिंटल	पूर्ण
94	तखतपुर	322801973625077386	बिलासपुर तखतपुर (7सी22801973026368)	अप्रारम्भ	पूर्ण
95	सक्ति	322801957626327348	जांजगीर चांपा सक्ति वैध 14 डीयू (7सी22801957043453)	अप्रारम्भ	पूर्ण

96	भिलाई नगर	322802008626155666	बीएलसी एनसी रिसाली 639–581–521–455 डीयू (7सी22802008063374)	अप्रारम्भ	पूर्ण
97	रायपुर	322802034625668078	बीएलसी रायपुर 2660–3786–2457–2344 (7सी22802034064516)	अप्रारम्भ	पूर्ण
98	रायपुर	322802034630930623	रायपुर बीएलसी डीपीआर संशोधित 1090–1062–1052 (7सी22802034064519)	अप्रारम्भ	पूर्ण
99	सीतापुर	322801930630000454	बीएलसी सीतापुर–605 डीयू वैध जून 2021 (7सी22801930026400)	छत	पूर्ण

(स्रोतः ऑनलाइन पीएमएवाई डेटाबेस का विश्लेषण)

परिशिष्ट 2.1.4

(संदर्भित कंडिका 2.1.6.7)

एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम और प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के तहत लाभान्वित लाभार्थियों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	हितग्राही आईडी	वार्ड क्रमांक/वार्ड का नाम	आईएचएसडीपी के तहत आवंटित घरों की संख्या	बीएलसी आवास की स्थिति	भुगतान की गयी सहायता
1	228019896977400004	वार्ड क्र. 18 अंबेडकर	ए–09	पूर्ण	135600
2	228019896977400023	वार्ड क्र. 18 अंबेडकर	ए–11	पूर्ण	226000
3	0322801989630500796	वार्ड क्र. 16 दाउचौरा	ए–61	पूर्ण	135600
4	228019896975100088	वार्ड क्र. 14 सोनेसरार	ए–82	पूर्ण	221000
5	0322801989628894959	वार्ड क्र. 14 सोनेसरार	ए–85	पूर्ण	226000
6	0322801989607542839	वार्ड क्र. 1 पिपरिया पारा	ए–107	पूर्ण	226000
7	228019896977100009	वार्ड क्र. 1 पिपरिया पारा	ए–108	पूर्ण	215500
8	0322801989633779415	वार्ड क्र. 1 पिपरिया पारा	ए–113	पूर्ण	226000
9	228019896977100056	वार्ड क्र. 1 पिपरिया पारा	ए–114	पूर्ण	226000
10	228019896976400013	वार्ड क्र. 05 ठाकुर पारा,	बी–10	पूर्ण	137400
11	228019896976400022	वार्ड क्र. 05 ठाकुर पारा,	बी–12	पूर्ण	225400
12	228019896976100131	वार्ड क्र. 2 दुर्गा मंच	बी–82	पूर्ण	226000
13	0322801989631508156	वार्ड क्र. 4 राधाकृष्ण	बी–93	पूर्ण	225400
14	0322801989623878855	वार्ड क्र. 6 बरेढ़ पारा	बी–104	पूर्ण	226000
15	228019896975700047	वार्ड क्र. 20 नयाखम्हरिया	बी–176	पूर्ण	229000
16	228019896975700028	वार्ड क्र. 20 नयाखम्हरिया	बी–177	पूर्ण	226000
17	228019896975700053	वार्ड क्र. 20 नयाखम्हरिया	बी–178	पूर्ण	226000
18	228019896975700007	वार्ड क्र. 20 नयाखम्हरिया	बी–180	पूर्ण	225400
19	228019896976200056	वार्ड क्र. 3 गंजीपारा	सी–05	पूर्ण	226000
20	228019896977200055	वार्ड क्र. 10 शीतला मंदिर	सी–43	पूर्ण	226000
21	0322801989631518348	वार्ड क्र. 11 किला पारा	सी–47	पूर्ण	187800
22	0322801989630546580	वार्ड क्र. 13 धनेली	सी–58	पूर्ण	187800
23	0322801989625632939	वार्ड क्र. 16 दाउचौरा	सी–67	पूर्ण	225400
24	228019896977000007	वार्ड क्र. 16 दाउचौरा	सी 69–70	पूर्ण	226000
25	228019896977300047	वार्ड क्र. 17 दाउचौरा	सी–71	पूर्ण	226000
26	0322801989605901896	वार्ड क्र. 1 पिपरिया पारा	सी–90	पूर्ण	226000
27	228019896977100080	वार्ड क्र. 1 पिपरिया पारा	सी–92	पूर्ण	188550
28	228019896976100044	वार्ड क्र. 2 दुर्गा मंच	सी–94	पूर्ण	221300
29	228019896976400015	वार्ड क्र. 05 ठाकुर पारा,	सी–99	पूर्ण	56500
30	228019896977200156	वार्ड क्र. 10 शीतला मंदिर	सी–111	पूर्ण	225400
31	228019896976900040	वार्ड क्र. 13 धनेली	सी–117	पूर्ण	223000
32	0322801989631504869	वार्ड क्र. 20 नयाखम्हरिया	सी–128	पूर्ण	187800
33	228019896976800012	वार्ड क्र. 12 अमलीपारा	सी–154	छत	188400
34	228019896975100013	वार्ड क्र. 14 सोनेसरार	सी–155	पूर्ण	220000
35	0322801989632189627	वार्ड क्र. 14 सोनेसरार	सी–157	पूर्ण	187800
	योग				**72,14,050**

(स्रोतः लेखापरीक्षा द्वारा अभिलेखों से संकलित जानकारी)

परिशिष्ट 2.1.5

(संदर्भित कंडिका 2.1.8.2)

भागीदारी में किफायती आवास के अंतर्गत अगस्त 2024 तक आवासीय इकाईयों के पूर्ण न होने के कारण अवरुद्ध निधि की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	यूएलबी का नाम	स्वीकृत डीयू	प्रशासकीय स्वीकृति तिथि (राशि)	तकनीकी स्वीकृति तिथि (राशि)	ठेकेदार का नाम	अनुबंध राशि	कार्य आदेश की तिथि	पूर्ण होने की निर्धारित अवधि (देरी महीने में)	पूर्ण डीयू	कार्य की वर्तमान स्थिति	
										वित्तीय	भौतिक स्थिति/प्रतिशत
1	अम्बिकापुर	493	27/04/2018 (22.40)	19/07/2018 (22.04)	मेसर्स विनोद कुमार जैन	22.40	24/01/2020	24 (29)	0	13.80	फिनिशिंग स्तर
2	भिलाई	1120	20/12/2016 (54.76)	11/01/2017 (53.84)	मेसर्स चंद्रा निर्माण प्राइवेट लिमिटेड	50.13	05/05/2018	18 (58)	0	32.74	फाउंडेशन स्टेज –720, छत स्तर – 22, फिनिशिंग स्तर –1127
3	भिलाई	894	20/12/2016 (35.83)	11/01/2017 (34.65)	मेसर्स चंद्रा निर्माण प्राइवेट लिमिटेड	40.14	05/05/2018	18 (58)	0	20.47	
4	बिलासपुर	174	20/12/2016 (25.46)	11/01/2017 (24.26)	मेसर्स शंकरा एंटरप्राइजेज	7.98	18/08/2017	12 (72)	58	9.20	अनुबंध समाप्त कर दिया गया है तथा शेष कार्य की निविदा दरों की स्वीकृति प्रतीक्षित है
5	बिलासपुर	319				14.35	18/08/2017	18 (66)	0		
6	बिलासपुर	5785	27/02/2018 – 27/04/2018 (274.77)	7/19/2018, 25/07/2018 (274.77)	मेसर्स बीएसबीके प्राइवेट लिमिटेड	262.12	07/03/2019	36 (29)	522	48.42	स्थल पर कार्य बंद है
7	जगदलपुर	174	27/02/2018 (8.26)	18/07/2018 (8.12)	मेसर्स ओम बिल्डर्स	8.26	22/12/2018	24 (44)	0	2.40	37
8	कोरबा	986	27/02/2018 (132.18)	18/04/2018 (130.16)	मेसर्स बैक बोन प्राइवेट लिमिटेड	42.22	11/06/2019	24 (37)	0	30.75	75
		754				33.56	08/03/2019	24 (48)	0	27.96	75
		1044				45.38	09/07/2019	24 (44)	0	31.53	75

9	रायपुर	667	27/02/2018 (31.68)	18/07/2017 (31.16)	मेसर्स बीएसबीके प्राइवेट लिमिटेड	32.01	29/08/2019	24 (36)	0	7.81	ठेकेदार द्वारा कार्य रोका गया/24
10	रायपुर	392	25/06/2018 (18.62)	01/09/2018 (18.31)	मेसर्स रायपुर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	18.12	23/08/2019	24 (36)	0	4.97	25
	योग	**12802**	**601.96**	**597.31**		**576.67**			**580**	**230.05**	

(स्रोतः लेखापरीक्षा द्वारा अभिलेखों से संकलित जानकारी)

परिशिष्ट 2.1.6

(संदर्भित कंडिका 2.1.8.9)

कार्य प्रारम्भ न करने वाले हितग्राहियों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

(₹ में)

क्र. सं.	यूएलबी का नाम	हितग्राही आईडी	पहली किस्त		नींव या केवल गड्ढा
			राशि	भुगतान की तिथि/प्लिंथ का जियो–टैग	
1	नगर पालिक निगम, कोरबा	228019490688000022	56063	21/07/2020	केवल गड्ढा
2		228019490691100009	57188	06/07/2020	केवल गड्ढा
3		228019490691100014	57188	03/12/2020	केवल गड्ढा
4	नगर पालिक निगम, बिलासपुर	228019750694200474	57187	25/06/2019	केवल गड्ढा
5		228019750724900165	57187	09/03/2020	नींव
6		228019750724600204	57187	30/01/2020	केवल गड्ढा
7		228019750723500003	57187	08/11/2019	केवल गड्ढा
8	नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर	228019270710400057	56500	11/08/2021	केवल गड्ढा
9		228019270710300071	56500	28/05/2019	केवल गड्ढा
10		228019270710000062	56500	23/04/2018	नींव
11		228019270710300089	56500	15/09/2019	केवल गड्ढा
12		228019270710300105	56500	07/02/2020	केवल गड्ढा
13		228019270710300122	56500	04/09/2021	केवल गड्ढा
14		228019270710400085	56500	22/09/2021	केवल गड्ढा
15		228019270710300127	56500	28/07/2021	नींव
16		228019270710400080	56500	11/08/2021	केवल गड्ढा
17		228019270710400088	56500	09/09/2020	नींव
18		228019270710300123	56000	04/09/2021	केवल गड्ढा
19		228019270710300125	56500	22/09/2021	नींव
20	नगर पालिक निगम, जगदलपुर	228020640644900066	56062	19/08/2021	केवल गड्ढा
21		228020640644900068	57187	12/11/2021	केवल गड्ढा
22		228020640650400045	56062	17/02/2023	केवल गड्ढा
23		228020640645400175	56062	29/09/2021	केवल गड्ढा
24		228020640646400027	56531	27/05/2022	केवल गड्ढा
25		228020640650400006	57187	06/09/2022	केवल गड्ढा
26		228020640645400042	56531	21/12/2021	केवल गड्ढा
27		228020640645400077	56531	12/02/2020	केवल गड्ढा
28		228020640645400086	56500	23/02/2019	केवल गड्ढा
29		228020640645700050	54781	26/06/2019	केवल गड्ढा

30		228020640647100015	56500	18 / 03 / 2019	केवल गड्ढा
31		228020640646800016	56859	11 / 02 / 2022	केवल गड्ढा
32		228020640649800031	56531	25 / 02 / 2020	केवल गड्ढा
33		228020640649000056	56531	02 / 07 / 2019	केवल गड्ढा
34		228020640646200019	56500	18 / 03 / 2019	केवल गड्ढा
35		228020640648800014	56531	21 / 12 / 2021	केवल गड्ढा
36		228020640644900027	56500	09 / 03 / 2018	केवल गड्ढा
37		032280206418444713	55156	11 / 05 / 2022	केवल गड्ढा
38		228020640642900160	51187	14 / 12 / 2022	केवल गड्ढा
39		228020640649300022	56531	19 / 08 / 2021	केवल गड्ढा
40		228020640648000029	55250	26 / 10 / 2018	केवल गड्ढा
41		0322802064557563560	55156	23 / 02 / 2023	केवल गड्ढा
42	नगर पालिक निगम, रायपुर	228020340667800957	50000	10 / 01 / 2022	केवल गड्ढा
43		228020340670300060	50000	11 / 10 / 2022	केवल गड्ढा
44		03228020344630283860	50000	30 / 09 / 2022	नींव
45		228020340674000345	50000	16 / 11 / 2022	केवल गड्ढा
46	नगर पालिका परिषद, कटघोरा	228019458404700062	56531	04 / 03 / 2020	केवल गड्ढा
47		228019456771500068	56531	19 / 11 / 2019	केवल गड्ढा
48		0322801945630363055	56531	23 / 02 / 2023	केवल गड्ढा
49		228019456783600030	56531	09 / 11 / 2021	केवल गड्ढा
50	नगर पंचायत, गंडई	228019875848600019	56000	16 / 05 / 2019	केवल गड्ढा
51		228019875848600069	56500	22 / 01 / 2020	केवल गड्ढा
52	नगर पंचायत, छुरीकला	228019466714500009	56531	04 / 07 / 2022	केवल गड्ढा
53		228019466714800037	56531	11 / 07 / 2019	केवल गड्ढा
54		228019466714500005	56531	21 / 02 / 2022	केवल गड्ढा
55		228019466713900011	56531	22 / 08 / 2019	केवल गड्ढा
56		0322801946615881116	56531	22 / 05 / 2023	केवल गड्ढा
57		228019466714100030	56531	09 / 03 / 2020	केवल गड्ढा
58		228019466714500036	56531	14 / 12 / 2021	केवल गड्ढा
59	नगर पंचायत, कोटा	228019686715300089	57187	12 / 10 / 2022	केवल गड्ढा
60		228019686715300088	57187	08 / 08 / 2022	केवल गड्ढा
61		228019686716300116	56531	07 / 04 / 2022	केवल गड्ढा
62		228019686716300120	55406	27 / 05 / 2020	केवल गड्ढा
63		0322801968626271497	57187	07 / 03 / 2023	केवल गड्ढा
64	नगर पंचायत, सीतापुर	228019306997900023	56500	30 / 10 / 2019	केवल गड्ढा
65		228019306997700015	56500	16 / 12 / 2019	केवल गड्ढा

66		228019306913700036	56500	30 / 10 / 2019	केवल गड्ढा
67		228019306997900011	56500	08 / 02 / 2019	केवल गड्ढा
68		0322801930629901672	56500	03 / 08 / 2022	केवल गड्ढा
69	नगर पालिका परिषद, सूरजपुर	228019236859300062	54750	04 / 06 / 2022	केवल गड्ढा
70		228019236851900074	54750	15 / 11 / 2019	केवल गड्ढा
71		228019236859500052	54750	21 / 01 / 2020	केवल गड्ढा
72		228019236858700012	54750	13 / 11 / 2019	केवल गड्ढा
73		228019236859500053	54750	15 / 06 / 2020	केवल गड्ढा
74		228019236859500063	54750	04 / 08 / 2022	केवल गड्ढा
75		228019236859100077	54750	08 / 09 / 2021	केवल गड्ढा
76		228019236850800105	54750	28 / 07 / 2021	केवल गड्ढा
77		228019236859200028	54750	22 / 07 / 2021	केवल गड्ढा
78		228019236853400013	54750	04 / 08 / 2020	केवल गड्ढा
79		228019236852200020	54750	25 / 11 / 2019	नींव
80		228019236851900009	54750	17 / 10 / 2019	केवल गड्ढा
81	नगर पालिका परिषद, बीजापुर	228020761040300004	56500	20 / 09 / 2018	केवल गड्ढा
82	नगर पंचायत, गीदम	228020706777900083	56500	21 / 09 / 2021	केवल गड्ढा
83		228020706777800057	56500	21 / 09 / 2021	केवल गड्ढा
84		228020706777800055	56500	21 / 09 / 2021	नींव
85		228020706777900061	56500	03 / 06 / 2020	केवल गड्ढा
86		228020706777800002	56500	26 / 08 / 2021	केवल गड्ढा
87		228020706777300021	56500	21 / 09 / 2021	नींव
88	नगर पालिका परिषद, सारंगढ़	228019426716700024	57250	29 / 05 / 2018	केवल गड्ढा
89		228019426716900047	57250	21 / 11 / 2019	केवल गड्ढा
90		228019426717000170	57100	18 / 04 / 2022	केवल गड्ढा
91		228019426717000168	57100	18 / 05 / 2022	नींव
92		228019426717800189	56500	28 / 02 / 2022	केवल गड्ढा
93		228019426717300052	57250	10 / 12 / 2021	नींव
94		228019426716600175	57250	15 / 03 / 2023	केवल गड्ढा
95		228019426717700078	57250	15 / 03 / 2023	केवल गड्ढा
96		228019426716900085	57250	26 / 09 / 2022	केवल गड्ढा
97		228019426717400082	57250	10 / 12 / 2022	केवल गड्ढा
98	नगर पालिका परिषद, तखतपुर	228019737901900004	56500	07 / 07 / 2022	केवल गड्ढा
99		228019737902100004	56000	13 / 02 / 2019	केवल गड्ढा
100		228019737901900030	56500	14 / 07 / 2021	केवल गड्ढा

101		228019737902300075	56000	20 / 06 / 2022	केवल गड्ढा
102		228019737902700088	56500	14 / 07 / 2021	केवल गड्ढा
103		228019737902700101	57187	07 / 06 / 2022	केवल गड्ढा
104		228019737902300016	56500	10 / 02 / 2020	केवल गड्ढा
105		228019737902400110	57187	14 / 07 / 2021	केवल गड्ढा
106		228019737901900049	55500	10 / 02 / 2020	केवल गड्ढा
107		228019737902700246	56500	10 / 02 / 2020	केवल गड्ढा
108		228019737901900020	56000	14 / 07 / 2021	केवल गड्ढा
109		228019737902700180	56000	14 / 07 / 2021	केवल गड्ढा
110		228019737902700202	57187	14 / 07 / 2021	केवल गड्ढा
111		228019737902700268	56500	09 / 11 / 2020	केवल गड्ढा
112		228019737147800087	57250	24 / 02 / 2022	केवल गड्ढा
113		228019737901900070	57187	14 / 07 / 2021	केवल गड्ढा
114		228019737901800009	57187	30 / 03 / 2021	केवल गड्ढा
115		228019737147700119	57000	05 / 10 / 2019	केवल गड्ढा
116		228019737902700358	57187	14 / 07 / 2021	केवल गड्ढा
117		228019737902400165	55500	14 / 07 / 2021	केवल गड्ढा
118		228019737902300160	56500	20 / 06 / 2022	केवल गड्ढा
119		228019737147700153	57187	28 / 11 / 2022	केवल गड्ढा
120		228019737147700148	57187	28 / 11 / 2022	केवल गड्ढा
121		228019737902100102	57187	28 / 11 / 2022	केवल गड्ढा
122		228019737147700121	56250	10 / 02 / 2020	केवल गड्ढा
123		228019737147700105	56500	10 / 02 / 2020	केवल गड्ढा
124		228019737147700131	56500	30 / 03 / 2020	केवल गड्ढा
125		228019737147800103	56500	14 / 07 / 2021	केवल गड्ढा
126		228019737147900141	56500	30 / 11 / 2019	नींव
127		228019737902000069	56000	30 / 03 / 2020	केवल गड्ढा
128		228019737902700371	56500	04 / 05 / 2022	केवल गड्ढा
129		228019737902700307	56500	14 / 07 / 2020	केवल गड्ढा
130		228019737902400020	55500	07 / 06 / 2022	केवल गड्ढा
131		228019737902700018	57187	14 / 07 / 2020	केवल गड्ढा
132		228019737902600031	57250	24 / 05 / 2019	केवल गड्ढा
133		228019737901800005	56500	17 / 01 / 2020	केवल गड्ढा
134	नगर पंचायत,फिंगेश्वर	0322802036630407569	56550	17 / 05 / 2023	नींव
135		0322802036628720637	56550	15 / 05 / 2023	केवल गड्ढा
136		228020408395100095	55400	23 / 01 / 2020	केवल गड्ढा

137	नगर पालिका परिषद, गरियाबंद	228020408865700016	52350	07 / 07 / 2022	नींव
138		228020408395100142	56550	23 / 01 / 2020	केवल गड्ढा
139	नगर पालिक निगम, भिलाई	228020080662100031	53593	01 / 08 / 2019	नींव
140		0322802008629530090	51812	18 / 08 / 2023	नींव
141		228020080664500082	56531	22 / 01 / 2019	नींव
142		228020080661600281	53593	15 / 05 / 2022	केवल गड्ढा
143		228020080661900173	52343	01 / 07 / 2019	केवल गड्ढा
144		228020080660000227	57187	31 / 07 / 2021	नींव
145		0322802008610890118	55156	06 / 08 / 2021	केवल गड्ढा
146		0322802008625048423	55406	24 / 05 / 2022	केवल गड्ढा
147		228020080661800120	55687	13 / 08 / 2021	केवल गड्ढा
148		228020080660400147	54750	25 / 09 / 2019	नींव
149		0322802008402775563	56062	13 / 09 / 2021	केवल गड्ढा
150	नगर पंचायत, बस्तर	228020656774000007	56500	26 / 09 / 2019	केवल गड्ढा
151		228020656774000008	56500	06 / 06 / 2019	केवल गड्ढा
152		228020656773900016	56500	12 / 05 / 2020	केवल गड्ढा
153		228020656774500024	57188	21 / 01 / 2020	केवल गड्ढा
154		228020656773800013	56500	11 / 11 / 2019	केवल गड्ढा
155		228020656773800017	56500	18 / 11 / 2019	केवल गड्ढा
156		228020656774900035	56500	22 / 06 / 2019	केवल गड्ढा
157		228020656774300042	57188	06 / 08 / 2021	केवल गड्ढा
158		228020656774700039	57188	23 / 09 / 2021	केवल गड्ढा
159		0322802065622250443	57188	18 / 05 / 2022	केवल गड्ढा
160		228020656774500006	56500	21 / 06 / 2018	केवल गड्ढा
161		228020656773900016	56500	22 / 05 / 2023	केवल गड्ढा
162		228020656773700055	56500	25 / 05 / 2022	केवल गड्ढा
163	नगर पंचायत, प्रेमनगर	228019266854700008	57250	23 / 02 / 2019	केवल गड्ढा
164		228019266854700007	56500	15 / 12 / 2022	केवल गड्ढा
165		228019266855400009	54750	18 / 10 / 2018	केवल गड्ढा
166		228019266849500011	56500	08 / 12 / 2021	केवल गड्ढा
167		228019266855400012	57250	05 / 03 / 2020	केवल गड्ढा
168		228019266858000013	56500	24 / 12 / 2019	केवल गड्ढा
169		228019266855400017	56500	22 / 12 / 2021	केवल गड्ढा
170		228019266859000007	56500	08 / 11 / 2021	केवल गड्ढा
171		2280192668549500013	56500	15 / 12 / 2022	केवल गड्ढा
172		0322801926629003371	56500	15 / 06 / 2022	केवल गड्ढा

173		0322801926627774293	56500	12 / 07 / 2022	केवल गड्ढा
174		228019266858400029	56500	12 / 07 / 2022	केवल गड्ढा
175		0322801926629006054	56500	12 / 07 / 2022	केवल गड्ढा
176		228019266855400010	56500	01 / 08 / 2022	केवल गड्ढा
177		0322801926629519285	56500	16 / 08 / 2022	नींव
178		0322801926627574648	56500	30 / 09 / 2022	नींव
179		0322801926628990551	56500	30 / 09 / 2022	केवल गड्ढा
180		0322801926628984349	56500	30 / 09 / 2022	केवल गड्ढा
181		0322801926628988277	56500	30 / 09 / 2022	केवल गड्ढा
182		0322801926627555697	56500	27 / 10 / 2022	नींव
183		0322801926627735161	56500	27 / 10 / 2022	केवल गड्ढा
184		0322801926628972747	56500	27 / 10 / 2022	केवल गड्ढा
185		228019266854700012	56500	27 / 10 / 2022	केवल गड्ढा
186	नगर पालिका परिषद, आरंग	228020297226000055	56500	02 / 08 / 2022	केवल गड्ढा
187		228020296861800046	54750	02 / 03 / 2022	केवल गड्ढा
188		228020296862400128	54750	17 / 12 / 2021	केवल गड्ढा
189		228020296861800062	55500	24 / 05 / 2022	नींव
190	नगर पंचायत, अभनपुर	228020306894600152	57188	21 / 02 / 2023	केवल गड्ढा
191		0322802030630983326	56531	10 / 08 / 2023	केवल गड्ढा
192		228020306894800043	56063	21 / 07 / 2023	केवल गड्ढा
193		228020306894800100	57188	29 / 11 / 2022	केवल गड्ढा
194		228020306894800054	57188	22 / 07 / 2022	केवल गड्ढा
195		228020307200000152	57188	21 / 07 / 2023	केवल गड्ढा
196		0322802030631023570	56531	10 / 08 / 2023	केवल गड्ढा
197		228020306894600147	57188	24 / 05 / 2023	केवल गड्ढा
198		228020306894800071	57188	24 / 05 / 2023	केवल गड्ढा
199		228020306894800033	57188	13 / 06 / 2023	नींव
200		228020306894800093	57188	24 / 05 / 2023	केवल गड्ढा
201		228020307200000159	57188	24 / 05 / 2023	केवल गड्ढा
		योग	**11292101**		**177 केवल गड्ढा**

(स्रोतः अभिलेखों से लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी)

परिशिष्ट 2.1.7

(संदर्भित कंडिका 2.1.8.14)

प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी के तहत प्रदान किए गए लाभों में दोहराव की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	यूएलबी का नाम	हितग्राही कोड	आधार नंबर/सर्वे कोड	मिशन घटक	हितग्राहियों की संलग्न की तिथि	सीएलएसएस अनुदान
1	नगर पालिक निगम, कोरबा	228019490686800398	******598268	एएचपी	12/07/2018	0.53
		सीएलएस1088801949000008 ऋण खाता 37474292998	******598268	सीएलएसएस	15/02/2019	
2	नगर पालिक निगम, बिलासपुर	228019750724900138	******445998	बीएलसी	04/03/2020	2.34
		सीएलएस1083801975000036	******445998	सीएलएसएस	08/02/2019	
3	नगर पालिक निगम, बिलासपुर	228019750692600025	******159874	बीएलसी	10/01/2018	2.15
		सीएलएस1077801975000010	******159874	सीएलएसएस	26/09/2019	
4	नगर पालिक निगम, बिलासपुर	238021752611700028	******054640	बीएलसी	15/01/2018	2.67
		सीएलएस1184801975000025	******054640	सीएलएसएस	03/07/2019	
5	नगर पालिक निगम, बिलासपुर	228019750725400544	******910079	एएचपी	10/07/2018	2.20
		सीएलएस1088801975000148	******910079	सीएलएसएस	12/04/2019	
6	नगर पालिक निगम, बिलासपुर	228019750725100011	******462211	बीएलसी	28/09/2017	2.67
		सीएलएस1184801975000022	******462211	सीएलएसएस	03/07/2019	
7	नगर पालिक निगम, बिलासपुर	0322801975636693266	******058522	बीएलसी	19/06/2023	2.67
		सीएलएस1223801975900006	******058522	सीएलएसएस	02/12/2022	
8	नगर पालिक निगम, बिलासपुर	सीएलएस1088801975000058	******957094	सीएलएसएस	29/03/2019	1.82
		228019759434600014		एएचपी		
9	नगर पालिक निगम, बिलासपुर	228019750724900431	******725666	एएचपी	31/10/2020	2.67
		सीएलएस1074801975900002	******725666	सीएलएसएस	07/09/2020	
10	छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल	3201240	289914	एएचपी	20/12/2019	2.67
		सी0000953081		सीएलएसएस	2019–20	
11		3201608	428018	एएचपी	06/06/2018	2.67
		सी0002020072		सीएलएसएस	2021–22	
12		3205791	403541	एएचपी	30/12/2019	2.35
		सी0001120729		सीएलएसएस	2020–21	
13		3205342	3903893	एएचपी	04/06/2018	2.67
		सी0002734791		सीएलएसएस	2021–22	
14		3206818	5904986	एएचपी	16/01/2018	1.25
		सी0000349441		सीएलएसएस	2021–22	
15		3205859	267751	एएचपी	29/11/2018	1.11
		सी0001120237		सीएलएसएस	2019–20	
16		3203948	270862	एएचपी	16/08/2017	2.35

		सी0001183651		सीएलएसएस	2019–20	
17		3202797	427905	एएचपी	23/05/2016	2.20
		सी0002675394		सीएलएसएस	2022–23	
18		3205418	292659	एएचपी	31/05/2018	2.67
		सी0001956484		सीएलएसएस	2021–22	
19		3201629	295837	एएचपी	31/12/2019	2.35
		सी0001159626		सीएलएसएस	2020–21	
20		3206879	5905136	एएचपी	16/01/2018	2.67
		सी0001781209		सीएलएसएस	2021–22	
21		3203607	425351	एएचपी	23/05/2016	1.89
		सी0001863661		सीएलएसएस	2020–21	
22		3204724	437957	एएचपी	19/12/2019	1.10
		सी0002079322		सीएलएसएस	2021–22	
23		3201495	403324	एएचपी	20/12/2019	1.08
		सी0000360979		सीएलएसएस	2019–20	
24		3204723	5900037	एएचपी	20/12/2019	0.82
		सी0000404340		सीएलएसएस	2021–22	
25		3203328	238947	एएचपी	14/05/2016	2.18
		सी0000378444		सीएलएसएस	2019–20	
26		3204429	5904973	एएचपी	19/12/2019	1.21
		सी0000348947		सीएलएसएस	2019–20	
27		3206447	5903928	एएचपी	16/12/2019	2.67
		सी0002685014		सीएलएसएस	2022–23	
28		3207479	5958848	एएचपी	05/04/2018	1.42
		सी0000252333		सीएलएसएस	2018–19	
29		3201451	5906115	एएचपी	24/12/2019	0.56
		सी0001538249		सीएलएसएस	2022–23	
	योग					**57.61**

(स्रोतः अभिलेखों से लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी)

परिशिष्ट 2.1.8

(संदर्भित कंडिका 2.1.9.1)

हितग्राही आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण आवासों का स्थिति दर्शाने वाला विवरण, जिन्हें पूर्ण के रूप में जियो टैग किया गया है, लेकिन संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान अपूर्ण पाया गया

क्र. सं.	यूएलबी का नाम	लाभार्थी कोड	अंतिम भुगतान की तिथि	कुल भुगतान	जियो–टैग के अनुसार पूर्णता की तिथि
1	नगर पालिका परिषद, तखतपुर	228019737902000072	28/02/2022	137249	19/06/2023
2	नगर पालिक निगम, कोरबा	228019490685700048	11/03/2022	56531	01/09/2023
3		228019490685700056	25/02/2022	132975	21/09/2021
4	नगर पालिक निगम, बिलासपुर	0322801975636314518	17/08/2023	186824	24/08/2023
5	नगर पालिका परिषद, कटघोरा	228019458404700033	01/08/2022	188511	25/09/2021
6		228019458404700037	15/12/2023	188511	25/09/2021
7	नगर पंचायत, धमधा	0322802003634086368	03/05/2024	182200	30/03/2024
8	नगर पंचायत, भटगांव	228020276892300025	30/01/2021	228749	25/01/2021
9		0322802027629824559	26/07/2023	137350	06/09/2023
10		0322802027629823649	21/03/2023	114500	05/09/2023
11	नगर पंचायत, छुरीकला	0322801946631018750	03/07/2023	188513	23/06/2023
12	नगर पंचायत, प्रेमनगर	228019266856600014	17/09/2020	226000	21/07/2020
13		228019266856600003	03/02/2021	229000	07/07/2020
14		0322801926634368913	26/12/2023	188400	11/01/2024
15		0322801926629065766	16/09/2023	226000	15/07/2023
16		228019266858500001	17/01/2020	228950	21/11/2019
17		0322801926634366495	26/12/2023	188400	11/01/2024
18		0322801926627335027	02/07/2023	188400	28/10/2023
19		228019266858500007	24/12/2019	226000	12/10/2019
20		0322801926631770211	16/09/2023	188400	10/10/2023
21		0322801926627616583	01/03/2024	188400	11/01/2024
22		0322801926627357428	18/01/2023	188400	15/10/2023
23		0322801926629067556	10/11/2023	188400	04/01/2024
24		228019266856600005	12/05/2020	229000	16/01/2020
25		228019266856600008	12/05/2020	226000	06/02/2020
26		228019266856600011	16/07/2020	226000	09/07/2020
27		228019266856600013	12/05/2020	229000	06/02/2020
28	नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर	228019270710200307	10/11/2021	56500	15/09/2021
29		228019270710200061	20/04/2018	56200	31/08/2021
30		228019270710100124	03/10/2023	113000	24/09/2021

31	नगर पालिका परिषद, सूरजपुर	228019236859600009	12 / 03 / 2021	229000	25 / 01 / 2021
32		228019236859300003	22 / 06 / 2020	219000	11 / 06 / 2020
33		228019236850800010	02 / 03 / 2021	226000	18 / 01 / 2021
34	नगर पंचायत, फिंगेश्वर	228020365837500065	05 / 03 / 2020	188496	24 / 12 / 2019
35	नगर पंचायत, अभनपुर	0322802030630958026	05 / 03 / 2024	226126	20 / 02 / 2024
36		228020306894200083	24 / 05 / 2024	190938	30 / 04 / 2024
37		0322802030630957687	15 / 03 / 2024	226123	21 / 02 / 2024
38	नगर पालिक निगम, रायपुर	228020340668900086	22 / 04 / 2020	181000	20 / 02 / 2024
		योग		**7019046**	

(स्रोतः अभिलेखों से लेखापरीक्षा द्वारा संकलित जानकारी)

परिशिष्ट 3.1.1

(संदर्भित कंडिका 3.1.2)

श्रम विभाग की संगठनात्मक संरचना

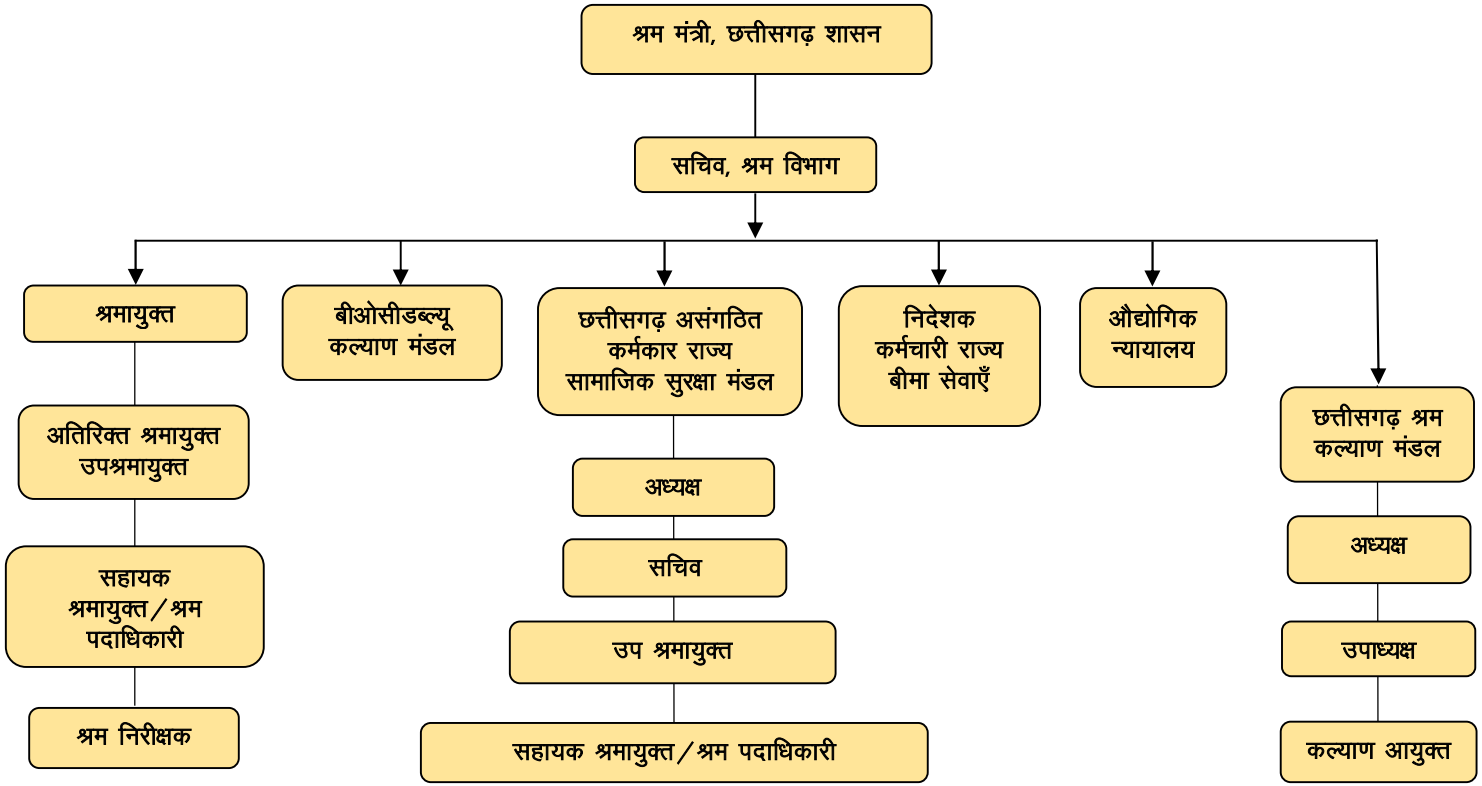

परिशिष्ट 3.1.2

(संदर्भित कंडिका 3.1.3)

असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल और छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल द्वारा क्रियान्वित योजनाएं और अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए चयनित योजनाएं

संगठित और असंगठित क्षेत्रों में क्रियान्वित योजनाओं के नाम	अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए चयन की गई योजनाओं के नाम
संगठित क्षेत्र	
(i) शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना (ii) कल्याण केंद्र का संचालन और निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण योजना पर प्रशासनिक व्यय (iii) कन्या विवाह के लिए सहायता (iv) शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना (v) मेधावी शिक्षा को सहायता (vi) खेल कूद प्रोत्साहन योजना (vii) कर्मकारों हेतु दुर्घटना मृत्यु सहायता (viii) निःशुल्क सायकल वितरण (ix) स्वास्थ्य और नेत्र परीक्षण शिविर और निःशुल्क चश्मा वितरण (x) निःशुल्क बैसाखी/कैलीपर्स/श्रवण यंत्र वितरण (xi) श्रमिकों हेतु खेल–कूद प्रतियोगिताएं (xii) निःशुल्क सिलाई मशीन का वितरण (xiii) सिलोकोसिस से पीड़ित श्रमिकों हेतु आर्थिक सहायता एवं पुर्नवास सहायता (xiv) मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशासनिक व्यय	(i) शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना (ii) कल्याण केंद्र का संचालन और निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण योजना पर प्रशासनिक व्यय (iii) शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना
असंगठित क्षेत्र	
(i) महिलाओं को मातृत्व सहायता (असंगठित) (ii) मृत्यु और विकलांगता हेतु सहायता (iii) महिलाओं को मातृत्व सहायता (ठेकाकामगार/घरेलू कर्मकार/हमाल श्रमिक) (iv) मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना (असंगठित) (v) ई–रिक्शा सहायता योजना (vi) घरेलू कर्मकारों को साइकिल, छतरी, चप्पल/जूते सहायता (vii) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (viii) ठेका, घरेलू और हमाल महिला कर्मकारों हेतु विवाह योजना (ix) असंगठित कर्मकारों के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना (x) असंगठित कर्मकारों को मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता (xi) ठेका, घरेलू और हमाल महिला कर्मकारों के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति (xii) सफाई कर्मकार के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति (xiii) सफाई कर्मकार हेतु ओपीडी चिकित्सा	(i) ई–रिक्शा सहायता योजना (ii) मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना (असंगठित) (iii) सफाई कर्मकार को आवश्यक उपकरण सहायता (vi) समाचार पत्र वितरक (हाकर) सायकल योजना (v) सफाई कर्मकार हेतु कौशल विकास योजना (vi) महिलाओं हेतु प्रसूति सहायता (असंगठित) (vii) महिलाओं हेतु प्रसूति सहायता (ठेका

(xiv) घरेलू महिला कर्मकारों हेतु कौशल विकास और ठेका और हमाल कर्मकारों हेतु परिवार सशक्तिकरण योजना (xv) ठेका कर्मकारों और हमाल कर्मकारों हेतु ओपीडी चिकित्सा (xvi) सफाई कर्मकार हेतु कौशल विकास योजना (xvii) स्मार्ट वेंडिंग कार्ट (रेडीमेड किचन) हेतु सहायता (xviii) सफाई कर्मकार के बच्चों हेतु विशेष कोचिंग योजना (xix) ई–ठेला सहायता योजना (xx) महिलाओं को मातृत्व हेतु सहायता (सफाई कर्मकार) (xxi) असंगठित कर्मकारों हेतु विवाह सहायता योजना (xxii) राउत चरवाहा एवं दूध दुहने वाले हेतु मुख्यमंत्री साइकिल सहायता (xxiii) शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना (xxiv) सफाई कर्मकार विवाह योजना (xxv) सफाई कर्मकार आवश्यक उपकरण सहायता (xxvi) समाचार पत्र वितरक (हाकर) सायकल योजना (xxvii) असंगठित कर्मकारों हेतु अंत्येष्टि संस्कार सहायता (xxviii) सफाई कर्मकार के बच्चों हेतु साइकिल सहायता (xxix) कचरा बीनने वालों हेतु सुरक्षा उपकरण सहायता (xxx) हमाल हेतु जूता, हुक तथा महिला हमाल हेतु सुपा टोकरी सहायता (xxxi) मुख्यमंत्री कोटवार सायकल एवं टार्च सहायता (xxxii) सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित कर्मकारों हेतु आर्थिक और पुनर्वास सहायता (xxxiii) सब्जी, फल और फूल के फुटकर विक्रेता हेतु ताराजू, बाट और टोकरी सहायता (xxxiv) असंगठित कर्मकारों हेतु मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता (xxxv) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (xxxvi) मुख्यमंत्री सायकलरिक्शा	श्रमिक / घरेलू कर्मकार / हमाल श्रमिक)

परिशिष्ट 3.1.3

(संदर्भित कंडिका 3.1.7)

असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल और छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अंतर्गत 2018–19 से 2022–23 के दौरान योजना वार हितग्राहियों की संख्या एवं व्यय

(₹ लाख में)

क्र. स.	योजना का नाम	हितग्राहियों की संख्या	व्यय	हितग्राहियों की संख्या	व्यय	हितग्राहियों की संख्या	व्यय	हितग्राहियों की संख्या	व्यय	हितग्राहियों की संख्या	व्यय	हितग्राहियों की कुल संख्या	कुल व्यय
		2018–19		2019–20		2020–21		2021–22		2022–23			
असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल (36 योजनाएं)													
1	असंगठित कर्मकार हेतु प्रसूति सहायता	380	38.05	2,333	233.30	6,331	633.10	7,641	954.80	13,958	2791.60	30,643	4650.85
2	असंगठित कर्मकार हेतु मृत्यु और विकलांगता सहायता	0	0.00	7	7.00	1,192	1192.00	2,402	2402.00	484	484.00	4,085	4085.00
3	महिलाओं हेतु प्रसूति सहायता (ठेका/हमाल श्रमिक और घरेलु कामगार)	1,274	105.55	737	73.61	2,091	209.10	2,449	290.80	4,686	937.20	11,237	1616.26
4	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सयाकल सहायता	33,435	1,239.44	744	27.58	19	0.00	0	0.00	0	0.00	34,198	1267.02
5	ई–रिक्शा सहायत	629	314.50	324	162.00	73	36.50	10	5.00	15	7.50	1,051	525.50
6	घरेलु कामगार हेतु साइकिल, छतरी, जूते चप्पल सहायता	5,851	246.15	140	5.89	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5,991	252.04
7	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा (परिवर्तित)	145832	249.37	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,45,832	249.37
8	घरेलु कामगार और हमाल महिला कामगार हेतु विवाह सहायता	1,494	224.10	101	15.15	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1,595	239.25
9	असंगठित कर्मकार के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना	14,131	131.35	5,506	49.86	1,230	11.46	2,247	20.87	295	2.72	23,409	216.25

क्र. स.	योजना का नाम	हितग्राहियों की संख्या	व्यय	हितग्राहियों की संख्या	व्यय	हितग्राहियों की संख्या	व्यय	हितग्राहियों की संख्या	व्यय	हितग्राहियों की संख्या	व्यय	हितग्राहियों की कुल संख्या	कुल व्यय
		2018–19		2019–20		2020–21		2021–22		2022–23			
10	असंगठित कर्मकार हेतु मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता	3,815	160.23	471	19.78	23	0.00	51	0.00	0	0.00	4,360	180.01
11	घरेलु कामगार और हमाल कामगार के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति	8,358	72.54	3,935	34.94	1,035	9.79	1,902	17.63	143	1.27	15,373	136.16
12	सफाई कर्मकार के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति	4,163	85.70	1,036	20.80	209	4.57	485	10.99	104	2.06	5,997	124.10
13	सफाई कर्मकार हेतु प्रसूति सहायता	345	26.95	94	6.65	151	7.55	131	9.70	241	48.20	962	99.05
14	असंगठित कर्मकार विवाह सहायता	470	70.50	140	21.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	610	91.50
15	मुख्यमंत्री राउत चरवाहा, दुध दुहने वाले हेतु सायकल सहायता	2,023	71.80	237	8.41	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2,260	80.21
16	शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न	211298	36.29	273927	39.10	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4,85,225	75.39
17	सफाई कर्मकार हेतु विवाह सहायता	341	51.15	9	1.35	0	0.00	0	0.00	0	0.00	350	52.50
18	सफाई कर्मकार हेतु आवश्यक उपकरण सहायता	5,338	30.75	609	3.51	105	0.00	43	0.00	222	0.00	6,317	34.25
19	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार समाचार पत्र वितरकों (हाकर्स) हेतु सायकल सहायता	917	32.54	2	0.07	0	0.00	0	0.00	0	0.00	919	32.62
20	असंगठित कर्मकार हेतु अंत्येष्टि सहायता	319	15.95	235	11.75	2	0.10	0	0.00	0	0.00	556	27.80
21	सफाई कर्मकार के पुत्र/पुत्री हेतु सायकल सहायता	670	24.84	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	670	24.84

क्र. स.	योजना का नाम	हितग्राहियों की संख्या	व्यय	हितग्राहियों की संख्या	व्यय	हितग्राहियों की संख्या	व्यय	हितग्राहियों की संख्या	व्यय	हितग्राहियों की संख्या	व्यय	हितग्राहियों की कुल संख्या	कुल व्यय
		2018–19		2019–20		2020–21		2021–22		2022–23			
22	कचरा बीनने वाले हेतु सुरक्षा उपकरण सहायता	2,104	13.07	314	1.95	64	0.00	0	0.00	332	0.00	2,814	15.02
23	हमाल हेतु जूता, हुकतथा महिला हमाल हेतु सुपाटोकरी सहायता	1,906	9.53	70	0.35	32	0.00	0	0.00	0	0.00	2,008	9.88
24	मुख्यमंत्री कोटवार सायकल, टार्च सहायता	194	8.34	4	0.17	0	0.00	0	0.00	0	0.00	198	8.51
25	सिलिकोसिस बीमारी पीड़ित कर्मकारों हेतु आर्थिक और पुनर्वास सहायता	1	3.00	1	3.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	6.00
26	फुटकर सब्जी, फल और फूल विक्रता हेतु ताराजू, बाट और टोकरी सहायता योजना	548	3.84	7	0.05	0	0.00	0	0.00	0	0.00	555	3.89
27	असंगठित कर्मकार हेतु मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता	3	1.50	1	0.50	0	0.00	1	0.50	0	0.00	5	2.50
28	सफाई कर्मकार हेतु ओपीडी चिकित्सा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
29	घरेलु महिला कामगार हेतु कौशल विकास तथा ठेका कर्मकार, हमाल कामगार हेतु परिवार सशक्तिकरण	131	0.00	409	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	540	0.00
30	ठेका श्रमिक और हमाल कर्मकार हेतु ओपीडी चिकित्सा सहायता	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

क्र. स.	योजना का नाम	हितग्राहियों की संख्या	व्यय	हितग्राहियों की संख्या	व्यय	हितग्राहियों की संख्या	व्यय	हितग्राहियों की संख्या	व्यय	हितग्राहियों की संख्या	व्यय	हितग्राहियों की कुल संख्या	कुल व्यय
		2018–19		2019–20		2020–21		2021–22		2022–23			
31	सफाई कर्मकार कौशल विकास	73	0.00	367	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	440	0.00
32	स्मार्ट वेंडिंग कार्ट सहायता	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
33	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल रिक्शा सहायता	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
34	ई–ठेला सहायता	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
35	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा	70	0.01	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	70	0.01
36	सफाई कर्मकार के पुत्र/पुत्री हेतु विशेष कोचिंग	0	0.00	1	0.73	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.73
	कुल असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल											**7,88,273**	**14,106.51**
	छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल (14 योजनाएं)												
37	शैक्षणिक छात्रवृत्ति	3,852	91.53	6,628	147.54	3,027	67.59	1,682	42.34	3,677	192.14	18,866	541.12
38	कन्या विवाह सहायता	345	51.75	175	26.25	0	0.00	0	0.00	0	0.00	520	78.00
39	श्रम कल्याण केंद्र के संचालन/मुफ्त सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण पर वेतन और अन्य व्यय	879	47.50	706	25.59	0	22.82	471	22.40	1,164	23.62	3,220	141.93
40	दुर्घटना मृत्यु सहायता	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
41	निःशुल्क सायकल वितरण	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
42	निःशुल्क सिलाई मशीन	775	32.15	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	775	32.15
43	स्वास्थ्य, नेत्र परीक्षण, शिविर और निःशुल्क चश्मा वितरण	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
44	निःशुल्क वैशाखी/कैलिपर्स/	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

क्र. स.	योजना का नाम	हितग्राहियों की संख्या	व्यय	हितग्राहियों की संख्या	व्यय	हितग्राहियों की संख्या	व्यय	हितग्राहियों की संख्या	व्यय	हितग्राहियों की संख्या	व्यय	हितग्राहियों की कुल संख्या	कुल व्यय
		2018–19		2019–20		2020–21		2021–22		2022–23			
	ट्राई सायकल/श्रवण यंत्र वितरण												
45	सिलिकोसिस (बीमारी) से प्रभावित कर्मकारों को आर्थिक सहायता और पुनर्वास सहायता	1	3.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	3.00	2	6.00
46	श्रमिको हेतु खेल प्रतियोगिता	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
47	मुख्यमंत्री कौशल विकास और परिवार सशक्तिकरण (प्रशासनिक और वेतन व्यय)	0	11.42	0	14.27	0	13.27	0	10.35	0	9.98	0	59.30
48	शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न	72,832	7.30	119352	11.72	89,988	9.28	1,26,622	15.16	21,934	2.69	4,30,728	46.16
49	मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	0.25	3	0.25
50	खेल कूद प्रोत्साहन	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.25	1	0.25
कुल छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल												**454,115**	**905.16**
महायोग												**1,242,388**	**15,011.66**

परिशिष्ट 3.1.4

(संदर्भित कंडिका 3.1.7)

असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल और छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल में 2018–19 से 2022–23 के दौरान प्रति हितग्राही योजना वार व्यय

(₹ राशि में)

असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल (13 योजनाएं)														
क्र. स.	योजना का नाम	हितग्राहियों की संख्या	व्यय	हितग्राहियों की संख्या	व्यय	हितग्राहियों की संख्या	व्यय	हितग्राहियों की संख्या	व्यय	हितग्राहियों की संख्या	व्यय	हितग्राहियों की कुल संख्या	कुल व्यय	प्रति हितग्राही व्यय
		2018–19		2019–20		2020–21		2021–22		2022–23				
1	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	145832	24937272	0	0	0	0	0	0	0	0	145832	24937272	171
2	असंगठित कर्मकार के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना	14131	13135000	5506	4985950	1230	1146000	2247	2086500	295	272000	23409	21625450	924
3	ठेका, घरेलू और हमाल महिला श्रमिकों के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति	8358	7254000	3935	3493500	1035	979250	1902	1762750	143	126500	15373	13616000	886
4	शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना	211298	3628728	273927	3910187	0	0	0	0	0	0	485225	7538915	16
5	सफाई कर्मकार हेतु आवश्यक उपकरण सहायता	5338	3074688	609	350784	105	0	43	0	222	0	6317	3425472	542
6	कचरा बीनने वालों हेतु सुरक्षा उपकरण सहायता	2104	1306584	314	194994	64	0	0	0	332	0	2814	1501578	534
7	हमाल हेतु जूता, हुक तथा महिला हमाल हेतु सुपा, टोकरी सहायता	1906	953000	70	35000	32	0	0	0	0	0	2008	988000	492
8	सब्जी, फल और फूल के फुटकर विक्रेता के लिए ताराजू, बाट और टोकरी सहायता	548	383600	7	4900	0	0	0	0	0	0	555	388500	700
9	सफाई कर्मकार को ओपीडी चिकित्सा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10	ठेका कामगार और हमाल कामगार हेतु ओपीडी चिकित्सा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	स्मार्ट वेंडिंग कार्ट (रेडीमेड किचन) हेतु सहायता	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	मुख्यमंत्री सायकल रिक्शा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	ई–ठेला सहायता योजना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल (4 योजनाएं)														
14	कर्मकार हेतु दुर्धटना मृत्यु सहायता	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	निःशुल्क सायकल वितरण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	निःशुल्क बैसाखी/कैलिपर्स /श्रवण यंत्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना	72832	730300	119352	1172280	89988	928439	126622	1516298	21934	269052	430728	4616369	11

© भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag/chhattisgarh/en